राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम् सत्र, १९६५ का १८ वां दिवस [संख्या ११

गुरुवार, दिनांक ७ अक्टूबर, १९६५

विधान सभा की कार्यवाही विधान सभा भवन, जयपुर में म० पू० ११ बज कर १० मिनिट पर प्रारम्भ हुई ।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य, गृह, सिंचाई, खाद्य, पशु-पालन एवं विधि-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या २६३

श्री देवी लाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा !

प्रतापगढ़ में प्लॉटों के लिये प्रार्थना-पत्र

२६४. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ शहर में सैंकड़ों लोग किराये के मकानों में रहते हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि प्रतापगढ नगरपालिका एरिया की जमीन शहर के चारों तरफ पड़ी हुई है ? यदि हां, तो प्लॉट काट कर बे-घरबार लोगों को देने में क्या रुकावट आ रही है ?

(३) क्या यह सही है कि शुरू से लेकर अब तक कोई प्लॉट नही दिया गया है, जब कि लोग हमेशा से प्लॉट लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देते आ रहे है? अब कब तक इस तरफ कदम उठाया जायगा; जमीन कई वर्षों से बेकार पड़ी हुई है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी हां ।

(२) नगरपालिका के अधिकार में जमीन खाली नहीं है ।

(३) यह सही है कि इस समय ५० से अधिक अर्जियां नगरपालिका में पेंडिग पडी हुई हैं । इस बारे में जाच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री हरलाल मीणा : यह प्लॉट देने का अधिकार नगरपालिका को है या किसी अन्य विभाग को है ?

Page No 2

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि नगरपालिका के क्षेत्र में खाली प्लॉट नहीं हैं ?

श्री हरलाल मीणा : यह सही है नहीं । नगरपालिका के क्षेत्र में काफी जमीन पड़ी है हुई शहर के चारों तरफ ।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका के चेअरमैन ने हमें सूचित किया है कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में आवादी लायक जमीन के प्लॉट्स उनके क्षेत्र में खाली नहीं हैं, अलवत्ता राजस्व के क्षेत्र में खाली हैं।

श्री हरलाल मीणा : यह सूचना गलत दी है । शहर के चारों तरफ जमीन खाली पडी हुई है ।

श्री दौलतराम सारण : जमीन पडी हुई है लेकिन म्युनिसिपैलिटी की आबादी की जमीन नही है, ऐसा उन्होंने सूचित किया है । मैंने वैसे आपको प्रश्न (३) के उत्तर में बताया है कि इस बारे में जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या सरकार यह आदेश देगी कि उस लैण्ड को म्युनिसिपैलिटी के द्वारा प्लॉट्स के लिये एक्वायर किया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न (३) के उत्तर में मैं इसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री रावतराम : सुनाई नहीं दिया ।

श्री दौलतराम सारण : आप कान खोल कर सुनते । मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री हरलाल मीणा : आपका कहना गलत है । नगरपालिका प्रतापगढ के एरिया में काफी जमीन खाली पडी हुई है और बेकार पडी हुई है ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-मु०) : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना गलत है । नगरपालिका क्षेत्र में सैंकडों प्लॉट्स ऐसे ही पडे रहते हैं लेकिन उनको बेचने के लिए वे खाली नहीं हैं । शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग और हरिजन किराये की झोंपडियों में रहते हैं, लेकिन उनको म्युनिसिपैलिटी यह जमीन नहीं देती है ।

श्री दौलतराम सारण : आप कौनसी नगरपालिका के बारे में कह रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रतापगढ ।

श्री दयाचन्द सोन : मैं कई नगरपालिकाओं के बारे में कह रहा हूं ।

श्री दौलतराम सारण : कौनसी ?

श्री दयाचन्द सोन : बारां की नगरपालिका में ऐसी जमीन पडी हुई है ।

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न सारी नगरपालिकाओं से संबंधित नहीं है । प्रताप गढ म्युनिसिपैलिटी के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : जब प्रतापगढ क्षेत्र में प्लॉट्स की मांग है तो क्या सरकार राजस्व के लैण्ड को आबादी के लैण्ड में कन्वर्ट कराना उचित नहीं समझती है ?

Page No 3

श्री दौलतराम सारण : इसीलिये प्रश्न (३) के उत्तर में मैंने एश्योरेन्स दिया है कि इस बारे में जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

प्रश्न संख्या २६५

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६६

श्री सांवलयाराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

सब-इन्सपेक्टरों की विभागीय परीक्षा

२६७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् ५९ में सब-इन्सपेक्टरों के पदों के लिये विभागीय परीक्षा ली गई थी ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुए थे और कितनों को सब-इन्सपेक्टर बनाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि ६०-६१ व ६२-६३ में पुनः परीक्षाएं हुई थीं और उनमें उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों को नियुक्तियां दे दी गईं; जब कि कोटा उदयपुर रेन्ज के सन् १९५९ के सफल कर्मचारियों को आज तक नियुक्त नहीं किया जा सका है और न तरक्की दी गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सन् १९५९ में विभागीय परीक्षाओं के फलस्वरूप ९५ हैड कांन्स्टेबल सब इन्सपेक्टर के पद के लिये उपयुक्त पाये गये और उन्हें सबको ही सब-इन्सपेक्टर बना दिया गया है ।

(२) यह सही नहीं है । क्योंकि उदयपुर कोटा रेंज में सन् १९५९ की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सब ही हैड कॉन्सटेबलों को तरक्की दी जा चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान !

उदयपुर नगरपरिषद् के कर्मचारियों की कॉलोनी में पानी की व्यवस्था

२६८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर-परिषद् द्वारा बसाई जाने वाली म्युनिसिपल कर्मचारियों की कॉलोनी (शिवाजी नगर कालोनी) में पाइप लाइन डालने के लिये लगभग डढ़ वर्ष पूर्व पैसा जमा होने पर भी वहां आज तक पाइप लाइन नहीं डाली गई है ?

(२) उपर्युक्त धनराशि उदयपुर वाटर वर्क्स में कब जमा हुई और अब तक धनराशि जमा होने पर भी पाइप लाइन क्यों नहीं डाली गई ?

(३) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल कर्मचारीगण, उदयपुर, अब तक पानी के अभाव में अपने अपने मकान नहीं बना पाये हैं ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी हां ।

(२) दिनांक १७-६-६४ को नगर-परिषद्, उदयपुर द्वारा उपरोक्त कार्य के लि

(श्री हरिदेव जोशी)
चैक नम्बर १,१६,३२६ से १३,७४०) रुपया जन-स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त हुए। तकनीकी कठिनाइयों के कारण पाइप लाइन नहीं डल सकी।

(३) सरकार की जानकारी में नहीं। अब तकनीकी स्वीकृति होने पर स्कीम का कार्य चालू हो गया है।

श्री जोधसिंह चौहान : कब तक डाल देंगे वह लाइन ?

श्री हरिदेव जोशी : पार्डन।

श्री जोधसिंह चौहान : वह लाइन कब तक डाल देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : काम शुरू हो गया है।

प्रश्न संख्या २६९

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २७०

श्रीमती नगेन्द्रबाला !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

आदर्शनगर, राजापार्क व गुरुनानकपुरा आदि बस्तियों की सडकें

२७१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि आदर्शनगर, राजापार्क, गुरुनानकपुरा आदि बस्तियों को सड़क निर्माण एवं मरम्मत, बिजली-पानी की सुविधाएं आदि की दृष्टि से नगरपरिषद् के अधीन रखा जावे ? यदि हां, तो उस निर्णय के बाद से अब तक कुल कितना रुपया नगरपरिषद्, जयपुर द्वारा इन क्षेत्रों में इन कार्यों पर खर्च किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में सड़कों की दुर्दशा को खास तौर से ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस समय यह फैसला किया था ? यदि हां, तो क्या नगरपरिषद् ने इस सम्बन्ध में कोई कार्य किया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिये करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि शहर के कई भागों में सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों की देखभाल करता है ?

(४) उक्त निर्णय के बाद नगर-सुधार प्रन्यास ने इन कार्यों पर कितना रुपया इन इलाकों में खर्च किया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :(१) राज्य सरकार के पत्र सं. एफ. ३-७३ टी. पी. ६३ दिनांक ६-२-६५ के अनुसार सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जावेगा और खर्चा नगरपरिषद् द्वारा वहन किया जाना तय किया गया था। नगरपरिषद् द्वारा अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया तथा इस आशय में नगरपरिषद् की अर्थ समिति ने तय किया है कि खर्चे का आधा भाग नगरपरिषद् वहन करेगी।

Page No 5

(श्री दौलतराम सारण)

(२) नगरपरिषद् ने कोई कार्य सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में नहीं किया।

(३) सार्वजनिक निर्माण विभाग शहर की मुख्य सड़कों की देख-भाल करता है।

(४) ३०,६३१.६० रुपया व्यय किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि आदर्शनगर, राजापार्क और गुरुनानक-पुरा की सड़कों की दुर्दशा को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इनकी मरम्मत का काम किसी विशेष एजेंसी को दे दिया जाय, इस दृष्टि से सड़कों की मरम्मत का काम नगरपरिषद् को दिया था ? यदि हां, तो नगरपरिषद् ने उस पर कुछ खर्च नहीं किया; तो अब राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

श्री दौलतराम सारण : इन सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने पी. डब्ल्यू. डी. को यह काम सौंपा था और नगरपरिषद् को कहा था कि वह खर्चा वहन करे। उसके पहले पी. डब्ल्यू. डी. ने कुछ सड़कों की मरम्मत और निर्माण का कार्य किया था; लेकिन नगर-परिषद् ने वह खर्चा नहीं दिया, इसलिये उनकी मरम्मत नहीं हो सकी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ? राज्य सरकार ने इस आधार पर निर्णय लिया था कि सड़कों की मरम्मत हो सके और इसीलिए ही नगरपरिषद् पर खर्चा वहन करने की जिम्मेदारी लगाई थी। अब वह खर्चा नहीं करती है तो क्या सरकार जो सब्सिडी उसे देती है उसमें से वह खर्चा काट कर उन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में नगरपरिषद् को फिर निवेदन किया जायेगा कि उस क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने की चेष्टा करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निवेदन करने का सवाल इसमें खड़ा नहीं होता है। गवर्नमेन्ट ने जो आर्डर दिया उसकी कम्प्लायेन्स नगरपरिषद् नहीं करती है और नगरपरिषद् अपने पास से खर्चा करने को तैयार नहीं है; जब कि वह उस क्षेत्र से टैक्स वसूल करती है, तो जैसा मैंने आपको सुझाव दिया, आप जो सब्सिडी देते हैं उसमें से वह पैसा काट लिया जाय और पी. डब्ल्यू. डी. को डाइरेक्टली इस काम को दे दिया जाय ताकि उन सड़कों की मरम्मत हो जाये।

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपसे निवेदन किया कि नगरपरिषद् को कह रहे हैं कि उस क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने के लिए कार्यवाही करे जैसा कि उसको आदेश दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : २७२

गुड़ आयात करने का परमिट

२७२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) द्वारा पूछा गया] : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान क्रय विक्रय संघ को राज्य सरकार द्वारा कहां कहां से कितने कितने

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
गुड़ का आयात करने का परमिट दिया गया था और क्रय विक्रय संघ ने उसके अनुसार कहां कहां से कितने कितने गुड़ का आयात किया ? यदि कम आयात किया गया तो क्यों ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : राजस्थान क्रय विक्रय संघ को यू० पी० की विभिन्न मंडियों से ५२,२५० टन गुड़ के आयात के परमिट दिये गये, जिसमें कुल ४३,८६१ टन गुड़ का आयात किया गया। कम आयात किये जाने के निम्न कारण थे :—

(अ) जिन मंडियों से गुड़ एलॉट किया गया था उनमें से कुछ मंडियों में गुड़ का न मिलना,

(ब) रेल के बैगन न मिलना,

(स) राजस्थान व अन्य राज्यों के एक साथ यू० पी० की मंडियों के लिए एलॉटमेंट होना।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जितना परमिट दिया गया था उसके अनुसार माल आयात नहीं किया गया; उसके संबंध में आपने तीन कारण दिये हैं, ये कारण किस आधार पर दिये हैं? क्या राज्य सरकार ने राजस्थान क्रय विक्रय संघ से जानकारी की थी या उससे एक्स्प्लेनेशन कॉल किया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सारी बातों की जानकारी करके सूचना दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जानकारी दी है, हर महीने के अन्दर आपने अलग अलग कोटा दिया है, उसके अनुसार उतना माल उसने आयात नहीं किया। तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने राजस्थान क्रय विक्रय संघ से पूछा कि इतने माल का हर महीने में कोटा दिया गया उसके मुकाबले में इतना माल आयात करके लाये हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : हर महीने का सवाल नहीं है। मैंने आपको बताया कि ५२,२५० टन का आयात करने का परमिट दिया गया, उसमें से वह ४३,८६१ टन माल लाये और जो बाकी रहा उसको वह नहीं उठा पाये जो दूसरे व्यापारियों के द्वारा उठाया गया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके जवाब में बताया था कि एक महीने में दो हजार टन इम्पोर्ट करने का परमिट दिया, लेकिन उसने १७९४ टन उठाया; अगले महीने में पांच हजार टन का परमिट दिया, लेकिन १ हजार टन माल उठाया। उसके बाद में नौ हजार का परमिट दिया लेकिन उसके मुकाबले में ७ हजार टन उठाया। इस प्रकार हर महीने में जो एलॉटमेंट हुआ और जो परमिट दिया गया, उसके मुकाबले राजस्थान क्रय विक्रय संघ ने कम माल आयात किया और जिस समय पहली दफा माल आयात किया तो उस समय सरकार ने क्रय विक्रय संघ से जानकारी की या कोई एक्शन लिया कि यह कम माल क्यों मंगाया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह नहीं कह सकती कि हर महीने नोटिस लिया या कोई एक्शन लिया या नहीं—यह जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान क्रय विक्रय संघ इस माल को इसलिए पूरा नहीं उठा सका क्योंकि उसके पास माल को लेने के लिए पैसा नहीं था और जिस समय माल आया उस समय माल को पैसे की कमी के कारण नहीं उठाया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो कारण बताये वह जांच के उपरान्त और क्रय विक्रय संघ के ऑफिस बिअरर से पूछने के बाद में बताये हैं और अब आप चौथा कारण बता रहे हैं वह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न का जो उत्तर आपने दिया है वह बहुत सीधा दिया है । आपने तीन कारण बताये हैं; एक तो जिन मंडियों से गुड़ एलॉट किया गया उनमें से कुछ मंडियों में गुड़ का न मिलना, दूसरे रेल के वैगन न मिलना और तीसरे राजस्थान व अन्य राज्यों के एक साथ यू० पी० की मंडियों के लिये एलॉटमेंट होना । लेकिन जो प्रश्न पूछने का मतलब है वह यही है कि हर महीने में जब पूरा माल नहीं आ रहा था तो सरकार ने किसी समय जानकारी की कि माल क्यों कम आया ? क्या सरकार इसके बारे में सोचती थी या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं बता चुकी हूँ कि हर महीने क्या पोजीशन हुई; हर महीने में माल कम आया उस पर क्या एक्शन लिया, इसकी जानकारी नहीं है । जिन कारणों से कोटा लेप्स हुआ वह कारण मैंने बता दिये हैं । चौथा कारण मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बताया दूसरे महीने में पांच हजार मन गुड़ का एलॉटमेंट हुआ उसमें से सिर्फ एक हजार मन गुड़ ही आया । जहां ४ हजार मन गुड़ कम आया उसके लिये क्या राज्य सरकार ने उनसे पूछा है कि ४ हजार मन कम मंगाने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो फिर वही प्रश्न है; इसकी जानकारी करके बता सकती हूं । मेरे पास अभी जानकारी नहीं है ;

श्री कृष्णकुमार गोयल : ५२ हजार के अगेन्स्ट में ३६ हजार मन गुड़ आया । जब आपको मालूम हुआ कि क्रय विक्रय संघ कम माल ला रहा है तो आपने प्राइवेट पार्टीज को गुड़ लाने की इजाजत क्यों नहीं दी और संघ के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या एक्शन लिया गया, मैं यह बतादूं कि जो कोटा क्रय विक्रय संघ नहीं उठा सका वह कोटा कुछ व्यापारियों से उठाया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि आपने सारा कोटा अप्रेल ६४ में मंगाने के लिये क्रय विक्रय संघ को दे दिया तो फिर आपने १३०३ टन का प्राइवेट पार्टीज को गुड़ मंगाने का परमिट क्यों दिया ? जब ५ हजार टन गुड़ के कोटे को मंगाने के लिये आपने क्रय विक्रय संघ को परमिट दे दिया था तो फिर दूसरे प्राइवेट पार्टी को परमिट क्यों दिया ?

Page No 8

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह मैं अभी नहीं बता सकती हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने अपनी सूची में दिया है । क्या यह सही है कि यू० पी० की सरकार से वायदा करके यह तय किया था कि इन इन मंडियों से गुड़ खरीदा जाए ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिन जिन मंडियों से गुड़ खरीदा जाना था वह .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि इन इन मंडियों से गुड़ खरीदा जाए और क्या यह प्रयास नहीं किया कि गुड़ जितना आना चाहिये उससे कम आ रहा है तो दूसरी मंडियों से गुड़ मंगाने की इजाजत दी जावे ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे जानकारी है कि यू० पी० गवर्नमेंट को भी कहा था कि जिन मंडियों से हम वास्तव में गुड़ उठा सकते हैं उन्हीं में हमको अलोट किया जावे । इसलिये यह आपत्ति पैदा हुई ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

अपराध अभियोगों की रिपोर्ट

२७३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(१) क्या यह सही है कि किसी सरकारी परिपत्र के अनुसार स्पेशल रिपोर्ट अपराध अभियोगों को तफतीश सर्किल इन्सपैक्टर की देखरेख में एस. एच. ओ. द्वारा की जानी आवश्यक है ?

(२) क्या यह सही है कि इन्डियन पीनल कोड की धारा ३३३, १४८ तथा ३२५ आदि के अधीन एक स्पेशल रिपोर्ट अपराध अभियोग, स्टेट वर्सेज बूदरा सन् १९६३-६४ में जिला जालौर के सांचोर पुलिस स्टेशन में पंजीयत की गई थी ? क्या यह भी सही है कि प्रारम्भ में इस समस्त मामले की तफतीश केवल एक हैड कॉन्सटेबल द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की तफतीश के संबंध में एक शिकायत एस. पी. जालौर के पास की गई जिन्होंने भीनमाल के सर्किल ऑफिसर को इस मामले में तफतीश करने हेतु निर्देश दिया था ? यदि हां, तो इस प्रकार आदेशित तफतीश का क्या परिणाम रहा ?

(४) क्या यह सही है कि प्रोसीक्यूशन लीगल ब्रांच के दोष-सिद्धि के लिये समस्त अभियुक्तों का चालान नहीं करने के लिये पुलिस को सुझाव दिया था ? यदि हां, तो विधिपूर्ण सुझाव का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं ?

(५) उपरोक्त मुकदमे में कमिटल कार्यवाही में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट सांचोर अदालत द्वारा क्या नतीजा रहा ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) ऐसा कोई सरकारी परिपत्र जारी नहीं हुआ । किन्तु साधारणतया संगीन स्पेशल रिपोर्ट अपराधों की तफतीश सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा स्वयं या उसकी देख-रेख में एस. एच. ओ. द्वारा की जाती है ।

(२) जी हां, दिनांक २३-१२-६३ को अभियोग सं० ६५ धारा ३५३, १४७, ३३२

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
भा० द० स० के अधीन थाना सांचोर में पंजीवद्ध हुआ था, जो स्पेशल रिपोर्ट केस था प्रारंभ में इस अभियोग का अनुसंधान एच. सी. द्वारा इसलिये किया गया था कि वह थानेदार की अनुपस्थिति में स्वयं इन्चार्ज थाना था।

(३) जी हां, श्रीमाना के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक २६-१२-६३ को पुलिस अधीक्षक जालौर ने उक्त अभियोग का अनुसंधान सर्किल ऑफिसर भीनमाल को अपनी देख रेख में कराने का आदेश दिया था। क्योंकि श्रीमाना ने यह शिकायत की थी कि मुकदमे में स्थानीय वैमनस्य के कारण झूंठे व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है। तफतीश से घटना सही पाये जाने पर ९ अभियुक्तगणों का चालान दि० १३-१-६४ को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो इस समय सत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

(४) पी. एस. आई. ने जुर्म १४७। १४८।३३३ आई. पी. सी. के बारे में कुछ मुलजिमान के खिलाफ सबूत कमजोर होना बताया था, किन्तु सर्किल ऑफिसर ने सबूत को चालान के लिये पर्याप्त मान कर मुकदमे को कोर्ट में देना ही उचित समझा।

(५) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने ९ मुलजिमान में से ६ को धारा ३३३।३५३।३२४।३२५। ३२३ भा. द. स. में चार्जेज सुना कर सत्र न्यायालय में ट्रायल हेतु कमिट किया और शेष ३ को रिहा किया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब आप इस बात को मानते हैं कि सब-इन्सपेक्टर नहीं था और हैड कॉन्सटेबल ने उसकी तफतीश की; जब आपके यहां पर ऐसा नियम है कि सर्किल इन्सपेक्टर की देख-रेख में इन्वेस्टीगेशन करें तो ऐसा क्यों नहीं किया गया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाद में उसकी देख-रेख में की गई?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बाद में शिकायत की गई थी तब हुआ, जब तक सारी तफतीश हो चुकी थी। जब सीनियर ऑफिसर ने तफतीश की तो उन तीन अभियुक्तों को जिनको अदालत ने डिस्चार्ज किया उनके खिलाफ चार्ज नहीं होते हुए भी उनका चालान किया, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? वास्तव में तफतीश तो हैड कांस्टेबल ने ही की थी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हैड कांस्टेबल ने तफतीश की वह कानून के विरुद्ध नहीं थी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : संगीन जुर्मों में निर्दोषी व्यक्तियों को नहीं फंसाया जाए, इसलिये इस इन्ट्रेस्ट के सेफ गार्ड करने के लिये आपका सर्क्यूलर है कि सर्किल इन्सपेक्टर की देख-रेख में तफतीश की जावे। मगर यहां पर निर्दोषी व्यक्तियों के बच्चों जो माइनर थे और जो स्कूल में पढते थे उनको और औरतों का अदालत में चालान किया गया। जिस समय सर्कल इन्सपेक्टर की देख-रेख में जांच की तो इन निर्दोषी व्यक्तियों को, जिनको अदालत ने डिस्चार्ज किया अदालत में उनका चालान क्यों किया गया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो ओपीनियन का प्रश्न है। उसकी राय में वे निर्दोषी नहीं मालूम पडते होंगे और यह उसने माना या नहीं माना, यह उसकी मर्जी पर है। मगर ९ आदमियों का चालान हुआ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
जिसमें से ३ को अदालत ने डिस्चार्ज किया, इससे यह नहीं कह सकते कि एविडेन्स उनके चालान करने के लिये काफी नहीं था । अदालत ने उस एविडेन्स को इनएडीक्वेट मानकर उनको बरी कर दिया, यह तो ओपीनियन का सवाल है । तफतीश कुनन्दा को वह एडीक्वेट चालान के लिये पर्याप्त मालूम हुआ ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब इस मामले की तफतीश की गई थी और उन माइनर लड़कों के नाम स्कूल के रजिस्टर में थे और फिर भी झूंठा चालान कर दिया जावे और अदालत में बरी हो जावे तो ऐसे झूंठे चालान करने वालों के प्रति आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हैंड कॉन्स-टेबल ने तफतीश को दफा १५७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत हैड कान्सटेबल को तफतीश करने का अधिकार है । नोट बिलो दी रेंक ऑफ हैड कांस्टेबल, इसलिये जो तफतीश की गई वह बिल्कुल ठीक थी। आपकी शिकायत यह है कि तीन आदमियों को डिस्चार्ज अदालत ने किया उन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ इस प्रकार के शहादत जिससे कि उनका चालान किया जा सके नहीं होते हुए भी चालान किया गया ; अगर ऐसा हुआ है जिसमें मेलिशियस प्रेक्टिस हुई है तो I will Probe in to the affair.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अमूमन यह देखा गया है कि संगीन जुर्मों में इस प्रकार की एविडेन्स लेकर निर्दोषी व्यक्तियों को भी फंसा दिया जाता है । जिस प्रकार यहां पर निर्दोष स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों और औरतों को । अदालत ने बाद में उनको डिस्चार्ज किया ।

हालांकि हैंड कॉन्सटेबल ने तफतीश की, वह कर सकता है । मगर वह जो तफतीश कर लेता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । इन्सपेक्टर को चाहिये था कि वह उसको देखता और जिन व्यक्तियों को अदालत ने डिस्चार्ज किया उनके खिलाफ चालान नहीं करते । जब आपके पास इस प्रकार की शिकायत पेश की तो आपने सर्कल इन्सपेक्टर की देख–रेख में तफतीश करवाई और चालान किया और बाद में अदालत में उन लोगों को बरी किया गया । जब ये सारी बातें सच्ची साबित हो गई हैं कि निर्दोषी व्यक्तियों को फंसाया गया तो आप उसको लाइटली क्यों लेते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी केस कोर्ट में पेंडिंग है; इसलिये मैं एवीडेन्स आदि के बारे में कुछ नहीं कह सकता । आपने जिनको अदालत ने डिस्चार्ज किया उनके लिये हमें भी रिव्यू करने का हक है । मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि अगर मेलाफाइड इन्टेन्शन से गलत कार्यवाही हुई है या किसी की गल्ती से हुआ है तो मैं देख लूंगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आप भविष्य में संगीन जुर्मों में सीनियर ऑफिसरों की देख–रेख में हो, इसके लिये कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो प्रिवेलिंग प्रेक्टिस है । अगर कोई सब–इन्स-पेक्टर बाहर चला जावे तो हैंड–कॉन्स्टेबल तफतीश कर सकता है ।

Page No 11

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक छोटा सा कर्मचारी निर्दोष व्यक्तियों को फंसा देता है और जो शुरू में तफतीश होती है उसी को ज्यों की त्यों रख दी जाती है। इसलिये सीनियर ऑफिसर को ठीक तरह से तफतीश करनी चाहिये । ताकि मारपीट करने वाले जो शरीक हों उनके खिलाफ कार्यवाही हो और कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसाया जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस विभाग को सूचित कर दिया गया है कि ऐसे केसेज में जिम्मेदार ऑफिसर ही तफतीश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

कोलोनाइजेशन तहसील नोहर से गुम मिसलें व रजिस्टर

२७४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोलोनाइजेशन तहसील नोहर (जिला गंगानगर) के सीगेदारों ने तहसील के ग्रामों की मिसलें व रजिस्टर गुम कर दिये हैं ताकि सरकार की खयानत साबित न हो सके ? यदि हां, तो कौन कौन सी किस किस गांव की मिसलें और कौन कौन सा रजिस्टर गुम हुआ है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : केवल सात मिसलें ही कायमी तावान नाजायज काश्त मौजा गोगामेडी तहसील नोहर की गुम हुई हैं (सूची संलग्न है) जिनकी विभागीय कार्यवाही की जा रही है जांच पूर्ण होने पर ही यह निश्चित हो सकेगा कि किस कर्मचारी अथवा व्यक्ति ने यह दुष्कार्य किया है । कोई रजिस्टर गुम नहीं हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी कोई सूची आपने नहीं दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : छोटी सी सूची है, अगर आपको नहीं मिली है तो मैं पढ कर सुना देता हूं।

(१) श्री हनुमानसिंह (२) श्री सवाईसिंह (३) श्री सुगनसिंह (४) श्री बृजू सिंह (५) श्री बेरीसालसिंह (६) श्री सलसिंह (७) श्री जवाहरसिंह ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो ६३ की है वे किन तारीखों में गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २९ जनवरी, १९६५ को हमें तीन मिसलों का गुम होना पाया गया। २७-२-६५ को जब सम्बन्धित कर्मचारी छुट्टी पर से लौटा और मिसलों को देखा तो चार मिसलों का और गुम होना पाया गया। इस तरह कुल मिला कर ७ मिसलों का गुम होना पाया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या इसके लिये किसी को मोअत्तिल किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मौअत्तिल नहीं किया है। जांच की जा रही है, एन्क्वायरी की जा रही है, एन्क्वायरी पूरी हो जाने पर जो दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मिसलें गुम हुई हैं, यह आप मान रहे हैं फिर एन्क्वायरी किस बात की की जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिसलें खो गईं, इसकी जांच की जा रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिसके चार्ज में थी ये मिसलें, उसके खिलाफ सस्पेन्ड किये जाने के लिये यह काफी सबूत नहीं है कि मिसलें खो गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसकी गलती से खो गई, यह एन्क्वायरी करना बहुत ही आवश्यक है; केवल खो जाना ही सफिशियेंट चार्ज नहीं है। कौन अधिकारी मिसलों को गुम करने के लिये जिम्मेदार है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तावान की मिसलें थीं, जिसका रजिस्टर रहता है, रिपोर्ट्स रहती हैं, जिसमें रकम, एरिया आदि सभी बातें दर्ज रहती हैं। रिकवरी के लिये तहसीलदार नोहर को भेजा जा रहा है; तो इनके गुम होने से कोई लौस रेवेन्यू का गवर्नमेन्ट को हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। जांच हो रही है, ज्यों ही जांच के परिणाम आयेंगे, दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जिस क्लर्क के चार्ज में मिसलें थीं, क्या वह क्लर्क इन मिसलों के गुम होने के लिये दोषी नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने अभी बतलाया कि जिस रोज इन मिसलों के गुम होने का ज्ञान हुआ वह छुट्टी पर था, इस वजह से जांच की जा रही है कि वह जिम्मेदार है या उसकी जगह जो काम कर रहा था वह जिम्मेदार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस तारीख को ये मिसलें गुम हुईं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर बता दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कि मैंने निवेदन किया, २९-१-६५ को तीन मिसलों के गुम होने का ज्ञान हुआ और २७-२-६५ को ४ मिसलों का; इस तरह कुल ७ मिसलों का गुम होना पाया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ९ महीने मिसलों को गुम हुए हो गये और अभी तक यह देखा जा रहा है कि कौन जिम्मेदार है। हैंड ओवर करने की रिसीट्स होती हैं बाकायदा, तो इसके लिये इतनी देरी की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २७५।

श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २७६

श्री मुरलीधर व्यास !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत !

पुलिस अधिकारियों की तरक्की का आधार

२७७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पुलिस अधिकारियों की तरक्की करने व उनकी गुप्त रिपोर्ट लिखने का एक आधार मुक़दमों की सही तफ़तीश भी होना चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई क़दम उठाने का विचार रखती है ?

Page No 13

उप-मन्त्री गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : पुलिस अधिकारियों की योग्यता अन्य बातों के अलावा उनके द्वारा सही तफ़तीश करने पर भी निर्भर रहती है, अतः गुप्त रिपोर्ट लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। पहले से ही इस आशय के आदेश जारी हैं कि जिस व्यक्ति द्वारा जैसा कार्य किया जा रहा है उसके अनुरूप ही गुप्त रिपोर्ट लिखी जावे। ऐसी परिस्थिति में और क़दम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जो आदेश दिये गये हैं उनका रत्ती भर भी पालन नहीं होता है और पक्षपात के तौर पर प्रोमोशन्स दिये जाते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसी बात नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : ऐसी बात नहीं है तो गत वर्ष ५-१०-६४ को आपने रीइन्वेस्टीगेशन के ऑर्डर भेजे थे, क्या एस. पी. ने आपको जांच रिपोर्ट दी है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मैं नहीं कह सकता, अलग से व्यक्तिगत प्रश्न है यह; अलग से पूछने पर मैं जांच कर के बता सकता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि मन्त्री महोदय के आदेशों का पालन नहीं होता है। जो इन्वेस्टिगेशन बिगाड़ता है, उसकी कॉन्फ़िडेन्शियल रिपोर्ट में कोई रिमार्क नहीं दिया जाता, न उसके खिलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं। इसलिये कम से कम कॉन्फ़िडेन्शियल रिपोर्ट और केसेज की इन्वेस्टिगेशन को प्रोमोशन के लिये आधार रखा जावे कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि जनता को न्याय मिल सके।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह आधार पहले से ही है कि किस तरह से तफ़तीश करते हैं, किस तरह से बिगाड़ते हैं, इसका गुप्त रेकर्ड पूरा रहता है। दूसरा सवाल आपने किसी मुक़दमें के बारे में रखा है उसमें यदि आपने कोई रिपोर्ट दी होगी तो मैंने उस पर कुछ लिखा होगा। वह अब किस स्थिति में है, इसकी तो मैं जांच कर के ही आपको कुछ बता सकता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राज्य सरकार के पास ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनसे आप यह देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बिगाड़ दी फिर भी प्रोमोशन दे दिया गया?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सब तफ़तीशों का रिजल्ट सी. ओ. के पास, उसके बाद एस. पी. के पास, फिर डी. आई. जी. के पास, फिर आई. जी. के पास और फिर होमसेक्रेटरी के पास इन सब माध्यमों में गुजरता है। एस. आई. इमिजियेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफीसर होता है, सी. ओ. उन सबको देखता है, एस. पी. सारी रिपोर्ट्स को देखता है; इन सारे तथ्यों को देख कर ही मापदण्ड करता है कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई हैं?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप मेरा पूरा प्रश्न समझे नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि कॉन्फ़िडेन्शियल रिपोर्ट सही आई या नहीं आई यह आप कैसे एग्जामिन करते हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह एग्जामिन उस वक्त होता है, जो रिमार्क होते हैं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
वे उनको बता दिये जाते हैं, उनका रिप्रेजेन्टेशन आता है, तब तथ्यों के आधार पर उन्हें फाइनेलाइज कर दिया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिनके एडवर्स रिमार्क हैं ही नहीं, जो कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट लिखनी चाहिये नहीं लिखी गई, इसको देखने का क्या आधार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो रेकॉर्ड बनाते हैं, उन पर विश्वास करना होता है।

श्री तेजाराम गहलोत : पुलिस द्वारा चालान किये गये केसेज में कोर्ट्स के फ़ैसले होते हैं और उनमें इन्वेस्टिगेटिंग आफ़ीसर्स के खिलाफ़ कोर्ट द्वारा पास किये जाते हैं, क्या उनके आधार पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे तफ़तीश कुनिन्दा के खिलाफ़ रिमार्क होते हैं तो सरकार कॉग्निजेन्स लेती है, मौके-ब-मौके उनके खिलाफ़ डी. ई. होती है। हम कभी लुक ओवर नहीं करते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : सरकार की ओर से जो कार्यवाही कोर्ट्स द्वारा रिमार्क पास करने पर होनी चाहिये वह नहीं होती है, आप जांच करा कर रिपोर्ट मंगवा लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप हमें इन्स्टान्स बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप उदाहरण ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं आपको इन्स्टान्स। भीलवाड़ा में अदालत ने जिन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एडवर्स रिमार्क दिया, उनको आपने वापिस रीइन्स्टेट कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो तथ्य आप कह रहे हैं वह सही है या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। यह प्रश्न अलग है। कल आप झालावाड, कोटा या अलवर का पूछ लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो उदाहरण चाहते हैं न ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपको ऐसा सर्क्यूलर इश्यू करना चाहिये कि अदालतों की ओर से पुलिस विभाग के जिन लोगों के खिलाफ रिमार्क्स आए वे आपके पास आए, तो वह और कॉन्फीडेन्शल रिपोर्ट दोनों आप एग्जामिन करें, जिससे ऐसे केसेज आप पकड़ सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका यह कहना सही है कि जो कोर्ट्स के ऑब्जरवेशन्स हों, जहां कहीं भी हों, वे सरकार के पास आएं ताकि हम भी अवगत हो सकें। यह आपका सुझाव अच्छा है। हम इस तरह का प्रबन्ध करा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सर्विस रूल्स में आप इसको इन्क्लूड क्यों नहीं करते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पहले ही इन्क्लूडेड है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी हाल ही में १९६३ के सर्विस रूल्स के खिलाफ मुंसिफ

Page No 15

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
मजिस्ट्रेट की कोर्ट से एक पी. आई. के प्रोमोशन के सिलसिले में स्टे ऑर्डर हो गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऐसे केसेज जिनमें तफतीश की जाती है, उनके जो फाइनल रिजल्ट्स रहते हैं, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर बरी हो जाते हैं, तो तफतीश करने वालों की सर्विस शीट्स में कोई रिकॉर्ड रहता है कि इस पी. आई. ने या पुलिस अफसर ने इतने केसेज में तफतीश की और इतने सफल हुए और इतने असफल रहे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका अलग असेसमेंट रहता है । इसका अलग रिकार्ड रहता है कि किस किस तफतीश करने वालों ने क्या क्या गलतियां कीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसमें आपको क्या दिक्कत है कि इस किस्म का रिकॉर्ड बाकायदा सर्विस बुक के अंदर एंटर करें कि इतने केसेज उसने इन्वेस्टीगेट किए, उसमें से इतने सफल हुए ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह संभव नहीं है । इस तरह से तो यह सर्विस बुक एक बडा पोथा हो जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेकिन यह रेकॉर्ड तो हो कि इतने सीरियस केसेज थे, जिनकी इसने तफतीश की, उसमें से इतने केसेज पास हुए और इतने फेल हुए; इस तरह का संक्षिप्त रेकॉर्ड की सर्विस बुक में व्यवस्था है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस. पी. के पास इस तरह का रेकार्ड रहता है । तथ्यों के आधार पर सर्विस रेकार्ड में ऑब्जर्वेशन्स दिए जाते हैं मगर सर्विस बुक में अधिक विस्तृत नहीं लिखा जाता कि फलां फलां मुकदमे में इसने ऐसा किया, इतना एनैलिटक नहीं दिया जाता है; सारांश में स्प्रिट दी जाती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप महसूस नहीं करते कि रेकॉर्ड के अभाव में एस. पी. द्वारा जो प्रोमोशन्स दिए जाते हैं, राज्य सरकार के पास तथ्य नहीं पहुंचते जिनके आधार पर ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार ऐसा नहीं महसूस करती ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तीन साल होम मिनिस्टरी में रहने के बाद भी आप महसूस नहीं कर रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनुभव के आधार पर नहीं करता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप किसी सेन्सीबल बात को महसूस नहीं करते ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप देरी से महसूस करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आपका होस्टाइल विटनेस हो गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन ।

ग्राम रौटादा के भूमिहीनों को जमीन का एलॉटमेंट

२७८. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ६२ से लेकर सन् ६४ तक तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, के ग्राम

(श्री दयाचन्द सोन)
रोटादा में भूमिहीनों को कुल कितनी जमीन एलॉट की गई ?

(२) जो जमीन एलॉट की गई उसमें कितने व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट के हैं व कितने दूसरे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ग्राम रोटादा चूंकि कमान्डेड एरिया में हैं, इसलिये तहसील द्वारा किसी भूमिहीन को भूमि इस ग्राम में सन् १९६२ से १९६४ तक एलॉट नहीं की गई।

(२) इस ग्राम में ३ व्यक्तियों को नीलाम द्वारा १७ बीघा ८ बिस्वा भूमि विक्रय की गई जो शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं।

श्री दयाचन्द सोन : चम्बल के कमांडेड एरिया में जो जमीन ग्राप नीलाम करते हैं उसमें ग्राप ध्यान रखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ज्यादातर जमीन मिले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब रिजर्व्ड प्राइस के ग्रगेन्स्ट बेची जाती है उसमें सब किस्म के लोग ग्राते हैं ग्रौर नीलाम के ग्रन्दर ऐसा ध्यान रखना सम्भव नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : संभव कैसे नहीं है ? ग्राप नीलाम में तो इस बात की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त हो। ग्रगर ग्राप चाहें कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भी जमीन मिले तो ग्रापको कुछ न कुछ सुविधा उनको देनी चाहिये, जिस समय जमीन नीलाम हो वह रक़म किश्तों में करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह रक़म किश्तों में वसूल होती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह जो चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में जमीन है उसमें कई काश्तकार ट्रेसपासर्स के रूप में हैं ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is a general question which has nothing to do with this question.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि कमान्डेड एरिया में ऐसे काश्तकार हैं जो ट्रेसपासर्स के रूप में क़ाबिज हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has nothing to do with this question.

श्री दयाचन्द सोन : फिर तो लोगों को जमीन नहीं मिलेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिजर्व प्राइस पर भी दी गई है ग्रौर कुछ जमीन एलॉट हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी जमीन रिजर्व प्राइस पर दी जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : तो क्या कोलोनाइजेशन एरिया की जमीन को नीलाम के द्वारा देने की सरकार की निश्चित नीति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस तरह की नीति जिस प्रोजेक्ट के लिए फ्रेम की जाती है उसको इम्पलीमेन्ट किया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चम्बल प्रोजैक्ट, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, गंग कैनाल प्रोजैक्ट ग्रौर भाखरा प्रोजैक्ट ; ये चारों प्रोजैक्ट्स जो ग्रापके कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत गाइड होते हैं, तो उनमें ग्रापने निश्चित रूप से जमीन नीलाम के द्वारा देने की नीति बना रखी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान कैनाल के बारे में ऐसा प्रश्न पैदा नहीं होता। भाखरा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
के सम्बन्ध में जैसे आप सब लोगों को मालूम है, रिजर्व प्राइस पर दी जाती है और नीलाम पर भी। इस बारे में सरकार डिसाइड कर लेती है और उसके अनुसार पालन किया जाता है।

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : जो रिजर्व प्राइस की जमीन है उसमें कोई प्रतिशत निर्धारित कर रखा है कि . . . .

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : This question has nothing to do with it.

श्री **जयनारायण सालोदिया**: यह नीति का प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह गांव तो कोटा मास्टर प्लान में आ गया वरना एलाटमेन्ट और तरीक़े से भी करते लेकिन मास्टर प्लान आ जाने की वजह से एलाॅट नहीं कर सके।

श्री हरिराम शर्मा : आप एलाॅट नहीं करते लेकिन उसमें यदि कोई ट्रैसपासर क़ाबिज है तो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर ऐसा है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। अगर ट्रैसपासर को हमने कोई कन्सेशन सक्यूलर्स द्वारा दे रखी है उसमें कवर होता है तो उसके अनुसार उसको ट्रीट किया जायगा, नहीं तो trespassers are trespassers.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर हरिजन भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि देने की आपकी केबिनेट की घोषणा का क्या अर्थ है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो केबिनेट की घोषणा है उसके अनुकूल नियम बने हुए हैं और उनका पालन किया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : नियमों में क्या प्रावधान है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९५७ के एलाॅटमेन्ट रूल्स हैं उनमें जो प्रावधान हैं उनका पालन किया जाता है; कोलोनाइजेशन एक्ट में जो प्रावधान हैं उनका पालन किया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोटा के लिए जो मास्टर प्लान आपने बताया वह फाइनल हो चुका है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सेपरेट विभाग से ताल्लुक़ रखता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि जो हमें सूचना दी गई है कि जो प्रोपोज्ड मास्टर प्लान कोटा का है उसमें यह एरिया आता है, इस वजह से एलाॅटमेन्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो प्रोपोज्ड मास्टर प्लान है और जो आपके ज्ञान में आ चुका है कि अमुक अमुक गांव मास्टर प्लान में आते हैं तो जो नीति आपने अपनाई है वह तहसील लाडपुरा के सभी गांवों में अपनाई गई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे मालूम नहीं कि कोटा मास्टर प्लान में कौन कौन से गांव आते हैं, आया जमीन एलाॅट हो रही है या नहीं? मैं मालूम कर सकता हूं और जो मास्टर प्लान में गांव आते हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि एलाॅटमेन्ट न करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो गांव रोटाड़ा का सवाल है, लेकिन जो दूसरे ग्राम जो प्रोपोज्ड मास्टर प्लान में आने वाले हैं और आएंगे, उनके अन्दर आपने एलॉट किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

मान इन्डस्ट्रीज और स्टील फाउन्डरी के बीच पड़ी खाली जमीन का अधिकारी

२७९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में मान इन्डस्ट्रीज और स्टील फाउन्डरी के बीच पड़ी हुई खाली जमीन से होकर हसनपुरा के निवासियों का नाले के पास स्थित श्मशान भूमि तक जाने का आम रास्ता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस रास्ते को रोकने के लिए स्टील फाउन्डरी के मालिकों ने नोटिस बोर्ड लगाया है कि यह आम रास्ता नहीं है और यह उनकी निजी सम्पत्ति है ?

(३) क्या यह सही है कि स्टील फाउन्डरी और मान इन्डस्ट्रीज के बीच की जमीन की मालिक सरकार है तथा इस जमीन पर से जाने का रास्ता बहुत पुराना है और स्टील फाउन्डरी के मालिकों को उस रास्ते को रोकने का कोई अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने स्टील फाउन्डरी के मालिकों द्वारा इस प्रकार के बोर्ड लगाने के विरुद्ध क्या कदम उठाया है ?

(४) क्या यह सही है कि स्टील फाउन्डरी ने श्मशान भूमि की तरफ अपनी कोई दीवार खेंच रखी है और स्टील फाउन्डरी के उस भाग में श्मशान का भी कुछ हिस्सा दबा लिया गया है ?

(५) यदि हां, तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जयपुर नगर के वर्तमान मान इन्डस्ट्री और प्रस्तावित स्टील फाउन्डरी के बीच १५ फिट चौड़ा रास्ता है।

(२) उत्तर (१) के भाग (१) में वर्णित रास्ते के लिए रोकने का कोई नोटिस लगाना जाहिर नहीं हुआ है।

(३) प्रस्तावित स्टील फाउन्डरी तथा मान इन्डस्ट्रीज के बीच में १५ फिट चौड़ा रास्ता है; अस्तु प्रश्न के इस भाग में वर्णित बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां।

(५) स्टील फाउन्डरी के व्यवस्थापकों को तारीख १६-७-६५ को नोटिस दिया जा चुका है तथा ट्रस्ट के एन्क्रोचमेन्ट अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु मामला सौंप दिया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपने यह माना है कि इस रास्ते को दीवार के जरिये से रोक दिया गया है। प्रश्न के भाग (४) के उत्तर में आपने 'जी हां' कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाग (४) में आपने श्मशान भूमि की तरफ कोई दीवार बनाने के लिये कहा है तो मैंने कहा है 'जी हां'। श्मशान भूमि पर कोई एन्क्रोचमेन्ट हुआ है या नहीं तो हमने कहा कि हुआ है। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

[redacted]

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा कि रास्ते को रोका नहीं। वहां पर बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि यह आम रास्ता नहीं है। मैंने खुद इसको देखा है। उधर रास्ते से लोगों को जाने से रोका जाता है। क्या उस बोर्ड को हटाने की और यह आम रास्ता है ऐसी सूचना कराने की आपने तकलीफ की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके दिमाग में कुछ और है और आपने जो प्रश्न पूछा है वह कुछ और है। आपने कहा कि मान इन्डस्ट्री और स्टील फाउन्डरी के बीच में कोई आम रास्ता है। इन दोनों के बीच में १५ फीट चौडा रास्ता है, उसके बारे में कोई नोटिस बोर्ड नहीं है। लेकिन कोई जमीन अलॉट की है और उसमें कोई रास्ता है तो वह तो प्रश्न में नहीं पूछा गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दोनों के बीच का रास्ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेटलमेन्ट रिकॉर्ड के अनुसार फैक्टरी को जमीन अलॉट की उसमें रास्ते के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १५ फीट रास्ता है जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, लेकिन फैक्टरी वाले उधर से मजदूरों को जाने से रोकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रस्तावित फैक्टरी और मान इन्डस्ट्री के बीच में कितनी जमीन अलॉट की जानी है; स्टील फैक्टरी और मान इन्डस्ट्री कायम हैं इन दोनों के बीच में, इसका मतलब यह है कि इधर इसकी बाउन्डरी है और उधर उनकी बाउन्डरी है, बीच में १५ फीट का रास्ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने केवल रिकॉर्ड देखा है, मौके पर जाकर वस्तु-स्थिति की जांच नहीं की है। मजदूरों का मतलब यह नहीं है कि अलॉटमेन्ट हुआ है; उसमें है, लेकिन यह जो आम रास्ता है उसको बन्द कर दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिकॉर्ड में जो रास्ता है १५ फीट के लिये कहते हैं वह तो आज विद्यमान है। किसी दूसरे मार्ग के लिय कहते हैं वह दर्ज नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : श्मशान भूमि दबाई है यह सही है तो कितनी भूमि दबाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'जी हां' कहा है मैंने।

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'जी हां' में एक फीट भी, दो फीट भी और सौ फीट भी और हजार फीट जमीन भी हो सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोना है श्मशान भूमि का उसमें दीवार बना ली है। इधर उनकी दीवार आ जाती है। बहरहाल एन्क्रोचमेन्ट है इसीलिये यह मामला एन्क्रोचमेन्ट आफिसर के सुपुर्द किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दीवार इस तरह से बनायी गई है कि श्मशान भूमि की जमीन उस फैक्टरी में है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सरकार द्वारा जमीन दी गई उसमें श्मशान भूमि नहीं दी गई है। वह सेपरेट चीज है और उसको हम मेन्टेन कर रहे हैं। उस पर कोई एन्क्रोचमेन्ट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
हैं तो उसको रोकने के लिये यह सारा मामला एन्क्रोचमेन्ट ऑफिसर को दिया गया है।

Whatever their intentions may be, but we will not permit them to do so.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो रास्ता अख्तियार किया है वह काफी लम्बा है; आपको नोटिस देने के बजाय, श्मशान भूमि जैसी जगह कि जहां पर यदि रास्ते में दीवार बनाई जाती है तो उनको एक पब्लिक के लिये न्यूसेन्स मान कर तुडवाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी स्थिति तो नहीं आई है कि कोई श्मशान भूमि में जलाना चाहे मुर्दा, तो रास्ता बन्द हो और जला न सके। जो दीवार बना कर एन्क्रोचमेन्ट किया है जमीन पर उसके लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दीवार के बनाने से और कन्स्ट्रक्शन करने से उसको रोकने के आदेश तो फौरन जारी होने चाहिये थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-१०-६५ को यह आदेश दे दिया। २-१० से छुट्टियां थीं। कल से जो कार्यवाही होनी है वह होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले बजट अधिवेशन में यह दिया था जब कि दीवार बनाई जा रही थी। कलेक्टर से और मिनिस्टर साहब से टेलीफोन पर बात की कि इसको रोका जाना चाहिये। मैंने यह यहां पर शोर्ट-नोटिस क्वेश्चन के तौर पर दिया था। पिछली असेम्बली खत्म हो गई। आपको खुद को जाकर देखना चाहिये था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आदेश जारी कर दिये हैं। १-१०-६५ को यह मामला एन्क्रोचमेन्ट ऑफिसर के सुपुर्द कर दिया गया है। बेदखली की कार्यवाही जो कुछ हो १-१०-६५ को उसके लिये आदेश दे दिये हैं। उससे पहले १९-७-६५ को काम तामीर बन्द करने के आदेश दिये जा चुके थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह एन्क्रोचमेन्ट ऑफिसर की पोस्ट कब क्रियेट हुई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस दिया जा रहा है उसमें तो सालों तक कार्यवाही चल सकती है। यह तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कर सकते हैं। दफा ९१ की कार्यवाही चले, इसका मतलब सालों यह मामला चले।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एन्क्रोचमेन्ट ऑफिसर इसके लिये रखा हुआ है जो ऐसे एन्क्रोचमेन्ट के संबंध में कार्यवाही करता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस डिपार्ट-मेन्ट में रखा है; रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष ऐसे एक्ट में क्रिमिनल कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

मत्स्य विभाग पर व्यय

२८०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मत्स्य विभाग पर गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितना व्यय हुआ है तथा प्रति वर्ष आय कितनी हुई है ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्री भीमसिंह) : मत्स्य विभाग में गत पांच वर्षों में किये गये आय व व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	व्यय लाखों में	आय लाखों में
१९६०-६१	१.८१	३.७२
१९६१-६२	२.३८	५.४४
१९६२-६३	२.४७	७.०२
१९६३-६४	३.०२	६.०७
१९६४-६५	४.६७	५.९५

व्यय के आंकड़ों में आयोजन व्यय एवं आयोजना भिन्न व्यय सम्मिलित है।

तहसील देवली का रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन

२८१. **दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवली तहसील का रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन एस. डी. ओ. टौंक के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि देवली तहसील के सभी फ़ौजदारी मुकदमे मुन्सिफ़ मालपुरा के पास जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार इस जुरिस्डिक्शन को बदल कर ई. मजिस्ट्रेट टौंक के अधीन करना या सेशन्स जज, टौंक के अधीन करना उपयुक्त नहीं समझती है ?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है कि देवली तहसील में लोगों को मालपुरा जाने में काफ़ी कठिनाई होती है जहां उन्हें टौंक होकर जाना पड़ता है ?

(५) क्या यह सही है कि देवली तहसील के लोगों ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिप्रेजेन्टेशन दिया है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। तहसील देवली का रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन मालपुरा सब–डिवीजन से टौंक सब–डिवीजन के अधीन दिनांक १०-५-६३ को जरिये गवर्नमेन्ट नोटिफ़िकेशन नं० एफ़. ८(३६)रे।बी(६२)तबदील कर दिया गया है।

(२) हां। क्योंकि फ़ौजदारी जुरिस्डिक्शन में कोई तबदीली नहीं की गई।

(३) १० सितम्बर, १९६५ से देवली तहसील के फ़ौजदारी मुकदमात का जुरिस्डिक्शन मुन्सिफ़ मजिस्ट्रेट टौंक को दे दिया गया है।

(४) प्रश्न (३) के उत्तर को देखते हुए अब यह प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्रश्न (३) के उत्तर को देखते हुए अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जिला नागौर के खालसा गांवों की खतौनियां तथा जागीरदारों को मुआवजा

२८२. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला नागौर के खालसा गांवों की खतौनियां जिले के तहसीलदारों द्वारा डिप्टी कलेक्टर जागीर के पास न भेजे जाने के कारण खालसा के गांवों में जागीरदारों को मुआवजा व पुन:

(श्री गंगासिंह)

स्थापन अनुदान की रकम देने की अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हो सकी है ?

अगर हां, तो तहसीलदार ने अभी तक खतौनियें तैयार क्यों नहीं की हैं ?

(२) खालसा के गांवों में कितनी जागीरें हैं जिनको कि खालसा की गई है ? इनको कब तक मुआवजा व पुनः स्थापन अनुदान की रकम दे दी जायगी ?

उप–मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी हां ।

(२) नये सेटलमेन्ट के अनुसार सेटलमेन्ट का रेकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त वगैरह तैयार की जा रही हैं जो अभी तक कुछ तहसीलों में नहीं पहुंच पाई है। इसलिये तहसीलें खतौनियां तैयार नहीं कर पा रही है।

(३) अनुमानतः इस प्रकार की ५२०० जागीरें हैं। इन्हें मुआवजा जल्दी दिये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री गंगासिंह : ऐसे जागीरों की डेट ऑफ़ रिजम्प्शन क्या है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : १९६०।

श्री गंगासिंह : ६० से ६५ तक आज तक आपने एक भी जागीर का मुआवजा दिया है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : इस सारे इलाके का सेटलमेन्ट बाद में हुआ है। इनकी रेन्ट रिपोर्ट्स सेंक्शन होकर गई है, इसलिये अब खतौनियां तैयार हो रही हैं।

श्री गंगासिंह : ये खतौनियां वगैरह बन कर कब तक तैयार हो सकेंगी ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : हम जागीर डिपार्टमेन्ट को ही २८ फ़रवरी ६६ में समाप्त करने जा रहे हैं इसलिये हम कोशिश करेंगे कि इस समय के दरमियान सब काम समाप्त हो जाय। इस तारीख तक अगर थोड़ा बहुत काम रह जायगा तो उसको भी शीघ्र किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप उसके बाद रेवेन्यू विभाग को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

नहर के तार बाबुओं का वेतन

२८३. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सच है कि नहर के तार-बाबुओं का वेतन जहां से आरम्भ होता है रिटायरमेंट तक उतना ही रहता है और उनको उसी वेतन पर रिटायर होना पड़ता है ?

(२) यदि नहीं, तो इनको कितना वेतन मिलता है व प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी होती है ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं ।

(२) इनकी वेतन श्रृंखला ९०-४-११० ई० बी०-५-१५५-७॥-१७० है । यह प्रति वर्ष निर्धारित वेतन श्रृंखला दर के अनुसार बढ़ता रहता है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : ये तार बाबू रिटायरमेंट तक तार बाबू ही रहते हैं या इनको प्रोमोशन के चान्सेज हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : आपने प्रोमोशन के बारे में पूछा नहीं था, केवल वेतन श्रृंखला के बारे में पूछा वह बता दिया।

श्री दयाचन्द सोन : इनसे कितने घंटे ड्यूटी लेते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : दस से पांच। इसके अलावा ग्रोन ड्यूटीज भी इसी तरह से लेते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह जो ग्रेड आपने बताया वह क्या अपोइण्टमेंट के समय ही तय कर दिया गया या बाद में तय किया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सारी स्टेट्स के ग्रेड, जिनकी संख्या १३२ थी उनको कम किया गया वह शायद बीस या बाईस तक ले आये उसी समय इनका भी ग्रेड किया गया है।

श्री दयाचन्द सोन : इनसे आठ घंटे के बजाय जब बारह घंटे काम लेते हैं तो क्या इनको ओवर टाइम दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनके काम को देखते हुए इनसे आठ घंटा ड्यूटी ली जाती है, योग्यता इनकी मेट्रिक्यूलेट है; तार बाबू का काम करते हैं। राजी-खशी से नौकरी करने आते हैं और राजी-खुशी से काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरिप्रसाद शर्मा।

ग्लास फैक्टरी, भरतपुर की भूमि

२८४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर में ग्लास फैक्टरी के लिये करीब २२ बीघा भूमि डी० डी० शर्मा को आज से कुछ वर्षों पहले दी थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को अन्य अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया और उस पर सिनेमा हॉल का निर्माण करा दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि कलेक्टर भरतपुर ने उक्त भूमि पर सिनेमा हॉल बनाने पर एतराज किया था और सिनेमा बन्द करवा दिया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि यह भूमि स्टेशन के पास है जिनकी कीमत ७० हजार के करीब हो सकती है ?

(५) अब तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही चल रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। भूतपूर्व भरतपुर राज्य के समय में कुछ भूमि दी गई थी।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां। यह भूमि स्टेशन के पास है, परन्तु कीमत के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(५) अभी यह मामला राजस्थान सरकार के विचाराधीन इस कारण से है कि कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपने प्रश्न के भाग (५) के उत्तर में कहा कि यह राज्य सरकार के विचाराधीन है, क्या विचार हो रहा है, इस संबंध में प्रकाश डाल सकेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें यह विचार हो रहा है कि इसकी पडता रेट क्या है ? इसके लिये कितना प्रीमियम लिया जाना चाहिए, किन सूरतों में कृषि जमीन अकृषि कार्यों के लिये परिवर्तित की जानी चाहिए; इस बारे में राजस्व विभाग ने कलेक्टर को लिखा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही ह कि आरम्भ के अन्दर २२ बीघा भूमि ग्लास फैक्टरी के लिये दी गई थी, उसमें यह शर्त थी कि ग्लास फैक्टरी नहीं लगेगी तो वह भूमि सरकार को वापिस दे दी जावेगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भूमि ग्लास फैक्टरी को दी गई थी उसके बाद में यह ग्लास फैक्टरी बन्द हो गई, लिक्वीडेशन में चली गई, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा इस भूमि की नीलामी की गई वह गोपाल इण्डस्ट्रियल बैंक ने खरीद ली । उसके बाद में यह भूमि पर जो प्रेजेण्ट काबिज है उसने वह भूमि गोपाल इण्डस्ट्रियल बैंक से खरीद ली । जिसके कनवर्शन के बारे में मामला विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जोहरी बाजार, जयपुर) : जिन इण्डस्ट्रीज के लिये ली गई थी उसका टाइटल, ओनरशिप ट्रान्सफर नहीं था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको नीलाम करवा दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बारे का सवाल मैंने गत सत्र में पूछा था जब कि उसका टाइटल ओनरशिप ट्रान्सफर नहीं किया गया, जब कि वह इस शर्त पर दी गई थी कि वह वहां पर इन्डस्ट्री लगायेंगे; अगर वह नहीं लगाते हैं तो वह भूमि दो हजार रुपया देकर सरकार को रिवर्ट हो जायगी । जब वहां ग्लास इन्डस्ट्री नहीं लगी तो वह सरकार को मिलनी चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस एग्रीमेन्ट में तहकीक किन शब्दों में शर्त है, यह तो मैं नहीं कह सकता; अगर इस प्रकार की किसी किस्म की शर्त भी है तो भी डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से उसकी नीलामी हो चुकी है । कब्जा दिया जा चुका है, उसके बाद में हम क्या कुछ कर सकते हैं ? पुरानी क्या शर्त थीं वह बिना एग्रीमेन्ट के मैं नहीं बता सकता । इस मामले को सारे कानूनी पहलुओं से हमने देखा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस मामले को लीगली एग्जामिन करवायेगी कि जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवर्नमेन्ट एक पार्टी नहीं थी वैसी हालत में बिना केस के बारे में एप्रोच किये ही एक तरफा फैसले के एक्जीक्यूशन के बारे में गवर्नमेन्ट की बाइंडिंग नहीं है । यह २२ बीघा भूमि ऐसी जगह पर स्थित है जिससे पांच लाख रुपया आसानी से गवर्नमेन्ट को मिल सकता है । क्या इस स्थिति के बारे में लीगल ओपीनियन लेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस मामले को बहुत वर्षों पहले विधि विभाग द्वा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
करवाया था। उसके बाद में उनकी यह राय थी कि जब इस जमीन का विक्रय हो गया है अतः इसको चेलेन्ज नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें गवर्नमेंट पार्टी थी क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय मंत्री महोदय को यह तो मालूम होगा ही कि किसी भी नीलामी के अन्दर सेल को जैसा टाइटल है उससे बेटर टाइटल पर्चेजर को नहीं हो सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं जानता हूं लेकिन कानूनी सिद्धान्त के अनुसार पडत भूमि की कीमत लेकर बजाय इसके कि जो भी कन्स्ट्रक्शन वहां हो गया है उसको गिराने का रुपया लेकर उसका नियमन करना ठीक रहता है, इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कनवर्शन के बारे में जब मामला राजस्व विभाग के पास आया तो राजस्व विभाग ने उसको रिजेक्ट कर दिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कनवर्शन के बारे में ही विचार हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि कनवर्शन का मामला जब राजस्व विभाग में आया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं है जब तक इसका फाइनल डिस्पोजल नहीं हो। क्लेक्टर को लिखा है कि इसकी पडत रेट क्या है, इसके बारे में प्रस्ताव मांगा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपने दुबारा कलेक्टर को लिखा है, इससे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने इस कन्वर्शन के मामले को रिजेक्ट कर दिया था। सिनेमा एग्रीकल्चर लैन्ड पर बना है, इसलिये इसका कन्वर्शन रिजेक्ट किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें रिजेक्ट करने का प्रश्न नहीं है; ९० के सब-सेक्शन (५) के तहत उसको कनवर्ट करने का अधिकार गवर्नमेन्ट को है। हम इस बारे में प्रीमियम फिक्स करके इस मामले को सुलटाने जा रहे हैं। इसलिये कलेक्टर से पडत रेट मालूम किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिये सेक्शन ९० के सब-सेक्शन (५) के तहत जो कनवर्शन के अधिकार गवर्नमेन्ट को हैं उनके अनुसार राजस्व विभाग ने उसको एक दफा रिजेक्ट कर दिया, वैसी हालत में गवर्नमेन्ट किन आधारों पर इसको रीओपन कर रही है। I don't want to say anything more.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सदन में आप कहना नहीं चाहते तो मुझे बाद में बता दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपने पहले कनवर्शन को रिजेक्ट कर दिया फिर दुबारा रीओपन करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी समझ में नहीं आता, कहां रीओपन कर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस २२ बीघा जमीन की कीमत अगर नीलाम की जाय तो पांच लाख रुपया आ सकता है, वहां आप उसको कन्वर्शन के लिये इजाजत देना चाहते हैं ?

Page No 26

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम भी कोई मुफ्त में देने की बात कहां कर रहे हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि गवर्नमेन्ट ऑक्शन करे तो पांच लाख रुपया आ सकता है आपने टाइटल नहीं दिया, ओनरशिप नहीं दिया, टाइटल ट्रान्सफर नहीं किया गया। वैसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि इस मामले को लीगली दुबारा एग्जामिन करवाइये।

(अल्प विराम क अनन्तर)

और इसकी लिमिटेशन एक्सपायर नहीं हुई है। लॉ डिपार्टमेन्ट से राय लेकर जमीन वापिस लेने की कार्यवाही अब भी करिये। फिर जो मार्केट प्राइस हो सकती है वह लेने की कोशिश करिये। यह सरकारी जमीन है। आप दस-पांच हजार लेकर ही सन्तोष करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दस-पांच हजार लेकर सन्तोष करने की बात नहीं है। जहां सरकारी जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट होता हो, वहां उसके लिये सरकार ने अपनी नीति निर्धारित कर रखी है। हम कलेक्टर से प्रोपोजल मंगाते हैं। उसमें अगर पडता रेट मार्केट वेल्यू की हमें मिलती है तो सरकार को फिर कौनसा नुकसान होता है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने तय कर रखा है कि कनवर्शन पेट्रोल पम्प, सिनेमा हाउसेज, होटल्स आदि के लिये नहीं दिया जावेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस तारीख से हमने वह ऑर्डर इश्यू किया है उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं। पर यह उससे भी पुराना एन्क्रोचमेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें सिर्फ कनवर्शन का सवाल नहीं है। ओरीजीनल टाइटल लीगल, लॉफुल ट्रान्सफर किया गया है उसकी लीगेलिटी डाउटफुल है इसमें। आप दुबारा इस कनवर्शन के केस को एग्जामिन करा रहे हैं यह तो ठीक है, पर साथ ही उसी तरह से लॉफुल ट्रान्सफर भी है या नहीं, जो ओरिजिनली किया गया था इसको भी दुबारा एग्जामिन करायें।

दूसरी बात, यह मामला भरतपुर में इस सिनेमा के बारे में ही नहीं है। इस प्रकार के अलॉटमेन्ट और भी बहुत सी जगह हुए हैं और उनका दुरुपयोग करके अलॉटी उनका दूसरे कामों में कन्ट्राक्ट के विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं। तो क्या सरकार इस तरह की कोई जांच कमेटी बिठावेगी जिसमें सारे राजस्थान में इस प्रकार के कितने केस हैं उनको एग्जामिन करे और सारे राजस्थान में इस तरह के केसों को किस तरह से रोका जा सकता है इसके लिये निश्चित कदम उठावेगी। मैं कह सकता हूं कि लाखों-करोडों के मामले ऐसे निकलेंगे जहां पर इस तरह की जमीनें ऐसे लोगों को या तो मुफ्त में दे दी गई हों या नोमिनल पैसे में दी गई हों और जिनका दुरुपयोग अलॉटी एग्रीमेन्ट की शर्तों के अगेन्स्ट कर रहे हों।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक राजस्थान में एन्क्रोचमेन्ट के मामलों का सवाल है उसके बारे में क्या रुख अपनाया जावे, इसके लिये गांवों का जहां तक सम्बन्ध है सरकार ने सर्कूलर जारी कर दिया है। अब सारे एन्क्रोचमेन्ट के बारे में सरकार ने ऑर्डर भी जारी किये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एन्क्रोचमेन्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं । मैं तो उन जमीनों के लिये कह रहा हूं जो इन्डस्ट्री वगैरह पर्पज के लिये दी गई और उन पर्पजेज के लिये उनका इस्तेमाल न करके दूसरे पर्पज के लिये इस्तेमाल की गई हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे केस हजारों की तादाद में नहीं हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने एग्जामिन कराया है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसे यह केस आता है वैसे हमें मालूम है कि कितने केस हो सकते हैं । एग्रीमेंट सरकार करती है । गवर्नमेंट को मालूम है कि कौनसा एग्रीमेंट किस तरह से हुआ है । जो जिस एक्सटेन्ट तक आप कहते हैं वैसी समस्या नहीं है, दस पांच केस हो सकते हैं राजस्थान भर में जो कि इतने लम्बे-चौडे क्षेत्र में होना मामूली बात है । पर विशाल-पैमाने पर हैं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे खयाल से गवर्नमेंट की कम्पलीसेन्सी से काफी छिपे हों, यह अलग बात है । पर हैं बहुत । सिनेमा बन गये होंगे और फिर इस हद तक जरूर हुआ है कि जिस पर्पज के लिये दी गई वह जमीन उस पर्पज के लिये आज भी इस्तेमाल नहीं हो रही है और अगेन्स्ट एग्रीमेंट दूसरे पर्पज से इस्तेमाल हो रही है । अब इन केसों की आपने जांच करा ली है तो उसे टेबल ऑफ दी हाउस पर रखें । और अगर ऐसी जांच नहीं कराई है तो करानी चाहिए । हजारों केस ऐसे निकलेंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हजार–पांच सौ आप बता रहे हैं, तो पचास केस तो आप ही बता दें; कौन कौन से हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दो केस मैं बता दूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं बताता हूं एक केस । १२ सौ बीघा जमीन पूसालाल मानसिंहका भीलवाडा वालों को दी गई शुगर केन की खेती के लिये, शुगर केन की फैक्टरी लगाने के लिये । मुख्य मंत्रीजी और आप भी भीलवाडा आते-जाते रहते हैं, खुद भी अच्छी तरह जानते हैं । आप में हिम्मत हो तो आप उसका पट्टा कैंसिल करने की कोशिश करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर में पेण्ट फैक्टरी के लिये और दूसरी फैक्टरियों के लिये तीन–चार फेक्टरियों को जमीन दी है । क्या आप बता सकते हैं कि वे एग्रीमेंट के मुताबिक उनका उपयोग कर रहे हैं ? वे आज उस एग्रीमेंट के खिलाफ उनका दुरुपयोग कर रहे हैं । अलवर पेण्ट फेक्टरी के बारे में तो मैंने यहां क्वेश्चन भी रखा था । पता नहीं, एक साल से भी ज्यादा हो गया, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं । अब एक ही शहर में इस तरह के इतने केस हैं तो राजस्थान तो बहुत बडा है । इस तरह के काफी केसेज निकलेंगे । आप उनकी इन्क्वायरी करने से झिझकते क्यों हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एन्क्वायरी के लिये कोई आधार भी तो होना चाहिए । आधार इस तरह का सामने आवेगा, तो जरूर जांच करा सकते हैं ।

श्री मानकिचन्द सुराणा : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय अध्यक्षजी माननीय सदस्य ढाबरियाजी के कहने से क्या कुछ पूछ रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजियेगा ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : चूंकि उन्होंने यह पुछवाया है आपसे, तो उनको पर्सनल जानकारी होगी। वह जानकारी उनकी सही नहीं है, इसलिए मैं उसे करेक्ट कर देता हूं । भीलवाडा में किसी को शुगर फेक्टरी के लिये और शुगरकेन की खेती के लिये जमीन दी ही नहीं गई । इसलिए प्रश्न इसके लिए पैदा नहीं होता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या पूसालाल मानसिंहका को जमीन नहीं दी गई शुगर फैक्टरी के लिये ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : अध्यक्ष महोदय, यह केस आपको भी रेफर किया गया था । एक प्रश्न मैंने इस बारे में पूछा था कि १२०० बीघा जमीन शाहपुरा स्टेट में पूसालालजी मानसिंहका को इसलिए नहीं दी गई कि वे वहां शुगर फेक्टरी लगावें और शुगरकेन का प्रोडक्शन भी करें । यह ४८ से पहले का है । ४३ से यह जमीन इस काम के लिये इनके कब्जे में है और आज दिन तक वे उस जमीन पर खेती नहीं करते । न गन्ना बोते हैं, न फैक्टरी लगा रखी है और इसका आपने जवाब दिया था कि जमीन उनके पास है और इस तरह का कोई एग्रीमेंट शाहपुरा स्टेट के बीच में हुआ ही नहीं ; जब कि मैंने फैसले की नकलें आपको बताई । आपके तहसीलदार का फैसला है । एस० डी० ओ० साहब, मानधातासिंह ने फैसला दिया है और आपने उस वक्त भी इसे झूठ बता दिया था और आज भी झूठ बता रहे हैं । आज भी आप बताइये कि इस जमीन को आप वापिस लेने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं इतना झूठ तो बोलना नहीं चाहता जितना आपने बोला है । पहले भी उत्तर दे चुका हूं कि शाहपुरा स्टेट ने शुगर फैक्टरी लगाने के लिये कोई जमीन दी हो, ऐसा हमारे रिकॉर्ड से प्रतीत नहीं होता ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने फैसला बताया है उनका । एग्रीमेंट की नकल बताई है । आप कहें तो अब भी बता सकता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चोरी तो नहीं हो गये अध्यक्ष महोदय, रेकॉर्ड ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : वह भी कोई फैसला नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि लॉ विभाग से कन्सल्ट करके इस केस में तब तक कोई कनवर्शन नहीं होने देगी जब तक ला विभाग से कन्सल्ट दुबारा करके कोई निर्णय सरकार न कर ले ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : लॉ डिपार्टमेंट से राय ले ली गई है । आश्वासन की इस लिये जरूरत नहीं है । लॉ डिपार्टमेंट से राय लेने की आवश्यकता अगर फिर समझेंगे तो हम जरूर लेंगे । इसमें आश्वासन का सवाल नहीं पैदा होता ।

Page No 29

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका मतलब यह है कि आप दुबारा लॉ डिपार्टमेंट से इस केस को अच्छी तरह से एग्जामिन कराने के लिये भी तैयार नहीं हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तैयार का सवाल नहीं है । आवश्यकता होगी तो जरूर लेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह प्रश्न बिल्कुल साफ है । एग्रीमेंट के अनुसार यह जमीन राजस्थान सरकार को रिवर्ट हो जानी चाहिए थी । दो हजार देकर वापिस सरकार को मिल जानी चाहिए थी । आज इस जमीन की मार्केट वेल्यू पांच लाख करीब है जिसके लिये सरकार भी मानती है । पर आज इसके कन्वर्शन के लिये राज्य सरकार लालायित है । सरकार पांच लाख रुपया वसूल करना नहीं चाहती बल्कि रेवेन्यू का सरकार का लौस करना चाहती है, सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड का लौस करना चाहती है । तो इसलिए हमारा कहना है कि आप दुबारा इस केस को एग्जामिन करा कर जो सरकार को सेविंग इससे हो सकती है वह सेविंग करिये । आप इसके लिये तैयार क्यों नहीं होते है ? फिर बाद में आप पर एस्पर्शन आवेगा कि आप इसमें इण्टरेस्टेड है तो कहेंगे कि नहीं, इण्टरेस्टेड नहीं हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अभी थोडी देर पहले कहा है कि आवश्यकता होगी तो जरूर एग्जामिन करेंगे और यह बात तो समझ लेना चाहिए कि सदन के सदस्यों ने इतना कहा है तो हमारे ऊपर हम लेंगे क्या ? कानूनी तौर पर इसे एग्जामिन करा के जो बात होगी वह करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कन्वर्शन को पहले कैसे रिजेक्ट कर दिया ? किन कारणों से कर दिया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दुबारा कन्वर्शन बता करके आप......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is the only interest.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्या सरकार का एटीट्यूड है कि अपोजिशन की तरफ से मांग की जाये कि आप लीगली केस को एग्जामिन करा लें, उसका भी आश्वासन देने के लिए आप तैयार नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके लिए इन्कारी कैसे हो सकती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो कहते हैं कि अगर आवश्यक समझा गया तो एग्जामिन करा लेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने प्रश्न संख्या (३) में कहा कि 'जी हां', तो क्या आप बता सकते हैं कि चालू किस अवस्था में हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस चीज को ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब सिनेमा हॉल बनने लगा तो उसको बन्द कर दिया था, तो फिर वह किस अवस्था में चालू हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बन्द नहीं करा दिया था, उन्होंने इन एण्टीसीपेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स चालू कर दिया था ।

Page No 30

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने कहा कि "जी हां" ......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिनेमा का शो · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : How did the Collector issue a licence for the Cinema House ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका पीरियड बढा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन एण्टीसीपेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स यह कन्वर्शन हो जायेगा; ऐसे प्रिसीडेन्स और भी हैं कि कलेक्टर को इतनी पॉवर्स हैं कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कन्वर्शन हो या नहीं हो ; पार्टी को रेट मंजूर हो या नहीं हो. यह क्या गवर्नमेंट ने ऐसे प्रिसीडेन्स को स्वीकार किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन भरतपुर में ऐसे केसेज सामने आये हैं कि जिनमें इन एण्टीसीपेशन ऐसा हुआ है, उसके बारे में इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सरकार से सिनेमा हॉल वनाने की इजाजत प्राप्त की थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टर ने इजाजत दे दी जिसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्क्वायरी की जायेगी उसके लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिनेमा कब वनाया गया और कौन से सन् में बनाया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपको मालूम नहीं है कि कौन से सन् में वनाया गया, इसका मतलब यह है कि क्या यह माना जाये कि यह ५ साल पहले बनाया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ५७ और ५८ में श्री मोहनलाल के पास यह जमीन आई और ५८ से पहले इस पर सिनेमा नहीं था। उसके बाद में रोलिंग मिल इस पर बनी हुई है और यह सिनेमा हॉल कब बना इसकी तहकीक साल में नहीं बता सकता, लेकिन ६२ और ६५ के बीच में कभी बना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट का इन्टेन्शन साफ जाहिर होता है। गवर्नमेन्ट इसके लिए लीगली एग्जामिन कराने के बारे में ऐतराज करती है, दुबारा कन्वर्शन के बारे में सोच रही है। आपको मालूम नहीं है कि यह बना तो कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? इसमें गवर्नमेन्ट का साफ इन्टरेस्ट शो हो रहा है कि आपके कनाइवेन्स पर यह बना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बात से स्पष्ट है कि २४ बीघा जमीन एक काम के लिए दी गई और उसको उस काम में नहीं लाया गया, बिना कन्वर्शन कराये हुए सिनेमा बिल्डिंग बनाई गई, सिनेमा का लाइसेन्स दे दिया गया और लैण्ड के बिना कन्वर्शन के वह सिनेमा हॉल चालू हो गया और उस सिनेमा का उद्घाटन आपके केन्द्रीय जहाज रानी मन्त्री, श्री राजबहादुर जी ने किया। आप लोगों को इस तरह से एनकरेज करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोग जमीन के लिये चिल्लाते रहते हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जमीनों के लिए चिल्लाते रहते हैं, जमीन उनको आप नहीं देते और गवर्नमेंन्ट की जमीन पर कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इजाजत दे दे, सिनेमा बन जाय और बिना परमिशन के बन जाये और आपके मंत्री जाकर उसका उद्घाटन कर आयें और सरकार सदन में आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं कि लीगली इस केस में जांच करा लेंगे; इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिये नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक कानूनी स्थिति की जांच कराने के लिए बात है वह हम करा लेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपने कहा है कि जरूरत होगी तो हम करायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रिजेक्ट कर देते हैं और फिर ओपन कर देते हैं तो आपने रिजेक्ट ही क्यों किया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इससे ज्यादा फेवरेटिज्म की और रूल्स के वायोलेंस की और क्या बात हो सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो यह बताना नहीं चाहता था, कन्वर्शन कराने की जरूरत है भी या नहीं, उसके बारे में भी डिस्प्यूट्स हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, खेद की बात है कि १५ मिनट के बाद भी सरकार की ओर से आखिरी जवाब यह है कि रूल्स के खिलाफ कोई चीज नहीं है और न नैतिकता के खिलाफ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने नहीं कहा है। यह तो उस समय की बात थी जब कि डिस्ट्रिक्ट जज ने नीलाम किया; उस समय जो भी कर्मचारी थे उनको एतराज करना चाहिए था उस स्टेज की ५२ और ५१ की बात है। वह स्टे नहीं होने से फाइनल हो गया और उसको बेचने का अधिकार हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कलेक्टर ने तो लाइसेन्स इस बिना पर बन्द किया कि कन्वर्शन का केस रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

चने व बाजरे की सरकार द्वारा खरीद

२८५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**) जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चने व बाजरे की सरकारी खरीद बन्द करने का निर्णय जिस रोज लिया गया उस रोज तक कितनी स्टाक राज्य भर में इन वस्तुओं की की गई थी और उसमें से कितना माल राज्य से बाहर भेजा गया ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल): चने व बाजरे की सरकारी खरीद बन्द करने के निर्णय तक पुराना व नया चना कुल लगभग ११,०४,८०२ क्विन्टल व बाजरा लगभग ९९,५३९ क्विन्टल स्टॉक किया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसकी कॉपी मेरे पास है और इसके ३ भाग हैं और इसमें मिसप्रिन्ट है या क्या है, इसका तो पता नहीं; लेकिन इसमें एक ही भाग है। मेरा प्रश्न था, क्या यह सही है कि अगस्त सन् ६५ में खाद्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मंत्री ने एक पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि छिपे हुए गेहूं को मंडियों से लाने के लिए सरकार कठोर कदम उठाएगी, यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में उसके पश्चात् क्या २ कदम उठाए हैं और कितना छिपा हुआ गेहूं कहां कहां पर सरकार ने जब्त किया है ? (२) जिस रोज ज्वार और मक्का की सरकारी खरीद बन्द की गई और इसकी निकासी बन्द की गई उस रोज तक कितना ज्वार और कितनी मक्का सरकार ने खरीद की थी और किस भाव पर और इसमें से कितनी ज्वार और कितनी मक्का राज्य के बाहर भेज दी गई ? (३) इसी प्रकार चने व बाजरे की सरकारी खरीद बन्द करने का निर्णय जिस रोज लिया गया उस रोज तक कितनी राज्य भर में इन दोनों वस्तुओं की खरीद की गई थी और इसमें से कितना माल राज्य के बाहर भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष : यह सारे प्रश्न जब खाद्य समस्या पर बहस हो तो उस समय उठा लें, यह प्रश्न सीमित रूप में ही स्वीकार किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जितना हो उतना ही उत्तर दिला दें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : चने व बाजरे की सरकारी खरीद बन्द करने के निर्णय तक पुराना व नया चना कुल लगभग ११,०४,८०२ क्विन्टल व बाजरा लगभग ९९,५३९ क्विन्टल स्टॉक किया गया था । और इस स्टॉक में से पुराना व नया चना कुल लगभग ७५,९४६ टन राज्य से बाहर भेजे जाने हेतु अलॉट किया गया है । बाजरा राज्य से बाहर नहीं भेजा गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य से बाहर भेजने के बारे में जो पाबन्दी लगाई थी, गवर्नमेन्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था उसके तहत इस प्रकार का प्रोवीजन था ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने रेगुलेशन का ऑर्डर दिया था उसके तहत में ५० परसेन्ट चना बाहर भेजा था । उसके बाद में जो चने की निकासी बन्द की है उसके संबंध में सरकार ने कोई गजट नोटीफिकेशन किया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो चने का बाहर भेजने का तरीका था ५० परसेन्ट तो हम लें और ५० परसेन्ट बाहर भेजें इसको काम को ११ तारीख को बन्द कर दिया उसका गजट नोटिफिकेशन और सर्कुलर सबको भेज दिये गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान ग्राम एण्ड बार्ले रेगुलेशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन ऑर्डर, १९६४ की धारा ३ के तहत सरकार ने इस ऑर्डर में कोई अमेन्डमेन्ट जारी किया है और उसके संबंध में कोई आज्ञा प्रसारित की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह गजट में आया हो चुकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : होनी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ने देखा है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं हर एक गजट और नोटीफिकेशन देखूं ही, यह आवश्यक नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ११ तारीख को आज्ञा प्रसारित की, इसकी सूचना सारे राजस्थान में कब भेजी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ११ तारीख को ही भेजी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ११ तारीख की आज्ञा जितने भी पर्चेजिंग ऑफिसर्स थे उनको डाइरेक्टली आपने नहीं भेजी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने वायरलैस मेसेज इश्यू किया था सारे कलेक्टर्स को और आशा की जाती है कि सब पर्चेजिंग ऑफिसर्स को इसकी इत्तिला कर दी थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ११ तारीख को कब भेजा वायरलैस मैसेज ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ठीक टाइम नहीं बता सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कलेक्टर्स से शिकायत आई है कि एन. ओ. सी. इश्यू नहीं किया जाय और चने की निकासी बन्द कर दी थी और यह सूचना पर्चेजिंग ऑफिसर्स को १२ और १३ तारीख तक नहीं पहुंची ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले कहते हैं कि हमें सूचना नहीं मिली और वह चना बाहर भिजवाने के पक्ष में रहे और चाहे जैसे एन. ओ. सी. जारी करते रहे । ये शिकायतें आई और हमने सबको कह दिया कि १० और ११ और इसके पहले के भी जो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट्स जिनका कि नोटीफिकेशन का पीरियड खत्म हो चुका है उनको रिव्यू नहीं किया जाय । सब केसेज डिटेल में एग्जामिन करें और अगर ११ तारीख के बाद को बोनाफाइड पार्टीज हैं तो कलेक्टर सबसे अधिक उन केसेज को छांट करके अपनी राय के साथ एक एक केस को यहां भेजें और यह हम मान लेंगे कि बोनाफाइडी ठीक है तो नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट भेजने की जो ११ तारीख के बाद इस प्रकार की बात की ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि कुछ व्यापारियों ने इन पर्चेजिंग ऑफिसर्स से मिल कर और इस ऑर्डर के पहुंचने के बाद भी अपना माल पर्चेजिंग ऑफिसर को बेचा और पर्चेजिंग ऑफिसर ने सूचना मिलने के बावजूद उस आर्डर को कैंसिल करके इस तरह का माल खरीदा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार की शिकायत बहुत से जिलों से आई थी, ६-७ जिलों से आई थी कि इस प्रकार के कुछ पर्चेजिंग ऑफिसर्स गडबडी कर रहे हैं, इस प्रकार की । हमने हमारे ऑफिसर्स को तुरन्त वहां पर भेजा क्योंकि हमको इस तरह की सूचना मिल गई थी कि कुछ ऑफिसर्स गडबडी कर रहे हैं । हमने सबकी जांच करवा ली और जो भी एक्शन लेना चाहिये था वह भी ले लिया गया है और बाहर माल नहीं जाने दिया है। इस प्रकार की गडबडी जिन लोगों के भी खिलाफ साबित हुई है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, कुछ लोगों को सस्पेन्ड भी कर दिया है और आगे भी कार्यवाही कर रहे हैं।

Page No 34

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने यह सब कार्य ग्राम, बारली, जौ आदि के वितरण का; यह सब आपने राजस्थान ग्राम एण्ड बारली डिस्ट्रिब्यूशन एण्ड रेग्यूलेशन ऑर्डर, १९६४ के तहत किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इसकी धारा ३-ए के तहत व्यवस्था की है और जब आपने ११ अगस्त को आज्ञा जारी की तो उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं करवाया।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कुछ कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता थी और जिसके जरिये रोक लगा सकते थे वह सारी कानूनी कार्यवाही करली गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ११ अगस्त को गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ और जिस अधिकारी ने नहीं करवाया उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अब आप करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो अदालत में दलील दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अदालत के लिए दलीलें नही दे रहा, मैं तो राज्य सरकार के लिये दलीलें दे रहा हूं। यह मामले कोर्ट में जायेंगे तो उनमें किसी प्रकार की कॉम्प्लीकेशन पैदा न हो और इनकी वजह से राज्य सरकार को धक्का नहीं पहुंचे, इसी लिये मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको सलाह के लिए, आपके सुझावों के लिए आपको बहुत २ धन्यवाद। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो कुछ कानूनी कार्यवाही राज्य सरकार को करनी जरूरी थी इस ऑर्डर के तहत उसको बराबर किया गया है, उसमें कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

***अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाइन में आई भूमि का मुआवजा

२६३. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा-सु) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाइन के निर्माण में कितने काश्तकारों की कितनी भूमि काम में आई है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील गिरवा, सराडा व खैरवाडा के किसानों को उनकी भूमि के पेड, कुओं आदि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील सराडा की जमीन के नक्शे सही नहीं होने के कारण अभी तक एवार्ड नहीं दिये गये हैं ?

उत्तर

(१) उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाइन से १२४८ काश्तकारों की २००४ बीघा १६ बिस्वा भूमि काम में आई।

(२) तहसील गिरवा, सराड़ा, खैरवाड़ा के किसानों को उनकी भूमि के पेड़,

(श्री राजस्व मंत्री)
कुओं आदि का मुआवजा दिया जा चुका है; अब केवल ५ व्यक्तियों को देना और शेष है।

(३) जी नहीं।

सारे एवार्ड जारी हो चुके हैं।

डूंगरगढ की जल-प्रदाय योजना

२६५. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डूंगरगढ जिला चूरू की जनसंख्या क्या है ?

(२) क्या डूंगरगढ की पेय जल की समस्या हल करने के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो इसमें अनुमानित धनराशि क्या खर्च होगी ?

(३) इस जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक शुरू होगा ? कितने समय में यह योजना पूरी होगी ?

उत्तर

(१) सन् १९६१ के अनुसार १६,३१७ हैं।

(२) जी हां, अनुमानित धन–राशि १३,५५,४८०) रु० ।

(३) विस्तृत योजना तैयार की जा रही है अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा।

बयानां नगरपालिका द्वारा भूमि की नीलामी

२६६. श्री **सांवलियाराम** (रूपवास-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बयानां नगरपालिका द्वारा सन् १९६२, १९६३ व १९६४ में कितनी जमीन नीलामी द्वारा बेची गई है ?

(२) उक्त जमीन में से कितनी जमीन के संबंध में कस्टोडियन विभाग से विवाद चल रहा है ?

(३) क्या सरकार ऐसे लोगों को जिनके द्वारा जमीन खरीदी गई है, लेकिन कस्टोडियन विभाग से विवाद चल रहा है, कोई जमीन दिलाने का या उनका रुपया वापिस दिलाने की कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) वर्ष ६२-६३ व ६३-६४ में निलाम द्वारा ३,१९६ वर्ग गज बेची गई है।

(२) प्रश्न के आइटम नं० १ के उत्तर में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में कस्टोडियन विभाग से कोई विवाद नहीं चल रहा है।

(३) केवल अलॉट की गई जमीनों में से २१ वर्ग गज भूमि जिसका मूल्य ८४) रु० व डेवलपमेन्ट चार्जेज ३) रु० कुल ८७) रु० है, विवाद कस्टोडियन के विभाग से चल रहा है। जमीन जिसको बेची गई है उसके कब्जे में है व काम में ली जाती है।

२६९. श्री **जुझारसिंह** (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सांगोद तहसील में ऐसी कितनी भूमि है जिसको राजस्व व वन विभाग द्वारा अपनी अपनी भूमि मान कर उस पर अपने अपने तरीके पर इन्तजाम किया हुआ है ?

(२) एक ही जमीन को दो विभागों द्वारा साथ साथ क्लेम करने के व इस जमीन

(श्री जुझारसिंह)

के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं कर सकने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा अपनी जमीन मान कर एलॉटमेंन्ट कर देने के बाद किन्हीं जगहों पर कृषकों पर वन विभाग द्वारा मुकदमे चलाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस प्रश्न को कब तक निपटा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) तहसील सांगोद में १७,५०४ एकड़ भूमि ऐसी है जो लैण्ड रिकार्डस में बंजर दर्ज है परन्तु वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। यह रकबा काबिल काश्त है।

(२) इस संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

(३) किसी काश्तकार पर कोई मुकदमा चलाने की रिपोर्ट नहीं है।

पंचायत समिति शाहबाद का गरडा तालाब

२७०. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पंचायत समिति शाहबाद का गरडा तालाब किस तारीख को कितने बजे टूटा ?

(२) तालाब टूटने की सूचना संबंधित अधिकारियों को कब मिली ?

(३) सूचना मिलने के पश्चात् तात्कालिक क्या कार्यवाही की गई ?

(४) तालाब की कितनी क्षति हुई तथा तालाब के टूटने से जन-धन की कितनी हानि हुई ?

(५) किन किन अधिकारियों ने कब कब उक्त स्थान पर पहुंच कर स्थिति का निरीक्षण किया ?

(६) तालाब टूटने के क्या कारण थे?

(७) तालाब की मरम्मत का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

उत्तर

(१) तारीख ३०-७-६५ को करीब दिन के १२ बजे।

(२) यह सूचना ३०-७-६५ को रात्रि के १० बजे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग को पुलिस के वायरलेस द्वारा कोटा में मिली।

(३) अभियन्ता ने सूचना मिलते ही अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर को तुरन्त ही इसकी इत्तिला दूरभाष और एक्सप्रेस दूरलेख द्वारा दी और उप जिलाधीश बारां और तहसीलदार किशनगंज के साथ तुरन्त ही मौके पर पहुंचने के लिये रवाना हुये। इसी तरह से अधिशासी अभियन्ता, बूंदी भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचने के लिये चल दिये; मार्ग में काली सिंध नदी का बहाव काफी तेज था और उसको ये तीनों उपरोक्त अधिकारी पार न कर सके क्योंकि जीप के बहाव में बह जाने का पूरा अन्देशा था। उसके बाद ट्रेन द्वारा मध्यप्रदेश के गुना स्टेशन पर ये तीनों अधिकारी पहुंचे और वहां से मध्य प्रदेश की पुलिस की एक गाडी लेकर रात्रि के करीब १।। बजे शाहबाद पहुंचे। वहां वह सरकारी गाडी भी खराब हो गई और उसके पश्चात् जीप और ट्रैक्टर और पैदल पानी में चल कर ये अधिकारी

Page No 37

(श्री सिंचाई मंत्री)
मौके पर १ तारीख को शाम के ११ बजे पहुंचे।

(४) बांध पर क्षति का अनुमान लगभग ४०,०००) रु० है। इसके टूटने से जन-धन की कोई हानि नहीं हुई।

(५) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, विभाग बूंदी, उप-जिलाधीश भारां, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, तहसीलदार किशनगंज ने स्थिति का निरीक्षण १-८-६५ को ११ बजे शाम को किया। अधीक्षण अभियन्ता अजमेर ने २-८-६५ को निरीक्षण किया।

जांच कमेटी के सदस्य अधीक्षण अभियन्ता भवन एवं पथ, कोटा, जिलाधीश, कोटा और अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर ने भी तत्पश्चात् स्थिति का निरीक्षण किया।

(६) जांच के आधार "पाइपिंग" के कारण बांध टूटा।

(७) सन् १९६६ की वर्षा से पूर्व।

नीम-का-थाना में डी० आई० आर० के तहत गिरफ्तारियां

२७५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नीम-का-थाना में माह जनवरी, १९६५ में कितने लोगों को डी. आई. आर. एवं एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के तहत किन किन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया? कृपया उनकी पूरी सूची दें।

(२) इन लोगों की जमानत किस मजिस्ट्रेट ने ली? वह मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के हैं अथवा प्रथम श्रेणी के? अगर द्वितीय श्रेणी के हैं तो उनको कोई अधिकार-विशेष रूप से राज्य सरकार ने दिये हैं?

(३) क्या राज्य सरकार ने इस जमानत लिये जाने के विरोध में कोई अपील अथवा निगरानी ऊपर की अदालत में की? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(४) क्या श्री विशेश्वरलाल इस केस में मुलजिम बनने व गिरफ्तार होने के बाद भी राज्य की ओर से आटा वितरक हैं?

उत्तर

जनवरी १९६५ में केवल ४ व्यक्तियों को–सर्व श्री विश्वेश्वर लाल, चिरंजीलाल, नागरमल, मोतीलाल महाजन को धारा ३।७।९ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था। क्योंकि वे राजस्थान कोर्स ग्रेन (रेग्युलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, १९६४, की खिलाफ-वर्जी करते पाये गये थे।

२ उनकी जमानत तहसीलदार नीम-का-थाना, जो द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट थे, ने उस समय ली जब वे कार्यवाहक एस डी. एम. का कार्य कर रहे थे। एस. डी. एम. का कार्यभार उन्होंने जिलाधीश सीकर के आदेश से संभाला था।

३. उक्त जमानत के आदेश को निरस्त कराने के लिये सत्र न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

४. श्री विश्वेश्वरलाल अभी भी खाद्यान्न के लाइसेन्सदार हैं।

कनिष्ट लेखकों की वेतन श्रृंखला का फिक्सेशन

२७६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर के जिलाधीश कार्यालय में कनिष्ठ लेखकों का फिक्सेशन अभी तक विभिन्न वेतन-श्रृंखलाओं में होना शेष है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों का ?

(२) फिक्सेशन अब तक न होने का क्या कारण है और कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

१. जी हां, ३ कर्मचारियों का।

२. अन्य विभागों के इनके कार्यकाल की प्रविष्टियां उन विभागों द्वारा न आने के कारण। अब शीघ्र हो जायेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील खेतड़ी व चिड़ावा, जिला झुंझुनू के नम्बरदारों को नम्बरदारी अदा करने की छूट

११४. श्री शिवनारायण छाछिया (सूरजगढ़-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील खेतड़ी व चिड़ावा, जिला झुंझुनू के समस्त नम्बरदारों को उनके नम्बरदारी हक (छूट) अदा कर दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों और कब तक अदा कर दी जायेगी ?

उत्तर

तहसील खेतडी में रुपये ६८२.८२ पै. देना बकाया है जिसमें से रुपये ५५४.१७ पैसे २६ आदमियों को दे दिये हैं बाकी रुपये १२८.६५ पैसे देने हैं १० आदमियों को, जिन्हें जल्दी चुकारा कर दिया जावेगा।

तहसील चिडावा में समस्त नम्बरदारों को उनके नम्बरदारी हक (छूट) अदा कर दी गई है।

टौंक कानूनगो ट्रेनिंग बैच में भेजे गये पटवारी

११५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्यारहवें कानूनगो ट्रेनिंग बैच में कितने पटवारियों को टौंक ट्रेनिंग में भेजा गया ? क्या नियम ३०० लैंड रिकार्ड्स रूल्स के अन्तर्गत पटवारी एवं सरवेयर की ट्रेनिंग के लिये चयन करना नियमानुकूल है जब कि नियम २८४ के अन्तर्गत ऐसा तभी किया जा सकता है जब कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट किया जावे ?

(२) ऐसे कितने पटवारी ट्रेनिंग में भेजे गये हैं जिन्होंने ५ वर्ष पटवारी के पद पर काम नहीं किया है तथा ऐसे कितने पटवारी भेजे गए हैं जो पटवार पास नहीं हैं ?

(३) क्या नियम ३०० लैन्ड रिकॉर्ड्स रूल्स में छूट देने का अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को है ?

(४) क्या पटवारियों के काननगो ट्रेनिंग में भेजने का चयन करने में पटवारियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए थे ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या चयन में पटवारियों

Page No 39

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की सीनियोरिटी का ध्यान रखा गया है ?; यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) ऐसे कितने सीनियर पटवारी हैं जिनको ट्रेनिंग के लिये नहीं चुना गया है ? उनको न चुनने का क्या कारण है ? कितने पटवारियों के प्रार्थना-पत्र होते हुए भी गौर नहीं किया और क्यों ?

(६) जिन पटवारियों को नियम ३०० लैण्ड रेकॉर्डस् रूल्स के प्रतिकूल ट्रेनिंग में भेज दिया गया है, क्या वे सीनियर पटवारियों से पहले इन्सपेक्टर लैन्ड रिकॉर्ड्स का पद पाने के अधिकारी होंगे ? अगर नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या करेगी ?

उत्तर

(१) भू-अभिलेख नियमों के नियम ३०० के अन्तर्गत यद्यपि प्रशिक्षण के लिये चयन पटवारियों एवं निरीक्षकों के आवेदन-पत्र मंगवाकर ही करना चाहिए था, लेकिन भू-अभिलेख विभाग के अधिकांश निरीक्षक अप्रशिक्षित होने के कारण राजस्व मण्डल ने यह उचित समझा कि सर्वप्रथम इन निरीक्षकों को ही प्रशिक्षित किया जाय और इसके बाद जो कमी रही उसमें ऐसे पटवारी जो भूमि एकीकरण विभाग के अतिरिक्त भू-मापकों को निरीक्षक बनाने के कारण रिवर्ट हुए थे या जिनके जिलाधीशों की विशेष सिफारिश थी और जो नियम ३०० में निर्धारित योग्यता रखते थे भेजे गये ।

(२) ५ वर्ष पटवारी के पद पर काम न करने वाले पटवारियों को तो नहीं भेजा गया परन्तु जो पटवार परीक्षा पास नहीं थे ऐसे एकीकरण विभाग के कर्मचारी जो भू-अभिलेख विभाग में पटवारी निरीक्षक एब्जोर्ब किये गये भेजे गये ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं, क्योंकि निरीक्षकों, निरीक्षक पद से अवनत तथा जिलाधीशों द्वारा विशेष रूप से अनुसंसित कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण में भेजा गया । चयन म वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि नियम ३०० के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पटवारियों के चयन करने का उल्लेख नहीं है ।

(५) इस बैच में निरीक्षकों (कार्य-वाहक) को भेजा गया वे स्तपष्टतया पटवारियों से सीनियर थे (५७) १६ ऐसे पटवारी भेजे जो पूर्व में निरीक्षक के पद पर कार्य कर चुके थे और रिवर्ट हो गये थे क्योंकि भूमि एकीकरण विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों का निरीक्षक पद पर समावेश किया गया था यह भी पटवारियों से सीनियर थे; शेष १३ पटवारी जिलाधीशों की सिफारिश पर भेजे गये ।

(६) ये ही कर्मचारी जो लैण्ड रिकार्ड्स रूल्स के नियम १७१ में वर्णित योग्यताएं रखते हैं निरिक्षक के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं और उनके नियुक्त हो जाने पर वे बाकी पटवारियों से सीनियर हो जावेंगे ।

बैराठ तहसील में भूमि का आवंटन

११६. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) : **क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—**

(१) जयपुर जिले की बैराठ तहसील में सन् ६४-६५ और ६५-६६ में कितनी कृषि योग्य भूमि कितने व्यक्तियों को एलॉट की गयी ?

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

(२) राज्य सरकार के समस्त जिलाधीश के नाम जारी किये गये परिपत्र संख्या एफ. ६ (१०४) राज. ।ग्र। ६३, दिनांक १८-१-६५ के अनुसार तहसील बैराठ में कितनी कृषि योग्य भूमि एलॉट की गई और कितने व्यक्तियों को एलॉट की गई ?

उत्तर

(१) सन् ६४-६५ में ५१ व्यक्तियों को १६६ बीघा ६ बिस्वा भूमि अलॉट की गई। सन ६५-६६ में ३४१ व्यक्तियों को ३६७३ बीघा ८ बिस्वा भूमि अलाट की गई।

(२) उक्त आदेश के अन्तर्गत ११८ व्यक्तियों को २८० एकड़ भूमि अलॉट की गई।

तहसील प्रतापगढ़ में नाजायज कब्जे के केसेज

११७. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में सन् ६४-६५ में नाजायज कब्जे के कितने केस दायर हुए ?

(२) जो केस दायर हुए हैं उनमें से कितने केसेज को रेगुलराइज कर दिया गया और कितने मामलों में बेदखली की गई है ?

(३) कितने केस पेंडिंग हैं और उनमें कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में नाजायज कब्जे के सन् ६४ में ६५२ केसेज और सन् ६५ में ५,२८८ केसेज दायर हुये हैं।

(२) सन् ६४ के पेंडिंग केसेज में से २४४ केसेज को रेगुलराइज किया गया और २०२ केसेज में बेदखलियां की गई। २३ मामले नाजायज कब्जे बरामद न होने से खारिज किये गये। सन् ६५ के ५,२८८ केसेज में से १२ केसेज रेग्युलराइज हुये हैं। १९६ केसेज में बेदखलियां की गई है व एक मामला नाजायज कब्जा बरामद न होने से समाप्त हुआ है।

(३) सन् ६४ के पेंडिंग केसेज १८३ और सन् ६५ के केसेज ५,०७९ पेंडिंग है जिनमें धारा ९१, दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत नोटिसेज जारी किये गये है और कार्यवाहियां जारी है। माह अप्रेल सन् १९६६ तक इनका डिस्पोजल होने की उम्मीद है।

चेचट क्षेत्र के गावों में अधिकृत कब्जे

११८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चेचट क्षेत्र के ग्राम खेड़ा रुद्धा, देवली ब्राह्मणान, अरलाई, ढाबा देह आदि में अनधिकृत भूमि कब्जे के कितने मामले सरकार की निगाह में लाये गये हैं और उक्त अनधिकृत कब्जों की भूमि को खाली कराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

(२) रामगंज मंडी में भूमि-अतिक्रमण के कुल कितने मामले अब तक नियमित किये जा चुके हैं और कुल कितनी भूमि पर ? भूमि-अतिक्रमण के अभी और कितने मामले निपटाने को बाकी हैं ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

१. चेचट क्षेत्र के उल्लेखित ग्रामों की स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

(१) देवली ग्रा० में २४ केसेज अनधिकृत भूमि के दर्ज हुये, जिनमें से दो केसेज रेगुलराइज किये गये । दो केसेज पेंडिग हैं। २० केसेज डिसाइड होकर पेनेल्टी के ८८० रु ९ पैसे कायम हुए और बेदखली के नोटिस जारी हुए हैं।

(२) ढावादेह में दो केसेज पेंडिग हैं, और एक केस रेगुलराइज हुआ ।

(३) अरलाई में ५ केसेज थे जिनमें से एक केस रेगुलराइज हुआ, ४ केसेज में खाली कराने के नोटिस दिये गये ।

(४) खेडा रूद्दरा में कोई केस नहीं हुआ है ।

२. रामगजमंडी में, २४३ केसेज पेंडिग हैं । ८५ केसेज रेगुलराइज हुये हैं, जिसमें २१९ बीघा ५ बिस्वा भूमि रेगुलराइज की गई है ।

पंचायत समिति क्षेत्र इटावा में जमीन की नीलामी

—११९. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) पंचायत समिति क्षेत्र इटावा, तहसील पीपलदा के चम्बल कमान्ड एरिया में गत वर्ष व इस वर्ष कितनी कितनी जमीन नीलाम हुई ?

(२) जो जमीन नीलाम हुई उसकी रकम एक मुश्त काश्तकारों से वसूल की गई या किश्तों में ?

(३) इस जमीन से कुल कितना रुपया राज्य सरकार को प्राप्त हुआ ?

उत्तर

(१) गत वष तहसील पीपलदा में भूमि का नीलाम नहीं हुआ व इस वर्ष १०३७।) भूमि का नीलाम हुआ है ।

(२) जिन कृषकों की बोली १०००) रु० तक कायम हुई उनसे एक मुश्त वसूली की गई बाकी क्रेताओं से चौथान जमा करवाया गया है व बाकी रुपये की नियमित रूप से किश्त की जावेगी ।

(३) नीलाम शुदा रकबे की कुल कीमत १,५२,७२९) रु० ५० न० पै० (एक लाख बावन हजार सात सौ उनतीस रुपये एवं पचास नये पैसे) हैं जिसमें से ८९८६३) रु० ९८ न० पै० जमा हो चुके ।

हिन्डौन नगरपालिका को पशु मेलें से आमदनी

१२०. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्डौन नगरपालिका को पशु मेलों से सन् १९६२ से १९६५ तक प्रत्येक साल में कितनी कितनी आमदनी हुई है ?

(२) इन मेलों पर नगरपालिका का कुल कितना खर्च हुआ है ?

उत्तर

(१ व २) हिन्डौन नगरपालिका को सन् १९६२ से ६४ तक पशु मेलों से निम्न आय व व्यय हुआ है ।

Page No 42

(श्री स्वायत शासन मंत्री)

वर्ष	आय	व्यय
१९६२	१४५२४.००	२०८७.९४
१९६३	१६४४९.००	२३१६.८४
१९६४	१९२७.५०	३५२७.५४

(२) सन् ६५ का मेला माह दिसम्बर में लगेगा।

राजस्थान में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र

१२१. **श्री मोहनराज** (बाली): क्या मंत्री, जन सम्पर्क विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान से प्रकाशित होने वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रों एवं पत्रिकाओं की संख्या कितनी है? कृपया अलग अलग बतावें।

(२) कृपया उपरोक्त पत्र-पत्रिकाओं की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

		हिन्दी	अंग्रेजी
(१)	दैनिक	१५	..
	साप्ताहिक	१६२	३
	पाक्षिक	४३	...
	मासिक	६०	४

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगर विकास मण्डल द्वारा भूमि अवाप्ति

१२२. **श्री भंरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगर विकास मण्डल, जयपुर द्वारा सन् ५७ से लेकर अब तक किस किस कार्य के लिये किस किस खसरे नम्बर की कितनी कितनी भूमि की अवाप्ति के लिये सरकार को लिखा गया?

(२) किस किस नम्बर की कितनी कितनी भूमि किस किस वर्ष में लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही के पश्चात् नगर विकास मण्डल के अधिकार में आई?

(३) किस किस भूमि का कितना कितना अपेक्षित उपयोग किस किस वर्ष में अब तक हुआ है?

(४) किस किस भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गृह निर्माण योजना कब २ स्वीकार की गई है?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चुनाव याचिकायें

१२३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत पंचायत चुनाव हुए हैं उनमें से कितने चुनाव-परिणामों के विरुद्ध चुनाव याचिकायें न्यायालयों में प्रस्तुत की गई हैं? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री निर्वाचन मंत्री)

उत्तर

पंचायत चुनाव, १९६५ में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पंचायतों के १,००६ चुनाव परिणामों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में चुनाव याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(१२.३२ म. प.)

सदन की मेज पर रखी राजस्व विभाग की अधिसूचना

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व "ग" विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. २३(२) रेवे। ५४ दिनांक २५ अगस्त, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान साहूकार नियम, १९६५ प्रकाशित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन।

(१२.३३ म.प.)

याचिका का उपस्थापन

श्री अमरसिंह (ढूंढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम मानपुर, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर में जमीन संडी बाड़ी को जंगलात क्षेत्र से अलग करने विषयक एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(१२. ३४ म.प.)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५।

श्रीमती उनीथन द्वारा विश्वविद्यालय के स्नातकों की राष्ट्रीय भावनाओं का निरादर विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के मामले में एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया गया था और उसको काफी समय हो गया है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट नहीं हुआ है। मामला काफी कॉम्प्लीकेटेड होता जा रहा है। इसमें रजिस्ट्रार साहब की विज्ञप्ति भी निकल चुकी है। शिक्षा मंत्रीजी को जो कुछ भी चार लाइन कहना हो, कह दें। अगर आज नहीं कह सकें तो कोई भी डेट फिक्स अरकार दें। इस बात को आठ-सात दिन हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : चार लाइन का जवाब देना हो तो मैं अभी भी दे सकता हूं। इसमें जो पूरक सूचना चाही जाएगी वह मैं नहीं दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : उसे दो लाइन में दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न सारे राष्ट्र का है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानून और संविधान का प्रश्न है, इसकी पूरी जांच करने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेन्ट्स एडवाइजरी ब्यूरो की इन्चार्ज मिसेज उनीथन के विरुद्ध जिन भावनाओं व भारतीय सुरक्षा कोष में एकत्रित हो रहे धन के प्रति जो घृणात्मक रवैया अपनाये जाने की शिकायत है वह नितान्त असत्य है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने लॉ कालेज के आचार्य की उपस्थिति में इस शिकायत की जांच की और जांच से आरोप निराधार पाये गये।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

वास्तव में नोन-रेजीडेन्ट स्टूडेन्ट सेन्टर के मैनेजमेंट ने मिसेज उनीथन के नेतृत्व में ५००) रु० की धनराशि सुरक्षा कोष में देने के लिए इच्छा प्रगट की थी। इस विषय में मेनेजमेंट कमेटी द्वारा ८ सितम्बर को विचार-विमर्श किया गया और मिसेज उनीथन ने उपरोक्त धनराशि को सुरक्षा कोष में भेजने का निर्णय लिया। मिसेज उनीथन ने यह सूचना लड़कों के साथ हुई बातचीत में उन्हें भी दे दी थी।

झगड़े का मूल कारण लॉ कालेज के विद्यार्थियों को नोन-रेजीडेन्ट स्टूडेन्ट्स सेन्टर की मैनेजमेंट कमेटी में बिना लॉ कॉलेज के आचार्य की अनुमति के नहीं लेना बताया जाता है। उक्त कमेटी को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस कमेटी को सौंप दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पांच सौ रुपया सुरक्षा कोष में भेजने के लिये किस दिन लिया गया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन यह रुपया सुरक्षा कोष में भेज दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह निर्णय कब लिया गया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी मैंने कहा ना कि ८ तारीख को निर्णय लिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ८ सितम्बर माननीय उप-मंत्री महोदय कह रहे हैं तो इसी तरह का स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का भी पत्रों में प्रकाशित हुआ है। ८ सितम्बर का ही उनका भी स्टेटमेंट है जो राष्ट्रदूत में छपा है। मैं इसको सदन की मेज पर रखता हूं। यही स्टेटमेंट है कि ५००) रुपया सुरक्षा कोष में दिया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो पेपर निकलता है थण्डरबोल्ट, उसमें इन सारी चीजों का कोई वर्णन नहीं है। इसका ९ सितम्बर और २० सितम्बर का अंक निकला है, लेकिन इसमें पांच सौ रुपये देने का वर्णन नहीं है। लड़कों ने अपने एन्टरटेनमेंट में से काट करके ढाई सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये इकट्ठे किए और उसे सुरक्षा कोष में दिया, लेकिन उसका कोई जिक्र किसी प्रकार इसमें नहीं किया गया है। ये 'थण्डर बोल्ट' के अंक हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनका आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये ९ तारीख और २० तारीख के इश्यूज हैं, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। ८ तारीख को इस सेंटर की तरफ से निर्णय दिया गया है, यह आफ्टर थोट है, उप-मंत्री महोदय, और यह चीज भी बहुत गम्भीर है। मिसेज उनीथन जो शब्द कहती हैं वह केवल यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुक नहीं रखते हैं बल्कि सारे राष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले हैं। जो शब्द मिसेज उनीथन ने कहे हैं वे ये हैं कि हम अपने एन्टरटेनमेंट को राष्ट्र के खातिर पोस्टपोन नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी शब्द कहे हैं कि इण्डिया के अन्दर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उप-मंत्री महोदय, इन शब्दों से विद्यार्थियों के अन्दर काफी गम्भीर असंतोष पैदा हुआ है। आज एन. सी. सी. वगैरह में हर जगह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हर प्रकार से हिस्सा ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर इस प्रकार के गम्भीर मामलों में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो यह असंतोष बढ़ता चला जाएगा, यह रुकने वाला नहीं है। यह विद्यार्थियों को राष्ट्रीयता का एक प्रकार का चैलेंज है। मिसेज उनीथन कई ऑफिसेज होल्ड करती हैं और जो काफी जिम्मेदार औरत हैं वे इस प्रकार के हल्के शब्द राष्ट्र के सम्बन्ध में कहें इसको कोई सहने के लिये तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इसे कभी सहन करने के लिये

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
तैयार नहीं हैं और इसीलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार समुचित जांच पडताल करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें एक प्रश्न और है अध्यक्ष महोदय कि २९ सितम्बर को जब लॉ कॉलेज के प्रेसीडेन्ट और सेक्रेट्री ने इस प्रकार की शिकायत की तो राज्य सरकार ने इस बात को क्यों नहीं आवश्यक समझा और क्यों नहीं उचित समझा कि वे स्वयं इस मामले की जांच करायें ? दूसरी बात यह है कि आप यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर ने इसकी जांच की है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि इसकी बिल्कुल जांच नहीं की गई है। एक प्रकार की यूनीलेटरल जांच करने के बाद एक तरह का स्टेटमेंट, जिस तरह से चाइना ने यूनीलेटरल स्टेटमेंट दे दिया है, उसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया गया है। स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कम्प्लेंट थी तो उनसे भी पूछताछ करनी चाहिये। सरकार भी इस मामले में जांच करा सकती थी। यूनिवर्सिटी ओटोनोमस बॉडी हो तो भी क्या सरकार ऐसे मामलों में जांच नहीं कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो जयपुर के माननीय सदस्य और रायसिंहनगर के माननीय सदस्य ने अपनी जिन भावनाओं का वर्णन किया है, मैं राज्य सरकार से इन भावनाओं के साथ ही यह जानना चाहता हूं कि आप जो वक्तव्य, स्टेटमेंट दे रहे हैं उस वक्तव्य के अन्दर सिर्फ वाइस-चांसलर द्वारा राज्य सरकार को दी हुई सूचना ही है या राज्य सरकार ने भी किसी इण्डिपेंडेंट एजेंसी से इन सारी बातों की जांच करा ली है। इसके अन्दर किसी प्रकार की नेशनलिटी का प्रश्न है। मिसेज उनीथन नीदरलैंड की हैं, लेकिन इस समय वे इण्डिया में हैं तो हम उनको बराबर का आदर देने के लिये तैयार हैं। इसलिए सिर्फ कोई भावावेश में आने का प्रश्न नहीं है कि कोई विदेशी था और अब चूंकि भारतीय हो गया है इसलिए कुछ खिलाफ कह जाय। नीदरलैण्ड के निवासियों के प्रति हिन्दुस्तान के लोगों का वैर–वैमनस्य किसी प्रकार का नहीं है। एक लेक्चरार हैं और एस. आर. सी. स्टूडेंट्स एडवाइजरी ब्यूरो का जो काम करती हैं तो उनके प्रति कोई वैमनस्य का प्रश्न ही नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के स्टूडेन्ट्स जिनको हम समझते हैं कि जो नेशनल डिफेन्स के अन्दर सब तरह से काम कर रहे हैं और एन. सी. सी. के अन्दर काम कर रहे हैं और जैसी भी, जो ड्यूटी दी जाती है उसमें भी बहुत आगे बढ़कर हमारे राष्ट्र की नागरिक सुरक्षा के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी यदि सारे के सारे जब यह शिकायत करते हैं और उसमें स्थिति यह बनती है कि यदि हम उनकी शिकायत का ठीक ढंग से कोई सन्तोषजनक जवाब न दें और हल न निकालें तो विद्यार्थियों के मन में यहां तक रोष है कि ये सब जो मामलात हैं कि उनसे डिफेन्स फण्ड के लिए चन्दा लेने गये तो वे कहती हैं कि क्या आप चाहते हैं कि इन ५००) रुपयों में क्या आपके राष्ट्र की रक्षा होगी और क्या आपके राष्ट्र की रक्षा के लिए हम अपने छोटे छोटे इमोल्युमेंन्ट्स को खत्म कर दें; उससे उनमें उत्तेजना है। यह बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई विद्यार्थी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जो एम. ए. में पढ़ता हो, बिना कारण के उत्तेजित नहीं हो सकता। आज उनके मन में उत्तेजना है। वायस चान्सलर ने जो जांच की है में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सन्तोषप्रद नहीं है। आॅटोनोमस बोडी मानते हुए भी जब इस बात की शिकायत है जो कि नेशनल डेमोक्रेसी को इफेक्ट करने वाली है तो इस तरह के आॅब्जर्वेशन्स पीस टाइम में किये जायं तो समझ में आ सकता है कि यह एकेडेमिक क्वेश्चन है। लेकिन जब हमारा राष्ट्र डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा है ऐसे समय में यह कहना कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है :

"I have seen democracy in Nelitherland. I am coming from a Country which has seen democracy for hundreds of years.'

इस तरह के आॅब्जर्वेशन्स प्रोपर नहीं हैं। में मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बात की इन्डिपेन्डेन्ट जांच कराई जाय। वाइस चान्सलर के स्टेटमेंट को इस सदन में दुबारा दोहराने से न सदन का महत्व बढ़ता है और न माननीय मंत्रीजी का महत्व बढ़ता है।

विशेष तौर से जो खर्चा यूनिवर्सिटी किन्हीं हेड्स में कर रही है तो मंत्री महोदय को यह जांच करना चाहिए कि यह खर्चा किस तरह से वाजिब है, यूनिवर्सिटी जो यह सर्विसेज रेन्डर कर रही है तो स्टूडेन्ट्स एडवाइजरी ब्यूरो से कितने लड़के सलाह लेते हैं और उसकी क्या लेंग्वेज है और मिसेज यूनियन उस लेंग्वेज को समझती हैं या नहीं और इस कारण से जो खर्चा १० हजार रुपयों का यूनिवर्सिटी द्वारा होता है वह जस्टीफाइड है या नहीं? में नहीं कहना चाहता हूं कि वाइस चान्सलर का कोई प्रेडिलिक्शन किसी के बारे में होगा या हो सकता है, लेकिन में निवेदन करना चाहता हूं कि जब यूनिवर्सिटी अपने स्टाफ की तनख्वाह चुकाने के लिए विज्ञान भवन को गिरवी रख कर ११ लाख रुपये बेंक ऑफ बीकानेर या राजस्थान से लेती है तब जाकर तनख्वाह चुकाई जाती है। राजस्थान सरकार से ११ लाख रुपये उसने अगस्त में उधार लिये हैं और सितम्बर में ११ लाख के करीब बेंक से उधार लिये हैं विज्ञान भवन को अडाने रखकर, तो उसके खर्चे की जांच की जानी चाहिए। यदि इस तरह से खर्चा किया जाता है, किसी के शौक के लिए किया जाता है और राजस्थान सरकार उस यूनिवर्सिटी को एक करोड़ के करीब रुपया देती है तो राजस्थान सरकार को कड़ा रुख अपनाया जाकर जो वाइस चान्सलर ने कहा है वह किसी भी प्रकार से जस्टीफाइड नहीं और उसकी एक इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसमें पेपर का रेफरेन्स दिया जाकर कहा गया है कि उसमें ५००) रु. की रकम का जिक्र नहीं आया है। तो उसके सम्बन्ध में में कुछ नहीं कह सकता कि यह उनका खुद का पेपर है और ५००) रुपये की रकम के सम्बन्ध में उल्लेख करना वे उचित समझते हैं या नहीं, में नहीं कह सकता। में इतना कह सकता हूं कि इस मामले की जांच उपकुलपति ने आचार्य, लॉ कॉलेज की उपस्थिति में की। ऐसी स्थिति में जब कि वे जिम्मेदार आदमी हैं और इनका शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सम्मान है, उपकुलपति होने के नाते

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
उनकी प्रतिष्ठा है, उन्होंने जांच की और इस पर निर्णय लिया गया कि यह शिकायत आधारहीन साबित हुई तो उसमें हमारा पूरा विश्वास है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने कहा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर्स के सम्बन्ध में। उनका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको चिन्ता भी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तीसरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार जांच करा सकती है या नहीं; तो जिन माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है वे स्वयं जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक एक्ट है और उसके कॉन्स्टीट्यूशन के आधार पर राज्य सरकार ऑटोनोमस बोडी के आन्तरिक मामलों में कितना प्रवेश कर सकती है। इस प्रश्न पर अगर आप प्रकाश डालते तो मुझे भी थोडी सी रोशनी मिलती। लेकिन मैं अपनी ओर से कह सकता हूं कि यह उनका आंतरिक मामला है, फिर भी राज्य सरकार ने उनसे निवेदन किया कि वाइस चान्सलर हमें इस पर जानकारी दें और उन्होंने जो कुछ भी प्रकाश इस सम्बन्ध में देना था दिया। इसके अतिरिक्त एक्ट के अन्दर कोई ऐसा प्रोवीजन नहीं है जिसके अनुसार हम उनके इन्टर्नल मामलों में दखल कर सकें। मैं माननीय सदस्य, जो स्वयं कानून के जानकार हैं और जिन्होंने विधान सभा में यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रोवीजन को भी देखा है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे देखें कि राज्य सरकार से किस प्रकार अपेक्षा करते हैं कि उनके इन्टरनल मामलों में पड़े और जांच करायें?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह इन्टरनल मामला नहीं है। यह एक रिमार्क है इन्डियन डेमोक्रेसी के बारे में, इसलिये क्या यह उनके इन्टरनल मामलात में आ सकता है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! माननीय मंत्री महोदय ने एन्क्वायरी के सम्बन्ध में कहा है कि जो एन्क्वायरी हुई है उसको वे स्वीकार करते हैं। इससे ज्यादा एन्क्वायरी कराने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह इन्टरनल मामला नहीं है ये इन्डियन डेमोक्रेसी, उसकी नेशनेलिटी के बारे में, नेशनल डिफेन्स के बारे में रिमार्कस हैं। यह इन्टरनल मामला नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इसलिये तो जांच आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है और काफी असन्तोष पैदा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य असन्तोष बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ तथ्य थे वे सदन के समक्ष रखे। मैं उनसे यह अवश्य निवेदन करूंगा कि जो बात माननीय सदस्य ने कही है उन्हें आप विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास पहुंचाने की कोशिश करें और उसके सम्बन्ध में इससे कुछ और ज्यादा जांच करा सकें या उसके बारे में जानकारी करा सकें किसी ढंग से तो करायें ताकि माननीय सदस्यों को सन्तोष मिले। इससे ज्यादा बहस उपयुक्त नहीं है।

अब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, किसी दिन यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन पर बहस हो जाये क्योंकि माननीय मंत्री महोदय रोज कहते हैं कि उन्हें अधिकार नहीं है आटोनोमस बोडी है उसमें दखल करने का। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर हम डिबेट कर सकते हैं, रोड कोर्पोरेशन पर डिबेट कर सकते हैं, होटल कोर्पोरेशन पर डिबेट होती है, गवर्नर और प्रेसीडेन्ट के बजट पर डिबेट होती है, पार्लियामेंन्ट में तो यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी आटोनोमस बोडी है जिस पर डिबेट नहीं हो सकती है। करोड़ों रुपया हम देते हैं, फिर भी अपने स्टाफ को तनख्वाह नहीं चुका सकती है तो वहां डेमोक्रेसी नहीं आटोक्रेसी है। इसकी आपको चिन्ता नहीं है। कबाड़ की बातें करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिये दोनों युनिवर्सिटीज पर डिबेट हो जाय। जो जोधपुर युनिवर्सिटी है उसका भी यही हाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है कि करोड़ों रुपया हम देते हैं और विधान सभा बजट पास करती है, युनिवर्सिटी को हम चलाते हैं और युनिवर्सिटी मालिक बन गई है कि वह बिल्डिंग पर बिल्डिंग रहन रखती जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं तो इस सम्बन्ध में कब बहस की जाय उसके सम्बन्ध में विचार करके माननीय सदस्यों के साथ बैठकर कि किस हद तक हम वह कर सकते वह रखी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसे आप चाहें, सेटल कर दें।

श्री अध्यक्ष : कभी भविष्य में इसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसे रेगुलेट करना चाहें हम तैयार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान में दो युनिवर्सिटियां हैं दोनों ही कबाड़खाने हैं।

श्री अध्यक्ष : तीन हैं। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबंध) विधेयक, १९६५

(१२.४६ म प.)

अध्यक्षीय व्यवस्था की अवहेलना विषयक औचित्य प्रश्न

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर अध्यक्ष महोदय. सदन की तारीख १ को जो बैठक हुई थी और जो माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के स्थान पर विराजमान थे उन्होंने समय समाप्त नहीं होने के पहले सदन से यह पूछा था कि क्या सदन की राय है कि समय बढा दिया जाय और अध्यक्ष ने खास तौर पर यहां पर आदेश दिया कि सदन का समय बढ़ा दिया गया। उसके बावजूद जब लोग बोलने को थे, सारा एक्ट जो पास होने वाला था वह चल रहा था तो यहां पर बैठे हुए मंत्री महोदय ने उनको जरा डांट कर कह दिया कि अब समय नहीं बढ़ाना है। इस पर वे सदन की कार्यवाही समाप्त करके चली गई। यह प्रोसीडिंग मेरे पास में है, जिसमें उन सभापति महोदया ने साफ तौर से कहा है कि समय बढ़ा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कितना बढ़ा दिया गया ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : यह न तो कोई ठीक पोइंट ऑफ ऑर्डर है और न कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो माननीय सदस्य यहां पर पद पर आसीन थे उनको जवाब देने की आवश्यकता हो। मैं नहीं समझता कि इस पर बहस बढ़ाने का यह तरीका ठीक है। माननीय सदस्य को वैधानिक आपत्ति हो तो लिख कर दे सकते हैं, उस पर कितनी बहस हो सकती है, कितनी नहीं; यह गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यवस्था किसी समय दे दी गई उस पर एतराज कब किया जा सकता है, यह वैधानिक प्रश्न है; इसको पोइंट ऑफ ऑर्डर के जरिये तय करना इस समय संभव नहीं है। आपको लिख कर देना हो तो दे दें उस पर विचार किया जा सकता है।

(१२.५० म.प.)

बांसवाडा की अकाल पीडित स्थिति विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के अकाल पीड़ित लोगों की व्यवस्था के बारे में मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था ······

श्री अध्यक्ष: आपके और सारे जिलों के बारे में बहस हो गई थी, सरकार की ओर से वक्तव्य पेश किया गया था, आपकी अनुपस्थिति उस समय अजरी थी। कल खाद्य पर बहस होगी उस समय फिर इस प्रश्न को उठा सकेंगे।

श्री हीराभाई : जब भी यह सवाल खड़ा होता है तो वहां के अधिकारी अकाल को खत्म करने के लिये ···············

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सहयोग करें, मैंने कह दिया है कि कल जब खाद्य पर बहस होगी उस समय आप इसको उठा सकेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ओन ए पोइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन ·····

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बहस बढ़ेगी।

(१२.५१ म. प.)

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५

(परिनियत संकल्प की प्रस्तुति विधेयक पर विचार विमर्श एवं उसका पारण)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं वह इस प्रकार है:

> "यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६५ (संख्या ४, सन् १९६५) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण हिन्दी में देता हूं ··············

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): संकल्प का अनुवाद हिन्दी में करा दिया जाय।

श्री रामकिशन (वैर): यह हिन्दी कथा है, हिन्दी को बदनाम करने का तरीका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): पाली, प्राकृत तो सदस्य पढ़े नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये में इसका नाम हिन्दी में दे रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग वेलिडेटिंग ऑर्डिनेन्स, १९६५ को जो अगस्त १९६५ में राज्य सरकार ने जारी किया उसको अस्वीकार करने के संबंध में मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : एक जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन काफी बहस चल गई थी; १४ मई है या १४ मार्च है, १४ मार्च प्रिन्टिग एरर है, वास्तव में जजमेन्ट १४ मई को हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मुद्रणालय की कृपा है ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक राज्य सरकार की तरफ से सदन के माननीय सदस्यों को प्रसारित किया गया है उसमें जो उद्देश्य और विवरण दिया गया है उस उद्देश्य और कारण में इस बात का संकेत है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, १९६१ में बना था उसके सम्बन्ध में राजस्थान उच्च-न्यायालय में कुछ रिट पिटीशन्स पेश हुई और १४ मई, १९६५ को राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए उक्त कानून की कुछ धाराओं को अवैध करार दिया है । इस हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाने की दृष्टि से यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत है और वह इस आशय का है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है राज्य सरकार द्वारा उसको अस्वीकार किया जाय उसका कानून बनाने का सवाल नहीं है, इसको अस्वीकार किया जाना चाहिये सदन के द्वारा और इसके कई कारण हैं । अध्यक्ष महोदय, एक तो सदन में हमेशा इस बात के बारे में बड़ा भारी विरोध रहा है कि राज्य सरकार अध्यादेश के जरिये कानून बनाने की परम्परा डालती जा रही है वह गलत है । ऐसा लगता है कि हर मसले पर राज्य सरकार अध्यादेश जारी करती है । जिस समय राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल पर सन् १९६१ में यहां पर बहस हो रही थी और जिस समय इस पर कानूनी बहस हो रही थी उस समय सदन के अनेक विद्वान् माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस कानून की धाराएं अवैध हैं, कानून के प्रतिकूल हैं और इस कानून की धाराएं न्याय संगत नहीं हैं, इस कानून की धाराएं नियमानुकूल नहीं हैं और इस कानून की धाराएं संविधान की भावनाओं के खिलाफ हैं, उस समय हमारे मन्त्री महोदय और खास तौर से नाथूरामजी, उनका एक ही उत्तर होता है, जैसे कानून के ठेकेदार तो आप ही हैं आप ही समझते हैं, हम तो मूर्ख हैं, यह मानों सारी बहस का उनका एक मात्र उत्तर होता है । अध्यक्ष महोदय, जब सरकार का यह रवैया सदन में उठाये गये मुद्दों के विपरीत रहता है और सरकार एक तरफ अलोकतन्त्रीय अनडैमोक्रेटिक एटिट्यूट सदन के सदस्यों द्वारा प्रकट की गई भावनाओं के प्रति रखती है तो नतीजा यह होता है कि जो कानून संविधान के विरुद्ध बनता है, भावनाओं के विरुद्ध बनता है तो कानून के अनुसार काम करने वाले लोगों द्वारा हाई कोर्ट में चैलेन्ज होता है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कानून पंगु होता है, कानून ही पंगु नहीं होता बल्कि सरकार पंगु होती है और यह कहा जाता है कि ऑर्डिनेन्स के जरिये ....

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो माननीय सदस्य ने जजमेन्ट पढ लिया है; कितने ग्राउन्ड को वैलिड माना है और कितने पोइन्ट्स पर इसको हाई कोर्ट ने इनवेलिड माना है। यदि बहस में इस दायरे को सीमित मानें तो अब तो आपको जजमेन्ट की जानकारी हो गई है और काफी बुद्धिमान बन गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह एक पन्ने में फैसला दिया है, लेकिन एक पन्ने में फैसला देने के लिये उनको ३९ पन्ने और भरने पडे हैं। मुझे भी जो चोट करनी है वह एक पन्ने में कर दूंगा, आखिर मुझे भी उसके लिये भूमिका में कुछ कहना पडेगा। आपके ख्याल से एक पन्ने में फैसला है और हाई कोर्ट ने क्या क्या अल्ट्रावायर्स करार दिये हैं वे सेक्शन्स एक पन्ने में कोट किये हैं, लेकिन उसको अल्ट्रावायर्स क्यों करते हैं, उसका क्या आधार है; उसके लिये उन्होंने काफी पन्ने भरे हैं। मेरी बहस भी जुडिशियल होती है, आपकी तरह नोन-जुडिशियल नहीं होती, मैं तो इसलिये जुडिशियल तरीके से ही कार्यवाही करूंगा। मेरी बहस का कानूनी दायरा इतना बडा है कि उस पर आज चलती रहे, कल चलती रहे तो भी कम है। इसका बहुत बडा ताल्लुक राजस्थान की खाद्य समस्या से है, खाद्य की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से है। खाद्य का उत्पादन करने वालों को उचित मूल्य मिल सके, उत्पादकों का किसी प्रकार से शोषण नहीं हो सके, बिचोलियों के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया तो उस आधार पर वह कदम कितना सफल हुआ है, कितना सफल हो रहा है उसका जब तक विवेचन और विश्लेषण नहीं किया जायगा तब तक सदन कैसे राजी हो सकता है इस अध्यादेश को पास करने के लिये ? इसको पास करने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, आप व्हिप इश्यू कर दो और लोगों को मजबूर कर दो कि इसके पक्ष में उनको मत देना पडेगा, यह अलग बात है। लेकिन जब तक लोगों को कॉंस्टीट्यूशनल आधार पर कन्विन्स करने की कोशिश नहीं करोगे, अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वे आपके पक्ष में नहीं होंगे; चाहे उधर बैठने वाले हों, चाहे इधर बैठने वाले हों। जब तक माननीय सदस्य इससे कन्विन्स नहीं हो जायेंगे तब तक मैं समझता हूं इसका कानून बनने पर वही हाल होने वाला है जो अमूमन होता है। पिछली बार राजस्थान पैसेन्जर्स एन्ड गुड्स वेलिडेटिंग एक्ट के बारे में कहा था, लोगों ने मांग की थी कि यह अवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने वोट के बूते पर बात नहीं सुनी और नतीजा यह हुआ कि कानून पास कर दिया संविधान की धारा के खिलाफ; प्रेसीडेन्ट की इजाजत लेनी जरूरी थी; लेकिन उसके लिये भी इन्कार कर दिया। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी सदस्यों ने मांग की थी कि यह कानून के और विधान के खिलाफ है, इस पर गंभीरता से विचार करें, आज नहीं तो कल करें लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह हाई कोर्ट में चैलेन्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह अनकॉंस्टिट्यूशनल है; विधान सभा को अधिकार नहीं था, फिर भी पास कर दिया। आपके साथ साथ बेइज्जती इस विधान सभा

Page No 52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की भी होती है। इसलिए जब कभी सदन में कोई कानून पेश होता है तो सदन के जागरूक सदस्यों का, जो यहां पर बैठे हुए हैं, यह परम कर्तव्य होता है कि राज्य सरकार का ध्यान उन बातों की तरफ दिलायें और यह विचार करें कि आखिर यह परिस्थिति पैदा क्यों होती है ? यह परिस्थिति पैदा क्यों होनी चाहिए ? क्यों अध्यादेश के आधार पर राजस्थान सरकार राज्य को चलाना चाहती है ? राजस्थान के जन-जीवन और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाना चाहते हैं वह कानून आप पंगु क्यों बनायें ? क्या कारण है कि कानून में गलतियां रखी जायं ? क्यों कानून में खामियां रहें ?

(१.०० म० प०)

इस कानून का जहां तक सवाल है अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सदन ने जो कानून पास किया था उस कानून में इतनी गलतियां नहीं थीं। हाई कोर्ट ने संवैधानिक दृष्टि से जिन प्रावधानों को गलत करार दिया है, उसमें गलतियां न रहने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की थी ? किन अधिकारियों के कारण गलतियां रहीं ? और क्या आपने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की ? उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस कानून के अन्तर्गत जो मार्केट कमेटीज बनने वाली थीं, उनको कुछ बॉइ लॉज बनाने थे और उन बाइ लॉज के लिए प्रायर पर्मिशन आपके डाइरेक्टर से लेनी चाहिए थी, कानून के अनुसार उसको प्रायर पर्मिशन लेनी चाहिए थी। इस विधान सभा ने जो कानून पास किया था उसके अन्दर प्रावधान था कि मार्केट कमेटीज को बाइ-लॉज के लिये प्रायर पर्मिशन डायरेक्टर से लेनी पडेगी। उस कानून के आधार पर मार्केट कमेटीज का निर्माण हुआ, मंडी कमेटीज का निर्माण हुआ, उन्होंने बाइ लॉज बनाये, लेकिन डाइरेक्टर से प्रायर कॉनकरेन्स उन बाइ लॉज के लिए नहीं ली और उन बाइ लॉज के आधार पर लोगों को लाइसेन्स दे दिये गये। लोगों ने लाइसेन्स के लिए जो एप्लीकेशन्स दीं, उनको रिजेक्ट कर दिया। कुछ लाइसेन्सेज को सस्पेन्ड कर दिया, लोगों पर फाइन कर दिया, लोगों पर जुर्माना कर दिया, लोगों को व्यापार करने से महरूम कर दिया। तो उन मार्केट कमेटीज ने गलतियां कीं और गलत बाइ लॉज के आधार पर, प्रायर पर्मिशन और प्रायर कॉन्करेन्स लिये बिना बनाये गये बाइ लॉज के आधार पर कीं और आप उन मार्केटिंग कमेटीज से राजस्थान के व्यापार का नियंत्रण कराना चाहते हैं। आप उनसे यह काम कराना चाहते हैं जिनको यह शऊर नहीं है कि वह बाइ लॉज के लिए प्रायर कॉन्करेन्स डाइरेक्टर से ले सकें। बाइ लॉज को किस प्रकार पास कराना चाहिए जिनमें इस बात का ज्ञान नहीं है, उनके आधार पर आप सोचते हैं कि राजस्थान के प्रोड्यूसर्स के प्रोड्यूज की अच्छी कीमत बिचौलियों से बचा कर आप दिला सकेंगे--और वह भी इस प्रकार की मार्केट कमेटीज के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि सदन इस पर अच्छी तरह से विचार करे कि जो बेसिक बात है, जो इसी-शियल बात है, जो प्रारम्भिक बात है कि

Page No 53

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाइ लॉज किस प्रकार से बनाने चाहिए-- इसको न जानने वाली मार्केट कमेटीज कैसे यह काम कर सकती हैं ? जो नगरपालिका का अध्यक्ष यह नहीं जानता है कि बाइ-लॉज किस प्रकार बनते हैं, जो नगरपालिका का अध्यक्ष यह नहीं जानता है कि मीटिंग किस प्रकार से बुलाई जाती है, मीटिंग किस प्रकार कन्वीन की जाती है, कुर्सी पर कैसे बैठा जाता है, कैसे क्वेश्चन्स के जवाब दिये जाते हैं, किस प्रकार स्थगन-प्रस्तावों को डील किया जाता है--तो वह अध्यक्ष किस प्रकार से उस नगरपालिका का प्रशासन चला सकता है। इसी प्रकार जिन मार्केट कमेटियों का आपने निर्माण किया है उन मार्केट कमेटियों ने, मैं समझता हूं, इस प्रकार के बाइ-लॉज डाइरेक्टर के बिना कॉन्करेन्स लिये लागू कर दिये और जब लागू कर दिये तो उसके तहत उन्होंने लाइसेन्स दे दिये, लोगों के लाइसेन्स सस्पेन्ड कर दिये, लोगों से सेस वसूल कर लिया, लोगों से फीस वसूल कर ली। मैं कहना चाहता हूं कि अब राज्य सरकार यह कहती है कि मार्केट कमेटियों में इस प्रकार की अयोग्यता थी, इस बात की उनको योग्यता नहीं थी कि बाइ-लॉज कैसे बनाये जाते हैं और इस कारण जो उन्होंने भयंकर भूल करदी है उसको अब सदन के द्वारा वेलीडेट कर दिया जाय, एक तरह से उनकी गलत कार्यवाही पर विधान सभा का अंगूठा लगवाना चाहती है। जो मार्केट कमेटीज अज्ञानी हैं और अज्ञानी होने के कारण जिन्होंने गलतियां कीं, उनको कोई सजा नहीं दी, उन पर कोई जुर्माना नहीं किया, उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया और इस प्रकार की अज्ञानी मार्केट कमेटीज वहीं की वहीं रहीं और जिन मार्केट कमेटीज को न कानून का ज्ञान है, न कानून की जानकारी है, न बाइ-लॉज बनाने का शऊर है उनकी गलत कार्यवाहियों पर, उन बेशऊर मार्केट कमेटीज की कार्यवाहियों पर यह विधान सभा अंगूठा लगा दे ! मैं चाहता हूं कि सदन इस पर अच्छी तरह से विचार करे, और इसके सम्बन्ध में सरकार सदन को आश्वासन दे, इस सम्बन्ध में सरकार सदन को कॉन्फीडेंस में ले कि इतनी भारी गलती हुई, वह कैसे हुई ? कानून की तो डाइरेक्टली यह मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है जिसने गलत बाइ-लॉज बनाये और उन बाइ-लॉज के अनुसार, उन गैर कानूनी बाइ-लॉज के आधार पर फीस वसूल कर ली, सैस वसूल कर लिया और गलत कार्यवाहियां कर दीं और उसके बाद सरकार इस सदन से चाहे कि उन गलतियों को सदन वेलीडेट कर दे, अब उनकी गलतियों को माफ कर दिया जाये। मैं समझता हूं, यह कोई तरीका नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों से गलत फीस वसूल कर ली, लोगों से गलत तरीके से सैस वसूल कर लिया और लोगों से हजारों रुपया इस तरह से वसूल करलिया, और अब कहते हैं कि उस सबको वेलीडेट कर दिया जाय, यह मान लें कि जो हो गया वह हो गया--यह कौनसा तरीका है ? इस सरकार के एक ओर लाखों रुपये लोगों के पास रह जायं और सरकार उसको वसूल नहीं कर सके, इस सरकार का करोड़ों रुपया लोगों के पास बकाया रह जाय, उसको आप वसूल नहीं कर सकें और दूसरी तरफ आपकी ऑथेरिटीज लोगों से हजारों-लाखों रुपया गलत तरीके से वसूल कर लें, बेगुनाह लोगों से कानून के खिलाफ हजारों लाखों रुपया वसूल कर लिया जाय तो आप कहते हैं कि उसको हम वापिस नहीं देना चाहते

(श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल)

हैं । यह कौनसी साहूकारी है आपकी ? यह सरकार साहूकार नहीं है । उधर आप अपना दिया हुआ पैसा लोगों से वसूल नहीं कर सकते और इधर लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसा आप वापिस नहीं करना चाहते-- यह कौनसा कानूनी तरीका है । मैं कहना चाहता हूं कि जो गलत तरीके से पैसा वसूल किया है उसके लिए सरकार को एक ऑनेस्ट डीलर की तरह कहना चाहिए; अरे ! यह गलत वसूल कर लिया है इसलिए जो भी लोगों को वापिस देना या लोगों से लेना है वह सरकार वापिस करेगी या लेगी । जो भी पैसा कानून के खिलाफ लोगों से ले लिया है, उसको सरकार वापिस करेगी ।

कानून के पालन के संबंध में हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमेरिका जाकर, पश्चिमी शहरों में जाकर कहते हैं--रूल ऑफ लॉ होना चाहिये और इस हिन्दुस्तान की हर नीति का आधार है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिये । लेकिन यह रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल है । राजस्थान में जंगल का कानून चल रहा है; जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं कि कानून का राज्य होना चाहिये वहां राजस्थान की सरकार कहती है कि कानून का राज्य नहीं होना चाहिए, कानून तोडने वालों का राज्य होना चाहिये । राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर लैण्ड पर बिना इजाजत के सिनेमा हॉल बन जाय तो राजस्थान सरकार कहती है कि हम उसका कन्वर्शन कर देंगे । यदि कोई रेजिडेंशियल पर्पज के लिये दी गई लैण्ड पर इन्डंस्ट्री सेट-अप कर दे तो सरकार कहती है कि हम रेगुलेराइज कर देंगे और कोई इन्डंस्ट्रियल लैण्ड के ऊपर मकान बना ले तो सरकार कहती है कि हम उसको रेगुलराइज कर देंगे । और फिर आप उदाहरण पूछते हैं । उदाहरण इस सदन के सामने आये हैं लेकिन सरकार ने जैसे कानून बन्द कर लिये हैं और वे मामले खटाई में पडे रहे हैं । मानिकचन्द सुराणा और इस सदन के दूसरे सदस्यों ने ऐसे मामले उठाये हैं और उनके बारे में दलीलें इस सदन में दी हैं । मैंने एक उदाहरण इस सदन में दिया कि रेजीडेंशियल पर्पज के लिए एक लैण्ड दी गई स्टेशन रोड के ऊपर, और जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिये दी हुई थी उस पर होटल बना दिया गया । जो छः लाख की जमीन थी उसको पच्चीस हजार के अन्दर इसलिये दिया गया कि वहां पर रेजिडेंशिअल हाउस बनाया जायगा । यदि उस जमीन का ऑक्शन किया जाता तो उस जमीन का १०० रुपये गज के हिसाब से पैसा मिलता, लेकिन उसको इस आधार पर दिया गया कि वहां पर रहने के लिये मकान बनाये जायेंगे, लेकिन वे नहीं बनाये गये और एक तिमंजिला होटल बना दिया गया, वह होटल अभी भी खडा है, उसकी इजाजत नहीं दी गई थी । म्युनिसिपलिटी के सामने जब यह मामला आया और कलैक्टर के पास जब यह मामला गया कि इस आदमी ने बिना इजाजत के यह होटल बना लिया है तो सरकार साहब कहते हैं कि जिस आदमी ने यह होटल बनाया है, जिसके खिलाफ यह केस है वह मर गया है और क्योंकि वह मर गया है इसलिये उस मुकदमें को दाखिल दफ्तर कर दिया गया । उसके बाद में जब म्युनिसिपैलिटी ने नोटिस निकाला कि इस होटल को तोडा जायगा तो जो आदमी मर गया था और जिसके मरने के कारण मुकदमा दाखिल दफ्तर हो गया था, वह हाजिर हो गया कि मेरा होटल क्यों

(श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल)

तोडा जायगा । आप अन्दाज लगाइये, जब वह मामला आता है और उसको सजा देने की, उस पर जुर्माना करने की बात होती है उस पर वह आदमी मर गया और जब उसको तोडने की बात आती है तो वह आदमी जिन्दा हो जाता है ! यह सब इसी राज्य में हो सकता है · · · · · ·

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं, अध्यक्ष महोदय, फिर आपसे निवेदन करूंगा कि अगर बहस में कुछ रिलेवेन्सी रहे तो बहुत अच्छा हो । माननीय सदस्य काबिल आदमी हैं, उन्होंने यदि रिलेवेन्सी का ख्याल नहीं रखा तो सदन की बहस दायरे में नहीं रहेगी और मेरे ख्याल से इसकी कुछ लिमिट नहीं होगी । इसलिये मैं पुन: निवेदन करूंगा और आपकी मार्फत उनसे क्योंकि वे विद्वान् सदस्य हैं, नहीं तो मैं नहीं करता ।

श्री **सतोशचन्द्र अग्रवाल** : मैं निवेदन कर दूं एक-दो उदाहरण देकर कि यह राज्य सरकार का रवैया कानून की आड लेकर चलने का है-यह गलत है । हम कानून पास करते हैं, उसमें इस सदन का समय जाया करते हैं, इतना समय जो हम लगाते हैं, जो एनर्जी लगाते हैं-उसका सही तरीके से आप उपयोग नही कर पाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि मार्केट कमेटी ने कानून का पालन सही रूप में क्यों नहीं किया ? और जिन्होंने नहीं किया · · · · · · · · ·

श्री नाथूराम मिर्धा : समझ गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समझ गये तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब मैं दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास कोई जवाब नहीं है । आप जवाब जो देते हैं उससे संतोष होने का सवाल पैदा नहीं होता है । मैं कहना चाहता हूं, आप श्रीमान् जी, ऑर्डिनेन्स जारी करने की प्रवृति को बढावा देना चाहते हैं । मैं केवल नाथूरामजी से बात नहीं करता, मैं सरकार से बात कर रहा हूं । आप यह मत समझिये कि आप ही सारी सरकार हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप ऑर्डिनेन्स को जारी करना चाहते हैं और इस प्रकार से एक परम्परा कायम करना चाहते हैं । आप कहेंगे कि १४ जनवरी को फैसला हो गया था हाई कोर्ट का । इस संबंध में जो रिट हुई थी उसके बाद यह मालूम हुआ था । मैं कहना चाहता हूं कि सदन के सामने यह एक बार नहीं, कई बार बात आई थी कि कानून पास हो गया है लेकिन इस कानून में दिक्कतें आने वाली हैं । मैं नहीं समझता कि जो आपने मार्केट कमेटी बनाई है, उन्होंने प्रोड्यूस को रेगुलेट करना शुरू कर दिया है । आपने कमेटी कॉन्स्टीट्यूट की, उनको जो बाइ-लॉज बनाने चाहिये थे वे उन्होंने गलत बना दिये । उनको पहले कॉन्करेन्स लेनी चाहिए थी, उनका सब काम आप कानून के आधार पर होने दीजिये । मैं समझता हूं, इससे कोई आसमान गिरने वाला नहीं है, इससे कोई जमीन फटने वाली नहीं है अगर आपने यह अमेंडमेंट नहीं किया तो । आप यह भी कह सकते हैं कि यदि इस संशोधन को पास कर दिया तो न आसमान गिरने वाला है और न जमीन फटने वाली है । लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो गलत परम्परायें डाल रहे हैं उनको बढ़ावा नहीं

(सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दें। राजस्थान में जो काम करने वाली संस्थायें हैं वे समझती हैं कि कोई भी गलत काम कर दिया तो राज्य सरकार बैठी हुई है वह उसको वेलीडेट करा लेगी, उस पर राजस्थान की विधान सभा की मोहर लगवा लेगी। आप इस सदन को यह जानकारी दें कि राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट १९६१ है, जिसे सदन ने जिस वक्त पारित किया, तब से लेकर आज तक आपने कानून को कब लागू किया। लागू करने के बाद आपने कितनी मार्केटिंग कमेटीज का कन्स्ट्रक्शन किया और उससे कितने उपभोक्ताओं को लाभ हुआ जिससे लोगों को सारे अनाज की कीमत मिल जावे और उसका फूड प्रोब्लम पर कितना असर पड़ा ? आपकी फूड प्रोब्लम सोल्व कितनी हुई ? कन्ज्यूमर को और प्रोड्यूसर को व ट्रेडर को इससे क्या राहत मिली है ? इन सारी चीजों को आपने कहां पर ईज करने के लिये कानून के द्वारा व्यवस्था की है। सारी फूड प्रोब्लम को आपने आज ईज करने की व्यवस्था की।

अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ कुछ वस्तुओं को कृषि उपज में सम्मिलित किया है. मेरे पास ओरिजिनल एक्ट नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ओरिजिनल एक्ट की कॉपी श्री सतीशचन्द्र को देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें एक शिड्यूल दिया हुआ है। इसमें इन इन आइटम्स के बारे में राज्य सरकार रेगुलेट करेगी :

अनुसूची

(१) तन्तु : रूई (ओटी हुई और बिना ओटी हुई)।

(२) धान्य : गेहूं, मक्का तथा बाजरा।

(३) मूंग, उड़द, अरहर आदि।

(४) तिलहन में तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी तथा विनोला।

(५) गुड, चीनी और फलों में माल्टे, संतरे, पपीया। नहीं पपीता, अमरूद, आम, खरबूजे आदि।

तरकारियां भी दी हैं; जिसमें आलू, प्याज, टमाटर तथा लोकी आदि। फलों में आपने अंगूर नहीं लिखे हैं। जिसकी खेती आप करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें पपिया आ गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पशुपालन उत्पादन में अण्डा, कुक्कुट, पशु (गाय तथा भैंस, बछडे) भेड, बकरी, ऊन, बाल, खाल मिल्क, बटर वगैरह।

आपने आगे फिश पर जोर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने फिश मार्केट को रेगुलेट करने के लिये क्या कुछ बनाये हैं। कानून को बनाने के बाद और बनाने के बाद श्री नाथूरामजी साहब, मैं यह कहूंगा कि आप ही कोई सारी सरकार नहीं हैं। आपने मार्केटिंग कमेटीज बना दी और नियम आदि बनाने के बाद भी और सरकारी आदेश जारी करने के बाद भी उनका पालन नहीं होता है और आपके हुक्म और फरमान चलने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो आपके सारे कानून बेकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं। फिर तो यह लिख दीजिये कि ये सारे कानून बेकार हैं। आप इसमें एक धारा जोड़ दीजिये कि आपके वर्ड्स ही कानून होंगे। श्री नाथूरामजी साहब आप लिख दीजिये :

"Word of Nathuramji is the law of the land."

अगर आप यह नहीं बनाते हैं तो मैं सदन के सामने आपसे पूछता हूं। अध्यक्ष महोदय, नाथूरामजी साहब कई बार एग्जेम्पल्स की मांग करते हैं। मैं उनको एग्जेम्पल दूंगा। फिश के मामले और आपके डिपार्टमेंट के मामले हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि आपका यह मामला फिशी-फिशी है। आप बताइये कि वस्तु-स्थिति क्या है ? मैं उदाहरण दूंगा तो आप बीच बीच में उठ कर कहेंगे। मैं यह कहूंगा कि आपके यहां ३० जून ६६ तक के लिये फिशरीज का ठेका हुआ। ३१–९–६५ को। यह मामला सारा फिशी-फिशी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर इन चीजों को इसके साथ में नहीं जोड़ा जावे तो ज्यादा अच्छा हो। आप फिश के ठेके के बारे में कहते हैं कि फिशी-फिशी है तो हम और आप बात-चीत कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मैंने पहले ही कह दिया कि यह सारा मामला फिशी-फिशी है। दाल में जरूर कहीं काला है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह कोई प्राइवेट मामला नहीं है जो आप और हम बात कर लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह कहूंगा कि जिस बिल पर बहस हो रही है उसकी रिलेवेन्सी तो रखी जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी बात ठीक है। यह तो आपको मूर्ख बताते हैं और आप इनको पंडित कहते जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये मैं कहता हूं कि आपके हाथ में जो पॉवर्स दिये, उनको आप कैसे रेगुलेट करते हैं, आपको अधिकार दिये थे, उनका आप कैसा भयंकर दुरुपयोग करते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कोई प्राइवेट मैटर नहीं है। जो बिल का दायरा है उस पर आप बहस करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह कब कहता हूं कि यह आपका पर्सनल मामला है या आप इसमें पैसे खा गये, नाथूरामजी साहब ! मैं जो एग्जेम्पल दे रहा हूं......

श्री नाथूराम मिर्धा : आप हर एक चीज को उदाहरण के तौर पर बहस से नहीं रख सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। यह कि २१–९–६५ को आपका ऑर्डर निकला। अलग अलग डेट्स दी गई कि फिशरीज का ठेका हो रहा है। ठेका ऑक्शन के बाद हो गया और उसकी लिस्ट निकाली; पैसा जमा हो गया और फिर मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने ठेका ऑक्शन किया और ठेका दे दिया

Page No 58

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
गया और पैसा जमा हो गया उसके बाद क्या होता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक काली खोह का बांध है वहां का फिशरीज का ठेका ३५ हजार ५०० में ऑक्शन हुआ और दूसरा गम्भीरी डैम जिसका ठेका ४० हजार में हुआ और मोरेल डेम का ठेका ५४ हजार में हुआ। ये ऑक्शन हो गये और ऑक्शन होने के बाद १।४ हिस्सा यानी ९ हजार और कुछ रुपया जमा करा दिया। यह सब हो जाने के बाद श्रीमान् नाथूरामजी साहब, आदेश जारी हुआ, उसमें यह लिखा है :

"The Director of Agriculture,

With reference to your D.O. letter, I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of fish contracts in respect of waters detailed below........"

इसमें जो ऑक्शन ३५ हजार ५०० में हुआ था उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपने ७,४०० में दे दिया और जो ४० हजार में ऑक्शन हुआ था उसको आपने १७ हजार और कुछ रुपयों में दिया। मोरेल डेम का फिशरीज का ठेका जो ५४ हजार में ऑक्शन हुआ था उसको आपने २५ हजार १७ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसकी ठेके की बोली ३५ हजार और ५०० लगी थी और चौथाई रकम जमा करा दी गई थी उसको आपने ७ हजार में दे दिया, यह कौनसा न्याय है ? आप जरा बतावें कि किस कारण से आपने उसको ७ हजार में दिया ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको समझा दूंगा सारी बात। मगर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह बहस जो यहां हो रही है यह इस बिल से रिलेवेन्ट नहीं है। इसलिये इसको अलग से उठाना हो तो उठावें तो मैं बहुत अच्छी तरह से बहस का उत्तर सारे फेक्ट्स और फिगर्स पर दे सकता हूं। मगर इस वक्त यह बहस हो रही है वह इस बिल से रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी तीन बार यह कह चुके हैं कि यह बहस जो हो रही है वह बिल से रिलेवेन्ट नहीं है। इसके बावजूद भी चेअर से कोई ऑब्जर्वेशन्स नहीं हैं और इस सम्बन्ध में चेअर शान्त है। जब चेयर शान्त है तो मैं समझता हूं कि यह बहस रिलेवेन्ट हो रही है। अगर यह रिलेवेन्ट नहीं होती तो चेअर का काम है और चेअर की तरफ से ऑब्जर्वेशन होते। इसलिये तीन बार आपने कहा है कि यह रिलेवेन्ट नहीं है, मैं समझता हूं कि यह रिलेवेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री का यह कहना है कि आज जो बहस चल रही है इससे यह सम्बन्धित नहीं है और न माननीय मंत्री इसका उत्तर दे सकेंगे। मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री के इतना कहने से माननीय सदस्य समझ गये होंगे। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका उत्तर मिले तो उनको उस ढंग से कहना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, अब तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप उत्तर देंगे तो हम भी ऐतराज उठावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी कहा कि उत्तर नहीं देंगे। अब कह रहे हैं कि उत्तर दूंगा।

Page No 59

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह कहा कि आप बहुत इर्रिलेवेन्ट बातें कर रहे हैं। इसका मार्केटिंग से क्या सम्बन्ध है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मार्केटिंग कमेटीज बनाने जा रहे हैं। आपने फिशरीज में फिशी फिशी की, इस तरह से उसमें न करें। यह रिलेवेन्सी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको निवेदन करता हूं..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपके निवेदन को अस्वीकार करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि आप जब इसका उत्तर दें तो इन बातों का जवाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा उत्तर दूंगा कि आपकी समझ में आ जाएगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन आपके निवेदन को मैं स्वीकार करूं तब न, मैंने आपके निवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : चैअर ने स्वीकार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, न अस्वीकार किया है; "मौनं अर्द्ध सम्मति"। यह सारे कागजात हैं, ले लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे कागजात मेरे पास हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर कितने में सौदा तय किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सौदा करके ही भाषण कर रहे हैं। आपने सौदे करना ही सीखा है जिंदगी में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खैर छोडिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का यह एटीट्यूड है, एक मिनिट में कुछ और एक मिनिट में कुछ, यह सारा बंगलिंग है, यह सारे राजस्थान के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बंगलिंग, राजस्थान की फूड पॉलिसी में बंगलिंग, एनीमल हस्बेन्डरी में बंगलिंग, डेअरी फार्म में बंगलिंग।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो उम्र में बंगलिंग ही करते रहे हैं, उनको बंगलिंग ही नजर आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेअरी फार्म में बंगलिंग, राजस्थान इसी वजह से पिछड़ा रहा। अगर पूछा जाय कि इस सब के लिये जिम्मेदार कौन है, तो वह हैं श्री नाथूराम मिर्धा........

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे बंगलर्स का ठेकेदार कोई है तो वह सतीशचन्द्र अग्रवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे हाथ में तो नहीं है एन. ओ. सी. देना। अपने मर्जीदानों को ११ तारीख को एन. ओ. सी. दिये गये, ११ तारीख के बाद भी अपने मर्जीदानों को एन. ओ. सी. दिये गये। अपनी मर्जी में आया उसको दिया; ८ व्यापारियों को नहीं दिया इसका क्या जवाब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कल दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल तक तो रहेंगे तब देंगे न ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तुम चाहो उसको एन. ओ. सी. दे दें तब तो ठीक, नहीं तो बंगलिंग ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिसने ११ तारीख को दर्ज किया वह सस्पेन्ड नहीं किया और जिसने १२ तारीख को दर्ज किया वह सस्पेन्ड.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी एक नहीं अनेकों घटनायें हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कोयले के हाथ लगायेगा उसका हाथ काला होगा दोस्त ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ट्रेडर के कोयले के हाथ लगाया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि सारे बेईमानों की ठेकेदारी ले रखी है आपने

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून की बात यहां रख नहीं सकते, क्योंकि इनका जुडिशियल एप्रोच नहीं है, लट्ठ की तरह बात रखते हैं ......

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून के मास्टरजी, औरों को भी समझें कि वे कानून जानते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून के अनुसार मेरे शिष्यजी आपको मैं समझता हूं । आपने फूड लाइसेंसिंग के बारे में सदन में पहले भाषण दिया था तो आपने कहा था कि हम मार्केटिंग सोसायटीज बनायेंगे, अनाज का हम व्यापार करेंगे । सारे राजस्थान की फूड प्रोब्लम को सोल्व करने की घोषणा की थी । आप तो मीडियेटरीज को खत्म करने वाले थे, उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज दिलाने वाले थे, अनाज खरीदने वाले थे, १९६१ का पास किया हुआ कानून और आज १९६५ हो गया है, क्यों नहीं लागू किया इसको आज तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको पता नहीं है, १०० मार्केटिंग सोसाइटीज रेगुलेट हो चुकी हैं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में हजारों मार्केट हैं, ...

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपको गिनती मालूम नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझको मालूम है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको कुछ भी मालूम नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ४० की लिस्ट दी है ......

श्री नाथूराम मिर्धा : यह क्रिया तो रात-दिन चलती, मुझे ४० की १०० करने में कोई देरी नहीं लगती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे लिस्ट दी थी उसमें चालीस हैं, अब आपने ४० का १०० कर दिया । मैं तो चार्ज लगाता हूं कि कानून पास करते हैं उसको जल्दी लागू क्यों नहीं करते, राजस्थान में फूड प्रोब्लेम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को क्यों नहीं सुधारते ? अगर कानून की जानकारी हो तो कानून से जवाब दें। ११ तारीख के मसले पर ही मैं कानून की बात कहता हूं, एन. ओ. सी. के बारे में गजट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। भले ही बैक डेट में ही छाप दो, जैसा कि हमेशा करते हो, पर महरबानी करके गजट नोटिफिकेशन निकलवा दो, नहीं तो इन लोगों के लिये चैलेंज का कारण होगा। इसलिये मैं राजस्थान के इन्ट्रेस्ट में कहता हूं। भगवान के नाम पर राजस्थान सरकार को और राजस्थान विधान सभा को दुनिया में इस प्रकार के अपमान का भाजन मत बनाओ। किसी को ११ तारीख से दे दिया एन. ओ. सी., किसी को ११ के बाद एन. ओ. सी. दी जा रही है, मर्जीदानों को एन. ओ. सी. दी जा रही है, जो खिलाफ हैं उनको नहीं दी जा रही हैं। आप यह सारी बातें करते हैं पर गजट नोटिफिकेशन तो निकलवा दो, कानून के अनुसार चलो, गैर कानूनी ढंग से मत चलो। गजट नोटिफिकेशन जरूर निकलवा दो। मैं आपके भाषण का एक अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, आपने कहा था :

"१३२ मंडियों में सरकार स्वयं किसानों का अनाज खरीदना चाहेगी।"

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी मंडियों में अनाज किसानों से खरीदा ? डेढ साल पहले यह घोषणा की थी, आज तक कितना अनाज खरीदा ? आपने घोषणा की थी, फूड ग्रेन्स एजेंसी दी जायगी; एक रुपया, दो रुपया फी बोरी पर मुनाफा के हिसाब से। बूंदी की एग्जाम्पल देकर ४ रुपया बोरी के मुनाफे को ब्लैक मार्केटिंग बताया था.........

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, बहस को इसके दायरे में रखा जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : खाद्यान्नों की बहस में ये मामले रख दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने घोषणा करने के बावजूद भी खाद्यान्न क्यों नहीं खरीदे, मार्केटिंग सोसायटियां क्यों नहीं बनाई, मिडल मैन को क्यों अनाज खरीदने को अलाऊ किया, कन्ज्यूमर्स को क्यों नहीं ये सुविधायें दीं, कन्ज्यूमर को क्यों लोस पहुंचाया, ये चार्ज हैं मेरे। मैं मंत्री महोदय के उद्घोषों के कुछ अंश यहां रखना चाहता था, आपने कहा था कि इतनी मंडियों में से अनाज खरीदेंगे, कितनी मंडियों में कितना अनाज खरीदा ? राजस्थान में कितने लोगों से अनाज पकड़ा, कुल १८०० क्विन्टल पकड़ा है, जिनमें से ८०० बोरी तो केवल अजमेर में पकड़ी। तो या तो यों कहिये कि राजस्थान में अनाज नहीं या यों कहिये कि किसान अनाज नहीं देना चाहते। किसान अनाज क्यों नहीं देना चाहते, अगर आप कहते हैं कि उनको वाजिब दाम नहीं मिलते इसलिये किसान अनाज नहीं देते तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या करती है, तुम क्या करते हो ? तुम्हारी मार्केटिंग कमेटी किसानों में यह भावना पैदा नहीं कर सकी, ऐसी सूरत में यह मार्केटिंग कमेटी ढकोसला है। सरकार आंकड़े दे कि मार्केटिंग कमेटीज में कितना पर्चेजिंग किया है ? अगर नहीं किया तो काहे के लिये हैं मार्केटिंग कमेटी, जब कि अनाज पैदा करने वाला किसान मार्केटिंग में अनाज नहीं लाया। कितना प्राइसेज को आपने रेगुलेट किया है ? रेडियो पर ८॥ बजे रोज सुनते हैं बाजार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भाव, जौ का भाव ७०, ६८, ७२ और यही हाल चला तो ७५ हो जायगा। आज देशी गेहूं कहीं नहीं है; जयपुर के बाजार में देशी गेहूं का दाना नहीं; जौ, चना नहीं है। गेहूं का भाव ६५ और जौ मिले ७५ और फिर आप कहें कि मैं हूं फूड मिनिस्टर।

मैंने अंग्रेजी का अखबार पढा, बाहर का कोरेस्पोन्डेन्ट आया और कहा कि राजस्थान में फूड प्रोब्लम बडी विचित्र है। मैंने सारे कारण ढूंढने की कोशिश की तो कुछ भी पता नहीं चला। आखिर मैंने फूड मिनिस्टर से इन्टरव्यू लिया, उनसे बात की तो पता चला कि राजस्थान की फूड क्राइसिस का कारण केवल एटीट्यूड ऑफ फूड मिनिस्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह तो उसका एप्रेसियेशन है।

यह कानून पास होगा क्योंकि आपके पास वोटों की मेजोरिटी है। पर सदन में भावनाएं प्रकट की जाती हैं ऑर्डिनेन्सेज के बारे में, कानूनों के बारे में, गैरकानूनी कार्यवाहियों के बारे में, गलत तरीके से आपने लाइसेंस वेलिडेट कर दिये, आपने कानून पास किया पर कानून ने क्या किया, कुछ नहीं किया। अब तो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज बनायेंगे। तो आपने क्यों नहीं बनाई? आज तक कहीं अनाज नहीं मिलता। जहां प्रोड्यूसर्स माल नहीं लाते तो क्यों नहीं सरकार ने उसका रेग्यूलेशन किया? आप भारत सरकार की नीति को ईमानदारी से लागू करें। मार्केटिंग लॉ गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन फूड ग्रेन्स को उन्होंने छोड दिया है क्योंकि वे जानते हैं कि वे रेग्यूलेट नहीं कर सकते। तो सरकार राशनल ढंग से इस पर विचार करे कि कौनसी चीजों को रेग्युलेट करना है। आपने तो मछली से लेकर गेहूं तक ले लिया, जीरा भी आ गया, धनिया भी आ गया, मिर्ची भी आ गई। अजमेर जाते समय रास्ते में किशनगढ आता है। वहां कोई २०० रुपए की मिर्ची भी खरीदता है तो उसको ६० रु० का लाइसेन्स लेना पड़गा। मैंने जौहरी बाजार में गाडियों की गाडियां खुलवाकर डाइरेक्ट कन्ज्यूमर्स को बिकवा दीं लेकिन मार्केटिंग यार्ड में कोई कन्ज्यूमर नहीं जा सकता बिना लाइसेन्स के। आप इन सारी चीजों को स्टडी करके मार्केटिंग सोसाइटीज के फंक्शन्स को देखें। आप नई मार्केटिंग सोसाइटीज बनाएंगे तो चांदपोल में नहीं, रामगंज में नहीं, जौहरी बाजार में नहीं, बल्कि चार मील और जाकर कमेटीज बनाएंगे। नये मार्केट बनेंगे, नए दूकान बनेंगे, नए मकान बनेंगे, लोग जाकर वहां बसेंगे गांव का किसान आयेगा, ये सारी परेशानियां जो आने वाली हैं इस कानून के जरिए, इन पर विचार किया जाय।

अभी तक सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया इन सारी बातों पर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उनका आप जवाब दें, अगर नहीं जवाब दिया तो मैं विचार करूंगा कि जो संकल्प मैंने इस सदन के सामने रखा है उसको वापस ले लिया जाय या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सदस्य ने संकल्प रखा कि इस अध्यादेश को जारी करना गलत था और इस कानून को भी सदन में विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बहस की। मैं उनकी बहस को दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। एक तो जो वास्तव में इस मुद्दे से रिलेवेंट बहस थी और दूसरा जो इन मुद्दों से परे थी। मैं दोनों मुद्दों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी लंबी-चौडी बहस की। जब कभी आम तौर से कोई ऑर्डिनेन्स आता है तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि सरकार की कुछ परम्पराएं बन गई हैं अध्यादेश बनाने की, इस वजह से न परम्पराओं को तोडना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा संकल्प रखा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिलेवेंट बहस थी वह तो थोडा हिस्सा था। १९६३ में इस सदन में मार्केटिंग रेग्यूलेशन्स का कानून बनाया। उसकी धाराओं के खिलाफ राजस्थान के करीब १२ व्यापारियों ने हाई कोर्ट में रिट देकर चैलेंज किया। ९ व्यापारी गंगानगर जिले के रायसिंहनगर मंडी के थे और २ व्यापारी पाली के। ९ का एक साथ फैसला हुआ और ३ का अभी तक नहीं हुआ। ९ रिट्स को एक जजमेंट से डिस्पोज ऑफ किया गया जो ४० पेज का है। उसमें सारी कानूनी धाराओं को बहुत माइन्यूटली हाई कोर्ट ने चैप्टरवाइज देखा है।

व्यापारियों की तरफ से करीब ९ मुद्दे थे और वे चाहें तो मैं बताऊं, लेकिन लम्बी बहस हो जायगी। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा था वह था कि इस कानून को पास करना गलत है और इस कानून के जरिये हमारी जो वैधानिक स्वतंत्रता है व्यापार करने की तो इस कानून के जरिए जो रेग्यूलेशन किया जा रहा है, उससे हमारे अधिकार का हनन हो रहा है इसलिए यह कानून इन्वेलिड है, संविधान के खिलाफ है और इसलिए रिजेक्ट किया जाय। उस दलील को हाई कोर्ट ने बहुत डिस्कस किया और इस बारे में पहले भी कई फैसले हो चुके थे। बम्बई हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जा चुका जिसमें सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाना जिसके जरिए रेग्यूलेशन बाजारों का किया जा सके सवाल था। हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और ऐसा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाकर विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है इसलिये इसको वोइड करार देना वाजिब नहीं है।

उसके बाद यह मुद्दा था कि यह एक्ट बिलकुल इन्वेलिड है, हाई कोर्ट ने कहा कि वैलिड है। तीसरा यह मुद्दा था कि इस कानून के नीचे धारा ३ और ४ हैं, नोटिफिकेशन्स जारी करने के संबंध में, वे जिस प्रकार से सरकार ने जारी की हैं उसमें यह पोइंट था कि जिस तारीख से सरकार ने जो हुक्म जारी किया उसके करीब एक महीने के बाद वह गजट में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा कि यह देर से प्रकाशित हुआ है और एक महीने का समय जनता को नहीं मिला, यह पहले ही खत्म हो गया। इस वजह से कानून को रद्द किया जाना चाहिए और नोटिफिकेशन कैंसल होना चाहिए। इस पर बहुत डिस्कशन होने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा बिलकुल गैरवाजिब है। जनरल क्लॉजेज के इन्टरप्रिटेशन में सरकार ने माना कि सरकार चाहे किसी भी तारीख पर नोटिफिकेशन जारी करे। सरकारी वकील ने जो दलील दी उसको स्वीकार किया गया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और कहा कि चूंकि एक महीने के बाद जो ऐतराजात हैं लिए गए हैं, सरकार ने सुने हैं। इसलिए प्रकाशन की तारीख से ही एक महीने का समय गिना जायगा, चाहे सरकार का हुक्म किसी भी तारीख से हुआ है। इसलिए नोटीफिकेशन की पोइंट पर रिट करने वालों की बात नहीं मानी गई।

उसके बाद सवाल आया कि जो बाइ-लॉज बनाए गए हैं वे नल और वोइड हैं और इस पर यह प्रश्न पैदा हुआ कि धारा ३७ के अंदर "प्रीवियस सैंक्शन" का शब्द लिखा है। उसमें व्यवस्था यह थी कि डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कानून बनाने के बाद में रूल्स बनाएंगे अलग अलग धाराओं के नीचे और रूल्स के नीचे जो बाइ लॉज बनेंगे उनका प्रीवियस पब्लिकेशन होना जरूरी है। प्रीवियस पब्लिकेशन या प्रीवियस सैंक्शन से क्या मतलब है, इसका टैक्निकल इंटर प्रिटेशन जो हाई कोर्ट ने लिया है उसका ज्ञान साधारण तौर से न तो जो मार्केटिंग सोसाइटीज को जो बाइ लॉज बनाकर लागू करती हैं उनको हो सकता है न हमारे विभाग को।

हाई कोर्ट का इन्टरप्रिटेशन यह रहा है और लोकल बोडीज के हवाले को जजमेन्ट में कोट करते हुए पुष्ट किया है कि इस प्रकार प्रीवियस पब्लिकेशन्स का मतलब होता है कि बाई लॉज जो एक दफा एडॉप्ट करेंगे, उसको एडॉप्ट करने के पहले एक दफा डाइरेक्टर से पूछेंगे कि हम ये बाई लॉज एडॉप्ट करना चाहते हैं और जनरल सैंक्शन एक दफा आ जाय, बाई लॉज बनाये, वाजिब तौर पर दुबारा सैंक्शन लेने पर बाई लॉज फाइनल होंगे। इस प्रकार दो स्टेजेज में कमेटीज के जरिये पहले जनरल प्रस्ताव भेजना चाहिये था और दूसरी बार बाई लॉज बना कर सैंक्शन डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर से लेनी चाहिये थी। हमने कार्यवाही की वह इस प्रकार की थी कि कमेटीज एक दफा बन जायं, एक जनरल मोडर्न बाई लॉज बना कर उनके पास भेज दिया था और कमेटीज को कहा था कि लोकल कन्डीशन्स के अनुसार अपने बाई लॉज बनाकर उनको भेज दें। इस प्रकार की कमेटीज ने कार्यवाही की। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले जनरल सैन्क्शन लेनी पडेगी और फिर स्पेसिफिक बाई लॉज बनाने पडेंगे और फिर हर एक को सैन्क्शन करना पडेगा। यह इन्टरप्रिटेशन किया हाई कोर्ट ने और यह मान कर यह कहा कि जितने बाई लॉज बनाये है उनके अन्दर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई हैं इसलिये वे नल और वोइड करार दिये जाते हैं।

दूसरे मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि मार्केट्स को ठीक तरह से डिक्लेयर नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक तरह किये गये हैं। यह भी कहा कि फीस ठीक तरह से वसूल नहीं की गई है तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक तरह से वसूल की गई है। यह भी कहा कि मार्केटिंग कमेटीज के इस तरह बाई लॉज बनाना और फीस को इस तरह से वसूल करना यह तो उनको अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर्स डेलीगेट करना है; तो हाई कोर्ट ने सारी चीजों को एक्जामिन करके अपने जजमेन्ट में कहा है कि कोई अननेसेसरी डेलीगेशन नहीं है और वाजिब है और मार्केटिंग कमेटीज का ऐसा करना वाजिब था और पिटीशन में ये मामले उठाये गये हैं वे स्वीकार नहीं किये जा सकते।

लास्ट क्वैश्चन उनका यह था कि सेस है वह सेल्स टैक्स की तरह टैक्स के रूप में आता है। इसलिये टैक्स मान कर इसको लागू

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं किया जा सकता। यह उनकी दलील थी। हाई कोर्ट ने इस पर इतना ही कहा कि बाई लॉज को नल एन्ड वोइड करार दिया है, सेस टैक्स के रूप में आता है, इस पर विचार करने का सवाल नहीं है क्योंकि यह भी स्वतः ही उसके साथ डिस्पोज ऑफ हो जाता है।

कुल मिला कर नल और वोइड करार देने की हाई कोर्ट ने केवल एक बात कही है कि प्रीवियस सैन्क्शन् का डबल मतलब लेने पर ही इसका इन्टरप्रिटेशन हो सकता है। बाईलॉज को नल और वोइड करार दे दिया है जैसा कि माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले थे वह कह रहे थे कि ६१ में कानून बना, कार्यवाही नहीं हुई। मैं समझता हूं या तो उनकी जानकारी में यह नहीं था और जानकारी में था तो जान–बूझ कर यह कहने की नियत हो तो मैं नहीं कह सकता। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके जरिये राजस्थान के एग्रीकल्चर में और प्रोड्यूसर के लिये नया जीवन आने वाला है, यह नया जीवन–दान देने वाला है। १३१ मंडियां राजस्थान में होकर उनका प्रोपर रेगुलेशन इन धाराओं के नीचे होकर, एग्रीकल्चर से पैदा होने वाली सारी चीजों का व्यापार का नियन्त्रण होकर, आज-कल व्यापार में जो गलत पद्धतियां चल रही हैं उनको ठीक करने की व्यवस्था इसमें है। आज बाजार में नाप-तौल के कई तरीके हैं, नयी नयी लागें लगी हुई हैं; कबूतर, धर्मादा के नाम से लाखों रुपया वसूल किया जाता है और कुछ लोग उनका मर्जी के अनुसार सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं, कोई कानूनी बन्धन नहीं था। इसी प्रकार कोई प्राइसेज में नहीं था, ग्रेडेशन नहीं था, बोली लगाने का ठीक तरीका नहीं था। ६१ में इस सदन के जरिये यह कानून पास किया गया। इसमें यह बताया गया है कि मार्केटिंग कमेटीज का किस प्रकार पहले निर्माण होगा और फाइनल फोर्मेशन उनकी कैसी होगी, यार्ड्स कैसे बनेंगे, किस प्रकार बोलियां लगेंगी किस प्रकार तोल होगा, किस प्रकार ग्रेडेशन होगा। ६१-६२ में जब सदन के द्वारा यह कानून पास किया गया तो जल्दी ही नियम बना दिये गये, मोडल बाई लॉज बना दिये गये और कमेटीज के पास भेज दिया गया। सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि १३१ कमेटीज बनानी हैं उनमें से ४६ कमेटियां बन चुकी हैं और काम कर रही हैं। ६२-६३ में थोडा टाइम रह गया था; ९ मार्केटिंग कमेटीज का गठन उस साल में किया। ६४-६५ में ४३ कमेटियों को रेगुलेट किया और इस साल ५० को रेगुलेट करना चाहते हैं। इस प्रकार १३२ में से १०३ इस साल के अन्त तक बना सकेंगे। उनके यार्ड्स बन जावेंगे, काम करने की पद्धति नियम उप-नियम बने हैं उनके अन्तर्गत व्यवस्था हो जावेगी। इसलिये यह कहना कि कानून बन गया, लागू नहीं हुआ, कानून का फायदा हुआ या नहीं, किनको हुआ, उनको दूसरों की भाषा में बोलने की आदत है और अपनी भाषा में बोलने की आदत नहीं है, वे अपनी बात अपने ही तरीके से कहते हैं . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये किनके कहने से बोलते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या व्यापारियों के कहने से बोलते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये यह कहना कि कानून बना कर उसका उपयोग नहीं किया गया, यह सर्वथा गलत है । १२१ कमेटीज बन कर रेगुलेट होंगी और विधिवत् कमेटीज को जिस प्रकार से काम करना है उनके द्वारा काम किया जावेगा और लाखों रुपया सैष के रूप में आज तक दूसरे के पास जाते थे कबूतर फन्ड, धर्मादा आदि के नाम से जाते थे; अब वह रुपया सार्वजनिक संस्थाओं के पास आयगा क्योंकि पहले जिनके पास जाता था वे अपनी इच्छा के अनुसार उसको खर्च करते थे । इन कमेटीज में सात प्रतिनिधि किसानों के होंगे, दो व्यापारियों के होंगे, कुछ कोओपरेटिव्ज के होंगे कुछ पंचायती राज के होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे; कुल मिलाकर इनकी कमेटीज बनेंगी । वे जो कुछ पैसा लेंगी मार्केटिंग कमेटीज का डेवलमेन्ट करने के लिये किसानों का फायदा करने के लिये और जो कुछ पैसा बचा होगा सोसाइटी के हित में हो ऐसे काम में लगाया जावेगा । उन सारे दृष्टिकोणों को सोच-समझ कर यह किया गया है ।

इसलिये बुनियादी तौर से यह कानून बडा महत्वपूर्ण कानून है । इससे यह हो सकता है, कुछ लोगों की जो परम्परा चली आ रही है जो इस कानून के नहीं होने से जो फायदा उठा रहे थे उनको जरूर नुकसान होने की गुंजाइश है । जैसा कि माननीय सदस्य की भावना से स्पष्ट प्रतीत होता था वैसे उनकी साफ कहने की आदत नहीं है; इधर उधर लप्पु-चप्पू करके चारों तरफ घुमाकर लम्बी चौडी बातें करके एक प्रकार का वातारण बनाने की चेष्टा करते हैं कि कानून से बडा घोटाला हो जायगा । इसलिये कानून को हाई कोर्ट ने नल एन्ड वोइड करार दिया है । अगर हम जिस प्रकार से नल एन्ड वोइड इसको करार दिया गया है अगर हम उसको मान लेते हैं और मन्डी कमेटियों को पैसा वापिस लौटाने के लिये कहते हैं तो यह बडा मुश्किल हो जायगा आखिर वे भी ईमानदारी से काम कर रही हैं, करना चाहती हैं उन पर इतना अविश्वास क्यों लेकर चलते हैं? मैं बडी गंभीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये नई संस्थायें हैं, ऑलरेडी इनके पास फन्ड की कमी है और जो भी पैसा वसूल किया है वह उन्होंने लगा दिया है; वैसी हालत में उनसे वापिस पैसा दिलवा कर क्या आपके कहने से हम उन मंडी कमेटियों को पंगु बना दें । आपकी इस राय से मैं कतई सहमत नहीं हो सकता और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था, लाजमी था इसलिये लाया गया । सदन को इस बात का गौरव होना चाहिये कि हम इस अध्यादेश द्वारा जो पुरानी कार्यहवाहियां इन कमेटीज द्वारा की गई हैं उनको सही करार दे रहे हैं ।

आप यह भी कहते हैं कि लिखना नहीं जानते, कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, उनके हाथों में काम दे दिया । यह ठीक है अगर कुरसी पर बैठना नहीं जानते तो सीखेंगे, उनका हक है, सीख कर आपके जो पुराने कुरसी पर बैठे हैं उनको डोलायेंगे, लुडकाएंगे और उनको जमीन पर लाकर पटकेंगे । आप चाहते हैं कि इनसे वह पैसा वापिस दिलवाया जाय, मैं आपकी इस राय से कतई सहमत नहीं हो सकता । उन लोगों की वाजिब बातों को ठीक करने के लिये जो जरूरी और उपयुक्त कदम था वह हमने इस ऑर्डिनेन्स द्वारा उठाया है । आपने जिस प्रकार कहा कि इसको बाहर फेंक दिया जाय, आपके अकेले के कहने से कुछ हो नहीं सकता, पांच भाइयों के कहने से

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कुछ नहीं हो सकता । यह सदन बहुत सारे सदस्यों का हैं जो इस अध्यादेश की अहमियत को समझते हैं । इसकी जो विशेष उपयोगिता है वह सदन महसूस करता है । अगर हम इस अध्यादेश को लागू करते तो कमेटीज के सामने बड़ी कठिनाइयां उपस्थित हो जातीं ।

आज ४६ कमेटियां काम करती हैं उनका काम ठप्प हो जाता । लाखों रुपयों का रिफन्ड करना पडता जहां कई जगहों पर उन रूपयों से मार्केट यार्डस् बना लिये, पानी की खेलियां बना डाली, गाडियों के ठहरने का इन्तजाम करवाया वह रकम वापिस किस प्रकार हो सकती थी; इसलिये यह दलील मैं नहीं मान सकता । इसलिये भी यह ऑर्डिनेन्स बनाना जरूरी था । इसमें मेंन पोइन्ट इतना ही है, प्रीवियस सेंक्शन के बारे में वर्ड्स को क्लेरिफाई किया है । हमने इसके साथ साथ जहां कहीं भी 'प्रीवियस सेंक्शन' के वर्ड आये हैं उनको काट दिया है । एक जगह अमेन्डमेन्ट हमने किया है जहां प्रीवियस सेंक्शन के वर्ड्स थे वहां हमने स्पेसिफिक वर्ड्स लिख दिये हैं । जो कुछ भी कार्यवाही कमेटीज द्वारा हुई हैं उनको वैध मानलिया जाय; यह भी करना बहुत अत्यावश्यक था । हाई कोर्ट का जहां यह कहना था कि टेक्निकल ग्राउन्ड पर इसका सही पालन नहीं किया गया इसलिये भी इसको करेक्ट, करना बहुत जरूरी था करेक्ट दो-तीन मामलों में किया है । सैस और टैक्स का झगडा ही हमने इसमें समाप्त कर दिया है । सैस और टैक्स की जगह फी लिख दिया है । जो भी लाइसेन्स लेता है या फार्म लिखवायेगा उससे फीस लेंगे । कोई भी सेवा करेंगे उसकी फीस लेंगे, अब सेस और टैक्स के झगडे को लेकर हाई कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी । हाई कोर्ट को भी इस मन्शा को लेकर विचार करने की तकलीफ नहीं करनी पडेगी । व्यापारियों को हाई कोर्ट की शरण नहीं लेनी पडे इसलिये इसको साफ कर दिया गया है; जिनको साफ करना आवश्यक था उसको साफ कर दिया । आज ये कमेटियां लाखों रुपया रिफन्ड करने की पोजीशन में नहीं और सरकार इसको कर दें यह भी उचित बात नहीं, इसलिये इसको ऑर्डिनेन्स का रूप दिया गया । यह बिल जिस मकसद से लाया गया है उसका मात्र उद्देश्य यह है कि मार्केटिंग सोसाइटियां तेजी से कार्य करें । हम अगले साल तक १३१ कमेटियां रेगुलेट करके इस सारे काम को एक लेवल पर लाना चाहते हैं; उसमें जयपुर बचेगा नहीं । इसलिये इस कानून का पालन तत्परता से हो इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में यह भी है कि इसको बहुत ही तत्परता से लागू किया जाय?

जितनी जल्दी मार्केटिंग कमेटियां बनती हैं, उसके लिये लोन्स सबसिडी आदि सरकार द्वारा दी जाती हैं, उसके लिये यह सदन बजट में प्रोवीजन करता है । जितना गवर्नमेन्ट का बजट होता है हर साल उसके मुताबिक प्रोग्राम बनाते हैं । इस साल के अन्त तक १०२ का काम पूरा हो जायगा । अब सिर्फ २९ बचेगी वह भी अगले साल की आखिर तक सबका रामा-सामा हो जायगा; आप इस बारे में चिन्ता नहीं करें ।

इस कानून को माननीय सदस्य ने बाहर फेंकने की बात कही · · · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहरे बनकर आप बैठ जायं तो यह हमारा कुसूर थोडे ही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
है। किसी ने नहीं कहा कि इसको बाहर फेंक दिया जाय। आप जरा कान खोल कर बैठा करो।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका कहने का इरादा तो यही था...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपकी समझ का फेर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कानून को अस्वीकार करने की बात को आप बाहर फेंकना समझते हैं तो यह बलिहारी है आपकी।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब मैं कुछ, इर्रिलेवेन्ट बातें भी चली उनका भी जवाब देना चाहता हूं। मछली के ठेकों को रेगुलेट कर रहे हैं, बडा नोटिस पढ कर सुनाया। ऑक्शन का नोटिस था, उसके लिये मंत्री महोदय का हुक्म चला गया। किसी तालाब का भी नाम लिया गया कि उसका ऑक्शन बोली से काफी कम था। अब म अध्यक्ष महोदय, इसकी पृष्ठ भूमि में भी ले जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो पॉलिसी है मत्स्य पालन के बारे में वह यह है कि जो मछुओं की को-ऑपरेटिव सोसाइटी है, कुछ तो भरतपुर में है कुछ टोंक में, कुछ जयपुर में भी है, इनको मत्स्य का ठेका देने में प्राथमिकता दी जाय। एकाध धौलपुर में भी बनी है। इस तरह से इन मछुओं की जो सोसाइटीज है किसी के पचास मेम्बर है किसी के बीस भी है, जो जन्मजात मछली का काम करते हैं। भारत सरकार की नीति के साथ साथ राज्य सरकारों की भी यह नीति है कि मछलियों का काम करने के लिये सहकारी समितियों को प्रायोरिटी दी जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बावजूद इसके, मेरी सारी कोशिश के यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि किस प्रकार कानून और नियमों के नीचे इसको ठेका दिया जाय वह नियमों के बनने की कार्यवाही पूरी नहीं हो पायी है। कभी वह लॉ डिपार्टमेन्ट में, कभी फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में अटक जाता है। नियम नहीं बन पा रहे हैं कि सोसाइटीज को किन आधारों पर, किन नियमों के अनुसार काम करने देने की व्यवस्था करें। वे सारे मसले मेरे सामने आये उन पर मैंने विभाग से सलाह ली। उसमें विभाग की सलाह के अनुसार, उसमें कुछ खामियां होते हुए भी हम इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं कि इन मछुओं को अपने पेट के गुजारे के लिये काम मिले, इस प्रकार की हर साल व्यवस्था करते हैं। और उसका एक ही तरीका है पिछले तीन सालों की औसत को देखकर हम उसको अलॉट करते हैं। कुछ कमी-बेसी मेम्बरों के हिसाब से हो सकती है। इस बारे में जो सुझाव एनीमल हस्बेन्डरी के डाइरेक्टर ने भेजे उसके हिसाब से पिछले तीन सालों की औसत को वर्क आउट करके डाइरेक्टर, एनीमल हस्बेन्डरी ने अपने प्रोपोजल सेक्रेटेरिएट को भेजे।

(२.०० म. प.)

ये प्रोपोजल सेक्रेटेरिएट में आये और मेरे पास में ये प्रपोजल्स जिस प्रकार से आये उसी प्रकार से दस्तखत होकर इश्यू हो गये। सोसाइटियों को जैसे रोज देते हैं उसी तरह से इस साल भी दिया। उन्हीं दिनों में ऑर्डर पहुंचे कि कुछ ऑक्शन भी चल रहे हैं। वे तालाब जिनके लिये डाइरेक्टर एनीमल हस्बेन्डरी ने तीन साल की औसत आमदनी के आधार पर सोसाइटियों को देने का सुझाव

(श्री नाथूराम मिर्धा)
भेजा उन्हीं को ऑक्शन भी किया जा रहा है। यह सूचना हमारे पास भी पहुंची। यह ठीक है और बोली भी ५४, ५५ और ५२ हजार की लगी जिनको पहले २७ हजार के लिये दिया गया था। ये बोलियां ठीक हैं और इनके अगेन्स्ट में अर्नेस्टमनी भी जमा कराया गया, यह भी सही है; इस तरह से यह मामला मेरे सामने विवादग्रस्त बन गया। पहले यह सुझाव विभाग का ही भेजा हुआ था कि पिछले तीन सालों के एवरेज पर दे दिया जावे और इसी दौरान में ऑक्शन हो जाता है और बोलियां आ जाती हैं। तो इस विवादग्रस्त मामले में अभी तक मैंने कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है। यह मामला सेक्रेटेरियेट के विचाराधीन ह। अब बोली का पैसा भी जिन्होंने जमा करा दिया वह एक तरह से हमारी एक्सेप्टेन्स भी हो गया वह पैसा। अब मछुआरों की जिन्दगी गडबडा जावेगी; एक तरफ यह सवाल है हमारे सामने, दूसरी तरफ राज्य सरकार को ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको छोडा जाय, यह सवाल है। अभी इस पर हमने कोई फाइनल फैसला नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कर दिया न।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा मैंने निवेदन किया यह मामला अब विवादग्रस्त बन गया है। इसके सारे कानूनी पहलुओं में हमें जाना पडेगा। लॉ डिपार्टमेन्ट को हमने इसमें कन्सल्ट किया भी ह और करेंगे भी आवश्यकता होने पर। मैं निवेदन कर दूं कि सचमुच में हम बहुत दुविधा में हैं। एक तरफ विभाग का एक सुझाव हमारे सामने है, जिसमें सरकार की रेवेन्यू का लौस है। दूसरी तरफ अगर ऑक्शन को मानते हैं तो मछुआरे बिना किसी धन्धे के रह जावेंगे। वे भारत सरकार की और हमारी भी नीति के लाभ से वंचित रह जावेंगे। यह बहुत बडा प्रश्न है हमारे सामने। इसका फैसला सोच-विचार करके, कानूनी विशेषज्ञों की, विभागीय अधिकारियों की और दूसरे जानकारों की सलाह लेकर करेंगे। इसके बाद में कुछ व्यवस्था का सवाल होगा। इसलिये आज जो इन्टरेस्टेड लोग हैं वे एप्रोच करते हैं। वे आपसे भी मिले होंगे। मैं तो इस मौके पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें न कोई फिसी–फिसी है और न कोई विसी–विसी है। इसका फैसला दिस वे और देट वे जल्दी ही किया जावेगा।

दूसरी बात, फूड और खाद्यान्न और दूसरी बातों की ओर कुछ इर्रिलेवेन्ट बातें भी कही गईं। इसका उत्तर देने की जहां तक बात है, कल जब हम खाद्यान्न; चना, गेहूं आदि पर बहस करेंगे, तब दूंगा मुझे भी मौका देंगे तो मैं फिर उन सारी बातों का एक साथ ही उत्तर दे दूंगा। मैं समझता हूं कि यह अध्यादेश जारी करना जरूरी था और कानून को भी पास करना जरूरी है जिसकी अहमियत को आप खुद स्वीकार करते हैं; जो प्रोग्राम हाथ में लिया है उसको भी वे समझें और उसमें सहयोग करें, सदन के सभी लोग सहयोग करेंगे ऐसी आशा है। कमेटियों को भी सहयोग करेंगे और गलतियों अगर देखें तो गाइडेन्स करेंगे। किसानों में भी जागृति करके किन्हीं व्यापारियों को कष्ट होगा तो उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया उसका जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय की ओर से दिया गया उसमें मुझे बडा अफसोस इस बात का है कि जो मुद्दे सदन में उठाये जावें उनका उत्तर देने के बजाय उनको हर व्यक्ति के भाषण में बू आती है ऐसा लगता है। मैं समझता हूं कि कई कन्क्रीट बातें मैंने सदन में पेश कीं, एग्जाम्पल भी पेश किए। एक किसी कन्ट्राक्ट के सिलसिले में तो वे यह कह कर निकले गये कि इसमें कुछ भी फिसी-फिसी नहीं है और कुछ को ईर्रिलेवेन्ट कह कर टाल गये। लेकिन इन मामलों में उनकी कितनी दिलचस्पी है यह इस बात से जाहिर होती है कि सदन में कोई भी ऑफ हैण्ड मामला उठाया जावे तो कहते हैं और खास तौर से उनके उप-राजस्व मंत्री महोदय, जो सारे विभाग की पूरी जानकारी रखते हैं वे भी प्रश्नोत्तर काल में कहते हैं कि यह प्रश्न इस में नहीं उठता, जानकारी करके जवाब दूंगा, हालां कि सारी जानकारी उनको रहती है। तो साधारणतया ऑफ हैण्ड बात का उत्तर नहीं दिया जाता। पर उन्होंने उत्तर दिया, इसके लिये तो धन्यवाद, पर कितनी जानकारी और रुचि उनकी इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में है वह उनके उत्तर से निश्चित रूप से झलकती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सहकारी समितियों को देना चाहते हैं, दें; अवश्य दें, मैं इसका विरोधी नहीं, कतई नहीं, आप को ऑपरेटिव सोसाइटियों को दीजिए। आप उनको देने का फैसला नहीं कर सके, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को किस तरह से देया जा सकता है, इसके लिये रूल आप अब तक नहीं बना सके; बहुत समय तक नहीं बना सके, तो यह रूल नहीं बना सकना, उन सहकारी समितियों को संरक्षण न दे सकना, इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं ? आप जैसे इनकॉम्पीटेन्ट मिनिस्टर हैं, जिन के पास इस पोर्ट फोलियो का चार्ज है। ऐसा इनकॉम्पीटेन्ट मिनिस्टर, जो सहकारी समितियों को सरकारी नीति होने के बावजूद पेट्रोनज नहीं दे सकता, फिर किस मुंह से कहता है कि वह बढावा देना चाहते हैं। मेरा तो यह चार्ज है आप पर कि आप इनको पेट्रोनेज नहीं कर सके। मैंने कभी विरोध नहीं किया कि आप कोआपरेटिव सोसाइटियों को कॉन्ट्राक्ट न दें। अगर विरोध समझा तो गलत समझा सरकार ने। आपने जब कोऑपरेटिव सोसाइटियों को देने के बारे में एक बार फैसला किया तो फिर ऑक्शन क्यों किया ? और ऑक्शन में ज्यादा ऊंची बिड आई तो आदेश क्यों कर दिये आपने ? सदन में कह दिया कि फसला नहीं कर रहे हैं अभी; अभी विचार कर रहे हैं सरकार सोच रही है, रास्ता निकाल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वह आदेश मैं सदन में पढकर सुनाना चाहता हूं जो सरकार ने निकाला ह इस बारे में। उससे सदन को पता लग जावेगा कि वह आदेश विचार का आदेश है या फाइनल आदेश है जैसा कि मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वे विचार कर रहे हैं अभी तो।

इस आदेश में लिखा है:—

"Government of Rajasthan Agriculture Department : letter No. F. 6 (106) Agr/IV/65--Pt. : file from the Secretary to the Government, Agriculture Department Rajasthan, Jaipur to the Director of Animal Husbandry, Rajasthan Jaipur

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Subject: Grant of fishing contracts to the fishermen Cooperative Societies for the year 1965-66 ending 30th June, 1966.

Sir,

With reference to your D.O. letter No. F. V (37 (42) Dev/60/14693, dated 28th/31st August, 1965, I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of the fishing contracts in respect of the waters detailed below to the following four cooperative societies of fishermen for the amount indicated against each water for the year 1965-66 (ending 30th June, 1966) as proposed by you."

अब इसमें सोसाइटियों के नाम के सामने जो रकम है जिस पर उनको कॉन्ट्रैक्ट देने की बात है, उनके सामने के आकड़े भी लिखे हैं जिन पर ऑक्शन की बोलियां आई हैं। जो ठेका ५४ हजार की बोली में गया, वह सोसाइटियों को दिया २५ हजार में। जो ४० हजार में बोली में गया, उसे दिया इनको १७ हजार में और जो ३५ हजार में बोली में गया, वह दिया इनको सात हजार में। यह गवर्नर की, गवर्नमेन्ट की सेंक्शन भेजी गई डाइरेक्टर को आपके डिपार्टमेन्ट से और सदन को क्या मुगालता दे रहे हैं कि अभी तो ये विचार कर रहे हैं, सरकार सोच रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): दोनों सेंक्शन्स निकल गई, यह वे भी तो कह रहे हैं।

दोनों ही फाइलें उनके दस्तखतों के होने के बाद निकल गई। फाइलोंपर ये तुरन्त ही दस्तखत कर देते हैं। अब एक्सचेकर को नुकसान दिया जावे या नहीं दिया जावे, यह अन्डर कन्सीडरेशन है दोनों को माना है उन्होंने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहता हूं गवर्नमेन्ट की सेंक्शन निकल गई। आप मान कर चलिये कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटियों को देने के विरोध में नहीं हूं। आप जो यह सोच कर चलते हैं कि किसी का इन्टरेस्ट था और उस आदमी के साथ, में ज्यादती हो रही है या यह कहना चाहिये कि कोई गलत काम हो रहा है तो इस तरह से सोचना आप छोड़ दें। आप फिशरमैन को दें। उनकी चिन्ता नहीं, मछलियों की चिन्ता नहीं, मछुआरों की चिन्ता नहीं, आप उनको दें, अवश्य दें; मुझे तो चिन्ता है उन मगरमच्छों की जो इन सबको खा जाना चाहते हैं, जो इस सब में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिये आप कहीं मगरमच्छ न बन जावें, इसकी चिन्ता है हमें और इसीलिये सदन में ये सारा किस्सा उठाया है। आप कोऑपरेटिव सोसायटियों को दें। दो-चार, दस-बीस का सरकार को नुकसान हो चिन्ता नहीं। क्यों किया नहीं आपने अभी तक, बैठे रहे क्यों इतने दिन ? ला डिपार्टमेन्ट पास नहीं कर सका रूल्स, तो आपने इसे बर्दाश्त क्यों किया, आप इतने दिन चुप क्यों बैठे रहे ? फिर अगर आप उनको पेट्रोनेज करना चाहते थे या हैं तो क्यों किये इस तरह से दो दो आर्डर ? इससे साफ है कि आप कुछ और चाहते थे। आप बैलेन्सिंग करना चाहते हैं, इसमें आप बार्गेनिंग करना चाहते हैं। स्पष्ट है। फिर किसी को देना चाहते हैं और इसीलिये सारा मामला फिशी-फिशी बनता है। आप अपने दिमाग का बैलेन्स साफ रखिये। आप अपने डीलिंग्ज साफ रखिये। अपने तौर तरीके साफ रखिये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
फिर किसी को उसमें बू आने का सवाल नहीं होता है ।

आपने जो बहस का जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात का है कि माननीय मंत्री महोदय के सामने जो मुद्दे उठाये गये उनका तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मैंने कभी सदन में नहीं कहा कि इस कानून को बाहर फैंक दिया जाये । मैं समझता हूं कि सदन की कुछ मर्यादायें हैं और उनका पालन मैंने आपसे ज्यादा ही किया है । सदन की मर्यादाओं को भंग करने के कोई यदि अपराध हैं तो आप हैं । मैंने न तो कभी उनको भंग किया है, न करूंगा और न आज करता हूं । आखिर कानून सदन में आते हैं, उन पर विचार भी होता है सरकार की छाप भी उन पर लगती है और राज्यपाल महोदय के भी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, उसको पेश करते हुए, माननीय सदस्य भी पचास बात कहते हैं गवर्नमेन्ट के खिलाफ जो कि प्रस्तावक महोदय को नहीं कहनी चाहिये । मैंने कभी नहीं कहा कि इस कानून को सदन से बाहर फैंक दिया जाये । तो यह तरीका है डेमोक्रेसी में कि सदन में कौन कौन से मौके हैं बहस करने के और उसी प्रकार से ऑडिनेन्स जो जारी किया है उसकी परम्परा के बारे में मैंने सदन में अपने कुछ विचार रखे । आपने ६१ में लागू किया कानून को जो सदन में पास किया और २ साल में आप सिर्फ ९ मार्केटिंग कमेटीज बना पाये । ६१ में कानून बना और ६३ के आखिर तक केवल ९ मार्केटिंग कमेटीज बनाई और अब ६५ आ रहा है, आप सिर्फ ४६ बना पाये हैं और फिर आप कहते हैं कि मुझे कोई तग्मा दीजिए ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे आपका कोई तक्मा नहीं चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने १३१ मार्केटिंग सोसाइटीज बनाने की बात कही है । मेरा चार्ज यह था कि आपने ४ साल तक कुछ नहीं किया । आपने तो आज कहा है मैंने तो पहले अपने भाषण में कहा है कि आपने जयपुर में फूड प्रोब्लम इतनी एक्यूट कर दी कि आज लोग अनाज के लिये तरस रहे हैं, आज उनको खाने के लिये अन्न नहीं मिलता ..

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कानून का और फूड प्रोडक्शन का कोई संबंध नहीं है मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब तक आपके लाड्ले बेटे बैठे है, आपतो मुझ पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जयपुर में सारी फूड प्रोब्लम, सारी चोर बाजारी और जितना भी होर्डिंग हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार आपकी गद्दी का जो बेटा बना हुआ है श्रीमान् नाथूरामजी वह हैं और आप हमें कहते हैं कि हम ट्रेडर्स की हिमायतें लेते हैं । यह आज जयपुर के बच्चे बच्चे और आदमी आदमी की जुबान पर है । तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, चार्ज लगाता हूं कि करप्शन करते हैं, जयपुर में संकल्प लिया कि जयपुर को अनाज देंगे । दुनिया इकट्ठी करें, दुनिया चन्दा दे, छोटे छोटे व्यापारी आपको एमर्जेन्सी के नाम पर ७५ हजार रुपया इकट्ठा करके दें और वह व्यापारी आपके लाडले बेटे कहते हैं कि मैं ला दूंगा १० हजार क्विंटल गेहूं । हमने कलेक्टर से कहा कि यह फैसला गलत है, यह फैसला नहीं होना चाहिए और एक आदमी को मोनोपाली नहीं देनी चाहिए लेकिन वह मोनोपाली मिल गई ।

एक माननीय सदस्य : नाम बता दीजिए, लाडला बेटा कौन है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब जानते हैं, जयपुर में यह चर्चा का विषय है। उनसे ही पूछ लो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन्होंने एक बात कही, मैं निवेदन करना चाहता हू कि इस सदन के जब माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है कि यह कानून क्या है और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमको जानकारी नहीं है इस कानून की तो श्रीमानजी, गावों के किसानों को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं होगी। उनको आपने कैसे जानकारी दी ताकि उनको मालूम हो कि यह उनके फायदे के लिए बना है ? उसके प्रचार के लिए क्या किया ? कौन कौन से लोगों को जाकर समझाया, कौन से पेम्फलेट निकाले, क्या पब्लिकेशन किया ? कुछ नहीं किया आपने। केवल यहां पर जो रिप्रेजेन्टेटिव बनाते हैं तो अपने मर्जीदां को बनाते हैं, नोमीनेट करते है तो अपने लोगों को करते हैं। यदि गांव के किसानों को जानकारी होती तो हजारों मन गल्ला आपकी मार्केटिंग कमेटीज में आ गया होता। आप किसानों की उपज के लिए मार्केटिंग कमेटीज नहीं बना सके, राजस्थान के उपभोक्ताओं को खाने के लिए अनाज नहीं दिला सकते, आज संकट काल के कारण राजस्थान के लोगों के मन में असंतोष है पर उसको वह व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। उसका फायदा आप उठाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आप उसको रिप्रेजेन्ट करते हैं, आप उसको रिप्रेजेन्ट करते हैं। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि हम केवल राजस्थान की जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं, राजस्थान की दो करोड़ जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं। संकट-काल में आप भावनाओं को उभारना चाहते हैं, फिरके-फिरके में भेद करना चाहते हैं, यह आपकी दूषित नीति है। यह सोचने का तरीका गलत है। आखिर हम राजस्थान के इन्टरेस्ट के कुछ मसले सदन के सामने रखते हैं और क्योंकि आपके ऊपर वे मसले आकर पडते हैं तो आप कहते हैं कि लुच्ची-पुच्ची बातें करते हैं। यह कोई सरकार का जवाब है, यह कोई मंत्री जी का तरीका है ! जो मसले उठाये जांय उनका उचित उत्तर दिया जाये।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि आपने हाउस में कह दिया अध्यक्ष महोदय, कि नोटिफिकेशन को सही माना है। मैं कहना चाहता हूं कि नोटीफिकेशन जो इसमें जारी किया अगस्त ६३ में उसमें लिखा है कि एक महीने में ऑब्जेक्शन कीजिए और २६ अगस्त या ६ सितम्बर तक करने चाहिए थे और तारीख नि..ल गई उसके बाद जाकर कहीं नोटीफिकेशन का पब्लिकेशन हुआ। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि नोटीफिकेशन में ऑब्जेक्शन की मयाद निकल गई उसके बाद में पब्लिश हुआ तो ऑब्जेक्शन कब करते ? फिर कहते हैं कि वाजिब माना है। हाई कोर्ट ने सारे पोइट्स पर डिसीजन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि तारीख निकलने के बाद में नोटीफिकेशन पब्लिश हुआ। जैसे अभी ११ अगस्त के बारे में फिर कह रहा हूं, उसी सिलसिले में कहा था कि हम एन० ओ० सी० को सेक्रेटेरियट से निकल जाने के बाद जब तक आया नहीं है तब तक नहीं मानें। आपके नाम पर आज लोग रो रहे हैं और भुगत रहे हैं और चिल्ला नहीं रहे हैं इसलिए कि संकट-काल है। आज बाजार में ज्वार नहीं मिलती, बाजरा नहीं मिलता, मक्की

Page No 74

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
नहीं मिलती, गवार नहीं मिलती; क्या खायेंगे? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को गुमराह नहीं करें। किसी के कहने से कौन क्या कहता है यह कोई बहस का जवाब नहीं होता है। इसलिए सदन में जो भी मुद्दे उठाये जायें उनका ढंग से जवाब दें। एक बात के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि अब राजस्थान में जो सच्चे झूठे तौल होते थे वे नहीं होते हैं। ६१ के कानून में पास होने के बाद में राजस्थान में झूठे तौल बन्द हो गए, किसानों का शोषण होता था वह बन्द हो गया। उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि ४७ से ६१ तक १४ साल में किसानों का शोषण होता था, उनकी खूब लूट खसोट होती थी और अब उसको बन्द करना चाहते हैं। उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि राजस्थान में सब हुआ, कुछ किसानों का शोषण हुआ, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर वह नोटिफिकेशन की बात मैं कहूंगा। मैं जजमेन्ट का हिस्सा पढ देता हूं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी जो डेट थी, ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने की उसके बारे में नोटीफिकेशन पब्लिश हुआ है और अगर नोटीफिकेशन ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने की तारीख के बाद पब्लिश हुआ है तो जिस आदमी ने पब्लिकेशन के लिए देरी से भेजा वह आज भी कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है ?......

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं पब्लिश हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा: कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर उसी समय पब्लिस हो जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: फिर ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने का क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हाई कोर्ट ने क्या कहा है, उसको सुनिये। आपने पढा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने पढ लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ नहीं पढा "If we take the interpretation that is suggested on behalf of the petitioners, then we are afraid that in some cases it is bound to result in the reduction of that period which could not possibly be the intention of the law makers or the authors of notification." उनका आर्गुमेन्ट था उसके करने के बाद में जजमेन्ट को कन्क्लूड कर रहे हैं :

"Having considered the matter, pros & cons we are induced to hold the term "Notification" has to be considered in the light of the statutory dictional of words provided by the Rajasthan General Clauses Act and a Government order will in law become a notification when it fulfills the two requisite conditions, namely :

(*i*) Its publication in the Gazette, and (*ii*) its publication under proper authority. These conditions can be fulfilled only when the notification is published and not when it is drafted and approved in the Secre-

(श्री नाथूराम मिर्धा)
tariat hidden from public gaze and when the date is put by some office of the Government."

यह नोटीफिकेशन के बारे में लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने नोटीफिकेशन के बारे में क्या कहा है, यह नहीं पढ़ा है। यह तो जनरल क्लॉजेज़ का इंटरप्रिटेशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिए तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे फाइल दे दीजिए, मैं बताता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फाइल आपको नहीं दूंगा। मैंने सदन की टेबल पर जजमेन्ट भेज दिया है। इसमें आगे लिखा है :–

"In these circumstances we are not inclined to accept the criticism of the learned counsel for the petitioners and we hold that in the facts and circumstances of the case, the date of notification should be taken to be 26-9-63 when it was published in the Gazette for the first time. What we have said above applies to other cases in which there is only the difference about the date of the so called notification and the date of its publication."

बिल्कुल साफ कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कह दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कह दिया है कि गजट नोटिफिकेशन जिस दिन पब्लिश हुआ उस दिन को समझा जाएगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तक तो मैं समझता था कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, लॉ प्रीवियस किया है लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कुछ न कुछ कानून की जानकारी हो सकती थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस आदमी को जजमेन्ट पढ़ना तक नहीं आता। यह तो जनरल क्लॉजेज एक्ट का इंटरप्रिटेशन किया है। जजमेन्ट क्या कहता है कि गवर्नमेन्ट का नोटिफिकेशन कब निकला....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पढ़ लीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो सारा जजमेंट पढ़ा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपका नोटिफिकेशन निकला ६ अगस्त, ६३ को जिसमें एक महीने की ६ सितम्बर, ६३ तक की मियाद थी। वह नोटिफिकेशन २६ सितम्बर को पब्लिश हुआ है और उससे एक महीने मयाद मानी जायगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो ठीक है, मैं कब ना करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ना नहीं करते तो मैं कब ना कर रहा हूं। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि जो ६ अगस्त से ६ सितम्बर, ६३ तक की एक महीने की मियाद थी वह निकल गई। उस पीरियड के अन्दर वह नोटिफिकेशन पब्लिश क्यों नहीं हुआ ? वह एक महीने का टाइम क्यों निकाल दिया और क्यों नहीं वह नोटिफिकेशन टाइम पर पब्लिश करवाया। इसकी वजह से लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सके। गवर्नमेन्ट के खिलाफ हाई कोर्ट ने यह कहा कि २६ सितम्बर से मयाद मानी जाय और चूंकि लोगों को एक महीने का टाइम नहीं मिलता है इसलिये कोर्ट ने इसे नल एण्ड वोइड करार दे दिया।

Page No 76

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पोइन्ट ही नहीं है

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके आगे बोलना तो भैंस के सामने बीन बजाना है। इसलिये मैं नमस्कार करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि वह मेरे संकल्प को समझे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि जो संकल्प माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय। जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता। वापिस लेने की आज्ञा दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कह दिया कि 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने 'हां' पक्ष का डिसीजन दिया है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वाले डिसीजन क्लेम नहीं करते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने 'हां' पक्ष जीतने का डिसीजन दिया है, अब इसे कांग्रेस वाले क्लेम करें। मैं वापस लेने से इन्कार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह था कि आपको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो यह कहा है

When I seek permission that I wish to withdraw only then the question of leave can be put. But I never asked for such permission from the Chair.

श्री नाथूराम मिर्धा : आप विथड्रा तो कर ही रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कानून की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा उससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह संकल्प वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके जवाब के बाद।

If you so wish, we are prepared to cooperate with the Chair and I can withdraw, otherwise I don't.....

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो सदन का डेकोरम है वह मेन्टेन किया जाना चाहिए। ये जिस लेवल पर जाते हैं उस लेवल तक तो हम जा नहीं सकते। अगर हम भी उसी लेवल पर जाने लगे तो यह सदन भी नहीं रहने वाला है। इसलिये मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इस बारे में कुछ हिदायत जारी करें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन में ठीक तरह से व्यवस्था कायम रहे, इसमें वे कृपया सहयोग करें और ऐसी उत्तेजनात्मक बात न करें जिससे सदन की व्यवस्था ठीक तरह से न चल सके। तो यह माना जाय कि आप वापस ले रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वापस ले सकता हूं, अगर आप कहें, वर्ना में प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुनः प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा विभाजन की मांग)

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संकल्प है कि यह अध्यादेश अस्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता। संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस पर संशोधन हैं। जिन माननीय सदस्यों के संशोधन हैं वे कृपया बोलेंगे। श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

१. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा),
श्री रामकिशन (वैर),
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद),
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर),
श्री केदारनाथ (गंगानगर),
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन),
श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा),
श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा),
श्री जयलाल (डग),
श्री जयकृष्ण (थानागाजी),
श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा),
श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा),
श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द),

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५ एक माह/एक सप्ताह/तीन माह/एक माह/तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

२. श्री चौसरसिंह बावेल (बैगूं),
श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)
श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर),
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.),
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल),
श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा),
श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) व
श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर। १५ दिन में। पांच दिन में। तीन माह में। सात दिन में। एक सप्ताह में। अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।]

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : माननीय अध्यक्ष, यह जो संशोधन……

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर काफी प्रस्ताव हैं। अगर अभी से ही इसमें कुछ टाइम लिमिट तय हो जाय तो ठीक होगा, नहीं तो कुछ लोग तो बोल पाते हैं और कुछ अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। इसलिये शुरू से ही कुछ व्यवस्था रख दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लिस्ट दे दीजिये अपनी पार्टी की तरफ से बोलने वालों की, फिर विचार कर लेंगे। पहले बोलने वालों की संख्या मालूम हो जाए।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनके प्रस्ताव हैं वे ही ज्यादा हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना आपको विश्वास दिला सकते हैं कि यह आपका ऑर्डिनेन्स पास हो जायगा। मेरा मतलब है, यह जो बिल है वह पास हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : फिर भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया संक्षेप में बोलें ताकि ज्यादा मेम्बर भाग ले सकें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य के संकल्प के उत्तर में कहा उससे यह स्पष्ट जाहिर है कि इस विधेयक को पास कराने के लिए जो इस विधेयक के पहले इसका मूल कानून बनाया गया था वह इस राजस्थान की जो ८० प्रतिशत जनता काश्तकार है, खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक कानून था और उस कानून को बनाने की जो मंशा हमारी सरकार की थी उन्होंने भी इस कानून को इसीलिए बनाया था कि खेती से जो लोग पैदा करते हैं

(२.३२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनकी पैदावार का उचित मूल्य उन लोगों को प्राप्त हो सके। आज जो व्यवस्था राजस्थान के अन्दर किसानों की पैदावार की खरीद-फरोख्त के लिए मंडियों में या दूसरे बाजारों में प्रचलित है उसके बारे में जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर कहा कि दूसरी कई तरह की नाजायज लागें किसानों से व्यापारी या जो कमीशन एजेन्टस हैं वे वसूल कर लेते हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है मैं इस बात से सहमत हूं कि जो लोग खेती में नाज पैदा करते हैं या दूसरी चीजें पैदा करते हैं उनको अपनी चीजों का उचित मूल्य प्राप्त होना चाहिए और वे जब चीजें बाजार में बेचने के लिए लाते हैं तो उनके पास से कोई भी आदमी जोकि कमीशन ऐजेन्ट हो, दलाली करने वाला हो या और कई बातों का व्यापार करने वाला जो बाजार में बैठता है, मंडियों में बैठता है, उनके पास से नाजायज तौर से पैसा वसूल न करें और इस कारण सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय, जो आज भी मंत्री हैं और १९६१-६२ में जब कि एक्ट बनाया गया था उस वक्त में भी इस एक्ट को इस सदन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त था। मैं नहीं समझता कि जब उन्होंने इस कानून को इतना महत्वपूर्ण

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कानून माना है और उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं जिनकी संख्या राजस्थान की पूरी आबादी की ७०-८० पर्सेन्ट है, तो आज ६२ से लगाकर ६५ तक जो ढिलाई उन्होंने बरती इस कानून को काम में लाने में, जिसको उन्होंने खुद ने मन्जूर किया है, तो १९६२ में तो उन्होंने सिर्फ ९ मंडियों के अन्दर मंडी कमेटियों का गठन किया है, उसके बाद ६४-६५ में ४३ का किया है और अब तक उन्होंने जो है सब मिलाकर ५० का गठन किया है। मैंने ६१-६२ में इस एक्ट के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने और माननीय मंत्री महोदय ने जो जो विचार रखे उनको पूरी तरह से पढ़ा है और आज जो इस सदन के अन्दर बैठने वाले माननीय सदस्य श्री मोतीलालजी चौधरी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामले में अपने आपको बहुत माहिर मानते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में ६१-६२ में कुछ बातें कही थीं, हमारे उप-राजस्व मंत्रीजी हैं उन्होंने भी कुछ कहा, श्री पी. के. चौधरी थे उन्होंने भी कहा और उनका जबाव जो मंत्री महोदय ने दिया उसको भी देखा। उन सारी बातों को अगर मैं समझ पाया तो उनका मकसद यही था और है कि आज जो किसान राजस्थान के अन्दर खेती के द्वारा पैदा करता है उन चीजों का मूल्य उनको उचित मिल जाय, और जो कन्ज्यूमर्स हैं, जो खरीददार हैं उनको भी सारे का सारा सामान उचित मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाय। अगर यही मकसद हमारी सरकार और मंत्री महोदय का था इस कानून को बनाते वक्त तो मैं बहुत अदब के साथ आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि आज दिन तक उन्होंने उन सारी बातों का लाभ किसानों को नहीं दिलाया; उनको उससे वंचित रखा गया तो यह क्यों किया गया ?

आज दिन तक जैसा कि उन्होंने कहा कि ५० मंडी कमेटीज बनी हैं तो उनके फोर्मेशन का जो तरीका इस एक्ट के अन्दर रखा गया है उसमें उन्होंने इस प्रकार रखा है कि दो रिप्रेजेन्टेटिव्ज तो होंगे व्यापारियों के ७ किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज होंगे। इनके अलावा गवर्नमेन्ट के नोमीनीज होंगे, जो स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज होंगे, कोऑपरेटिव के दो रिप्रेजन्टेटिव्ज होंगे एक कोआॅपरेटिव सोसाइटीज का और एक कोऑपरेटिव बैंक का। इस तरह से मिलाकर १५ आदमियों की मंडी कमेटी का निर्माण उन्होंने किया है। मैं बहुत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि जहा आपने यह कहा है कि एक कमटी के अन्दर ७ आदमी किसानों के रिप्रेजेन्टेव्जि होंगे तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वे जवाब दें, अपना जवाब देते वक्त इस हाउस में, कि जो भीलवाड़े में यह मंडी कमेटी बनी है उसमें ७ किसानों के कौन से रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं ? क्या ये कह सकते हैं कि जो ७ आदमी इस मंडी कमेटी के मेम्बर हैं वे रीयल किसान हैं ? क्या भवरलाल भदादा किसान है ? क्या ज्ञानमल कोठारी या सरूपगंज से आने वाला जो आदमी है वह किसान है ? कौन आदमी इन १५ में से है जो रीयल किसान है, जो कि खेती करते हैं, हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं धूप में, गर्मी में, पसीने में, सर्दी में, बरसात में, खेतों में पैदा करने वाले किसान उस कमेटी मे कौनसे हैं ? क्या ज्ञानमल कोठारी है ? कौन आदमी इन १५ आदमियों में ऐसे हैं जो किसानों को रिप्रेजेन्ट करते हैं ? और अगर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जैसा कि उन्होंने कहा और जैसा कि उनका भाषण ६२ में हुआ उसकी मन्शा के मुताबिक अगर यह था कि सारी की सारी प्रोडक्शन जो कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हैं उसका उचित मूल्य किसानों को देने के लिए मंडी कमेटियां बनानी हैं तो जो ९ कमेटियां ६२ में बनी हैं और ४३ कमेटियां ६३-६४ में बनी हैं उन्होंने कितना किसानों का प्रोडक्शन का सामान उचित मूल्य में बेचने का प्रबन्ध राजस्थान के अन्दर किया है ? वे जरा फहरिस्त अपने जवाब में बतायें कि कितने मन कपास उन्होंने खरीदा और कितना बेचा, उन्होंने किसानों का कितना गन्ना खरीदा और कितनी शक्कर खरीदी, कितना गुड खरीदा और उसका उचित मूल्य काश्तकारों को, मक्का, जौ, कपास, मिर्ची, धनिया वगैरह, वगैरह, जैसा कि आपने लिखा है उनका उचित रेट काश्तकारों को दिलाने का प्रबन्ध कमेटी ने किया है ? उसकी फहरिस्त पूरी की पूरी सदन के सामने रखें ताकि जैसा कि आपने कहा कि चाहे गलत तरीके से कोई फीस लगा दी, कोई लेवी इम्पोज कर दी जिसका कि आपने कहा कि लाखों रुपया होता है तो हमें कोई एतराज नहीं है । जैसा कि आपने कहा लाखों रुपये उन कमेटियां ने वसूल किया है उसको कानूनी रूप देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि उन्होंने इन सालों में जो चार साल का अर्सा होता है उसमें कितना काम किया है, इसकी फहरिस्त या इसका ब्यौरा अगर आप इस सदन के अन्दर दें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कोई भी क्वालिटी इस कपास के बीज की आज दिन तक राजस्थान में पास नहीं की गई है कि फलां तरह का बीज इस तरह का होगा और उसका यह नम्बर होगा जैसा कि गुजरात में है, मध्यप्रदश में है उस तरह का सीड जैसे कि ६९३ या और किसी तरह का आज दिन तक राजस्थान के अन्दर, किसी भी तरह का बीज राजस्थान की अलग-अलग तरह की जमीनों का वैरीफिकेशन करके बता दिया हो कि इस जमीन पर इस तरह का बीज बोया जायगा । आज दिन तक राजस्थान के अन्दर यह नहीं किया गया है । कौन सी तरह का गेहूं किस एरिया में बोया जायगा । कितनी तरह का गेहूं १, २, ४, १० नम्बर का आज दिन तक राजस्थान सरकार या मार्केटिंग सोसाइटीज जो बननी थीं या ये जो कमेटियां बननी थीं उन्होंने इस तरह की बात कभी भी नहीं की । कौन से नम्बर का गन्ना ३१३ या और तरह का गन्ना राजस्थान में होना चाहिए, उसका बीज कहां पर उपलब्ध हो सकता है, किस किस जगह में इसकी पैदावार हो सकती है, उसकी कितनी कीमत किसानों को मिल सकती है, उसकी पर एकड ईल्ड कितनी होनी चाहिए? • • •

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

• • • • • जिससे कि किसानों को वाजिब तरह से अपनी आर्थिक हालत को ठीक बनाने में वह सहायक हो । क्या इस तरह की व्यवस्था किसी तरह की सोसाइटी, इन कमटियों ने, राज्य सरकार ने या राज्य सरकार के कृषि विभाग ने की है कहीं भी, ताकि मैं समझ सकूं कि इन कोआपरटिव सोसाइटीज ने, इन सारी मंडी कमैटीज की स्थापना से हमारे यहां लाभ हो सका है ?

सिर्फ यह कहना कि कोई आदमी यहां पर बोलता है उसकी अच्छाई या बुराई के

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बारे में तो उसके ऊपर आप कह दें कि यह फलानी क्लास को रिप्रेजेन्ट करते हैं या उनकी तरफ से बोलते हैं। मैं आपकी तरफ से कहता हूं। मैं खुद बनिये का लडका हूं, लेकिन मैं उन सारे रिवाजों के खिलाफ हूं जो कि बनिया करता है। मैंने उसके खिलाफ हमेशा से कहा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। हमारी आज हिम्मत है कि हम सारी बुराइयों को रख देते हैं। आप बुराइयों से बचने वाले हैं, व्यापारियों के बीच में करप्शन पैदा करने वाले हैं। सरकारी आफिसर या जो मिनिस्टर लोग हैं वे लोग इन सारी बुराइयों के पैदा करने की जड में हैं। अगर आप पूछते हैं कि हम कहां हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इस तरह के कितने ही कानून, उपाध्यक्ष महोदय, समय-समय पर बनाये गये हैं जैसा अभी यह कानून बनाया गया इससे हमारे जिस किसान को फायदा होने वाला था आपने बहुत होशियारी करके उसको रोक दिया। आपके राज्य के दो रिप्रेजेन्टेटिव्ज एक-एक मंडी कमेटी में होंगे। क्या उनको मालूम नहीं था जो बाई–लॉज बनाने वाले हैं? क्या उसका पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए था कमिश्नर के द्वारा? बगैर नॉलेज के रिप्रेजेन्टेटिव्ज कमेटी में जाकर क्या करेंगे? ऐसे लोगों को नौकर रख कर सरकार क्यों पैसा बरबाद करती है? ऐसे अफसरों और अहलकारों को रख कर जिनको कानून की नॉलेज नहीं है। न उनको यह पता ह कि मुझे क्या करना है, कैसे किसानों को प्रोटेक्शन कानून से मिले जिनको यह पता नहीं है उनको रिप्रेजेन्टेटिव बनाकर क्या करेंगे? अभी–अभी आप दो कानून यहां लाये, उनको वेलिडेट कर दिया, पहले जो आब्जेक्शन्स थे उनको हटाकर वापिस बना दिया। इस तरह के कानून बनाने से मैं समझता हूं सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, सुधार के लिये काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी धारणा यह है, जो सही है कि आपकी सरकारी मशीनरी हमेशा इस तरह की है जो सुधार को पसन्द नहीं करती है इसलिये कि यदि सुधार हो गये तो उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है इसलिये वे कानून में कमियें रखते हैं जिससे कोर्ट में जाने पर वह उल्टा हो जाय। यही आपके मोटर एक्ट के बारे में हुआ, यही आपके नेशनलाइजेशन आफ रोड ट्रान्सपोर्ट के बारे में हुआ। इन सारे कानूनों में जितनी गलतियां रही हैं चाहे काम करने वाले डिपार्टमेन्ट की हुई हों चाहे लॉ डिपार्टमेन्ट की हुई हों, चाहे कन्सर्न्ड लोगों द्वारा हुई हैं उनके कारण जो लाभ जनता और सरकारी खजाने को मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। मैं बहुत अदब के साथ मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों को नॉमीनेट किया है उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, क्या आपने नोटिस दिया है कि उनको कानून की नॉलेज नहीं थी? आपने ऐसा क्यों नहीं किया, कमिश्नर से बाई–लॉज को एप्रूव कराना चाहिये था। जिस तरह से कमियां रखकर यह कहा जाता है कि हम किसानों का फायदा करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ नाम मात्र के लिये ही किसानों का फायदा करना चाहते हैं। जहां पर किसानों को लाख रुपयों की जरूरत पडती है वहां पर आप ५ हजार रुपये देते हैं। अनाज के लिये कितना देते हैं? बैलों के लिये ५ हजार रुपये पूरी पंचायत समिति के लिये तकाबी के लिये दिये जाते हैं और राजस्थान के २६ आदमी जो अंगूरों की खेती करते हैं उनमें से एक एक को १०-१० हजार रुपये दिये जाते हैं, यह कौनसा कानून है और

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
आप किस किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं ? सिर्फ उन लोगों को जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट रखते हैं चाहे वह व्यापारी हो चाहे और कोई हो एग्रीकल्चरिस्ट बनकर एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से लाखों रुपये देकर ऐसे लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन किसानों को फायदा नहीं होता जिनका जिक्र आप कानून में करते हैं जो ८० परसेन्ट खेती करने वाले हैं उनको उचित मूल्य दिलाने के लिये आप यह कानून पास कराना चाहते हैं; ये सब बातें थोथी हैं ......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट में ही खत्म करता हूं।

सतीशचन्द्रजी ने मछलियों के ठेके बारे में कहा था कि आपने कोऑपरेटिव को ठेका न देकर चार आदमियों को क्यों दिया, ? मुझे इसमें ऐतराज नहीं कि आप कोऑपरेटिव को ठेका देते। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जयसंमद में ५ लाख रुपयों से ज्यादा कीमत की मछली पैदा होती है उसका ठेका आपने एक इन्डिविज्युअल का ५०) रु. में दे दिया। क्यों नहीं आपने कोआपरेटिव को उसका ठेका दिया ? अपने आदमी को ठेका देकर आपने सदन में मंजूर किया है कि इसमें सरकार की गलती हुई है ? लाख के बजाय ५०) हजार में ठका दिया और यह सदन में मंजूर किया कि यह सरकार की गलती थी। यह किस अधिकारी की गलती थी ? यदि किसी अधिकारी की गलती न होकर आपकी गलत है तो इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अगर आप यहां बैठे रहना चाहते हैं तो यह बैठना बिल्कुल उचित नहीं है।

यदि आप सही रूप में वास्तव में किसानों की भलाई के लिये यह कानून बनाना चाहते हैं तो यह सही प्रस्ताव रखा है, एक महीने के लिये जनता की राय जानने के लिये प्रसारित कर दिया जाय जिससे आपको पता चल जाय कि वास्तव में यह किसानों के हक में है या नहीं, इससे किसानों को फायदा होगा या नहीं। व्यापारी या कन्ज्यूमर्स को फायदा दिलाना चाहते हैं तो वे भी इससे फायदा होना महसूस करते हैं या नहीं ? इन सारी बातों की जानकारी जनता, किसान और कन्ज्यूमर्स आपको दे सकते हैं। यदि आप उनकी राय जानना चाहते हैं तो आसानी से मंजूर कर लीजिये कि इस कानून को जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय। उनकी राय आ जाय उसके बाद मुझे ऐतराज नहीं है आप इन कमेटियों को बनावें। उनमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग हों। लेकिन जैसे पहले अंग्रेज थे वैसे ही आज यहां पर सफेद अंग्रेज बैठ गये जो पहले से कहीं ज्यादा पैसा एक्सचेकर का खर्च कर देते हैं। एक-एक मिनिस्टर पर १ लाख २० हजार रुपये खर्च करते हैं जितना कि पहले अंग्रेज और राजा लोग भी खर्च नहीं करते थे। इस तरह से किसानों के नाम पर सफेद हाथी बैठाकर किसानों का फायदा नहीं कर पायेंगे। यदि आप वास्तव में किसानों का फायदा करना चाहते हैं तो जनमत के लिये इसे प्रसारित करें।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव है कि इस संशोधन विधेयक को एक महीने के लिये जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य है और उसके कारण यह विधयक आया है, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी या काश्तकार होगा जो

Page No 83

(श्री रामकिशन)

इसका विरोध करेगा । इसके पीछे जो भावना है, जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है उस उद्देश्य के विरुद्ध म नहीं हूं । लेकिन हम चाहते हैं कि यह संशोधन लाने वाले जो मंत्री हैं उनके पास यह जानकारी होनी चाहिए कि इस कानून का असर क्या हुआ है ? सोच-समझ कर यह कानून बनाया गया है इसलिये कि मंडियों में जो लूट होती थी, काश्तकारों को तरह-तरह से लूटा जाता था धर्मादे के नाम पर, गौशाला के नाम पर और दूसरे नाम पर, उनका कितना पैसा अपव्यय होता था वह पैसा बचाया जाय । जब इस पर गंभीर विचार हो रहा है तो इस प्रकार की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि इसका कितना असर हुआ है । मैं इस कानून के उद्देश्य के प्रति पूरा आस्थावान हूं लेकिन जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं राज्य सरकार को उनकी जानकारी है या नहीं । भारतीय समाज या राजस्थान की समाज है उसमें केवल बड़े-बड़े काश्तकार या बड़े-बड़े व्यापारी ही नहीं हैं । राजस्थान में छोटे-छोटे काश्तकार हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो खरीदारों को सीधा बेचते हैं । छोटे-छोटे व्यापारी हैं जो लाखों का व्यापार नहीं करते, बल्कि ५ मन या १० मन अनाज इकट्ठा करके पास की मंडियों में बेचते हैं । मैं समझता हूं कानून के द्वारा उनको हर बात के लिये लाइसेन्स लेने के लिये बाध्य करना एक तरह का कानूनी लाइसेन्स का जंगल खड़ा करना है । एक लेन-देन के लिये लाइसेन्स लेगा, दूसरा अलग खरीद-फरोख्त के लिये लाइसेन्स लेगा तो उनको बड़ी दिक्कत होगी । मेरा सुझाव है कि जिन व्यापारियों ने मंडी क्षेत्र में खाद्य-नियमों की तहत लाइसेन्स लिया है उनको बोली लगाने का अधिकार दे दिया जाय तो अच्छा रहेगा । तरह तरह के लाइसेन्स बोली के लिये अलग, खाद्य के व्यापार और धंधे के लिये अलग लाइसेन्स लेना पड़े हर बात के लिये लाइसेन्स लेना पड़े तो सरकार इस लाइसेन्स-प्रथा के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी और जनता को इससे कोई फायदा नहीं है । यदि मंत्रीजी उचित समझें तो गंभीरता से इस पर विचार करें । हम छोटे-छोटे व्यापारियों की लूट हो इस पक्ष में नहीं हैं । आप पूंजीवादी विचार रखते हैं, आप व्यापार में खुली छूट देने के पक्ष में हैं, स्वतंत्र व्यापार के हिमायती हैं, तो उनकी रक्षा करना भी जरूरी है, जो व्यापार चलाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का एक विचित्र ढंग बन गया है, हर मामले में समाज-कल्याण की बात सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे उनकी उपेक्षा हो जाती है । इस कानून में भी यही दिक्कत है । जहां-जहां मंडियें की दिक्कतें हैं, हो सकता है राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में में दिक्कतें न हों, जोधपुर और नागोर क्षेत्र में न हों लेकिन जहां पर घनी आबादी है वहां पर व्यापारी और किसान का क्या होगा, इसमें नहीं दिया है ।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार ने धर्मादे को रोका है, जिसके माध्यम से व्यापारी लोग लूट करते थे, जो काश्तकार मंडी में अपना नाज लेकर जाता था उसका कुछ हिस्सा धर्मादे के रूप में ले लिया जाता था–उसको आपने रोका है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं । लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मंडियों के द्वारा जो सार्वजनिक हित के अच्छे काम धर्मादे से चालू किये गये, जो

(श्री रामकिशन)
सचमुच लोक-कल्याणकारी और लोक हितकारी काम हैं तो क्या सरकार उनको बाध्य करेगी कि मंडी की आमदनी का कुछ हिस्सा ऐसे कार्यों में दे ? अगर आप उचित समझें तो आप इसकी जांच कर लें। मंडी की आमदनी में से भले ही आप कबूतरशालाओं के लिये कुछ न दें, भले ही आप गौशालाओं के लिये कुछ न दें लेकिन कहीं पर कोई सार्वजनिक पुस्तकालय चल रहा है, या कहीं पर जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रखी है, या कहीं पर गरीब छात्रों के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है या कोई और सार्वजनिक कल्याण और हित के काम हैं उनके लिए मंडी की आमदनी में से कुछ हिस्सा देने की व्यवस्था करेगी? और अभी जो लूट चल रही है उसके खत्म होने के बाद में जो आमदनी मंडी कमेटी की होती है उसमें से कुछ हिस्सा ऐसे हितकारी कामों के लिए वह देना पसंद करेगी ? एक तो इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं है।

इसके अलावा और भी कई खराबियां इसके अन्दर हैं। इसके अन्दर जो चुनावों में गैर-लोकतांत्रिक प्रावधान किया गया है, वह है कि दस रुपये राजस्व देने वाला काश्तकार ही वोटर बनेगा मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये कि राजस्थान के अन्दर ऐसे कितने काश्तकार हैं। राजस्थान के अन्दर ३७ लाख खातेदार हैं, उन ३७ लाख खातदारों में बारह, पन्द्रह लाख खातेदार ऐसे हैं जो दस रुपये से ज्यादा राजस्व नहीं देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने राजस्थान के काश्तकारों में से पचास प्रतिशत को इसके चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दिया है। मेरा निवेदन है कि यदि मंडियों का यही रूप रखना चाहते हैं तो इसमें पांच रुपये राजस्व देने वाले का या दस रुपये राजस्व देने वाले का सवाल नहीं है। चुनाव में मत देने का अधिकार सबको देना चाहिए। जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहे वह ले और जो न लेना चाहे वह न ले। हमारे देश के अन्दर बालिग मताधिकार का सिद्धान्त मान कर रखा है, सब बालिगों को मत देने का अधिकार है। अब बहुत से अपना मत नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। लेकिन हमें यह अधिकार सबको देना चाहिए। इसमें पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पच्चीस रुपये और पचास रुपये राजस्व देने वाले का सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि जो दस रुपये या इससे कम राजस्व देता है वह समाज का सबसे अशिक्षित और गरीब तबका है। उसी की लूट सबसे ज्यादा होती है, उसी को तरह-तरह से दबाते हैं और उसी की सबसे कम आमदनी होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन धाराओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे हैं वे धारायें इसी सदन के द्वारा पास की गई हैं और वे धारायें इस सदन में इस समय विचाराधीन नहीं हैं, न उनके ऊपर चर्चा छेडी जा सकती है, न उन पर चर्चा करने का सवाल है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि रेलेवेन्सी रहती है तो अच्छा रहता है। उन धाराओं को सदन ने पास किया है। न उन धाराओं को बदलने का सवाल विचाराधीन है और न उनको बदला जा सकता है।

श्री रामकिशन : मुझे यह जानकारी है, जो आप कह रहे हैं। जिस संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं वह मेरी

(श्री रामकिशन)

जानकारी में है । मेरा मतलब यह था कि पूरे कानून पर दुबारा विचार किया जाय । आप विचार करें या नहीं करें-यह दूसरी बात है । इसके अलावा ऐसा अवसर कब होता है जब उन पर विचार कर सकें । आप कहते हैं कि आज वह अवसर है नहीं । आप वास्तविकता को समझें और उस पर विचार करें । मुझे कानून के दायरे का पता है, जिसके लिए संशोधन लाया गया है उसकी जानकारी मुझे है । लेकिन कानून के जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं, मैं चाहूंगा कि उन पर और सम्पूर्ण कानून के ऊपर विचार हो क्योंकि यदि सारे कानून के ऊपर संशोधन नहीं आया है तो यह अन्तिम संशोधन भी नहीं है, जिसकी वजह से कहें कि अब और संशोधन नहीं होगा । इसके बाद भी संशोधन आप लाते रहेंगे । मंडी कमेटी का निर्माण जिस तरह से होता है, जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह मैं दोहराऊंगा नहीं । मैं चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो मंडी कमेटी पडती है, या पंचायत समिति के क्षेत्र में जो मंडी कमेटी पडती है या विधान सभा के जिस क्षेत्र में मंडी कमेटी पडती है उन पंचायत समिति या विधान सभा के प्रधान या विधायक प्रतिनिधि के रूप में उस मंडी कमेटी के मेम्बर हो सकें । वरना कानून में अधूरी बात रहेगी और इसमें सदन का भी समय बरबाद होता है और इसके साथ ही आपको भी तकलीफ होती है । क्योंकि कोई ऐसी बात आ जाती है तो उससे आपको उत्तेजना हो जाती है, और ऐसे मामलों पर माननीय सदस्य ज्यादा या कम कह जाते हैं । आपने इस सम्बन्ध में चार साल का अनुभव कर लिया है और आपको यह अनुभव है कि इसमें कौन सी कमियां या खामियां रह गई हैं, कौन से तबके को इससे आराम मिला है वह सारी स्थिति सदन के समक्ष आनी चाहिए और उस पर पूरी तरह विचार होना चाहिए ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक इस कानून का सवाल है या दूसरे कानूनों का सवाल है, जहां भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी जो फीस या सैस वसूल किया है उसको न लौटाने का फैसला किया है, उसके बारे में जो भी माननीय मंत्री जी की दलीलें रही हैं, उसके बाद भी मेरा यह कहना है कि यह किसी भी कारण से हुआ हो लेकिन इससे सरकार की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है । हम मानते हैं कि जो फीस या सैस लिया गया उसके पीछे एक पवित्र उद्देश्य था, हम यह भी जानते हैं कि उस पैसे को लौटाने से मंडियों की आर्थिक स्थिति खराब हो जायगी । लेकिन इस प्रकार की गलत कार्यवाहियों से सरकार के आचरण के ऊपर लोगों की आस्था नहीं रहती है । इसलिए ऐसे मामलों में हानि होना या लाभ होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हानि-लाभ की दृष्टि से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक इन्स्टीट्यूशन की व्यवस्था के प्रति जनता की आस्था बनी रहे–इस दृष्टि से विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं, मछली वाला जो सवाल है उसके बारे में मुझे कोई विशेष बात नही कहनी है । खुद मंत्री महोदय ने माना है कि राजस्थान में जो मछली उद्योग है वह काफी विकसित होने वाला उद्योग है और इस उद्योग का यदि अच्छी तरह विकास करें तो बहुत से टैक्सों से बच कर भी राज्य की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है । मंत्री महोदय, ने इस संबंध में भरतपुर का जिक्र किया । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामकिशन)
कि भरतपुर में जो मछुओं की सोसायटी है उनके सम्बन्ध में मैंने एक मजाक देखी है। दो सोसायटी मछुओं को उस इलाके में है लेकिन किसी वर्ष भी मैंने उनको ठेका मिलते हुए नहीं पाया और दूसरे ही लोग उनका हिस्सा हड़प ले जाते हैं। जब मंत्री महोदय तक पहुँचते हैं और सचिव महोदय तक पहुँचते हैं तब फैसला होता है कि पिछले साल जिसके पास में ठेका था उसी को दे दिया जाय। इस बीच में मछुओं का घूमा-घूमी में, याता वगैरह में हजारों रुपया खर्च हो जाता है, एक तो यात्रा व्यय हो जाता है और दूसरे सिफारिश वालों के ऊपर भी कुछ खर्चा हो जाता है। हर साल इस तरह की बात होती है और मछुओं को जिन्दगी के साथ में खिलवाड़ होता है। लेकिन राज्य सरकार उनके प्रति उदासीन और सुस्त नजर आती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पूरे कानून में जो भी संशोधन होने चाहिए, वह एक साथ होने चाहिए ताकि इस पर विस्तार में विचार किया जा सके। इसलिए इस विधेयक को यदि जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय तो इससे इस सदन का और सरकार का हित हो सकता है।

वैसे भी, उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून की उपयुक्तता अभी नहीं है क्योंकि एक तो इस कानून का अच्छी तरह प्रचार नहीं हुआ है। और इस कानून में जो व्यवस्थाओं के लिए कहा गया है, कि मंडी कमेटी का फोर्मेशन होगा, और उसके लिए आवश्यक काम बताये हैं कि काश्तकारों की सुविधा के लिए काम करेगी, मंडी के विकास के लिये काम करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखें कि इनका प्रचार तो बिल्कुल नहीं है। लोग यह नहीं समझते हैं कि मंडी कमेटी का उद्देश्य क्या है। कोई इसके उद्देश्य खरीद फरोख्त तक समझते हैं, कोई समझते हैं कि इसका सेल करने का उद्देश्य है। तो इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, यह लोगों को पता नहीं। क्या इसके उद्देश्य हैं यह वह नहीं बता सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि अच्छे रूप से इस पर विचार हो और प्रभावशाली कानून बनाया जाय इसलिए यह जरूरी है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में जहां तक आर्डिनेन्स का सवाल है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। और उसका कारण यह है कि इस सदन ने किसानों को एक्स्प्लॉइटेशन से बचाने के लिए जो एक कानून बनाया, उसके चलने के अन्दर जिन कुछ लोगों का इन्ट्रेस्ट हर्ट हुआ, वे हाई कोर्ट में गये। जब वह सिलसिला चालू हो गया तो नौ कमेटी बनने के बाद सरकार इस विचार में रही कि किस प्रकार हाई कोर्ट में क्या फैसला होता है और इसलिए इसकी प्रोग्रेस में देरी लगी। आखिर सरकार को सोचना पड़ता है, जब हाई कोर्ट में लोग किसी पाइन्ट पर फैसले के लिए चले गये, जिनका इन्ट्रेस्ट हर्ट हुआ था तो सरकार इस विचार से रुकी हुई थी कि वहां से क्या फैसला होता है। इसलिए अब तक जो कानून का उपयोग होना चाहिये था वह नहीं कर सकी सरकार। लेकिन वह वेलिड कारण है और उसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो सकी। उसके बाद में जो कुछ प्रोग्रेस है उसको मैं संतोषजनक मानता हूं। उसके बाद में जो ४६ मंडी कमेटी बनाई गई हैं; और जैसा सम्मानीय मिनिस्टर ने कहा कि मैं १३१ मंडी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कमेटी बना कर छोड़ूंगा, और जो कानून की मन्शा है उसको पूरा करके छोड़ा जायगा इसलिए में इस बिल का सपोर्ट करता हूं। लेकिन एक सिद्धान्त की बात इसमें उठती है उसके बारे में कुछ निवेदन जरूर करना चाहता हूं। वह बात यह है कि आपने कोई भी कानून बनाया और उस कानून के बारे में कुछ लोग हाई कोर्ट में जावें तो सिद्धान्त रूप से अनुचित नहीं है, लेकिन यह सोचना जरूरी होता है कि कुछ लोग जो यह मानते हैं कि कानून ठीक है वह पैसा देने लगते हैं। कुछ लोगों का यह विचार होता है कि राज्य सरकार ने कानून बनाया है, जो लेजिस्लेशन ने कानून बनाया है उसके मातहत हमसे रुपया नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग तो रुपया दे देते हैं और कुछ लोग रुपया न देकर हाई कोर्ट में चले जाते हैं, जो राज्य ने कानून पास कर दिया और लागू कर दिया उसके कारण वह हाई कोर्ट की शरण लेते हैं और वहां मालूम हो जाता है कि कुछ गलती रही है या नहीं, कोई खामी रही है या नहीं और राज्य सरकार को पैसा लेने का हक है या नहीं। वहां पर लोगों की काबलियत, वकीलों की काबलियत और उनके तर्क होते हैं क्योंकि यह कानून का राज्य है। तो इस तरह जब कानून के खिलाफ लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं और जब वहां फैसला हो जाता है कि यह कानूनी नहीं था या यह पैसा कानूनी तौर से नहीं लिया जा सकता है तो सरकार आती है उसको वेलिडेट कराने के लिए। तो ऐसी हालत में क्या हम हाई कोर्ट से लोगों की आस्था हटाना चाहते हैं। क्या सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट्स को इस तरह से निरस्त कर दिया जाय इस तरह के संशोधनों के जरिये ? कानून में जो गलती निकलेगी, कानून में जो गड़बड़ी रहेगी, कानून के आधार पर जो गैर कानूनी टैक्स वसूल किया गया, जो टैक्स सरकार वसूल कर लेगी, जो टैक्स इकट्ठा हो जायगा, उसके लिए क्या आप जनता को समझाना चाहते हैं कि जैसा ब्यूरोक्रेसी कानून को इन्टरप्रेट करती है, जैसा वे कहते हैं कि इतना टैक्स देना पड़ेगा कानून के मातहत तो उसकी अपील कहीं नहीं हो सकती, उसके लिए कहीं पर वे नहीं रो सकते और जो कुछ भी गलती है उसको हुकूमत सही करा ले। लॉ डिपार्टमेंट का जो इन्टरप्रिटेशन है, वह जो गलती करती है उससे फायदा उठाने के लिए लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं और जजमेंट कराने के लिए आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि यह टैक्स इल्लीगल है, यह गैर कानूनी है, यह लूट है, यह खसोट है। इस पर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे,

(३.०० म. प.)

उसके बाद हम वेलिडेटिंग लॉ ले आए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपको यह लाने का पॉवर है, लेकिन इसके लिये कोई हक तो होना चाहिये कि हाई कोर्ट में जाने के बाद कोई चीज हुई है, उनको पैसे मिलेंगे या नहीं। चाहे आप सेल्स टैक्स ले लीजिये या पेसेन्जर टैक्स का मामला हो लेकिन जब कभी कोई भी ऑर्डिनेन्स निकलता है तो उसमें एक ही बात लाई जाती है कि जो जैसे हमने ले लिये है वह माल हमको हजम करना है। इस पर गौर करना होगा। जहां पर गैर कानूनी ढंग से पैसा ले लिया जावे तो उसके लिये जिन्होंने गल्ती की है उनकी बुद्धि का दिवाला

Page No 88

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

निकला हुआ था, जिसके कारण दिवाला निकलेगा। उस पर कानून के खिलाफ हमारे लेजिस्लेशन को काम में लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सैद्धान्तिक रूप से यह गलत है और यह डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों और डेमोक्रेसी के रूल्स के खिलाफ है।

अब यह है कि हमने इसको वैलिडेट कर दिया और अपनी मोहर लगा दी और वह भी आर्डिनेन्स के जरिये। कम से कम मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं इस प्रकार के आर्डिनेन्स के जरिये मोहर लगाई जाती है मैं उसको उचित नहीं समझता। पिछली मर्तबा भी आर्डिनेन्स लाये गये। प्रीवियस सैंक्शन की बात हो और हाई कोर्ट से खाली सैंक्शन कर दी जावे तो कोई अच्छी बात नहीं मगर हमारे यहां का लॉ डिपार्टमेन्ट है उनका विश्वास करते हैं। हर बात में लॉ डिपार्टमेन्ट कहता है उसके अनुसार सरकार कार्य करती है। पहले भी ऐसा ही वेलिडेटिंग बिल लाया गया था और प्रीवीयस सैंक्शन की बात पर दो दफे हाई कोर्ट में जावें और हाई कोर्ट में लोगों को परेशान होना पड़े और उनको हाई कोर्ट में जाने पर खाली सैंक्शन रखी जावे, आप सैंक्शन रखें या प्रीवीयस सैंक्शन रखे मगर मैं यह कहूंगा कि आप कानून नहीं बना सकते और जो कानून आप बनाते हैं उनमें ९० परसैन्ट केसेज में हाई कोर्ट में रिट होने पर वे फेल होते हैं। हाई कोर्ट में वे ही लोग जाते हैं जो पैसे वाले होते हैं और आप उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड सकते जो लोग गरीब हैं और आपके बनाये हुए कानूनों पर विश्वास करते हैं। आपकी सरकार ने जो कुछ कर दिया वे ब्यूरोक्रेटिक सरकार के कानून को सहन करते हैं और उसका पालन करते हैं लेकिन जो लोग पैसे वाले हैं वे आपके कानून को नहीं मानते और हाई कोर्ट में चले जाते हैं और महीनों २ लाखों २ रुपया जो सरकार को देना चाहिए, अपने पास जमा रखते हैं और व्यापार चलाते हैं और टैक्स लगाते हैं उनको वे सरकार को अदा नहीं करते और कई टैक्सेज उन पर चढे हुए होते हैं। कितनी दफे आप प्रीवीयस सैंक्शन लिखें और कितनी दफा हाई कोर्ट में जाकर वे खाली सैंक्शन करवा दें। इससे हमारी जो प्रोग्रेस करने के प्रोग्राम होते हैं वे रुक जाते हैं। सरकार जो प्रोग्राम बनाती है और जो प्रोग्रेस हमारी सरकार करना चाहती है वे सारे के सारे प्रोग्राम रुक जाते हैं क्योंकि पैसे वाले लोग केसेज को हाई कोर्ट में ले जाते हैं और वहां पर वे केसेज जा कर लटक जाते हैं।

इस तरह से पैसे वाले लोग उस प्रोग्रेस को जिसको सरकार करना चाहती है और प्रोग्राम को जिनको सरकार करना चाहती है लटका देते हैं और हमारे सोशियलिज्म को को आगे बढने म रुकावटें पैदा होती हैं। यह सब आपके इस लॉ डिपार्टमेन्ट की वजह से होता है और इस प्रकार की गडबड़ी पैदा होती है। इसलिये आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गडबड़ी आपके लॉ डिपार्टमेन्ट की वजह से होती है और हाई कोर्ट में केसेज होने के बाद आप आर्डिनेन्स निकाल कर वेलिडेटिंग बिल लाकर हमसे पास करवा लेते हैं और हमसे उस पर मोहर और सील लगवा लेते हैं लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कम से कम आप यह तो बतावें कि इस तरह के आर्डिनेन्स की आपको क्या जरूरत थी? हम देखते हैं कि हर अधिवेशन में जब वह चलता है, तीन या चार

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आॅडिनेन्सेज आप ले आते हैं । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप आॅडिनेन्स लाएंगे तो आॅडिनेन्स का जो परपज है वह पेरेलाइज हो जावेगा और लोगों के दिल में यह भावना पैदा हो जावेगी कि जिसको सरकार चाहे पास करवा लेगी और पहले आॅडिनेन्स निकाल देगी । रोज रोज इस प्रकार आॅडिनेन्स पास करने से दिक्कत पैदा हो जावेगी । इस तरह की मेरी मान्यता है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

इसके साथ साथ मैं आपसे एक अपील करूंगा । कहना तो नहीं चाहता था, मगर कहना पडता है । मगर दायरे में रहा जावे, तो मैं सुझाव के तौर पर कहता हूं कि आज मार्केटिंग कमेटीज का जो भी सिलसिला जारी है उसको आप और रिलीज करें । अच्छा तो यह हो कि कन्ज्यूमर को भी उसमें भाग लेने का हक हो । मैं भी कभी कभी मिर्ची लेने के लिये चला जाता हूं और मैं समझता हूं कि और लोग भी सामान लेने के लिये जाते होंगे । मैं कहूंगा कि इससे उन कन्ज्यूमर्स को तो कोई रिलीफ नहीं मिलता है । मंडी में सबको बोली लगाने का हक होना चाहिये ऐसा नहीं होना चाहिये कि कन्ज्यूमर्स को कोई हक नहीं हो । मैं समझता हूं कि सरकार को कन्ज्यूमर्स के लिये भी कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे वे भी उसमें भाग ले सकें तो अच्छा होगा, नहीं तो यह एक प्रकार से वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट की तरह से आपकी मार्केटिंग कमेटी रह जावेगी और बडे बडे व्यौपारियों को इससे लाभ होगा और छोटे छोटे व्यौपारियों और कन्ज्यूमर्स को कोई लाभ नहीं होगा । उल्टा नतीजा यह होगा कि कन्ज्यूमर्स को डबल टैक्स देना होगा । इसलिये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये । जिससे कन्ज्यूमर्स भी यह महसूस करें कि वे भी मार्केट में आ सकते हैं । ऐसा नहीं हो कि मंडी कोई वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट की तरह से बन जाए ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे जिससे किसानों के हितों की भी रक्षा होगी और दूसरे लोगों के हितों की भी रक्षा होगी । इसलिये मैंने सुझाव के तौर पर यह कहा ह । मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में मैंने जितनी भी बातें कही हैं, माननीय मंत्री जब अपना उत्तर दगे उस समय इनका भी उत्तर देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, १९६१, जो १९६१ में पास हुआ और जिसकी दफा ३३ और ३६ की तहत रूल्स और बाई लॉज ६ फरवरी, ६४ के गजट में पब्लिश हुए तथा बाद में हाई कोर्ट से इन प्रोविजन्स पर ४, १७, ३६ और २० इन चार प्रोविजन्स पर स्टे आॅर्डर्स इश्यू हो गये इससे तो मैं सैद्धान्तिक तौर से सहमत हूं लेकिन जो छीछालेदर सरकार ने इस अच्छे बिल की की है और जो इस बिल की दुर्गति की है उससे सरकार ने स्पष्ट तौर से बता दिया है कि सरकार किसी भी अच्छे काम को किसी अच्छे तरीके से लागू करने पर विश्वास नहीं करती । जो शोषण सारे राजस्थान भर में मंडियों में किसानों का होता है और उन मंडियों में जो ज्यादा आॅर्गेनाइज्ड हैं, जिस प्रकार से किसानों की उपज पर मीडियेटर्स

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(मध्यस्थों) द्वारा डाका डाला जाता है उसके रोकने के सम्बन्ध में यह एक्ट आना बहुत जरूरी है और एक हर्ष किसानों को महसूस हुआ इस एक्ट के आने के बाद।

राजस्थान में दो प्रकार की मंडियां हैं-एक पुराने ढचरे पर चलने वाली हैं; दलाल लोग गांवों में जाते हैं, खरीद-फरोख्त करते हैं, मनमाने अन्दाज से लूट-खसोट करते हैं। एक ब्रोकर बड़े व्यापारी के सिलसिले में काम करता है। कुछ राजस्थान के नहरी इलाकों में बसी मंडियां हैं, जहां कच्चे-पक्के आढतिये हैं, वहां किसान अपनी उपज लाते हैं, वह बाकायदा नीलाम होती है; गंगानगर, कोटा, भरतपुर में इस प्रकार की मंडियां हैं, कच्चे-पक्के आड़तियों के बीच में जिस तरह किसान घसीटा-पीसा जाता है उसको देखते हुए ओरीजिनल एक्ट में जिस प्रकार की मार्केटिंग कमेटियां सरकार लाई है, वह इस बात को छुट्टी देती हैं कि वह लूट-खसोट करने वाले लूट-खसोट करें। वह सब मोरियां बाकायदा ओरिजिनल एक्ट में मौजूद हैं जिससे लूट-खसोट करने वाले मार्केटिंग कमेटियों पर हावी हो जायं। इसके सम्बन्ध में एक कमेटी की रिपोर्ट पालियामेंट में पेश हुई है, इस सदन के अध्यक्ष उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उसमें बड़े अलार्मिंग तरीके से बताया गया है. राजस्थान में कितनी को-आपरेटिव सोसाइटीज है, उनमें विशिष्ट लोग कानून की खामियों के कारण प्रवेश कर गये हैं और इन का सारा फायदा उच्च और मध्यमवर्गीय लोग, विशिष्ट लोग उठा गये हैं, व कितनी समितियां हैं, जो चल नहीं पा रही हैं। जो मार्केटिंग सोसाइटीज सरकार ने बनाई हैं उनमें १५ में से अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नोमिनेटेड हैं। सरकार एक कमेटी नोमिनेट करेगी, वह कमेटी २ साल काम करेगी, उसके बाद इलेक्टेड कमेटी आयेगी जिसमें ७ सदस्य एग्रीकल्चर ओर्गेनाइजेशन्स में आयेंगे, सरकार ने यह कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया है कि एग्रीकल्चर ओर्गेनाइजेशन्स कौनसे होंगे। ये ७ सदस्य एक निश्चित अवधि तक एग्रीकल्चर ओर्गेनाइजेशन्स से नहीं आयेंगे तो उनके स्थान पर सरकार सदस्य नोमिनेट कर देगी। जिस पंचायत समिति में दो म्यूनिसिपैलिटीज होंगी वह एक व्यक्ति दे देगी। तो कुल मिलाकर १५ सदस्यों के अन्दर अधिकतर सदस्य सरकार द्वारा नोमिनेटेड होंगे। किस क्लास के लोग सरकार द्वारा नोमिनेटेड होते हैं और किस रंग के होते हैं, यह तो यहां का इतिहास सिद्ध करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के तहत रूल्स और काफी रूल्स, बहुत ही इम्पोर्टेन्ट फेक्टर थे, जिनके बिना इस एक्ट की कोई मंशा नहीं रह जाती। हर चीज जो मार्केटिंग प्रोसेज में करेंगे वह शत-प्रतिशत रूल्स से कवर होगी, एडल्टरेशन के लिये रूल्स चाहिये, ट्रेड अलाउन्स कितना होगा इसके लिये रूल्स चाहिये, लाइसेन्स लेने के सम्बन्ध में कार्ताई हो तो उसके लिये रूल्स चाहिये--हर प्रोसेस के सम्बन्ध में रूल्स चाहिये। जो शिड्यूल में कोमोडिटीज आती हैं, एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन से आती हैं, एनीमल हस्बैन्डरी से आती हैं, वूल फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स हैं, फिजेज हैं; ये सारी की सारी कोमोडिटीज जो मार्केट में लाते हैं, हॉर्टिकल्चर में और दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले जो जो खाद्य सामग्री मार्केट में लाते हैं, वह सब इस एक्ट के तहत हैं, उन सबके लिये रूल्स चाहिये। खाद्य मंत्री से स्टेट ट्रेडिंग की बात की जाय, उन्हें यह कहा जाय कि जब तक सरकार खुद

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

खरीददार बन कर खड़ी नहीं होती तब तक देश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती, तो वे बड़ी दलील के साथ कहते थे कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये यह मार्केटिंग सोसाइटीज पिलर हैंड होंगी उन मार्केटिंग सोसाइटीज के रूल्स बनाने में, जिनके बिना कि सारा यह एक्ट ही बेकार और बेमानी था, उन रूल्स को बनाने में सरकार को ३ साल लग गये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि केवल ख्वाबों से जिन्दा नहीं रहा जा सकता । आज संकट-काल की स्थिति के सम्बन्ध में जो गम्भीर स्थिति इस अनाज की समस्या से होती चली जा रही है, उसके सम्बन्ध में अब इफ्स और बट्स से काम नहीं चलने वाला है । अमेरिका ने जो हमें पहले ६० लाख टन पी. एल. ४८० के अन्तर्गत देता था, उसके स्थान पर हाफ मिलियन टन देकर सारे राष्ट्र को अपमानित किया है । आज खाद्य मंत्री को कोई क्षमा करने नहीं जायगा जिन्होंने मार्केटिंग सोसाइटीज की दलील देकर कहा था कि अनाज आदि का सारा भार राज्य उठा लेगा, उनकी सारी दलीलें मार्केटिंग सोसाइटी पर आधार रखती थीं, उनका मेजर आग्यूमेंट मार्केटिंग सोसाइटी है, उस हालत में उनको क्षमा करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है । इस एक्ट के इतने सारे क्लॉज हैं वे किसानों को राहत नहीं देते, मार्केटिंग की सुविधा नहीं देते, इसमें इतनी गलतियां, इतने लूप होल्स हैं कि यह किसानों को राहत नहीं देता । आज जो इसमें जरूरत है वह यह है कि रूल्स दर्ज किये जायें. ३६ के तहत रूल्स अमेंड किये जायं और एक्ट में और प्रोविजन्स जोड़े जायं । आज इतनी नजाकत का वक्त नहीं कि आज संशोधन लायें, थोड़े ही अर्से के बाद और संशोधन लाये जायं। जिस गम्भीरता से देश की खाद्य स्थिति बदलती जा रही है, देश के खाद्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाली क्रॉप सक्सेसफुल क्रोप नहीं है, ९२ मिलियन्स, १०० मिलियन्स प्रॉड्यूस करने का जो हमारा टार्गेट था वह अचीव होने वाला नहीं है । अमेरिका से कोरा जवाब मिल गया है, इसलिये कोई नजाकत, सताफत दलील चलने वाली नहीं है । इसलिये मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर पूरी तरह स्क्रुटिनाइज करके, सारी चीजें एग्जामिन करके मार्केटिंग सोसाइटीज को अच्छी तरह से चालू करने की कोशिश करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, चीजों के; ग्रेन कोमोडिटीज और दूसरी कोमोडिटीज के स्टॉक करने का अरेंजमेंट करने के सम्बन्ध में रूल्स हैं, वे बहुत ही डिफेक्टिव हैं । खाद्य मंत्री ख्वाबों की दुनिया में होंगे, अगर वे सोचें कि सारी की सारी कोमोडिटीज मार्केट में आती हैं, उसमें स्टाकिज्म के लिये कोई भी रास्ता नहीं है, तो वे भ्रम में हैं । इसमें स्टॉकिज्म का पूरा रास्ता खुला है ! जैसा कि काण्ड हो चुका ह, सारे राजस्थान के प्रशासन को खाद्य मंत्री वायरलैस के जरिये अचानक एक मेसेज सारे राजस्थान में जारी करें कि कोर्स ग्रेन का एक्सपोर्ट रोक दिया जाय । इस प्रकार के नाटक सारे हिन्दुस्तान के अन्दर हों और एन्टी-डेटेड एन्ट्रीज हों ! कुछ लोगों को एन्टी डेटेड एन्ट्रीज अलाउ कर दी जायं, कुछ लोगों की एन्टी डेटेड एन्ट्रीज कैंसिल कर दी जायं; इस प्रकार के ड्रामाज हुए गंगानगर के अन्दर कि एक गजसिंहपुरा मंडी म जिसके लिए कलेक्टर का भी ध्यान आकर्षित किया,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक तहसीलदार नरसिंह जो हजारों मन चने एन्टी डेटेड एन्टर कर रहा है, मौके पर पकडा जाय उसको कुछ नहीं किया जाय और रायसिंहनगर के पर्चेज ऑफिसर जो १२ तारीख को दो नो० ओ० सीज काटता है उसको सस्पेंड किया जाय और लाखों रुपयों के अनाज की एन्टी डेटेड एन्ट्रीज करने वाले को कुछ नहीं किया जाय, एमर्जेन्सी में ऐसी चीजों को अलाउ नहीं करती। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुआ मैं निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण एक्ट है, इसके रूल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका ताल्लुक आम प्रोड्यूसर्स के जीवन से है, उनको शोषण से बचाने से ताल्लुक रखता है, इसका ताल्लुक राज्य की खाद्य स्थिति से भी है हालांकि मैं इसको अंतिम पिलर नहीं मानता हूं जिस पर राज्य की खाद्य नीति बेस की जा सके, वह तो स्टेट ट्रेडिंग ही हो सकती है जिस पर सुरक्षित फूड नीति बिल्ड अप हो सकती है। तो बफर स्टॉक्स सरकार क्रिएट करे। इसलिए जल्दी में इसको पास न करके हाई कोर्ट वाली स्थिति पैदा न की जाय और इसे सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय जो गंभीरता से इस पर विचार करे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, जिस मकसद के लिए यह अध्यादेश लागू किया और उसको कानून तब्दल देने के लिए जो अमेंडिंग और वैलीडेटिंग बिल हमारे सामने है उस मकसद से मैं सहमत हूं और मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारी सरकार जब यह अमल में लाएगी और उसके बाद जो कमियां महसूस करेंगे लाजमी उसकी तरफ संशोधन लाकर कमियों को दूर करेगी। आज से पहले पंजाब में इस एक्ट के तहत ५ अमेंडिंग बिल्स पेश हो चुके हैं इसलिए पंजाब से कई बात सीखने की हैं। मैं समझता हूं कि मंडी कमेटियों की कम्पोजिशन के बारे में, उनकी पॉवर्स और फंक्शन्स के बारे में, मुझे भी कुछ सुझाव इस सरकार के सामने पेश करने हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारी सरकार ने जो मंडी कमेटीज का कम्पोजीशन किया है, जिस तरह से किसानों को आज नुमाइंदगी दी है, व्यापारियों को पंजाब में पैरिटी लेवल पर ५० प्रतिशत व्यापारियों को और ५० प्रतिशत किसान, हमारी सरकार ने इसमें ७ नुमाइंदे जो खेती-बाडी से संबंध रखते हैं, दो व्यापारियों के, एक पंचायत समिति का प्रधान होगा उसके अलावा वेयर हाउस का नुमाइंदा होगा, नगरपालिका का नुमाइंदा होगा और एक सहकारी बैंक का और एक एस.डी.एम.। इसको और रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर देना चाहिए आज की हालात के अनुसार क्योंकि मंडीज में हम देखते हैं कि कन्ज्यूमर अपना एक पार्ट प्ले करता है, जो कन्ज्यूमर्स सहकारी समितियां बनाते हैं उनका नुमाइंदा होना चाहिए। इसके अलावा एम०एल०ए० बाइ वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन अपनी कीमत रखता है, इन मंडी कमेटीज की कम्पोजीशन में उसका भी नाम शामिल हो। इसके अलावा जो पल्लेदार जिनका किसान के साथ शोषण बंद करना चाहिए जिसको २५ पैसा १०० पर मिलेगा, जो तुलाई करता है और जो जराइ करता है है उसको ३० पैसे मिलते हैं, उनके इन्टरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए उनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। यह इसलिए कह रहा हूं कि हमने इसके फंक्शन्स को देखा और दिक्कतों को देखा कि कौन कौन से एलीमेंट्स हैं समाज के जिनसे मंडी कमेटीज का संबंध रहता है, तो उनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। एक साल पहले सरकार ने यह १५ आदमियों का

(श्री केदारनाथ)

नोमीनेशन किया, उस समय पंचायत समितियों का लास्ट ईयर था। उसके एक साल बाद चुनाव हो गए, उस समय का रिप्रेजेन्टेशन ज्यादा कीमत नहीं रखता इसलिए जो नई पंचायत समितियां हैं उनको पॉवर्स होनी चाहिए। धीरे धीरे रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर इसका व्यापक हो ताकि हमारा सजीव संबंध देहातों से हो, किसानों से हो, जिनके शोषण के बारे में हमने यह कानून बनाया।

एक फंडामेंटल कमी और है। जब किसान प्रोड्यूस लेकर मंडी में आता है, गंगानगर की मंडी, बेस्ट रेग्यूलेटेड मानी जाती है। जैसे १० साल पहले किसान से ५ रुपया सैंकडा लाग-बाग लेते थे, जो अच्छे किसान हैं वे रिबेट भी देते हैं, वहां कमीशन एजेन्ट को १४ आना सैंकडा से ज्यादा कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे किसान कम हैं। इसलिए मंडी कमेटीज की मार्फत किसानों को रिबेट मिलेगा और ऐसी हालत पैदा हो जायगी कि बहुत कम मार्जिन होगा व्यापारियों के लिए और कम शोषण किसानों का हो सकेगा। लेकिन जो लाग-बाग अब भी लिया जायगा २५ पैसा सैंकडा वह ठीक नहीं है जो खरीदेगा उससे ही सारा लाग-बाग लें, यह फंडामेंटल तब्दीली होनी चाहिए क्योंकि पंजाब में दस साल के बाद यह फैसला हुआ कि लाग-बाग किसान पर न लगे, बल्कि जो माल खरीदता है उस पर लगे। क्योंकि आज की हालात में समाजवादी व्यवस्था नहीं; ओपन मार्केट है, दूसरी मंडियों में बेचते हैं, इसलिए यह लाग-बाग खरीद करने वाले से वसूल की जाय।

पिछले दो-चार साल में नुकसान हुआ। अगर मंडी चलती तो गंगानगर में फीस के रूप में ५ लाख रुपए जमा होते, यह पांच लाख रुपए मंडी कैसे खर्च कर सके उसको कुछ वाइड पॉवर्स दी जायं, महज इतना कि पानी की व्यवस्था कर दें, ठहरने के लिए शेल्टर बना दें या और इंतजाम कर दे। मगर जो संस्थाएं आज तक चलती आ रही हैं अगर वे संस्थाएं जनता के हित में हैं, काश्तकारों के हित में हैं और कुछ सिद्धांतों को लेकर चल रही हैं तो यह पैसा उसमें एलोकेट कर सकें मंडी कमेटीज, ऐसी पॉवर्स की मैं मांग करता हूं।

सारी की सारी चीजें अगर हम सोचें कि ग्रेडिंग के बारे में मंडी कमेटीज में इतने एक्सपर्ट्स नहीं, उनकी सेवाएं कैसे ले सकें कपास के स्टेपल्स क्या हों, गेहूं कि कितनी ग्रेडिंग्ज होती है, ये सब टेक्नीकल बातें हैं। आज मंडियों में किसानों का ऐसा नुमाइंदा हो जो सही कीमत दिला सके, सही ग्रेडिंग कर सके। इसलिए एक्सपर्ट्स की सर्विसेज जरूरी हैं। अगर कानून में कमी है तो इसकी पूर्ति कर दें।

यह सारी चेंज इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसी ताकत समाज में पैदा हो कि प्राइस का रेग्युलेशन हो सके। इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी कीमत तय करता है। मगर किसान जो पैदा करता है, उसकी कीमत के डिटर्मिनेशन में कोई हाथ नहीं। तो सरकार ऐसी ताकत बनाए, ऐसा कानून बनाए, ऐसी सोशियल कन्डीशन्स पैदा करे कि ऑल इंडिया लेवल पर लाजमी तौर से किसान की प्रोड्यूस की जो प्राइस है उसके डिटर्मिनेशन में जैसे ये कमेटीज बन रही हैं, इसका व्यापक रूप हो, ऑल इंडिया लेवल हो जिसमें व्यापारी और किसान मिल कर कीमत रेग्युलेट कर सकें। तब मैं मानूंगा कि सरकार ने वास्तव में शोषण समाप्त करने के लिए कदम उठाए।

(श्री केदारनाथ)

किसान की प्रोड्यूस पर ट्रेडिंग कन्डीशन्स को रेग्यूलेट करने के लिए किसान अपनी फीस वसूल करे उसका पैसा भी खुद खर्च कर सकेगा। जो गौशाला के नाम से पैसा काटते हैं, किसान को मालूम नहीं कहा खर्च होता है, मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरह से दिमाग में जिस फिलोसोफी को लेकर चल रही है धीरे धीरे इसकी ओर ज्यादा कदम उठाएगी, कीमतों को देखते हुए और लाजमी अच्छे प्रयास करेगी, इस विश्वास के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (अमेंडिंग एंड वेलिडेटिंग) बिल, १९६५ सदन के समक्ष है उसको केवल एक नीयत से लाया गया है कि मार्च, १९६५ में जो हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के निर्णय में मार्केटिंग एक्ट की धारा ३७ के तहत जो कुछ भी बाईलॉज बनाये गये थे उनको नल एंड वोइड करार दे दिया था, उस सारे जजमेन्ट को इनइफैक्टिव बना देने के लिये और मार्केटिंग मंडीज ने जो कुछ भी कार्य अब तक किया है उसको वेलिडेट करने के लिये यह बिल सदन के समक्ष लाया गया है।

जहां तक मंडीज का सवाल है, उनके एम्स का सवाल है मैं सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो इस सम्बन्ध में आपत्ति करे। यह तथ्य है कि मंडी के अन्दर तोल के विषय को लेकर किसान को जितना पैसा मिलना चाहिये उसको न देकर भिन्न नाम पर, मद पर काट कर अनेक प्रकार की ज्यादतियां किसानों पर की जाती रही हैं उनको रोकना आवश्यक है, उनको रोकने के लिये कानून और बाईलॉज बनाये जायं इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और इस विषय में सरकार को कदम उठाना चाहिये और मैं यह मान कर चलता हूं कि अब तक जो इस विषय में कदम उठाये हैं वे कम हैं।

इस सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से इस विषय में चर्चायें की गई हैं। जनतन्त्र में ज्युडिशियरी एक चीज है जिसके आधार पर जनतन्त्र को जिन्दा रखा जा सकता है। चाहे अधिकार का प्रश्न हो, चाहे वे अधिकार कानून के द्वारा दिये गये हों या कानून और नियन्त्रण लागू किये गये हों, संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं उनमें कानून का उल्लंघन हुआ हो, व्यक्ति कहीं अपने अधिकारों को सुरक्षित पाता है तो ज्युडिशियरी ही एक ऐसी संस्था है। उस भावना को ध्यान में रख कर कि ज्युडिशियरी ही सुप्रीम है। डेमोक्रेसी के अन्दर वह अपने राइट्स को सुरक्षित रखाती है उसको देखते हुए उसके निर्णय के बाद इस प्रकार के वलिडेटिंग बिल लाये जाते हैं तो यह तो उनके ऊपर कुठाराघात होता है। मैं सोचता हूं कि इस ओर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

मंत्रीजी ने कहा कि ऑर्डिनेन्स लाना आवश्यक इसलिये हो गया था कि जितनी रकम अभी तक वसूल की गई थी और इन्वेस्टमेन्ट कर दिया गया था, वेलिडेटिंग बिल ले आये क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है, हम क्या करते। इस दृष्टि से यह अपना एक महत्व रखता है। अगर सरकार ज्युडिशियरी में विश्वास करती है और डेमोक्रेसी के लिये ज्युडिशियरी को बढाना आवश्यक है, मेरी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मान्यता कुछ इस प्रकार की है कि रुपया मंडीज ने ले लिया जिसको हाई कोर्ट ने इल्लीगल माना है बाइ लॉज को नल एन्ड वोइड माना है, इन मंडीज को कम्पेन्सेट करना चाहिये। कुछ लाख रुपया मंडीज ने ले लिया और लौटा दिया जावेगा उसके लिये बिल लाया जाय और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय, यह नितान्त अनुचित चीज है।

सरकार वेलिडटिंग बिल उस समय लायी है, जिसको नल एन्ड वोइड माना है, ज्युडिशियरी की सुप्रीमेसी को बनाये रखने के लिये यह कहां तक ठीक है इस ओर विचार करना चाहिये। सरकार इस प्रकार के बिल हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेन्ट दिये जाते हैं उनको इनइफेक्टिव बना दिया जाय और इसको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट दिया जाय, यह बहुत ही अनुचित है। जनता के ऊपर इसका एक ही असर पडता है कि सरकार ज्युडिशियरी से भी ऊपर है। यानि सुप्रीमेसी ज्युडिशियरी की न रह कर एग्जीक्यूटिव की हो गई। सरकार इस पर सोचेगी और आयन्दा के लिये इस प्रकार के बिल नहीं लाये जायेंगे इसके लिये बिचार करेगी।

मंडियों का बनाया जाना, यह कोई गलत नहीं है। मंडियों का बनाया जाना अच्छा है। किसान का शोषण होता है उसको रोका जाना ही चाहिये। बिचोलिये बीच में पैदा न हों। जिसका अधिकार है उसको प्राप्त हो। लेकिन सरकार ने मंडियों में जो पॉवर्स दी हैं राजस्थान में सरकार ने इन सारी बातों को रिन्असेस किया है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह एक्ट लाया गया था यह एक्ट उस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति कर पाया है इन मंडीज के फोर्मेशन में। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मंडीज में आप रिप्रेजेन्टेशन देते हैं। आज तक जो भी रिप्रेजेन्टेशन दिये गये हैं उसमें एक ही दृष्टिकोण आपने रखा है कि अपनी पार्टी के लोग बहुमत में आते जायं। इन मंडीज में कहीं भी ऐसी झलक नहीं आती दिखायी दे रही कि वहां पर एक्सपर्ट्स रिप्रेजेन्ट करते हों। वास्तव में जो किसान हैं, जो किसानों की दिक्कत को जानते हैं, किसानों की लीडरशिप रखते हों वे व्यक्ति भी उसमें हों तो ऐसा आभास भी इन मंडीज के फोर्मेशन से नहीं मिलता है। और भी कई कमियां हैं इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ नेशन, इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेन्ट आप दूर करना चाहें तो मंडीज का कम्पोजिशन है उसको उस ढांचे पर लाना पडेगा जैसा मैंने निवेदन किया। आपको इस दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मंडीज बनायीं। कल फूड डिबेट होगी, उस समय यह प्रश्न आवेगा। लेकिन उस प्रश्न को इसमें से अलग नहीं किया जा सकता। खास कर मंत्री महोदय का ध्यान मैं कोटा मंडी की ओर दिलाना चाहता हूं। आज देश में फूड क्राइसिस बडा भारी चल रहा है। हम आज आपत्कालीन स्थिति से गुजर रहे हैं। एक मोर्चे पर हम जरूर लड रहे हैं लेकिन दूसरा बडा भारी मोर्चा घर घर और गांव गांव में बन गया है अन्न की समस्या को लेकर उस पर विचार करना चाहिये। यह बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक-दल और व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि ऐसा काम नहीं किया जाय जिससे सरकार के काम में अडचन आये। समाज का कोई तत्व अन्न की समस्या को लेकर कोलाहल मचाना चाहे तो नहीं मचाने दिया जाय। हरएक इस ओर प्रयत्नशील है। हम सरकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से आशा करते थे कि आज आपतकालीन स्थिति में जो स्थिति हमारे सामने है उसके अन्दर मंत्री महोदय इस प्रकार का बिल लेकर आवेंगे, नोटिफिकेशन लेकर आवेंगे, मंत्री महोदय कृषि का भी भार सम्हालते हैं, देश में अन्न अधिक से अधिक पैदा हो, उसके लिये किसान के अन्दर इनिशियेटिव पैदा हो, हम यह आशा करते थे कि मंत्री महोदय कोई ऐसा विधान सभा में बिल लेकर आवेंगे जिससे हम अनुभव करेंगे कि कृषि मंत्री जी ऐसी चीज लेकर आये हैं। लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि किसानों को इनिशियेटिव दिया जाय, कैश क्रोप अन्न को छोड़ कर पैदा करने में जो किसान लगे हुए हैं उससे उनको हटा कर वे फूड पैदा करें उनके लिये कोई कन्सेशन होगा, उनको कोई अट्रेक्शन दिया जावेगा, सिंचाई आदि की उनको कोई सुविधा दी जावेगी, ऐसी कोई चीज लेकर मंत्री महोदय आवेंगे लेकिन यह देख कर हैरानी हुई कि मंत्री महोदय का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं गया।

जहां तक मंडीज का सवाल है, अनाज गांवों में मौजूद है। मैं खास कर कोटा की दृष्टि से कृषि मंत्रीजी से कह रहा हूं। आपने अनुभव किया होगा कि आज जो रूल्स बने हैं जो आपके ऑर्डर्स हैं उनके होते हुए भी आज जो फूड प्रोब्लम है वह प्रोब्लम उलझी हुई है और ज्यादा उलझती जा रही है। हमने मांग की थी कि अनाज के भाव तय किये जायं। आपने कुछ ऑर्डर्स निकाले उपाध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि आज मांग इस बात की की जा रही है कि अनाज मिले, चाहे किसी भी भाव हो मिले। मोटा अनाज दे दो, किसी भी भाव दे दो। मांग की थी भावों को फिक्स करने की। आज हालत यह हो रही है कि अनाज उपलब्ध नहीं है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मंडीज में सब से बडी आवश्यकता इस बात की है कि किसान वहां पर आये उसको फ्री कम्पीटिशन मिले, उसको उसकी उपज का उचित भाव मिले, व्यापारी मिल करके षडयन्त्र न कर सके, यह चीज आज मंडीज में नजर नहीं आती है। इन मंडीज की जो व्यवस्था की गई है वह मंडियों में अनाज आये, इस लिहाज से नहीं की गई है। आपको मैं कोटा मंडी का उदाहरण दूं। कोटा की मंडी में अनाज आ रहा है। वह आपके प्रयास से नहीं है, उसका भी एक बैंक ग्राउन्ड है। कलेक्टर कोटा ने और वहां के व्यापारियों ने मिल करके योजना बनाई। पच्चीस हजार रुपया ट्रान्सपोर्टेशन का इकट्ठा किया। वहां पर सरकारी अमला लगा हुआ है, फिर भी अनाज वहां पर जो आ रहा है वह भी उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है जितना आना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं की किस्म आपने दो-तीन प्रकार बनायी हैं और उसके भाव भी अलग अलग रखे हैं। लेकिन आपके ग्रेडेशन के अनुसार गेहूं नहीं आ रहा है। आज किसान इस बात की आपत्ति करता है, आप जिसको एक नम्बर का नहीं मानते वह उसको एक नम्बर का मान कर बेचना चाहता है। इस कारण भी किसान अपना अनाज नहीं ला रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं आज समय इस प्रकार का है कि हमें इस समय अन्न की समस्या को सुलझाना है। मंडीज को अधिक से अधिक एट्रेक्टिव बना कर आप सारी राहत किसान को दें, किसान को अपनी उपज का वाजिब

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पैसा मिले, अनाज बराबर जनता को मुहैया हो, इस प्रकार का प्रबन्ध हम कर पाते हैं इन मंडीज द्वारा तो यह हमारे देश के लिये शुभ होगा । आज की आपत्कालीन स्थिति के अन्दर हम यह आशा करके चलते हैं; अन्न की समस्या के समाधान के लिये इन मंडीज को किस प्रकार से एट्रेक्टिव बनायेंगे, किस प्रकार के रूल्स होंगे उसके बारे में आज आप मौन हैं, कल आप क्या करेंगे यह देखा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला

(अनुपस्थित)

श्री जयकृष्ण शर्मा ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५ सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है । मैंने भी इस बारे में प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय । जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है यह विधेयक बहुत ही अच्छा विधेयक है और यह किसानों से सम्बन्धित विधेयक है । किसान जो अपनी पैदावार करता है उसके अच्छे भाव मिलें यह बिल उससे ताल्लुक रखता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने उन मुद्दों को भी रखना चाहता हूं जिन मुद्दों को लेकर यह बिल सदन के सामने विचारार्थ आया है । इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट ने सही नहीं माना है, फिर भी हमने ऑर्डिनेन्स के जरिये जो कुछ बातें की गई हैं उनको कानूनी रूप दिया है; अब हम उसको एक्ट के अन्दर शामिल करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक जजमेन्ट राजस्थान पेसेन्जर्स टैक्स बिल को लेकर हुआ था । उस समय माननीय सदस्यों ने इस बात को सरकार के सामने रखा था कि आप इस बिल के बारे में दिल्ली से सलाह कर लें वहां के लॉ डिपार्टमेन्ट से सलाह कर लें क्योंकि हमारे यहां का विधि विभाग अयोग्य है वह ठीक से सलाह नहीं दे सकता । इसलिये हमने कहा था कि दिल्ली से सलाह लेकर हम इसमें इस प्रकार का संशोधन करें, हमारी विधान सभा की साख कायम रहे, दुबारा हमें इस पर विचार करना न पड़े लेकिन हुआ क्या कि वह हमारी सलाह नहीं मानी गई और आखिर जाकर वह बिल सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दे दिया गया ।

आप इस कानून में भी सेस की जगह फीस करते हैं । आखिर फीस आप किससे वसूल कर सकते हैं आपने इसको देखा है ट्यूशन फीस, लाइसेन्स फी हैं यह शब्द ऐसे हैं जो एक मुआवजे के तौर पर काम आते हैं । मार्केटिंग के लिये हर जगह मंडियां हैं उनके लिये अलग जगह नियत कर रखी हैं, वहां की म्युनिसिपैलिटीज ने जगह बना दी है तो फिर आपकी यह फीस किस बात की है ? अनाज जो वह बाजार में बेचता है उसकी एवज में दलाल को दुकानदार को आप कुछ परसेंटेन्ज दिलाना चाहते हैं । मुआवजा लेकर मेहनताने के रूप में दिलवाना चाहते हैं । मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप इस पर फिर गंभीरता से विचार करें । आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे अलवर के अन्दर मार्केटिंग कमेटी बनी है । अलवर की कमेटी ने बाई लॉज तैयार किये हैं उसके अन्दर उन्होंने ट्रान्सपोर्ट टैक्स

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

७५ पैसा पर ट्रक रखा है और २५ रुपया पर ट्रक ओनर से लेंगे लाइसेन्स फी के रूप में। खाद्य मंत्रीजी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इसी तरह का टैक्स पंचायतों ने बसेज के ऊपर, केटल के ऊपर ने फीस लगायी थी। हाई कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया आपके डेवलपमेन्ट विभाग को सर्कुलर निकालने पडे कि कोई भी ट्रान्सपोर्ट गाडियां पर किसी प्रकार का कर न लगायें। इसलिये आपको भी इसके बारे म भली-भांति सोच लेना चाहिये, कहीं इसी प्रकार की दिक्कत में मार्केटिंग कमेटियां भी न फंस जायं जहां वे उत्साह के साथ काम करना चाहती हैं, कहीं उनके सामने भी इस प्रकार की दिक्कतें न आयें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मार्केटिंग कमेटियां बनाई हैं उससे आप कन्ज्यूमर को फायदा दिलाना चाहते हैं, इसके द्वारा आप गौशालाओं का पैसा बचाना चाहते हैं धर्मार्थ का फन्ड जो निकालते हैं वह बच जायगा लेकिन आपने जो बाई-लॉज बनाये हैं उसके हिसाब से कमीशन एजेन्ट को एक रुपया सैकडा मिलेगा आप आज की स्थिति को देखिये आज भी दस आना बारह आना सैकडा से ज्यादा कमीशन एजेन्ट को नहीं मिलता है। आपको खुली छट होगी एक रुपया तक लेने की।

दूसरी तरफ मजदूर जो बोरी को, गोदाम तक ले जाता है उसका छः पैसा होगा, ट्रक से उतार कर जो गोदाम तक पहुंचाता है उसका तीन नया पसा होगा। आज जब कि उसको एक बोरी पर चार आना मिलता है आप उसको दो आना बोरी देंगे, इस तरह से मजदूर का शोषण मार्केटिंग कमेटियों द्वारा करवाना चाहते है यह उचित नहीं है। आपको इस बारे में सोचना होगा कि मजदूरों का और श्रम का शोषण न होने पाये। एग्रीकल्चरिस्ट को उसकी पैदावार की पूरी कीमत मिले और जो मजदूर मजदूरी करता है उसको भी अपना पूरा हिस्सा मिले, इस बात का हमें अवश्य ख्याल रखना पडेगा। किसान को आप उसकी उपज का उचित मूल्य कितना दिलवा पायेंगे, इसकी पूरी हिफाजत लेनी होगी। आपने इसमें इस तरह की बातें रखी हैं काश्तकार जो बाहर गांव से आता है अपनी गाडी में दस पन्द्रह मन अनाज लाता है अगर वह दो-तीन दिन उसके बेचने के लिये ठहरता है तो उसको दस-पन्द्रह रुपया खर्च पड जाता है। इस तरह से एक मन के पीछे उसका दो रुपया खर्च ज्यादा पड जाता है। वैसी हालत में वह क्या करेगा, इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मार्केटिंग कमेटीज के अन्दर इस प्रकार के अधिकार होने चाहिये कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य वह अपने पास से दे सके, इस प्रकार के पॉवर्स कमेटीज को होने चाहिये। वह अनाज बेचने के लिये इन्तजार न करे और उसको उचित मूल्य उसी दिन मिल जाय ताकि वह लेकर अपने गांव को लौट सके।

दूसरी बात जो मार्केटिंग कमेटीज बनी हैं वह ओटोनोमस बोडीज है। उनको टैक्स लगाने के अधिकार हैं उसी के अनुसार उन्होंने अलवर में २५ न० पै० टैक्स लगा दिया है अलवर म्युनिसिपल बोर्ड ने भी इसी प्रकार से चुंगी लगाई है सरसों के ऊपर दो आना मन। इससे साढे तीन और चार लाख करीब रुपया वह केवल सरसों की चुंगी से वसूल करती है। और मार्केटिंग सोसाइटी भी लगाती है तो वह भी चार लाख रुपया

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इससे कमा लेगी । अन्य अनाज से और पैसा वसूल होगा उन सब का अन्दाज लगायें तो ९-१० लाख रुपये के करीब हर साल मार्केटिंग कमेटीज को आमदनी हो जायगी । ये कमेटियां भी राजनीति का अखाडा बन जायेंगी जिस प्रकार कि राजस्थान क्रय-विक्रय संघ बन गया है । कुछ लोग उसका मिस यूज करेंगे । इसका असर एक यह भी होगा कि जब इतना टैक्स इन चीजों पर लग जायगा तो वह अलग मार्केट बनायेंगे वह माल दूसरी जगह जाकर बिकेगा । आखिर में जाकर इसका सब का भार कन्ज्यूमर को जाकर पडता है । आप कितने ही टैक्स लगायें जो व्यापारी है वह देता नहीं सब टैक्स कन्ज्यूमर पर पडता है प्रोड्यूसर पर पडता है । कभी भी वह बीच के आदमी पर नही पडता है; इसलिये जहां तक टैक्स लगाने का अधिकार है उसको सीमित करना पडेगा ।

इसी प्रकार से अलवर म्युनिसिपल एक्ट के अन्दर प्रावधान है कि वह मन्डी कमेटी कायम करेगा अलवर म्युनिसिपल बोर्ड मन्डी कमेटी कायम करना चाहता है । अलवर म्यनिसिपल बोर्ड चुना हुआ बोर्ड है। उसने कहा कि हमारे यहां ऐसे हालात नहीं हैं जिससे कि मन्डी कमेटी कायम हो सके आपके द्वारा मन्डी कमेटी कायम करने से चार आना मन सरसों की आमदनी बोर्ड को होती है वहां कमेटी द्वारा और सैस लागू कर देने से उसका नतीजा यह होगा कि सरसों, चना आदि चार आना मन ऊंचे भाव पर जायेगा उससे वहां का बाजार खत्म हो जायगा और वह जयपुर की तरफ डाइवर्ट हो जायगा और इससे अलवर म्युनिसिपल बोर्ड पर चुंगी की जो आमदनी है उस पर भी बडा असर होगा।

किसान की उपज में गुड कोई पैदावार नहीं होती है वह मंडियों में बिकता है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा । इससे कन्जूमर को हर चीज महंगी मिलेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो मन्डी कमेटी कानून बना है किसानों को अपनी उपज का सही भाव दिलाने के लिये ठीक है, उसके साथ कन्ज्यूमर को सस्ती चीज दिलाने के लिये भी यह कानून बनाया है । यह हमारा फर्ज है कि मार्केट के अन्दर किसानों को अपनी उपज का सही भाव मिले उसी के लिये यह बिल लाया गया है अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसको मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है । इस बिल के पास होने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले इसी भावना से यह बिल लाया गया है और यदि इसी भावना के अनुकूल यह कार्य रूप में परिणत होता है तो यह बहुत ही स्वागत योग्य बात है । लेकिन मुझे देखने में यह आया है बेंगू में एक व्यापारिक मंडी है कानूनी मंडी है वहां उन्होंने ३६ हजार रुपया इकट्ठा किया । सालाना १८ हजार रुपया वह इकट्ठा करती है उसने डेढ सौ रुपये माहवार के नौकर रख छोडे हैं आखिर उससे किसानों को क्या फायदा हो रहा है यह तो एक प्रकार से किसानों का शोषण हुआ । किसानों की भलाई का क्या काम हो रहा है ?

इसके अलावा एक एसोसियेशन अभी बना है जिसके एक हजार शेयर्स लिये गये हैं १८ आदमियों ने मिल करके एसोसियशन बना ली । इससे क्या हुआ वहां अनाज में पांच रुपया बोरी का भाव बढ गया । तो

(श्री चौसरसिंह बावेल)
इस तरह से जो काम होता है उससे किसानों को नुकसान है। आपस में जहां एक पार्टी के लोग हों वे किसानों को लूटें नहीं, इस बात का इन्तजाम होना चाहिये। किसानों को तोलने में जो लूटते हैं उससे भी उनकी वचत होनी चाहिये। आप किसानों के बारे में सुनते नहीं, अनाज की समस्या विकट होती जा रही है। अनाज समस्या हल करने में खाद्य मंत्रीजी फेल होते जा रहे हैं ऐसी हालत में आप इस पर विचार करेंगे। ऐसे कानून लागू करके आप किसानों की भलाई सोच रहे हैं, यह तो अच्छा है। उन कमेटियों में कोई भी प्रतिनिधि रहे लेकिन वास्तव में वह किसान हो, किसानों का सच्चा हितैषी हो, उसी को इनमें रखा जाना चाहिये। केवल नाम मात्र के किसानों के प्रतिनिधियों को रखने से किसानों का लाभ नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कमेटियों में अच्छे आदमियों को लें। यही मेरा निवेदन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५ के बारे में राज्य सरकार की ओर से जो ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है, वह बहुत ही उचित एवं उपयुक्त है।

माननीय उपाध्यक्ष, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान सरकार इस तरह से अमेन्डमेन्ट क्यों लाती है? राजस्थान सरकार ने इसमें पहले पहल मार्केटिंग के डेवलपमेंट के लिये कानून बनाया था। अब चूंकि वह पहला ही कानून था इसलिये उसमें कुछ वास्तविक कठिनाइयां आई। उसमें पहले किसी सीमा तक मैग्जिमम फीस लगाना जरूरी है, कुछ टर्म्स और कन्डीशन्स रखना जरूरी है, सैस की निश्चित मात्रा तय करना जरूरी है तो इन सबके नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट में रिट गई और जो सैस चार्ज किया था उसे रिफण्ड करने का आदेश हुआ। अब ये जो कठिनाइयां थीं उनको दूर करने के लिये इसके सिवाय और कोई रास्ता सरकार के पास नहीं था। उनको सिर्फ रेगुलेराइज करने के लिये सरकार ने ऑर्डिनेन्स जारी किया था। इसके बाद में उसे कानूनी रूप देने के लिये यह बिल लाये। अब इसमें यह सब ने माना है कि यह काश्तकारों के हित का कानून है।

राजस्थान में ७० प्रतिशत किसानों का धन्धा खेती है और उनकी खेती की प्रोड्यूस का पूरा पूरा लाभ उन किसानों को मिले इसके लिये अच्छा बाजार उनको मिलना चाहिये इसको मद्देनजर रखते हुए मार्केटिंग कमेटीज बनाई और इसे रेगुलेट करना जरूरी था तो इसको लेकर यह कानून बनाया गया है। अब इसमें कुछ खामियां रहीं जैसा कि ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स में बताया गया तो उन्हीं की पूर्ति इस बिल के द्वारा करवाना चाहती है सरकार।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक बात का स्पष्टीकरण सरकार से चाहूंगा कि जिन कारणों से हाई कोर्ट में यह कानून अल्ट्रावायर्स करार दिया गया। उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रोवीजन्स के अलावा भी लॉ डिपार्टमेंट से इसे थोरोली एग्जामिन कराया जाना जरूरी है ताकि आगे फिर इन प्रोवीजन्स

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

के होते हुए भी हाई कोर्ट में और कोई कठिनाई खड़ी न हो जाय। इसलिये मैं आग्रह करूंगा थोड़े अर्से के लिये ही सही, इसे सिलेक्ट कमेटी में भिजवा कर प्रोड्यूस रेगुलेटिंग के कानून को एग्जामिन कराके कन्सोलिडेटेड बिल के जरिये इसे पूरा बना दिया जावे ताकि आइन्दा कानूनी कठिनाई पैदा होने का अन्देशा न रहे। इसी लिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। फिर इसमें भी स्पष्टतया प्रोवीजन है कि आगे कोई डिफिकल्टी नहीं अराइज हो, इस रूप में इसे पास करेंगे।

(४.०० म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास :

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल, १९६५ जो प्रस्तुत हुआ है उसके लिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। जहां तक मुझे इस मार्केटिंग बिल के सम्बन्ध में निवेदन करना है वह यह है कि जो मार्केटिंग एक्ट पहले पास किया गया उसमें किन्हीं खामियों के कारण हाई कोर्ट के द्वारा यह प्रीवियस सैंक्शन और उसकी स्वीकृति नहीं लेने की वजह से जिन बाईलॉज से मार्केटिंग कमेटी बनाई उनकी स्वीकृति नहीं ली और उनको इनवेलिडेट कर दिया है उसको वेलीडेट करने के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है। जहां तक गवर्नमेन्ट ने जवाब दिया और जो मंशा उन्होंने जाहिर की कि लाखों रुपया जो मार्केटिंग कमेटी के द्वारा वसूल किया गया है और वह उसके डवलपमेंन्ट के सम्बन्ध में वसूल किया गया है अगर उसको वापिस लिया जाता है तो गवर्नमेन्ट और मार्केटिंग कमेटीज की फाइनेन्शियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि इतना पैसा वापिस दे दे। उस कमेटी के डेवलपमेन्ट के सम्बन्ध में भी काफी हानि होगी। जहां तक इस एक्ट और जो मार्केटिंग कमेटीज़ बनाई गई उनका प्रश्न है मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि जब तक यह मार्केटिंग कमेटीज़ नहीं बनाई थी; तब तक व्यापारी लोग जो इन मंडियों में काम करते थे वह किसानों को किस प्रकार से शोषण करते थे। पुराने बाटों से तौलते थे, खरीदते किसी बाट से और बेचते किसी बाट से थे। भावों में घटा बढ़ी और तौल में भी घटा-बढ़ी और उसमें भी कई तरह की लागत वसूल होती थी। कहीं कचरे की लागत, कहीं धर्मादे की लागत काट लेते थे और जो किसानों को पैसा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता था और इसी बात को रेगुलेट करने के लिए यह बिल यहां लागू किया है।

जहां तक इन मन्डियों और मन्डी कमेटीज का ताल्लुक है और जो सरकार ने यहां पर प्रावधान बनाया है कि जो काश्तकार प्रोड्यूस करे और उसकी प्रोड्यूस मार्केट के अन्दर आये तो उसकी ग्रेडेशन फिक्स होकर के जो जो सामान लाया जाता है उसकी ग्रेड फिक्स होकर के उसकी कीमत वाजिब मिले और किसान वाजिब कीमत से महरूम नहीं हो सके इस प्रकार का प्रावधान किया है मगर उसके साथ साथ कई इस प्रकार की बातें भी हैं कि जिनके ऊपर हमें पूरी तरह से विचार करना पड़ेगा। आज मार्केट के अन्दर जो प्रोड्यूज किसानों के द्वारा लाई जाती है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और जैसा कि आज प्रावधान हैं कि वह मंडियों के अन्दर आती है तो कोई भी आदमी वहां पर बिड लगा सकता है, बोली लगा सकता है और जिसकी हाइएस्ट बोली होती है उसके नाम पर ही बोली छूटती है। यह एक्ट जिसके लिए लागू होगा वह लाइसेंस होल्डर ही बोली लगा सकता है और दूसरे व्यक्ति उसके अन्दर हिस्सा नहीं ले सकते। इसकी वजह से कुछ व्यापारी लोग गुट बना करके जो पैसे वाले लोग हैं और जो कि मन्डी के लाइसेन्स होल्डर्स हैं वह प्रबन्ध कर लेंगे कि हमें अमुक मूल्य से आगे नहीं बढना है तो ऐसी स्थिति में जो काश्तकार को लाभ होना चाहिए नीलामी के द्वारा उससे वंचित रह जायेंगे। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि काश्तकार की अपनी उपज जो वह मार्केट में लाये उस मार्केट में उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा, जो कि उसको मिलना उचित है, वह उसको किसी प्रकार से मिल जाये, इस प्रकार का प्रावधान नितान्त आवश्यक है।

दूसरी मेरी अर्ज है कि यहां पर जो मन्डी कमेटियां बनाई गई और जिस प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि वहां पर लाइसेन्स होल्डर्स ही बोली में हिस्सा ले सकेंगे तो जो व्यापारी गांवों में काम करने वाले हैं जो कि आज भी वही धंधा करते हैं वे लाइसेन्स नहीं मिलने से इस काम से महरूम हो जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर ऐसा हुआ तो उनका सारा काम ठप्प हो जायेगा, इसलिये उन लोगों के सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिए कि वे लोग किस प्रकार से अपना काम चला सकेंगे और उसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि जो मजदूर लोग हैं जैसा कि मंडी कमेटीज बनाई गई हैं उनमें सब लोगों के प्रतिनिधि लिए गए हैं, किसानों के भी प्रतिनिधि लिए जाते हैं, सरकारी प्रतिनिधि भी लिए जाते हैं, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के भी प्रतिनिधि लिये जाते हैं और भी दूसरे कई प्रतिनिधि लिए जायेंगे जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है कि जो सदस्य लिए जाते हैं उनमें से बहुत से ऐसे आदमी हैं कि जो अमुक अमुक लोगों को रिप्रेजेन्ट नहीं करते। तो जहां तक इनके रिप्रेजेन्टेशन का सवाल है यह खयाल रखना है कि जब मार्केटिंग कमेटीज बनती हैं और काश्तकार जिनका कि सबसे ज्यादा इन्टरेस्ट इन्वोल्व होता है उन लोगों को सही रिप्रजेन्टेशन नहीं मिला तो उनको सही पैसा नहीं मिल सकेगा और उनको अगर पैसा नहीं मिलता है तो मार्केटिंग कमेटीज में जो सामान प्रोड्यूसर के द्वारा लाया जायेगा उसमें भी बाधायें उपस्थित होंगी इसलिए जो कमेटीज बनाई जाती हैं उनमें उन को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही साथ मजदूरों के संबन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि मजदूरों का रिप्रेजेन्टेशन उसमें नहीं होता है तो उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में कौन बातचीत करेगा। सब लाइसेन्स होल्डर्स की मर्जी के ऊपर रहेगा या उस कमेटी के द्वारा जो पैसा तय कर लिया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जायगा जिसमें कि व्यापारियों के प्रतिनिधि होते हैं, किसानों के प्रतिनिधि होते हैं लेकिन लेबर का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है तो उनके इन्टरेस्ट को कौन सेफगार्ड करेगा। इस प्रकार का कोई प्रावधान इस कमेटी के अन्दर नहीं रखा है और अगर इस प्रकार का प्रावधान इसमें नहीं रखते हैं, तो जहां हम किसानों का शोषण रोकना चाहते हैं वहां अगर हम लेबर का शोषण नहीं रोक सकें जो कि बहुत बडी तादाद में हैं, तो उनका इन्टरेस्ट किल होगा और जगह जगह जो हम मिनिमम वेजेज तय कर रहे हैं और पूरी तरह से मजदूरों को उनका पैसा मिल सके इस प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं तो यहां भी इसका प्रावधान होना चाहिए कि उन लोगों के लिए कोई न कोई प्रावधान इसमें जरूर होना चाहिए या जैसा कि ट्रिपारटाइट कारपोरेशन के द्वारा तय किया जाता है कि किस प्रकार से वेजेज तय किये जायें उसी प्रकार से मन्डी कमेटी या जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व था जिससे कि उनकी वेजेज भी तय की जा सके मेरी मन्शा है कि जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है और जो यहां पर बिल लाया गया है और जिस प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित होने वाली हैं जो कि व्यापारियों को, काश्तकारों को, कन्ज्यूमर्स को जिससे कि पैसा किस प्रकार से आज लिया जायेगा इन सब बातों को ध्यान में रखकर पूरी तरह से गौर किया जाये तो वे दूर हो सकती हैं। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया था कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट का जो मेन एक्ट है उसकी मंशा को देखते हुए और वह जिन परिस्थितियों में यहां पर लागू किया है उसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी राजस्थान में हो जाता था कि ऐसे एक्ट्स यहां पर लाये जायें जिससे कि काश्तकारों को जो कि खेती से अनाज पैदा करते हैं उनको सही कीमत उसकी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर ऐसी परिस्थितियां आ गई थीं १९६१ के पहले ही जिससे कि काश्तकारों को जो बडे बडे व्यापारी थे उनके चंगुल से बचाने की बडी आवश्यकता हो गई थी और १९६१ के अन्दर यह जो कानून आया था उसका सभी क्वार्टर्स से स्वागत किया था गया। परन्तु खेद की बात तो यह है कि १९६१ में कानून के पास होने के बाद भी जो मार्केटिंग सोसाइटी बनाई जानी चाहिए थीं उनको ठीक तौर से आज तक भी नहीं बना सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९६१ में कानून पास हुआ। होना तो यह चाहिए था कि सरकार का यह फेवरेट एक्ट होने के नाते सरकार उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेती। परन्तु सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में ठीक तरह से दिलचस्पी नहीं ली गई और १९६३ तक जैसे आंकडे बताए गए हैं उसके जरिए सिफ ९ मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मेरा यह मोशन है कि जब कि यह मार्केट सोसाइटीज एक्ट पास होने के बाद भी ठीक तरह से सोसाइटीज नहीं बनाई गई हैं और अभी भी वह ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं तो इसके सम्बन्ध में सरकार का सोचना जरूरी हो जाता है कि जो मेन एक्ट में केवल हाईकोर्ट के जजमेन्ट से जो स्थिति पैदा हुई है उसको ही मद्देनजर रखते हुए अमेन्डमेन्ट बिल न

(श्री गंगासिंह)
लाया जाय बल्कि फाइनली ऐसी २ जो कानूनी खामियां हैं उन कानूनी खामियां को वापिस स्टडी किया जाय और उसके बाद में जो यह कानून १९६१ में पास हुआ है तथा अभी भी जो मार्केट कमे ी बनी हैं वे फंक्शन नहीं कर रही हैं, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए कुछ अमेन्डमेन्ट मेन बिल में लाना लाजमी हो जाता है। उन अमेन्डमेन्ट्स को लाना जरूरी हो जाता है इसलिए मेरा एक कारण यह भी है, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का कि जिसके कारण जो जो अमेन्डमेन्ट इस मेन एक्ट में लाने हैं वे सब एक ही अमेंडिंग बिल के तहत आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आ जाता है जो हमारे सामने अमेंडिंग बिल पेश हुआ है उसके तहत के अन्दर हाई कोर्ट में कुछ बायलाज इनवेलीडेट कर दिए हैं, हकीकत में देखा जाय तो यहां इन्टरप्रिटेशन आफ लॉ का सवाल नहीं है। जो हमारे अफसर, डाइरेक्टर लोग या मार्केटिंग सोसाइटीज के मेम्बर हो सकते हैं इसमें उनकी भारी भूल के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर आप मेन एक्ट के प्रोविजन को देखें तो इसमें सेक्शन ३७ जो है वह इस प्रकार है :–

"Subject to any rules made by the State Government under section 36 and with the previous sanction of the Director or any other officer specially empowered in this beha by the State Government, the market committee may, in respect of the market area under its management make bye-laws for the regulation of business and conditions of trading therein."

यानि इसके प्रोविजन्स जो हैं उसके अन्द·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) आपके दल की इस सम्बन्ध में क्या राय है ?

श्री गंगासिंह : वही तो कह रहा हूं। तो यह जो······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपके दल की यह राय है कि मार्केटिंग कमेटीज बनाई जायं।

श्री गंगासिंह : हां, बननी चाहिए। सवाल यह है······

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आपने पहले ही कह दिया है कि मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री गंगासिंह : प्रश्न यह है कि ये बायलॉज जो हैं उनको हाई कोर्ट ने इनवेलिड कर दिया है। इसका कारण प्रीवियस सेक्शन ऑफ दी डाइरेक्टर नही है। तो इसका कारण केवल यह मान लिया जाय कि प्रीवियस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन है तो इसका कारण तो साफ नजर आता है। प्रीवियस सेक्शन के मायने यही है कि कोई भी बाइलॉज को पास करना चाहते हैं तो पहले डाइरेक्टर के पास भेजते हैं। डाइरेक्टर जब एप्रूव कर दे, then the market societios will pass it. अब सवाल यह आ जाता है कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉं है तो हकीकत में तो इसमें भूल ही हुई है और कानूनी भूल होने के नाते ही यह बिल लाया गया है। अब कानून के बारे में गवर्नमेन्ट भूलें करती जायं तो इसके बाद में ऐसा कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर कानून बनाए तो यहां मैटर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आ जाता है। यह ठीक है कि यह हाउस सोवरिन बोडी है। यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कोई भी कानून पास कर सकती है, यह हाउस की पॉवर में है। लेकिन यह

(श्री गंगासिंह)

हाउस के विचारने की बात भी है कि सोवरेन्टी ऑफ जुडीशियरी को देखना पडता है ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभानेत्री पदासीन)

ऐसी स्थिति में मार्केटिंग सोसाइटीज के बाइ-लॉज को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न देने से कितने लाख का नुकसान होता है या मामूली नुकसान ही होता है, यह देखने की बात है । मेरी राय में अगर बाइ-लॉज को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फोर्स में लाने की आवश्यकता नहीं हो तो गवर्नमेन्ट को इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स के लिये नुकसान भी भोगना चाहिए । ऐसी परिस्थिति के अन्दर मेरी राय है कि एक तरफ तो जो मेन एक्ट है उसके प्रोविजन्स के अन्दर कौन २ से प्रोविजन्स और बढाए जायं और किस तरह से अमेन्ड किया जाय कि जो मार्केटिंग सोसाइटीज के मेम्बर हैं उनको किस तरह से रखा जावे, उनका वर्किंग कैसा होना चाहिए इन सब बातों को लेकर एक अमन्डमेन्ट बिल लाया जाय । दूसरा जो मेरा कारण है इस बिल के लिए और जिसको मैं जरूरी भी समझता हूं कि हम बराबर देखते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लाने की प्रथा बनती जा रही है इसको खत्म करना चाहिए । इसलिए मेरी राय है कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और वह अपने विचार इस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद दे और एक बिल ड्राफ्टेड अमेंडिंग बिल इन सारे प्रोविजन्स को ध्यान में रख कर इस सदन के सामने लाएं और उसके बाद एक नया बिल लाया जाय ।

(सर्व श्री मुकितलाल मोदी एवं रामानन्द अग्रवाल बोलने खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री :श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, मैंने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है । इस प्रस्ताव की आवश्यकता इसलिए पडी कि फण्डामेन्टली इस बिल के हम पक्ष में हैं, फण्डामेन्टली यह आर्डीनेन्स भी आना चाहिए और जिस तरह का जजमन्ट हाई कोर्ट का हुआ है उस स्थिति को भी हम स्वीकार करते हैं लेकिन दृष्टिकोण यह है

(गण-पूरक घंटी)

लेकिन जिस दृष्टिकोण से यह बिल बनाया गया है या जिस दृष्टिकोण को लेकर इस ऑर्डिनेन्स को लाया जा रहा है, मैं यह महसूस करता हूं कि इन दोनों ही दृष्टिकोणों से अब भी वहां कमी है । न ही तो जो पर्पज इस बिल को लाने का है वह इस एक्ट से पूरा हो रहा है और ना ही जो अवैधानिकता हाई कोर्ट के जजमेन्ट म दर्शाई गई है और जिसे इस ऑर्डिनेन्स के जरिए पूरा करने की कोशिश की गई है उससे पूरा हो पाएगा । इसलिये मेरा यह दृष्टिकोण है कि इस बिल को पूरी तरह से विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि एक फुल अमेन्डमेन्ट बिल इसमें आ सके ।

सभापति महोदया, इस बात की दलील के तौर पर कि यह बिल जिस मकसद के लिये या जिस उद्देश्य के लिये एक्ट शुरू में बनाया गया था उस मकसद को यह एक्ट पूरा नहीं कर रहा है , उसके लिये मैं मिसाल दूं कि इसका मकसद जो किसानों की लूट मण्डियों में होती थी, व्यापारी तरीकों में लूट होती थी उसको खत्म करने के लिये यह कानून बनाया गया था । किसान लगातार आन्दोलन कर रहे थे अपने हितों की रक्षा के लिये और जिस तरह की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लूट खसोट उनकी होती रही है उससे उनको बचाने के लिये मांग उठाई जाती रही और इसीलिये सरकार ने १९६१ में कदम उठाया वह स्वागत योग्य था। परन्तु एक तो जिस तरीके से ढिलाई बर्ती गई, चार वर्ष तक उसके रूल्स तक नहीं बनाये गये उनको इन-इफेक्टिव करके सरकार ने जेन्युअनली इस कानून को लागू करने की चेष्टा नहीं की। नम्बर दो, इस कानून की धाराएं पढने से ऐसा लगता है, कि सरकार जिनको बचाना चाहती है जिस किसान को बचाना इसका दृष्टिकोण होना चाहिए तो दरअसल इसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन दी है और फिर जिस एग्रीकल्चरिस्ट को फ्रेन्चाइज दिया है उसमें जो किसान हल जोतने वाला है उस किसान को उसमें प्रिक्लूड कर दिया है। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में किस तरह से आपने उन लोगों को भी जो अपने हाथ से काश्त नहीं करते या नौकर रख कर काश्त करवाते हैं या बटाई पर खेती करवाते हैं उन लोगों को भी आपने एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में शामिल कर लिया है जब कि राज्य सरकार के दूसरे कानूनों में एग्रीकल्चरिस्ट वह है जो अपने हाथ से मेहनत करता है, पर्सनल कल्टीवेशन करता है या जो मेजर एग्रीकल्चर ओपरेशन कराता है।

इस तरीके से जो रिप्रेजेन्टेशन दिया जायगा तो लाजमी तौर पर से हमारे समाज का जो ऐसा तबका है जो खुद काश्त करने वाला नहीं है, इस कानून की वजह से किसान कहलायेगा और ज्यादातर इन मण्डी कमेटीज में वही हावी हो जायगा। प्रश्न एक यह भी है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट को आपने वोट देने का हक दिया है उसमें जो दस रूपये तक लगान दे उन्हें आपने डी-फ्रेन्चाइज कर दिया है। मैं समझता हूं कि समाजवाद का प्रचार करने वाली सरकार इस बात का ख्याल करे कि जो थोडा बहुत लगान देते हैं, गरीब किसान हैं जो थोडी जमीन के मालिक हैं या जो थोडी जमीन पर खेती करते हैं उनको आपने डी-फ्रेन्चाइज कर दिया है और जो ज्यादा लगान देते हैं उसको वोट देने का अधिकार है तो इससे साफ यह मकसद मालूम पडता है और उसका नतीजा भी यही निकलेगा कि एक्चुअली इन मण्डी कमेटीज के अन्दर पचास से साठ प्रतिशत किसान का वोट देने का हक नहीं रहेगा। क्योंकि जो दस रुपये तक लगान देने वाले को आपने डी-फ्रेन्चाइज किया है तो मैं समझता हूं कि जो ७० से ८० प्रतिशत किसानों की आबादी है उसमें ५० से ६० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो दस रुपये तक लगान देते होंगे और उन्हीं किसानों को आप प्रिक्लूड कर रहे हैं। इस मण्डी कमेटी के फॉर्मेशन में उनका वोटिंग राइट तक नहीं रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि बिचौलियों की लूट को खत्म करने के लिये यह जरूरी है कि उनको भी वोटिंग राइट हो और उसके लिये जरूरी है कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफिनिशन है उसको बुनियादी तौर पर बदला जाय।

और जो फ्रेन्चाइज इसमें देने का है वह तमाम किसानों को जो भी कल्टीवेशन करते हैं चाहे लीज लेकर करें या खुद ओनर के रूप में करें, उन तमाम को उसके अन्दर अधिकार दिया जाना चाहिए। तो एक तो यह दृष्टिकोण सदन के सामने लाता हूं।

दूसरी बात यह कि उसमें अभी यह कानून हाई कोर्ट से रिजक्ट हुआ है, हाई कोर्ट न एडवर्स डिसीजन दिया है उसमें इसके कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोवीजन्स की तरफ ध्यान दिलाया ह जिनका कि गवर्नमट ने ठीक पालन नहीं किया है। मैंने इस एक्ट को, पुराने को देखा है, उसमें जो रूल्स और बाइलॉज़ बने हैं उनको भी देखा है। मैं महसूस करता हूं और गवर्नमेन्ट की निगाह में लाने की कोशिश करूंगा कि अब भी इस एक्ट के तहत जो रूल्स और बाई-लॉज बने हैं उनमें कई प्रोवीजन्स ऐसे इन्ट्रोड्यूस कर दिये हैं कि वे कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, फण्डामेन्टल राइट्स के खिलाफ हैं। मैं गवर्नमेन्ट का ध्यान रूल ६९ के सब-रूल (४) की तरफ दिलाऊंगा जिसके अन्दर यह कहा है कि—

"Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), the market committee may refuse to grant a licence to any person who, in its opinion, is not solvent or, in the case of renewal of a licence, whose operations in the market area are not likely to further efficient working of a market under the control of the market committee, or......." mark this, "........who directly or indirectly participates in strikes and boycotts."

यानी ऐसे लोग जो मण्डी कमेटी में काम करते हैं, चाहे वे ठेले वाले हों, चाहे मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे दलाल हों, आप और किन्हीं कारणों से लाइसेन्स न दें या कैंसिल करें वह बात समझ में आ सकती है लेकिन किसी हड़ताल में हिस्सा लिया है, किसी बॉयकोट में हिस्सा लिया है, इस बुनियाद पर उसको लाइसेन्स देने से मना करें, मैं समझता हूं कि यह फण्डामेन्टल राइट के खिलाफ है और डेमोक्रेटिक स्प्रिट के खिलाफ है और यह अल्ट्रावायर्स ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन है, और इस बात पर गवर्नमेन्ट को विचार करके इसका हल निकालना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, जो मंडी कमेटी ने बाई-लॉज बनाये हैं, जिनके मोडल्स गवर्नमेन्ट की तरफ से भेजे गये हैं, वे तो इससे भी और एक कदम आगे बढ़ गये हैं। उसमें, अध्यक्ष और सेक्रेटरी को अधिकार दे दिये गये हैं कि बिना चार्जशीट करने के बगैर किसी कॉज को पूछे एक महीने के लिए अध्यक्ष और एक हफ्ते के लिए सेक्रेटरी सस्पेन्ड कर सकता है लाइसेन्स को इस बिना पर कि स्ट्राइक में हिस्सा लिया है, तो नेचुरली इस बिल को पोलिटिकल तरीके से, पोलिटिकल एलिमेन्ट आप उसके अन्दर यूज करते हैं कि कोई पोलिटिकल स्ट्राइक होती है, पोलिटिकल इश्यूज पर स्ट्राइक होती है, गवर्नमेन्ट उसको एग्री करे या न करें, मैं समझता हूं कि आज की गवर्नमेन्ट और किसी बात को माने या न माने इस अधिकार को, इस डेमोक्रेटिक राइट को लेने का कानून नहीं रखना चाहिए, और इस रूल ६९ (४) तथा बाई-लॉज के रूल २९ (४) के अन्दर जो यह प्रोवीजन्स लिये हुए हैं वे बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टीट्यूशनल हैं, जिनकी तरफ मैं गवर्नमेन्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके अलावा, दूसरी बात, जिसकी तरफ और माननीय सदस्यों ने भी ध्यान दिलाया है वह बात यह है कि जो मार्केटिंग कमेटी बनाना चाहते हैं उसका मकसद किसानों को जो व्यापारियों की मंडी में लूट है उससे उनको बचाना है ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ये ऑब्जेक्शन्स तो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
में श्री हाण्डा की तरफ से उठना चाहिए था। उस बात को आप यहां कहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : मैं अभी आया हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, न किसी किसान आन्दोलन का, न गवर्नमेन्ट के इस बिल का यह कोई मकसद प्रिएम्बल में है न किसानों ने यह मांग की कि मंडी में पल्लेदार उनकी लूट करते हैं, न उन्होंने कभी यह मांग की कि ठेलेवाले उनकी लूट करते हैं, तो इस बिल के अन्दर जहां किसानों और मजदूरों की एकता करके व्यापारियों से उनके शोषण से मुक्त करना था इस कानून के आज तक के बाई-लॉज के जरिये मैं समझता हूं कि रूल्स और एक्ट में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बाई-लॉज जो गवर्नमेन्ट ने मोडल बना कर दिये हैं उनमें जो प्रोवीजन्स रखे हैं कि मजदूरों की मजदूरी तय करने का अधिकार आपने मण्डी कमेटी को दिया है। पल्लेदार बोरी कन्धे पर रख कर ले जाता है तो उसको दो आना मिलेगा या चार आना मिलेगा, इसका अधिकार आपने मंडी कमेटी को दिया है। मैं समझता हूं कि कोई भी ट्रेड यूनियनिस्ट, मजदूरों के संगठनों में काम करने वाला मंडी कमेटी के इस अधिकार को स्वीकार नहीं करेगा, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस, रूलिंग पार्टी जो खुद भी मजदूरों में काम करती है और उनका इन्टक का अपना आर्गेनाइजेशन है, उनकी राय पूछें, जब वे बडी बडी इन्डस्ट्रीज में, खुद गवर्नमेन्ट की अपनी इन्डस्ट्रीज है, रोडवेज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनमें इस राइट को स्वीकार नहीं करती है, बल्कि मजदूरों को अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट क्लेम करने का अधिकार है। गवर्नमेन्ट के साथ बैठ कर वे बात करते हैं, ट्रिपर्टाइट फैसले करते हैं, उनमें एम्प्लायर से बराबर के हिसाब से बैठकर तय करते हैं, उसकी बुनियाद पर आप उस मजदूर, ठेलेवाले को और पल्लेदार को यहां पर बाइण्ड करना चाहते हैं कि वह मार्केटिंग कमेटी के फैसले से बाउण्ड हो तो वह किस दिशा में जायेगा उसका आप नमूना देख सकते हैं। माननीय जयकिशनजी जो कि अलवर जिले से आते हैं उन्होंने आपको एक नमूना बताया है कि जहां मजदूर आज एक मन पर दो आना लेता है उसके लिए बाई-लॉज में कमेटी ने दो पैसा रखा है। इस मंहगाई के जमाने में उम्मीद तो यह करनी चाहिए थी कि कमेटी दो आने के बजाय तीन आने करे, उसके बजाय मंडी कमेटी दो पैसा मुकर्रर करे, तो मैं समझता हूं कि यह गलत है।

हम चाहते हैं कि मजदूर अच्छा हो। मजदूर किसानों का साथ देना चाहता है। आज उनके सहयोग से बडे बडे व्यापारी इस कानून को फैल कराना चाहते हैं, उसके खिलाफ बडे बडे डिमॉन्स्ट्रेशन कराना चाहते हैं। आज उनको यह मौका मिलता है मजदूरों के खिलाफ जो कि इस कानून के अन्दर है उसके अन्दर इस बात को कहने का। इसीलिए मैं गवर्नमेन्ट से कहूंगा कि गवर्नमेन्ट इस प्रोवीजन में मजदूरों को लाइसेन्स देने की बात कराकर मजदूरों पर लाइसेन्स की पाबन्दी लगाना चाहती है तो मजदूरों पर पाबन्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। वेजेज मुकर्रर करने में अधिकार मार्केटिंग कमेटी को देते हैं उससे उनको बचाये रखें। मजदूरों को मार्केटिंग कमेटी में प्रतिनिधित्व दें तो मजदूर सहयोग करेंगे। मजदूर किसानों के साथ सहयोग करेंगे और हम देखेंगे कि मजदूर और किसान सहयोग से मंडी कमेटी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में फंक्शन करते हैं तो चाहे मोनोपोलिस्ट व्यापारी कितना ही इसका विरोध करें, ये मंडी कमेटियां फन्क्शन करेंगी। व्यापार सही ढंग से होगा और किसान लूट से बच सकेंगे। लेकिन इसके बजाय यदि मजदूर या छोटे व्यापारियों की तरफ लगाया गया तो सरकार कामयाब नहीं होगी। इसलिये इन तीन सुझावों के साथ चौथी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने इसको इनवेलिड करार दिया है, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता जो यहां कही गई कि जुडिशियरी को सुप्रीम पॉवर होनी चाहिये लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि लेजस्लेचर जो पीपल्स रिप्रेजेन्टेटिव बोडी है वह बड़ा है सुप्रीम है, उसको सभी पॉवर्स होने चाहिये। उसको कानून बनाने के पूरे अधिकार हों। अलबत्ता कॉंस्टिटयूशन के तहत हमारी कोन्करेन्ट लिस्ट में जो पॉवर्स हैं उनको ट्रांस्फर नहीं कर सकते।

इस कानून को हम वैलिडेट करने जा रहे हैं। इसमें ऐसा कानून गवर्नमेन्ट ने नहीं बनाया था जो हाउस के कॉम्पीटन्स के बाहर हो। इसमें गडबड यह थी कि डाइरेक्टर की सेंक्शन लेनी चाहिये थी वह नहीं ली। यदि यह कानून इन्वेलिड था, इसमें सेंक्शन नहीं ली थी और वसूली करली तो उसको वापिस कर सकते हैं यह फेक्च्युअल पोइन्ट है लेजिस्लेचर को सोचना चाहिये। लेकिन जो सेस लगाने का अधिकार नहीं था, जिसको कानूनी सीधी शक्ल देने की दृष्टि से डाइरेक्टर की सेंक्शन न होने की वजह से लीगल्ली बाई लॉज एग्जिस्टेंन्स में नहीं थे उस पीरियड में वसूल नहीं किया और आज वह सेस वसूल करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं यह दुरुपयोग होगा, वौलिडेशन के बाद वसूल करना दुरुपयोग होगा। मैं समझता हूं यह फाइनेन्शियल पोइन्ट वसूली के बारे में है। मैं इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि 'सेस' में और 'फी' में केवल वर्ड का ही फर्क नहीं है। यदि लॉ डिक्शनेरी में देखेंगे तो डिफरेंन्स साफ नजर आयगा। फी एक फिक्स्ड अमाउन्ट है जो क्वान्टिटी के साथ चेन्ज नहीं हो सकता। मन पर एक आना या चार आना नहीं हो सकता। यदि आप 'सेस' के बजाय 'फी' लगायेंगे तो यह फिर इन्वेलिड होगा। ऐसा करना गलत होगा। इसलिये जब 'फी' लगाना चाहते हैं तो ५) या १०) रु० इस तरह मुकर्रर करेंगे। आप मंडी के साथ एडवेलोरम नहीं कर सकते। लेकिन 'सेस' की शक्ल हाई कोर्ट के अनुसार नहीं है, इसलिये सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं मिनिस्टर महोदय से कि इन बातों पर गंभीरता से विचार करें और इस एमर्जेन्सी में खास तौर से बढती हुई मुसीबत में यह कदम उठायेंगे तो सही तौर से कर सकेंगे। वर्ना आप बडे बडे व्यापारियों और मोनोपोलिस्टस के हाथ में खेल रहे हैं। आप उनके विरुद्ध जा सकेंगे या नहीं मुझे यह संदेह होता है कि आप आगे आने वाले इलेक्शन की वजह से या और किसी दबाव में आकर मार्केट एक्ट को लागू करने में किसी न किसी किस्म की कमजोरी दिखाने वाले हैं। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि मजदूरों और किसानों के हक में इसको दुरुस्त कीजिये, मजदूरों से आपको सहयोग मिलेगा, किसानों को रिप्रेजेन्टेशन दीजिये बड़े बड़े बिस्वेदारों और जागीरदारों को मत बढाइये। इस तरह के संशोधन पुराने कानून में करेंगे तो ठीक होगा।

श्रीमती सभानेत्री : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं ५ मिनिट बोलना चाहता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : उत्तर देने के बाद बोल लीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उत्तर देने के बाद क्यों बोलेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : विचाराधीन की स्टेज आयगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके उत्तर के बाद किस तरह बोल सकेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सभानेत्री महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार रखे कि इस कानून को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय । कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा कि इस कानून को सिलेक्ट कमेटी के लिये भेज दिया जाय । सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रस्ताव की दलील में जो कुछ बहस में मुद्दे उठाये उनको मैं इस तरह से आपके सामने रखना चाहता हूं ।

खास तौर से कोटा से आने वाले जन संघ के माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर इस देश में जुडिशियरी सुप्रीम है । जुडिशियरी के सामने जाकर ही हम हमारे देश के नागरिक हकों को सुरक्षित पाते हैं । सभानेत्री महोदया, मैं नम्रता से विद ऑल रिगार्डस टू जुडिशियरी, विद ऑल रेस्पेक्ट्स टू जुडिशियरी यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का जो विधान है वह सबसे बडा और सुप्रीम है । विधान के नीचे उसके अलग अलग अंग हैं; एक लेजिस्लेचर का अंग है, एक जुडिशियरी का अंग है और एक एग्जीक्यूटिव का अंग है । इन सबके अलग अलग फंक्शन्स हैं और सभी अपने अपने दायरे में काम करते हैं । इसलिये मैं यह कहूं या वे कहें कि यह सुप्रीम है या वह सुप्रीम है, यहां किसी की सुप्रीमेसी नहीं है । लेजिस्लेचर को अपने दायरे में काम करना है और जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अपने अपने दायरे में काम करना है और यह दायरा विधान की धाराओं में साफ दर्ज है । इसलिये इस देश में जनतंत्र चलाने का सबसे बडा यंत्र विधान है या कॉस्टिटयूशन है वह सुप्रीम है । . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : विधान को बदलने का अधिकार लेजिस्लेचर को है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा उन्होंने कहा जुडिशियरी सुप्रीम है, मैं उनकी दलील को, जुडिशियरी को सुप्रीम मानने को स्वीकार नहीं कर सकता । जुडिशियरी का एक फंक्शन है । लेजिस्लेचर समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कानून की रचना करती है और वे कानून अमल में आते हैं । उसका किस प्रकार से पालन हो रहा है, जिस किसी को कानून की धाराओं के पालन होने और उसकी भावना में वैधानिक या किसी प्रकार की आपत्तियां हैं वे अपना न्याय ठीक करने के लिये अदालत में जाते हैं और अदालत उस कानून का इन्टरप्रिटेशन अपने तरीके से करती है और उनके इन्टरप्रिटेशन को स्वीकार करके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को इस प्रकार का हक है कि उन गलतियों को जो हमने की हैं, दुरुस्त करें और ऐसा करने का अधिकार लेजिस्लेचर को है । इसलिये सदन के सामने मसला आया है कि जो कुछ कमियां हाई कोर्ट ने बताई हैं इसको ३७ वीं धारा में वर्ड "प्रिवीयस सैंक्शन" का इन्टरप्रिटेशन लिया उस शब्द को ठीक करने के लिये इसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रद्दोबदल करने की आवश्यकता है उसका प्रावधान हम बिल में करना चाहते हैं। इसलिये जुडिशियरी के बड़े नाम को लेकर हम उसके दायरे के बाहर की बात करें तो उचित नहीं होगा।

खास तौर से दलील सामने आई जनमत और प्रवर समिति के लिये। किसी ने कहा कि १०) से नीचे लगान देने वाले किसानों को वोट देने और कमेटी में जाने का हक नहीं दिया इसलिये उस पर विचार करने के लिये, लोगों की राय मालूम करने के लिये इसका प्रसारण किया जाय। दूसरी और धाराओं में और अमेन्डमेन्ट करने के लिये गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दलील दी कि सारे कानून की धाराओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और भी दो-चार सदस्यों ने कहा कि अमुक धारा को चेन्ज करने की आवश्यकता है। कमेटियों में विशेष तौर पर लेबर का रिप्रेजेन्टेशन हो, कुछ ने कहा इनका कंपोजीशन जैसा पंजाब है, ५० परसेन्ट ट्रेडर्स और ५० परसेन्ट किसानों के नुमायन्दे हों, किसी ने कहा कमेटी को खर्च करने की सुविधा भी हो और इन सारी बातों पर विचार करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

मैं बहुत नम्रता से, सभापति महोदया, आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं यदि इसे हम सिलेक्ट कमेटी में भेज दें या इसे जनमत जानने के लिये भेज दें तो भी जिस मकसद को आप जिस तरह पूरा करना चाहते हैं वह पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि वह बिल हमारे सामने है ही नहीं। तो कुछ माननीय सदस्यों ने इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात की और कुछ माननीय सदस्यों ने इसको जनमत को जानने के लिये भेजने की बात को, कुछ माननीय सदस्यों ने दलील दी कि इसको कुछ डिटेल्स में देख लेना चाहिए, कानून के विभाग को इसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये कि इसके अन्दर और कमियां तो नहीं हैं। इन सब दलीलों को देते हुए प्रवर समिति में भेज कर और जनमत जानने के लिए प्रसारित करके जिस मकसद को हल करना चाहते हैं मैं समझता हूं उसकी यह रेमेडी नहीं होगी। इसलिये मैं इन सुझावों से सहमत नहीं हो सकता हूं।

दस रुपये राजस्व देने वालों की जो दलील दी गई और जो कहा गया कि एडल्ट फ्रेन्चाइज कर दिया जाय, माननीय सभापति महोदया, हमें इस बिल की भावना को, इसकी स्कीम को समझना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोड्यूस जो लोग बेचने वाले हैं, मंडी कमेटी के सामने प्रोड्यूस को लाकर बेचने वाले हैं वे लोग कौन हैं? आप जो दस रुपये राजस्व देने वालों की काश्तकारों की हमदर्दी की बात कर रहे हैं·····

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे बड़े बड़े काश्तकार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुझे सुन लें।

वे लोग आम तौर से बाजार में जाने वाले लोग नहीं हैं। वे अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैदा नहीं कर पाते हैं, वे मुश्किल से अपनी स्वयं की नीड्स अपने खेतों से पूरी कर सकते हैं·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो अंगूर की खेती करते हैं वह इसमें हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी बात यह है कि मंडी कमेटी की हमारे यहां नई नई व्यवस्था है । शुरू शुरू के अन्दर जो कार्य इन्हें देने होते हैं और शुरू शुरू के अन्दर जो कार्य देने चाहिए, उसके बारे में और मंडी कमेटी के निर्माण करने की बात जिस समय विधान सभा के सामने आई और सिलेक्ट कमेटी के सामने आई तो इस मसले पर विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि दस रुपये राजस्व देने वाले किसानों के ऊपर के किसान हैं, क्योंकि वही किसान मंडी के अन्दर अपनी प्रोड्यूस लाते हैं आम तौर पर, उनको इसमें लेना चाहिए । वैसे इसके अन्दर फ्रेन्चाइज का हक देना चाहिए, किन्तु एक दफा मंडी कमेटी को जमा कर उनका काम देख लिया जाय और उसके बाद इसके बारे में पुर्नविचार किया जा सकता है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : यह खोखली रह जायगी तो फिर काम कैसे चलेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्यों की जो कुछ मान्यता है कि इसके कम्पोजीशन में फ्रेन्चाइज को बढ़ाया जाय, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आप विचार करेंगे कि इसकी स्कीम आफ थिंग्ज क्या है ? यह कहा गया कि पंजाब के अन्दर इनमें पचास पर्सेन्ट किसान हैं और पचास पर्सेन्ट ट्रेडर्स हैं । इस स्थिति में भी मैं समझता हूं कि वह हमसे अच्छी कैसे भी नहीं हैं . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने इसे कमेन्ड किया है, आपकी बात को । आप कर रहे हैं वह अच्छा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं । और माननीय सदस्य से कह रहा हूं । मैं बता रहा हूं कि हमारे यहां पर पन्द्रह पर्सेन्ट सहकारी समितियों के व्यक्ति हैं, सात किसानों के प्रतिनिधि हैं, दो ट्रेडर्स के प्रतिनिधि हैं । इस तरह का हमारे यहां कम्पोजीशन बना हुआ है । हिन्दुस्तान के सारे कानून, जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग तरीके पर बने हैं और वहां पर जो कमेटियों की फोर्मेशन है और हमारे यहां पर जो कमेटियों की फोर्मेशन है उसका आप मुलाहिजा कर लीजिये । आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे यहां जो कमेटियों की फार्मेशन है, वह रियलिटी से ज्यादा नजदीक है और जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उनके अनुसार हम कानून को लागू करके उसे समाज में आगे पहुंचाना चाहते हैं और उसके हक में हैं । इस दृष्टिकोण से मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने दलील दी श्रमिक लोग हैं, उनके लिए आपने कुछ नियमों का जिक्र किया, और और बातें कहीं—कमेटियों को यह अधिकार है कि उनके लाइसेन्स को वह कैन्सिल करदें । आपने यह भी कहा कि उनकी वेजेज जो पहले थी, उनके अन्दर अब कमी कर दी है । आपने यह कहा कि उनको यह हक होना चाहिए कि कमेटी में वह प्रतिनिधित्व करें । मैं, सभापति महोदया, बहुत नम्रता के साथ आपकी मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के नीचे प्राइमरी फंक्शनरीज आते हैं और जो सैकण्डरी फंक्शन करने वाले लोग हैं वे नहीं हैं । प्राइमरी फंक्शन करने वाले लोगों में ट्रेडर्स और फार्मर्स आते हैं इसलिये उनका कमेटियों में रिप्रेज़े-न्टेशन है और उनके साथ चुने हुए लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें आप लेबर्स के लिए कहते हैं उनका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रतिनिधित्व भी शरीक है । जो पंचायत समितियों के प्रधान हैं, जो कोआपरेटिव सहकारी बैंक के प्रतिनिधि हैं वे लेबर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, दूसरे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व में आपकी लेबर का प्रतिनिधित्व भी शरीक है। ऐसी दशा में आप यह कहने लगें कि जो पल्लेदार काम करते हैं, जो बोझ उठाने वाले हैं, जो तोलने वाले हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो तो इस प्रकार यह खिचडी कमेटी बन जायगी तो यह सारी स्कीम ऑफ थिंग्स कानून की है, उनकी मन्शा को पूरा किया जायगा और प्रतिनिधित्व सब लोगों को दिया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपका मतलब यह है कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व होने से यह खिचडी कमेटी बन जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कहा कि प्रधान साहब किसके प्रतिनिधि हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: प्रधान का पल्लेदारों से क्या मतलब है ? वे मंडी में रहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपके दिमाग में जितनी बातें हैं और जो आप लेबर के लिए बात कह रहे हैं, वे और हो सकती हैं । मैं कह सकता हूं कि प्रधान जो हैं · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह सरकार है, इसमें पल्लेदार शामिल हैं · · · ·

श्री नाथूराम मिर्धा: वहां चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मार्केटिंग सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं वह किसानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और लेबर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आप लेबर और किसानों में खाई बना कर चलते हैं । मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: जो सरकार के नोमीनेटेड हैं उनमें पल्लेदारों को भेज देंगे लेकिन प्रधान का पल्लेदारों से क्या ताल्लुक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: आपने जो वेजेज में कमी की बात कही · · · ·

एक माननीय सदस्य: एम. एल. ए. तो हो सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा: उसमें सरकार ने कभी नहीं की है । वहां कमेटियां बनी हुई हैं उन कमेटियों की क्या शक्ति है, किनको किस हिसाब से लेने-देने की उसके अनुसार वह आयोजन करती हैं । इस कमेटी की जो सारी स्कीम है जिसके आधार पर यह कमेटी फंक्शन करती है, उसमें कुछ चीजें तो वह किसानों से वसूल करती है, और जो वहां आडती हैं, तुलाई करने वाले हैं, ढुलाई करने वाले हैं उनका बोझ भी किसानों को उठाना पडेगा । उनका बोझ बेचने वाले को उठाना पडेगा । बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे सैस हैं और दूसरे लगान हैं, जिनको आज वसूल किया जाता है उनका बोझ बायर (buyer) को उठाना पडेगा । तो इन सारी स्कीम ऑफ थिंग्ज में जो बोझ है वह इनके जरिये उठाया जाता है । और सारी आमदनी जो कमेटियों को होती है, जो उनकी क्षमता होती है उसके अनुसार वेज देते हैं । अब जैसे जैसे उनकी क्षमता बढती जायगी, जैसे जैसे उनके रिसोर्सेज बढते जायेंगे, जैसे जैसे उनकी शक्ति ज्यादा होगी, उसके बाद वह पल्लेदार और लेबर को ज्यादा दें तो

Page No 114

(श्री नाथूराम मिर्धा)
इसमें किसी को एतराज नहीं है, इसमें किसी को विरोध नहीं है। लेकिन आज उनके साधन सीमित हैं और इस कारण स्थिति यहां तक है कि किसान खुद अपने आप कहते हैं कि इतने में माल नहीं उठाते हैं तो जो कमेटी में प्रतिनिधि हैं वे कहते हैं कि इतना ज्यादा खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा नहीं करेगा तो हम अपने सिर पर उठा कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में ऐसी जगह जो लोगों को कमेटियां हैं उनके लिए हम यह निर्णय दें कि यह देना होगा, इतनी रेट रखी आयगी, ये सारी चीजें ऐसे रखी जायंगी तो उचित नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई कन्धे पर बोरे नहीं उठाता। यह कहने की बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो एक हाथ से जो उनको अधिकार दिया है उसको दूसरे हाथ से लेने की कोशिश करें। यह कतई सम्भव नहीं है। इसलिये आप बहुत दूर तक की बात सोच कर किसानों और लेबर के बीच में यह बात कह कर खाई पैदा करने की बात करें, यह उचित नहीं है। और इस प्रकार की शंकायें इस कानून के सम्बन्ध में इस स्टेज पर होना, मैं समझता हूं, कोई महत्व नहीं रखता है, उसका आधार भी नहीं है। हम इस कानून को लागू करायें, इसके अन्दर जो इम्प्लीकेशन्स होते हैं, उनको देखें, और इसके अन्दर जो समस्यायें खड़ी हो जाती हैं, उनको देखें-क्योंकि आज जो कानून बन गया है वह ही आखिरी नहीं है, उसमें सुधार करने की बाद में गुन्जाइश पैदा हो सकती है। इसलिये मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जिन दलीलों को पेश किया गया है और जिनकी वजह से इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्यूलेट करने की बात कही, और जो बहुत दलीलें दी गई कि इससे बड़ा नैतिक सहारा हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल वह तो हो चुका है।

श्री नाथूराम मिर्धा और जो यह कहा कि हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि जो बाइलॉज हैं वे गैरवाजिब हैं और इसलिये हम यह कहें कि यह वॉइड नहीं हैं इसको रेगुलेट किया जाय और जो बोझ कमेटियों पर आने वाला था उससे वे बच सकें क्योंकि उनके पास जो पैसा था वह ऑलरेडी और कामों में खर्च कर चुके थे। सरकार उस पैसे की पूर्ति करे यह कुछ माननीय सदस्यों ने दबे स्वर में कहा, कुछ ने जोर से कहा। तो चाहे दबे स्वर में कहा या ऊंचे स्वर में कहा, जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, और जो ऑलरेडी पैसा वसूल हो चुका है, और बाइ-लॉज में जो टैक्निकल गलती रह गई, उसके कारण पैसा वसूल हो चुका है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी तभी पूरी होती है जब वह पैसा लौटाया जाय, इस दलील से मैं सहमत नहीं हूं। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक यह कहा गया कि कानून को धीरे धीरे लागू किया गया, ढिलाई बरती गई, कानून के इम्प्लीकेशन्स क्या हैं, जो कमेटियां बनीं, उनमें कितना फायदा हुआ, ये सारे आस्पेक्ट्स रखे जा सकते हैं आपके सामने। इनके बारे में मैं थोड़े समय में जितनी जानकारी प्राप्त कर सका हूं उनको रखने के पहले मैं आपसे कहूं कि दो-तीन कमेटियों की मेरे पास सूचना आई है, खास-तौर पर मार्केट कमेटी, कोटा। इस एक कमेटी ने जो काम किया है उसके ऊपर जो पहले चार्जेज थे, जो कि सौ के पीछे चार्जेज

(श्री नाथूराम मिर्धा)
देखें तो कोटा के अन्दर यह कमेटी बनी उसके पहले यहां की मंडी में किसान को सवा दो का बोझ सौ के पीछे उठाना पडता था। कमेटी के बनने के बाद वहां के तमाम चार्जेज के बाद १.६२ हुआ और इस तरह से ६३ नये पैसे १०० के पीछे बचत हुई। इसी तरह से कोटा में चार करोड का ट्रान्जेक्शन हुआ और उसमें २.५२ लाख रुपया कोटा की कमेटी में बचत हुआ और इसका लाभ किसानों को पहुंचा।

एक माननीय सदस्य: किसको पहुंचा ?

श्री नाथूराम मिर्धा: किसानों को इसका लाभ पहुंचा। यह मैंने एक कमेटी का आपको बताया है। यह लाभ तो किसानों को ही पहुंचा क्योंकि ज्यादा कौन दे रहा था, किसान ही दे रहा था। क्या आप दे रहे थे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): आपने जो फीगर्स बताये हैं क्या इनमें सारे के सारे किसान हैं ? इसमें चौत्रे और मदादा कौन थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आपकी हर बात का और हर पोइन्ट का ऑफ हैन्ड तो कोई जवाब नहीं दे सकता।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया और श्री नाथूराम मिर्धा के व अन्य माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से शोरगुल---अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा: १००) के पीछे कुल मिला कर २.७२ पैसों का किसानों पर इस मंडी कमेटी के बनने से पहले बोझ था और जब रामगंज मंडी में यह कमेटी बन गई तो १.६५ पैसे १००) पर हो गये। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि १००) के पीछे १.०७ रुपयों की बचत हुई। इस तरह १॥ करोड के ट्रान्जेक्शन्स पर करीब १॥ लाख रुपयों का लाभ रामगंज मंडी में पहुंचाया गया।

यह मैंने दूसरी मंडी की बात आपको बताई है।

मेरे पास जानकारी नहीं है जो लाखों की तादाद में है। जो आज लाखों की तादाद में है वह कल करोडों की तादाद में होगी। यह लाभ किसानों को मिलेगा और यह किसानों की बचत होगी और जो पैसा उनको मिलेगा जिसके जरिये वे अपने कृषि की उपज को बढावेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। यह अपने आप में महत्व रखती है...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: तो सरदार शहर कमेटी...

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आपको नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुप चाप बैठ कर सुनें और इस कानून को जल्दी से जल्दी पास कर दें जिससे कि राजस्थान के लोगों को फायदा मिल सके। आपने ढाबरियाजी, बहुत दलीलें दीं। आपको भीलवाडा की जानकारी है। मगर मुझे दुःख है कि जितनी बातें उन्होंने कहीं मैंने गौर से सुनीं लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं मिला। लड्ढा साहब को किसानों के नुमायन्दे बनाये...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी में कितने किसान हैं जरा आप बता दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे पास सब हैं। मैं आपको बता देता हूं सभानेत्रीजी, मैं

(श्री नाथूराम मिर्धा)
आपको यह कह दूं कि ये कितनी होली बात कहते हैं, बोगस बात कहते हैं...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गुमानमलजी मोदी कौन से किसानों के नुमाइन्दे हैं मदादाजी कौन से किसानों के नुमाइन्दे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :– राजस्थान में कोई बोगस मंत्री हैं तो आप...

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से शोरगुल-अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप सुनिये कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी लड्ढा साहब से टक्कर होने दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज !!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप ऑर्डर में पढिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ऑर्डर में पढने की जरूरत नहीं है। आपने कहा किसानों के नुमाइन्दों का। मैं किसानों के ७ नुमायन्दे हैं उनके नाम पढ देता हूं। इससे मालूम होगा की आपको कितनी नाजानकारी है। इसके लिये आपको सही जानकारी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुझे तो जानकारी है आपको सही जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उमाकान्त आचार्य, सरपंच काडा
टहालसिंह, सरपंच खेराबद
भगवानसिंह, सरपंच मंगरोद,
कमलेश चोबे, सरपंच सरूपगंज,
जडावचन्द, सोनी,
भवानीशंकर, पुर,
जसराज अग्रवाल, धुरला.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इनमें एक भी किसान नहीं है। खेराबद वाले जागीरदार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे जागीरदार भी हैं और किसान भी हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह चौबे कौन है। ये वही चौबे हैं जो रामप्रतापजी के साथ रह कर धन्धा करते हैं। मैं एक एक आदमी का नाम बताता हूं और फिर भी आप कहते हैं कि आप बोगस बातें करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि ऐसे बोगस मिनिस्टर आप हैं इसी से राजस्थान डूब रहा है और इसके लिये दुःख होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपनी नाजानकारी को छिपाने के लिये ये सब बातें कहते हैं...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुझे तो पूरी जानकारी है आपको नहीं है...

(सर्वश्री नाथूराम और ढाबरिया के एक साथ बोलने से शोरगुल)

श्रीमती सभा नेत्री : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक भी बात ऐसी नहीं है जो बोगस हो।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने इनको नहीं रोका जब इन्होंने कहा, अब हमको रोकने के लिये कहते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि आप आसन के सामने सम्मान पूर्वक बात करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम हमेशा आसन के सामने सम्मान पूर्वक बात करते हैं। लेकिन जिस समय माननीय मंत्रीजी ने कहा आपने उनको नहीं रोका · · ·

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य में निवेदन करूंगी कि यह जो आपका तरीका है यह ठीक नहीं है। आपको आसन के प्रति सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिये।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : मैं कहती हूं कि The chair is on its legs. आप बैठ जाइये !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने कहा है बैठने का, बैठ जाता हूं मगर · · ·

श्रीमती सभानेत्री : आप बैठ जाइये। The chair is on its legs.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप जल्दी जल्दी खडी हो जाती हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको यह कहा गया है कि आप जिस ढंग से पेश आ रहे हैं यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप आसन के सामने ठीक ढंग से बात करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : He is challenging the Chair. It is contempt of the House, Sir, यह इनसल्ट ऑफ दी हाउस है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब माननीय मंत्री ने कहा तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा · ·

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ने ने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा। · · ·

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मिनिस्टर साहब कहते हैं तो आप कुछ नहीं कहती · · · ·

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों तरफ से बोगस शब्द यूज किया गया है इसलिये इसको प्रोसीडिंग्ज में से हटा दिया जाए।

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर · · · · ·

श्रीमती सभानेत्री : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन का समय समाप्त हो रहा है। इसलिये सदन की कार्यवाही का समय बढाया जावे।

श्रीमती सभानेत्री : सदन का समय यह बिल समाप्त नहीं हो तब तक के लिये बढाया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा तो यह कहना कि मदादाजी और ज्ञानमलजी के नाम बताये थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या वे वही चौबेजी हैं जो १॥ मन लड्डू खाते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये वही हैं।

(**श्री मुरलीधर व्यास** बोलने के लिये खड़े हुए—शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये सभी कांग्रेस के सदस्य हैं। एक एक को····

श्री नाथूराम मिर्धा: किसानों के नामों की लिस्ट मैंने आपको सुनाई है उसमें न तो मदादाजी हैं और न ज्ञानमलजी हैं।

(**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** बोलने के लिये खड़े हुए-शोरगुल)

जागीरदार हैं। आप तो बिल्कुल बोगस बातें करने के आदी हैं।

(शोर गुल)

श्री मोहनलाल सारस्वत : (अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कानून को प्रवर समिति के पास भेजने या जनमत जानने के लिये जो बातें कही गई हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है····

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज ?

मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगी कि आप शांति रखें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : इनकी सारी की सारी बातें गलत हैं और बोगस हैं अगर कोई बोगस मिनिस्टर हैं तो आप हैं····

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मैंने आपकी बोगस बातें बहुत सी सुन ली हैं। अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये जो तथ्य आपने अपने प्रस्तावों के समर्थन में जनमत जानने के लिये प्रसारित करने और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये दिये हैं और जो दलीलें दी हैं उनका मेरे दिमाग में कोई असर नहीं हुआ है।

और मैं उनकी इन दलीलों से सहमत नहीं हो सकता। न यह बिल प्रवर समिति को जाना चाहिये और न जनमत जानने के लिये इसे प्रसारित किया जाना चाहिये। यह छोटा सा मामला है, अभी इसे पास करना चाहिये।

(५.०० म. प.)

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं, कोई नहीं लेता।

(विरोधी पक्ष की ओर से अनेक माननीय सदस्यों द्वारा 'नो' की आवाज)

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, उनको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, दो प्रकार के संशोधन प्रस्ताव हैं, आपने कौनसा रखा ?

श्रीमती सभानेत्री: दोनों को एक साथ रखा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: दोनों पर एक साथ वोटिंग नहीं हो सकता।

श्रीमती सभानेत्री: अच्छा इस प्रश्न को फिर रखा जायगा। प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने के लिये प्रस्तुत किये गये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव प्रवर समिति में इस बिल को भेजने के लिये प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): "हां" पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): Noes have it, Sir.

श्रीमती सभानेत्री: डिविजन चाहेंगे आप?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जी हां।

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिये प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय। जो पक्ष में हों हां कहें।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: "हां" पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Noes have it, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: Ayes have it, Sir, We claim Division.

श्रीमती सभानेत्री: आप डिविजन चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): हां, साहब।

श्रीमती सभानेत्री: तो जाइये एज एज लोबी में और नोज नोज लोबी में।

(मत विभाजन के पश्चात्)

(५. १० म. प.)

(विभाजन का परिणाम इस प्रकार है)

हां पक्ष १९, ना पक्ष ३८। ना पक्ष जीता, संशोधन गिर गया।

(विभाजन के अनुसार "हां" व "ना" पक्ष के माननीय सदस्य:—

श्री चौसरसिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सोन
श्री दयाराम
श्री हरिप्रशाद शर्मा (पाटन)
श्री हीराभाई
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री केदारनाथ
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री मानिकचन्द सुराणा

(श्रीमती सभानेत्री)
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ)
श्री मुरलीधर व्यास
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामकिशन
श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विठ्ठल
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
श्री अलदाराम मीणा
श्री भीखाभाई
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेशलाल
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गिरधारी लाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोपीलाल गोठवाल
श्री गोविन्दसिंह (पिडावा)
डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरलाल
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरवड
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री कानाभाई नुवाल
श्री किशनसिंह बाटड
श्री मजलिस खां
श्री मांगीलाल रिणवा
श्री मनफूलसिंह
श्री मोहनराज
श्री मोहरसिंह राठौड
श्री मक्तिलाल मोदी
श्री नाथूराम (वागीडोरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरणा
डा० पोहूमल ईसरदास
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रघुनाथ बिश्नोई
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रूपाराम पंवार
श्री शंकर लाल जाट
श्री शीशराम ओला
श्री तेजाराम गहलोत
श्री विरधाराम फुलवारिया

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : सभानेत्रीजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्रीजी, कृषि उपज विपणि संशोधित अध्यादेश को जो कानूनी रूप दिया जा रहा है उसको यह सदन विचारार्थ ले रहा है। बहुत लम्बे चौडे एक्सप्लेनेशन्स माननीय कृषि मंत्रीजी ने इस बिल के जस्टीफिकेशन के लिए दिए हैं और बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने इस बिल के विरोध में पेश की हैं। कुल मिला कर माननीय कृषि मंत्री का यह कहना रहा है कि काश्तकार को ४६ मंडी कमेटियां बनने के बाद में उसकी उपज का उचित मूल्य राजस्थान के अन्दर मिल रहा है। मैं कृषि मंत्री को यह याद दिलाना चाहूंगा कि कल खाद्य की बहस है और उस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
बहस में कृषि मंत्री जो खाद्य मंत्री भी ह कहेंगे कि राजस्थान में खाद्य के मूल्य दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे सस्ते और जो नोट उसने दिया है जिसमें बाजरा, गेहूं, मक्का, चना इत्यादि के भाव दिए हैं उन सारे भावों में १०-१० और १५-१५ रुपये प्रति मन का फर्क राजस्थान की मंडियों और दूसरे राज्यों की तुलना में बताया है। आपने यह नोट और सारी प्राइस लिस्ट्स अप्रेल-सितम्बर, १९६५ तक सर्क्यूलेट किए हैं। उसमें ग्राम का भाव राजस्थान में अप्रेल १९६५ में ६३) था तो गुजरात में ९३ था और ७२) जब गहूं का था तो गुजरात में १२० था।

श्री नाथूराम मिर्धा : कल का विषय आज ले रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके दिमाग में यह है कि कृषि की उपज अलग है और खाद्यानों के भाव अलग हैं। मेरे दिमाग में यह नहीं है। कल आप कहेंगे कि राजस्थान के भाव दूसरे राज्य की तुलना में सस्ते हैं। कल आप एक दलील देंगे आज दूसरी दे रहे हैं।

(५.१ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मंडी कमेटियों का यह दोष है वह दोष है। ५ रुपए वालों को वोट का अधिकार नहीं है, १० रुपए वालों को अधिकार है। आपने डिसीजन दे दिया कि जिनके पास सरप्लस है उन्हीं को वोट देने का अधिकार दे रखा है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यदि आप काश्तकार को अच्छा भाव देना चाहते हैं तो काश्तकार की उपज के लिए जो आदमी बोली लगाना चाहते हैं जब वह उपज मार्केट यार्ड में आती है उसमें कोई भी आदमी जो बोली लगाना चाहे, तो कौनसा सिद्धांत है जो आप उस बोली को सीमित करना चाहते हैं कि लाइसेन्स होल्डर ही बोली लगाएगा और दूसरे कन्ज्यूमर नहीं लगा सकते हैं। यह काश्तकार को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। आज सरकार व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए उसमें व्यापारियों की ही बोली देने का अधिकार सीमित करती है और यदि सरकार की मन्शा व्यापारी के मुनाफे को बढ़ाने की नहीं होती तो यह प्रावधान कभी नहीं लाती।

कृषि मंत्रीजी : आपने वायदा किया था यह कानून बनते समय कि मंडी कमेटीज पर आपके इन्सपेक्टर्स होंगे और वे हिन्दुस्तान की मंडियों के भाव प्रदर्शित करेंगे और काश्तकार को पढ़ा कर देखेंगे कि वे अपना माल भी बेचना चाहते हैं या नहीं। आपने जिन सिद्धांतों और वायदों पर इस बिल को पास कराया उनका ४ साल में कभी दर्शन नहीं हुआ। इस तरह की प्रवृत्ति आज भी मंडी कमेटीज में नहीं है कि वह हिन्दुस्तान की मुख्य मंडियों के भावों को प्रदर्शित करे और आपने इन कमेटीज के बनने के बावजूद जो आपने भाव रखे हैं चूंकि हिन्दुस्तान की दूसरी मंडियों के मुकाबले २०-२५ रुपए तक सस्ते रहे हैं इसलिए आप समझते हैं कि यहां खाद्यान्न सस्ते हैं। चने के मामले में आपने व्यापारी को कमाने का मौका दिया इस बहाने कि ५० परसेंट हमें दे दो और बाकी तुमको एक्सपोर्ट की छूट है और क्योंकि व्यापारी ही बेच

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सकता हूँ, काश्तकार के पास इतना पैसा नहीं कि चने को गुजरात और महाराष्ट्र को भेजे। इसलिए आपने व्यापारी को पिछले दो सालों में वह कमाने का मौका दिया जो १० साल में उसको नहीं मिला। यह व्यापारी भी मानता है कि पिछले दस साल में उसकी इतनी खुशहाली नहीं आई जितनी पिछले दो सालों में आई।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, कानून की भाषा अच्छी हो सकती है, उनके एक्स्प्लेनेशन्स दिये जा सकते हैं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन दिये जा सकते हैं, लेकिन देखना हम को यह है कि कानूनों का असर हमारे प्रान्त में पड़ भी रहा है या नहीं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि मार्केट प्राइस को रेगुलेट करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने यह समझा है कि वह यह नया आइडिया लेकर आयी है। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि रोयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने सन् १९२८ में इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था और यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ था। २८ के बाद ३२ साल से भी इसको ऊपर होने लगे हैं, उसी आइडिया को ट्रान्स्लेट कर रहे हैं जो रोयल कमीशन ओन एग्रीकल्चर ने कहा है। बहाना क्या बनाते हैं यह तो मोस्ट मोडर्न है, जैसे नया सिद्धान्त प्रतिपादित करने जा रहे हैं कि मंडी कमेटियां बना दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी कमेटी बनाने के बाद भी न काश्तकारों को रीजनेबल प्राइस मिल रही हैं और न मार्केट कमेटीज में अनाज आ रहा है, यह इसका मोस्ट मोडर्न फीचर है। कृषि मंत्रीजी! उसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या मार्केटिंग कमेटीज को यह पॉवर है कि गांवों में पड़े हुए गल्ले को किसी प्रकार फोर्स करके मार्केट कमेटीज में आ जाय। कोई कानून नहीं है। सरकार के पास यह कानून है कि पचास क्विन्टल से अधिक कोई अनाज नहीं रख सकता है।

काश्तकारों के भंडारों को सर्च करने में मैं आप पर यह चार्ज लगाना चाहता हूं, आप बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। राजस्थान में अनाज है, गांवों के अन्दर अनाज है। यह सरकार उसको मंडियों में लाने में फैल हुई है और यही कारण है कि राजस्थान के कस्बों और शहरों में अनाज के लिये हाहाकार और त्राहि-त्राहि हो रही है। मंत्रीजी कहते हैं कोई समस्या नहीं है। समस्या खत्म हो गई। रेडियो पर भाव सुनाये जाते हैं कि गेहूं यहां ६३) रुपया क्विन्टल, यह लाल गेहूं, यह सफेद गेहूं इस भाव, रेडियो पर इस प्रकार के भाव देते हैं। लेकिन मैं मंत्रीजी को कहूंगा कि न गेहूं, न चना, न जौ और न बाजरा बाजार में मिलता है। मिलता है तो सौ रुपया क्विन्टल गेहूं और बाजरा मिलता है तो ८०) क्विन्टल-ये भाव हैं, प्रिवेलेन्ट रेट्स हैं। उनकी ओर सरकार की कोई तवज्जोह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमको सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिये मैकेनिकल एटीट्यूड (यान्त्रिक दृष्टिकोण) ले लेते हैं तो उसका हल नहीं होगा और सिर्फ कमेटीज बनाने से उन काश्तकारों का अनाज मंडियों में नहीं आवेगा और उनको उचित भाव नहीं मिलेंगे और मंडियों में अनाज नहीं आवेगा तो उपभोक्ताओं को भी नहीं मिलेगा और आम उपभोक्ता के लिये ये भाव बहुत ऊंचे हैं, यह बिल्कुल तय बात है। लेकिन यह सचाई है। मैं नहीं कहना चाहता

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार सो रही है, इसमें परिवर्तन करने के लिये इसने कुछ नहीं किया है। सरकार के फूड कमिश्नर कहते हैं कि राजस्थान में बम्पर क्रोप है। खुशी की बात है। रेडियो पर सुना। ह्वावा साहब ने जयपुर के व्यापारियों के बीच में कहा बम्पर क्रोप है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है देश के लिये जो आज चीन और पाकिस्तान से लड रहा है। लेकिन वह बम्पर क्रोप कहां गायब हो गई? किनके खलिहानों में, गोदामों में वह है? राजस्थान सरकार आम जनता को दे सके इसमें फेल रही है। ६५) रु० क्विन्टल के भाव मुकर्रर कर दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह भाव जो आपने मुकर्रर किये हैं यह सबसे बडा बेरियर है मार्केट मंडीज के अन्दर गेहूं आने में। आपने ६५) रु० क्विन्टल के भाव तय किये हैं और यदि गांव में ७०) रु० में मिलता है और बेचने की छूट है तो काश्तकार बेवकूफ नहीं है कि वह मंडी में गेहूं लावेगा। सरकार मोटे अनाज का भाव नियन्त्रित नहीं करना चाहती है, ऊंचे से ऊंचे भाव कितने हो सकते हैं कोई रोक नहीं लगाना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटे अनाज पर सरकार कोई रोक नहीं लगाना चाहती है तो गेहूं पर ही ६५) रु० क्विन्टल की क्यों रोक लगा रखी है और यह रोक ठीक है तो मोटे अनाज के भाव भी इसी कम्पेरिजन में, इसी तुलना में, इसी प्रपोर्शन में राज्य सरकार को बांधना चाहिये। लेकिन भाव का तय कर देना, नोटिफिकेशन निकाल देना महत्वपूर्ण बात नहीं है। बर्मा में ४८ में चावल के भाव मुकर्रर किये। कृषि मंत्रीजी को मालूम होगा। सरकार ने डिटर्मिनेशन के साथ एक्जीक्यूशन किया। बर्मा में चावल ६१ में पहली फसल में ८४ परसेन्ट और दूसरी फसल में २०० और २५० परसेन्ट बढा क्योंकि दूसरी चीजों के प्रोडक्शन के भावों में रेस्ट्रिक्शन नहीं था। यहां भी कृषि मन्त्रीजी भावों में कमी हो जाय तो वे तो ६५) रु० के रेस्ट्रिक्शन बरकरार रखना चाहते है।

श्री उपाध्यक्ष : कल फूड डिबेट होगी इसमें ये बातें ली जा सकेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे अफसोस यह है कि मैंने जो आर्ग्युमेन्ट दिये हैं वे मंडी कमेटीज में गेहूं नहीं आ रहा है उसके लिये दिये हैं...

श्री नाथूराम मिर्धा : इन मंडी कमेटीज में गेहूं का क्या सवाल है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं दुहाई देता हूं उनकी समक्ष की। कोई असर नहीं पडा है और यही माननीय मंत्रीजी की समक्ष हैं, इसकी मैं दुहाई देता हूं। ये मंडी कमेटियां, मेरा यह दृढ विश्वास है, किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। अलवर कमेटी, मदनसिंह राठौर जो अतिरिक्त जिलाधीश हैं, और आपके नौकर हैं और सिम्बल हैं कांग्रेस की दो बैलों की जोडी।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'शेम' 'शेम' की आवाज)

उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री नाथूराम मिर्धा : छाप लगा दी तो क्या हुआ?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : छाप से तो राज्य चलता है। आपके छाप नहीं लगे तो यहां बैठने कौन दे?

श्री नाथूराम मिर्धा : शेम शेम हो गया, आगे चलिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये कहते हैं कि छाप लगा दी, इसमें क्या हो गया ? यह दृष्टिकोण गलत है । यही तो हमारा चार्ज है । ये मंडी कमेटियां आपने अपने राजनैतिक दृष्टिकोण से, पार्टी के स्वार्थ को आगे बढाने के लिये स्थापित की हैं । (विरोधी पक्ष द्वारा 'हीयर हीयर' की आवाज) जिन लोगों की नियुक्तियां की उनका आज तक स्टेटमेन्ट नहीं दिया कि कितनी मार्केट कमेटियों के विधिवत् चुनाव हुए, कितने एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन्स को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया और कितने विधिवत् चुनाव हुए यह आज तक नहीं बताया । दो-तीन मार्केट कमेटियों के लिये कहा कि कितनी मार्केट कमेटियों ने कितना ट्रान्जेक्शन किया । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, न तो मार्केट कमेटियों द्वारा कोई ग्रेडेशन का मुकम्मिल इन्तजाम हुआ है, न कोई क्वालिफिकेशन और जो कुछ अनाज आता है उसका इन्तजाम हुआ है इसलिये बहुत वडे बडे सिद्धान्तों की घोषणा के आधार पर जो मार्केट कमेटियां बनायी गई हैं और मंत्रीजी इसमें संशोधन लाये हैं और बताया है कि चार साल का उनका यह काम रहा है, चार साल से फूड डिपार्टमेन्ट और कृषि विभाग के मंत्रीजी ने क्रियान्वित किया है उनकी असफलता एक एक पेज पर अंकित है । नई मार्केट कमेटियां उपयुक्त भाव दे पायी हैं और न उपभोक्ता को अनाज उपलब्ध करा पायी हैं । इसलिये इस परिस्थिति में जो कुछ माननीय मंत्रीजी ने सुझाव पेश किया है इसको विचारार्थ लिया जावे, हालांकि सिद्धान्त रूप से · · ·

श्री नाथूराम मिर्धा : पारित करने के लिये कहा गया है / विचारार्थ नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो माननीय मन्त्रीजी ने इसे पारित करने का प्रस्ताव रक्खा है उसका जिस तरह से क्रियान्वयन कर रहे हैं इन मुद्दों को, उसे देखते हुए, मैं विरोध कर रहा हूं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : पांच मिनट का समय मुझे भी दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कुछ थोडा संक्षेप में बोला जावे ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : खाद्य मन्त्रीजी को कुछ श्रृद्धा के फूल चढाने हैं मुझे तो ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके बनाये नियमों के अनुसार पांच मिनिट पर मैं आपको बाधित करूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये श्रृद्धा के फूल किसके चढा रहे हो ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : आपके ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मण्डी कमेटी की मिसाल जो है,

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! राजस्थानी में अगर आप भाषण दें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष शब्द का कोई मारवाडी शब्द नहीं है, साहब ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भाषा का ध्यान रक्खें ।

×××अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया :

(श्री उपाध्यक्ष

(विराम)

Order ! Order please !!

आप सुन लें,। इस सदन का कोई डेकोरम है और हम युक्ति से और संसदीय शिष्ट शब्दों से मजाक भी कर सकते हैं, पर इतना फूहड तो नहीं बनना चाहिये कि जिससे किसी को कोई शब्द अप्रिय मालूम पडे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि संयत रूप से, सुष्ठ और सुचारु शब्दों का प्रयोग किया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ....

श्री नाथूराम मिर्धा : ये एक्सपन्ज किये जा चुके हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो मैं इन शब्दों को वापिस लेता हूं । आपके लिये मारवाडी शब्द नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको शर्म तो आती नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! हां, आप प्रारम्भ करिये ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह जो मसला चल रहा है मार्केटिंग कमेटियों की बात का उस सम्बन्ध में पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें रक्खी । और अब मैं राजस्थानी में ही निवेदन करूंगा आप सूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप राजस्थानी में नहीं बोलिया तो राजस्थानी अठे सूनी हो जावेला ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : इण देश री अन्न री स्थिति में जगह जगह अनियमितताओं रे कारण और छोटी बुद्धि रे कारण त्राहि त्राहि मच री है । दो रुपया रो भी साधारण जनता ने अन्न खुला बाजार में आसानी सूं नहीं मिल रयो है । कानून कायदां रा बडा बडा पोथा रो मतलब जनता नी समझे ।

आज राजस्थान में इण खाद्य री हालत ने सुधारणे म खाद्य मंत्रीजी फेल हुआ है । कानून कायदा में जरूरी हेर-फेर करने रे वास्ते और चोखा हेर-फेर रे वास्ते इणांने केत्रां हां, पर ए तो नहीं माने । आछा आछा सुझावां ने भी नी माने । एक मारवाडी में कहावत है कि आदमी तो चोखो है पर खुद की ऊपजे कोनी और दूसरां की सुणे कोनी तोग्रा आपणां कृषि मंत्रीजी नाथूरामजी री बात है ।

तो मैं निवेदन करूं हूं कि जो मार्केट कमेटी इणांने बणाई है ऊं में किसानां रो प्रतिनिधित्व नहीं है और न मजदूरां रो है । थोडा नाथूरामजी सारी स्थिति रा किसान इणां में है जो कोई अंगूरां री खेती करे है और कोई मोसम्बी री खेती करे है । कठई पांच है तो कठई दस है । वेरो ही प्रतिनिधित्व इण मार्केट कमेटियों में है । अब आहीज समाजवाद री बात केणे वाली सरकार की और सरकार का लोगां की है । बार बार संशोधन लाणे और ठीक सर बात सुझाणे पर भी वे उणां ने ठीक नहीं करे । इण सूं लागे है कि इणां री रग रग में भ्रष्टाचार भरियोडो पडियो है, पक्षपातपूर्ण बातां इणां में भरी पडी है । ए चावे है कि ६७ रा चुनाव इण मार्केट कमेटियां मां अपणा थोड

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
बहुत गुर्गा राख कर जीत लिया जावे । इण वास्ते इण कमेटियों में अपणा गुर्गा, सफेद हाथी राख कर चुनाव में जीतणा चावे हैं ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपरे सामने आहीज निवेदन करणो चावूं हूं कि कृषिमंत्रीजी की इण रे पाछे आ चाल है । आपणो देश और आपां आज जिण संकटकाल री स्थिति मांसूं गुजर रया हां आ आपां सब जाणां हां । इण स्थिति में भी ऐ लोग भ्रष्टाचार पणपाने री कोशिशां सूं बाज नही आ रया है, इण कमेटियां रा नाम सूं गडबडियां करणे सूं बाज नहीं आ रया हैं । आ इणा री हिमाकत बडी निन्दनीय हैं । इणां ने आज की संकटकाल की स्थिति मां सुधारणे री कोशिश की जाणी चाहीजे । बार बार हाई कोर्टा सूं पिट कर भी ए खाद्य मंत्रीजी इण तरह री पोख बातां और पोख बिल करणे री चेष्टा कर रया है ।

एक माननीय सदस्य : आपका यह "पोख" शब्द मारवाडी नहीं है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : तो झूंठ कह दूं । अगर आ एक पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार आज की इण विषय स्थिति पर और संकटकाल की स्थिति पर विचार करने अपणां ने सही रास्ता पर नहीं लावेगी, अपणां ऐ भ्रष्ट तरीकां ने ठीक नहीं करेगी तो निश्चित रूप सूं ए नाथूरामजी सा कांग्रेस ने और आपणी सारी पार्टी ने ले डूबेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका तो फायदा ही है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इणमें तो समझ नहीं हैं । तो मैं आपरे सामने उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सूं निवेदन करणों चाहूंगो कि पचास-पिचपन बरस रे बाद बुद्धि लोगां री ठीक हो जावे हैं, पर थांरी बुद्धि को दिवालो कठे निकल गयो । देश री आज री जो स्थिति हैं उणमें भी आप ने होश नहीं आ रयो हैं । ११०) रुपया क्विन्टल रा गेहूं रा भाव आज बाजार में हैं । फेर भी खुले बाजार मां गहूं और बाजरा रो दाणो मिले नहीं और ओ ही हाल जवार रो हैं । इण स्थिति री आज इणां नें ठा नहीं हैं । अंगूरां री खेती में डूबियोडा ने कांई मालूम कि आम जनता री कांई हालत हैं । दूसरां लोगां री बात सुणनें और समझणे री इणां में सामर्थ्य नहीं । हाउस में तो सही हालत वे बतावे और अगर उणां ने सही हालत रो पता नहीं हैं तो फेर कोई डिप्टी या दूसरा समझदार मंत्री ने इण विभाग री तरफ सूं जवाब देणो चाहीजे ।

ओ निश्चित हैं आज इणां रो बहुमत हैं और बहुमत रो राज हैं । तो सुखाडियाजी और नाथूरामजी आज मिल कर भले ही थोडो राज और कर लो; पर इण भ्रष्ट तरीकां सूं राज करणे सूं आज जनता में त्राहि-त्राहि मच रही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहे मुताबिक पांच मिनिट का समय हो गया हैं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : तो नाथूरामजी सूं मारी अरज हैं कि काफी कमाई आप कर लीवी हो, आप तो अब अंगूरां री खेती करो । अब तो आप इण संकटकाल में देश रा कल्याण रे वास्ते जल्दी सूं जल्दी त्याग-पत्र दे ने जनता ने इण त्राहि त्राहि सूं बचावो । काफी घणी कमाई कर ली हो । अब तो अंगूरां री खेती आप रे शरू हो गई हैं । आप न कमेटी बना सको हो, न अमेण्डमेन्ट ठीक

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
तौर तरीका सूं कर सको हो। इण वास्ते मैं इण संशोधन रो जोरदार विरोध करूं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के बोलने के लिये खड़े होने पर) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो पहले बोल चुके हैं, वे अब जहां तक हो न बोलें तो अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : थर्ड रीडिंग है यह। ५ मिनट केवल आप दे दें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पुष्प-उष्प नहीं चढाने वाला हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष ज्यादा क्या निवेदन करूं। लोगों ने बहुत कुछ बात तो कह दीं। मैं उनसे कुछ विशेष निवेदन करना चाहूंगा। उन बातों को मैं यहां नहीं दोहराऊंगा। कुछ नई बात बताऊंगा। लोगों ने कहा कि नाथूरामजी ने प्रेम से भी उनकी बातें सुनीं और दुलत्तियां निकाल कर भी सुनीं। पर सुनीं जरूर। मुझे निवेदन इतना ही करना है कि आप इस आॉर्डिनेन्स को पास करवाना चाहते हैं। लेकिन यह देखने में छोटा जरूर है। आप कहते हैं कि हाई कोर्ट ने इस छोटी सी बात के लिये कुछ कह दिया है, उसी को हम वेलिडेट करने को हैं।

ठीक है। आप करेंगे वही जो आप चाहते हैं। हम चाहे सौ बार कहें। पर नाथूरामजी साहब जो हमारे कृषि और खाद्य मंत्रीजी हैं, उनको मैं तो एक ही बात निवेदन कर सकता हूं कि अगर इस पक्ष से उचित बात आपके सामने रक्खी जावे और उसको अगर आप समझ न सकें तो समझने की चेष्टा किया करें। दुबारा फरमा दिया करें अगर आपकी समझ में नहीं आई हो तो, कह दिया करें कि मेरी बुद्धि कुछ मोटी है, कुछ समझ नहीं सका तो दुबारा कह दीजिये और समझने की अगर दुबारा भी कोशिश करेंगे तो हम वह भी दुबारा कह देंगे। पर क्या करें, नाथूरामजी साहब तो उस पर भी अड़ जाते हैं। ठीक है। कई लोगों ने कई बातें कहीं। आपने उनको लचर-पचर बताया। पर यह उचित चीज नहीं है।

आज जिस समय देश बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहा है उस समय वर्तमान मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये, इन लोगों को विरोधी पक्ष की बात पर गौर करना चाहिये। कोई छोटी बात कहकर नहीं टालना चाहिये। उनको चाहिये कि वे हमारा भी कोआॉपरेशन लें। इससे नाथूरामजी नट भी नहीं सकते। वे कोआॉपरेशन चाहते भी हैं। पर तरीका उन का थोडा ठीक नहीं है। अब इसके लिये भी वे क्या करें। शुरू से उनकी आदत ऐसी पडी है। मैं इनको ५२ से जानता हूं जब कि ये भतपूर्व चीफ मिनिस्टर के नीचे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। वे जिद्दी नेचर के हैं। वाजिब बात को भी मानने से इन्कार करना चाहते हैं। इनकी यह जिद्द दस-पन्द्रह वर्षों तक चल गई। पर आज जब हमारे कोआॉपरेशन की बात आप करते हैं उस समय तो आपको अपनी नेचर जरूर बदलनी होगी।

बात यह छोटी सी है, मैं भी मानता हूं। पर कुछ सदस्यों ने हाई कोर्ट की रूलिंग की बात कही। माननीय उपाध्यक्षजी,

(श्री मानसिंह महार)
मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि जिस आधार पर हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी वह बात नाथूरामजी के दिमाग में नहीं आई। ईमानदारी की बात है यह। यह वे भी मानते हैं। उन्होंने इतनी स्टेडी करने की कोशिश नहीं की। वे नासमझ हैं यह मैं नहीं कहता। पर ध्यान नहीं दिया। वरना यह है कि यह जो रूलिंग हाई कोर्ट की आपके विपरीत गई है यह एक ऐसी रूलिंग है कि जिसका मैं सरकार के गाल पर तमाचा मानता हूं। आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिये। हाई कोर्ट आपके काम को नाजायज बताए और दुबारा आप उसकी दुरुस्ती करें, यह शान की बात नहीं है। पर आपने जिस शान से फरमाया वह मैं सुन रहा था। आप अगर शर्म से बात कहते तो मान भी लेता। पर शान से कहा कि यह तो एक रूटीन जैसी चीज हो गई है। तो मैं इसका भी विरोध करता हूं कि उनके दिमाग में यह चीज है कि हाई कोर्ट की रूलिंग भी रूटीन की चीज हो गई है। और उसको वैध करने के लिये ऑर्डिनेन्स और कानून फिर से बना लेते हैं। यह शोभा की चीज नहीं है। आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिये। क्योंकि यह ऐसी चीज है कि आप इस प्रकार का काम करके एक प्रकार से जुडीशियरी और अपनी लेजिस्लेचर के संबंधों पर भी एक प्रकार से गलत चीज करते हैं।

मैं आपसे निवेदन करूं कि वैधकरण के पॉवर्स जो आपको लेजिस्लेचर ने दिये हैं उनका यह मिसयूज है, यह मान कर मैं चलता हूं। मैं समझता हूं कि जिस सरकार के मंत्री हाई कोर्ट के रूलिंग के लिये यहां खड़े होकर कहते हैं कि हाई कोर्ट ने तो कोई यह रूटीन में बात कह दी और फिर दुरुस्त करने के लिये दूसरा कानून ले आये, तो यह बिलकुल एब्यूज ऑफ पॉवर है। यह आपकी वृत्ति घातक है। आपने देखा कि इस प्रकार के यू. पी. में भी मामले आये थे हमारे जजों के। उसका भी कारण यह था कि मंत्री लोग समझते नहीं है। यह उनकी नासमझी के कारण होता है। और यहां भी यही हुआ है। इतने मंत्री हैं, पर वे कानून को नहीं समझते। आप भी अपनी बेंचों के पीछे कोई योग्य समझदार आदमी को बुलाकर-बिठाकर उससे राय मशविरा कर लेते तो कोई हर्ज की बात नहीं थी। मैं इसके लिये ऐतराज भी नहीं करता। पर आप ऐसा नहीं करके जिस नादिरशाही तरीके से इसे पारित कराना चाहते हैं वह आप की नादिरशाही अब चलने वाली नहीं है।

आज हालत खराब हो रही है। देश में सौ रुपया क्विन्टल गेहूं बिक रहा है व ८०) रु० क्विन्टल जौ। आपने मण्डी कमेटी बना दी, मार्केटिंग कमेटी बना दी। पर इनमें रक्खा किनको? अपने पक्ष के लोगों को ही आपने इनमें रक्खा है और उनको रखकर कह दिया कि सबका प्रतिनिधित्व हो गया? यह हो गया, वह हो गया। मैं इस तरह की बात मानने को तैयार नहीं हूं। आपकी इन बातों से कोई कन्विंस होने वाला नहीं है।

मैं बताऊं कि आज इस सदन में ज्यादा आवाज उठती है- वह अनाज के बारे में उठती है कि अनाज आज शहरों में आता नहीं है, उपलब्ध नहीं ह। ठीक ह साहब, यह कहने वाले तो बहुत हैं। पर कोई यह कहने वाला भी है कि हमारे गांवों में दिया जलाने के लिये घासतेल भी उपलब्ध है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका भी इन्तजाम किया जाय।

(श्री मानसिंह महार)
आज हमारे गांवों में एक एक रुपया बोतल में घासलेट तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। वह किसान जिसको कि रात्रि के दस बजे से सुबह के छः बजे तक आप बिजली देते हैं उस किसान की तरफ भी आप देखते हैं कि वह अन्धेरे में रहता है या कुछ उजाला करने के लिये घासलेट तेल भी उस को मिलता है या नहीं ? अन्धेरे में सांप, बिच्छू भले ही उसको काट जायें, इसकी आपको चिन्ता नहीं। आपको शहर वालों की चिन्ता है, उनको आप बिजली सुबह से शाम देते हैं, रात भर भी देते हैं, पर गांव के किसान को रात को ही देंगे और उस वक्त भी काम करने के लिये उजाले के लिये आप उसको घासलेट तेल नहीं देंगे। आप उसके प्रोड्यूस के भाव निर्धारित करना चाहते हैं। उसका उसे कम से कम पैसा देना चाहते हैं। ६२) रु० में आप उससे लेना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी उसकी दिक्कतों की तरफ भी देखा ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह घासलेट तेल नाथूरामजी से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मानसिंह महार : ये अपने साथी मन्त्रियों से कह तो सकते हैं। ये उनके अनाज को नियन्त्रण में लेना चाहते हैं तो और चीजें जो उसकी उपयोग की हैं उनको भी नियन्त्रित भाव पर मुहैया कराने की बात भी तो उनको ही देखना होगा। वे इस मामले में डरते हैं, दबते हैं। किस कारण से डरते हैं, दबते हैं। यह मैं नहीं जानता। किन कारणों से उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आतीं ? आस्ट्रेलिया और इजराइल हो आये हैं, तब से जरूर थोडा ज्यादा समझने लगे हैं।

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोबिन्दगढ) : आप सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : आप जिस दिन इधर से उधर चले गये, सदन का टाइम तो उसी दिन खराब हो गया। गिरगिट की तरह रंग बदल कर उधर चले गये। अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया और नैतिकता की हत्या कर दी। आप किस मुंह से बोलते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोला हूं। मेरी पार्टी के लोग भी अधिक नहीं बोले हैं। ज्यादा से ज्यादा दस मिनट बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप थोडा सा संक्षेप करें।

श्री मानसिंह महार : मैं बिलकुल संक्षेप कर रहा हूं।

मास्टर श्री नत्थीसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, सर "शर्म, बुद्धि नहीं," इन दो तीन शब्दों के अलावा भी और शब्द इनके पास हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आर्डर !!

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आपका इन चीजों से वास्ता नहीं है।

श्री मानसिंह महार : एक प्रिविलेज का पॉइन्ट रेज किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रिविलेज का पॉइन्ट रेज नहीं है। आप जारी रखिये। आप तथ्यों पर विचार करें और जो तथ्य

(श्री उपाध्यक्ष)
पहले नहीं कहे गये हों ऐसे तथ्य ही प्रकाश में लाएं तो अधिक उपयुक्त होगा ।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मार्केट कमेटियों के बारे में मैं एक दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूं जो किसी ने नहीं बताया है । आज किसान को जमा खोर बताया जाता है । पर मैं उसके दूसरे पहलू की तरफ जाना चाहता हूं । आज किसान को बहुत दिक्कतें हैं । नाथूरामजी भी एक किसान हैं इसलिये उनको मैं बताना चाहता हूं । आज चाहे वे गेहूं की खेती न करते हों, अंगूरों की करने लगे हों । पर वह भी मन्त्री पद से हटने के बाद गेहूं की खेती पर आ जावेंगे, अंगूरों की खेती करना भूल जावेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मण्डी कमेटी पर ही आप सीमित रहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अंगूरों का जिक्र किसी ने नहीं किया था साहब; यह नई बात बता रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : किसान के प्रोड्यूस के बारे में निवेदन करना है । जैसा मन्त्रीजी ने खुद ने बताया कि राजस्थान में जब नाज के भाव ६४), ७०) और ८०) रु० तक होते हैं तो दूसरे प्रान्तों में १२०), १२५) व १५०) रु० के भाव होते हैं । अब यह कहां की न्याय संगत बात है कि आप यहां नीचे भाव बनाए रक्खें और दूसरे प्रान्तों में किसानों को जो लाभ मिलता है वह लाभ यहां के किसानों को नहीं लेने दें? आप उसको इस लाभ से क्यों वंचित करना चाहते हैं? आपने मण्डी कमेटियां बनाई हैं और इसलिये बनाई हैं कि वे किसान के प्रोड्यूस के भाव रेगुलेट करें । आप यह चाहते हैं, जैसा कि आप खुद कहते हैं कि ये कमेटियां इसलिये बनाई जा रही हैं कि किसान को उनकी चीजों का उचित मूल्य मिले । आप इसके लिये यही आर्ग्यूमेन्ट भी देते हैं । दूसरा आर्ग्यूमेन्ट भी आप नही देते । आप कहते हैं कि किसान की वहबूदी के लिये हम ये कमेटियां बनाते हैं । यह क्या बहबूदी है कि आप दूसरे प्रान्तों से इस प्रान्त के किसान को अच्छे भाव पर अपना प्रोड्यूस नहीं बेचने देना चाहते? इसमें क्या बहबूदी आप सोचते हैं, जरा यह बता दीजिये? जब गुजरात-महाराष्ट्र में चने का भाव १२०) रु० तक होता है तो यहां आपने ७०), ७२) रख कर किसान की बहबूदी की या बरबादी की? आप इन कमेटियों के द्वारा चाहते क्या हैं? किसान की बहबूदी तो आप नहीं चाहते, यह तो स्पष्ट है ।

आप या तो कोई आल इन्डिया पॉलिसी इस चीज के लिए अपनायें, यदि ऐसा हो तो हम एतराज नहीं करेंगे लेकिन पंजाब के अन्दर दूसरी प्रकार की मार्केटिंग कमेटीज हैं, राजस्थान में उनकी मेम्बरशिप दूसरी प्रकार की है, यू० पी० में तीसरे प्रकार की है । यह इस देश में अब चलने वाली चीज नहीं है । पंजाब के अन्दर एक पर्टीकुलर पैटर्न ऑफ पिपुल गवर्नमेन्ट है तो उसमें अपने गुर्गों को लेने के लिए एक कानून बना दिया । आप यहां आयें आपने देखा कि ये जो मार्केटिंग सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनमें आपके पहुंच के आदमी हों तो आपने उनको ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन दे दिया । यू० पी० में तीसरा ही तरीका चल रहा है । यह क्या कर रहे हैं? आप ऑल इन्डिया पैटर्न पर कानून क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों अलग-अलग प्रान्त में आप अपनी खिचडी

(श्री मानसिंह महार)
पकाते हैं। आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खतम कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप चिन्ता नहीं करिये।

तो मैंने जो दो-चार बातें कहीं हैं। मैं मंत्रीजी से उम्मीद करूंगा और मेरे उधर बैठने वाले दोस्तों को समय से दुःख हो रहा हैं, मैं कहना चाहता था लेकिन अब मुझे कुछ कहना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

फिर भी मैं मंत्री महोदय से जरूर कहूंगा कि जवाब देते समय दूसरे पहलुओं की तरफ भी ध्यान दें, और उन पर भी कुछ रोशनी डालें, और मैं जानता हूं कि राजस्थान का उत्थान उस समय तक नहीं हो सकेगा जब तक कि आप के कृपापात्र फूड कमिश्नर हावा साहब हैं और यहां पर फूड के मामले में इसी प्रकार का होवा बना रहेगा, यह मैं जानता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, केवल ३ मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां की परम्परा के अनुसार अगर हम तृतीय वाचन पर कोई मुद्दा जो रह गया हो उसी को उठायें तो अधिक अच्छा हो। परन्तु सभी मुद्दों पर विवाद हो चुका है इसलिए यदि आप समय न लें तो अच्छा रहेगा और अब समय भी काफी हो चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, केवल ३ मिनट ही ....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, ६ बज चुके हैं और अब कौनसी बात रह गई है ? माननीय सदस्य हमेशा दो-दो बार बोलते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बोलने का हर एक का राइट है।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : इस तरह से तो फिर आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम क्लोजर मोशन मूव करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप चाहें तो पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन पूछ लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, केवल ३ मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलने के लिये आतुर नहीं था लेकिन जिस तरीके से माननीय खाद्य मंत्रीजी ने आज की डिबेट का उत्तर दिया है उस पर मैं दो पॉइन्ट्स रेज करना चाहता हूं मार्केटिंग सोसाइटीज को कामयाब करने का दृष्टिकोण मेरा और मेरी पार्टी का है और मार्केटिंग कमेटी को सक्सेसफुल करने का दृष्टिकोण इस सदन के अधिकतर सदस्यों का है। लेकिन जो एटीट्यूड माननीय खाद्य मंत्रीजी का है वह मार्केटिंग कमेटी को फेल करने का है। किसी भी कमेटी में या मन्डी के व्यापार में काम करने के लिए निम्न व्यापारी, उनमें काम करने वाले मजदूर और उसके डिफरेन्ट जो अंग हैं उसमें जो विभिन्न सेक्टर्स हैं वह उनको पूरी तरह से संतुष्ट करके पूरी तरह से उनकी तरफ ध्यान रख कर नहीं चला जायेगा तब तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है। माननीय सदस्यों ने इस रूल के सेक्शन ६४ की तरफ ध्यान दिलाया जिसमें कि ये दर्ज है कि कोई भी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
व्यक्ति जो मार्केटिंग का अंग है अगर वह बाइकॉट करता है या स्ट्राइक करता है तो उसके लाइसेंस को छीन सकते हैं। उन्होंने बडे ही मजाकिया तरीके से इतनी सीरियस बात को बडे हल्केपन से लिया है। माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह चीज कॉन्स्टीट्यूशन के विपरीत है और यह चीज डेमोक्रेटिक स्पिरिट के विपरीत है और माननीय मंत्री महोदय ने इसका उत्तर देना मुनासिब नहीं समझा और अपनी आदत के मुताबिक इसको बहुत हल्केपन से लिया। आप क्या बनाना चाहते हैं? यह मार्केटिंग कमेटी और यह मार्केटिंग सिस्टम जो आपका है . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह पॉइन्ट आ चुका है और मैं जवाब दे चुका हूं और फिर इस पर बहस कर रहे हैं। इस सदन के समय की भी कोई कीमत है आप अपनी बातों को कह चुके हैं, सब लोग सुन चुके हैं और मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने जो जवाब दिया है वह यह है कि इस एमेन्डिंग बिल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जब कि सदन इस बात की आशा रखता था कि माननीय मंत्री महोदय यह कहेंगे कि मैं इसके लिए इमीजियेटली एक एमेंडिंग बिल लाऊंगा। लेकिन आपने एक टालने की स्थिति बना दी। मैं आपको सूचना दूं कि सर छोटूराम के सामने से भी मार्केटिंग कमेटी का सिस्टम पंजाब के अन्दर फंक्शन कर रहा है आज से २८ साल पहले से ही, तो आपने कौनसा गौरव प्राप्त कर लिया कि ६१ के अन्दर मार्केटिंग कमेटी का एक्ट पास करवाया और सारे भारतवर्ष के अन्दर हीरो बनना चाहते हैं। सन् १९२८ के अन्दर अंग्रेजों के टाइम में इसका कन्सीडरेशन होगया। क्या स्वतंत्र भारत में मार्केटिंग कमेटी के अन्दर यह क्लॉज रखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी स्ट्राइक में पार्टीसिपेट करे, किसी भी बाइकॉट में पार्टीसिपेट करे, वह चाहे व्यापारी हो, वह चाहे मध्यमवर्गी हो उसको मार्केटिंग कमेटी निकाल सकती है, उसका लाइसेन्स कैंसिल कर सकती है। आपको लज्जा नहीं आती, आप प्रजातंत्र के दावेदार बनकर बैठते हैं। आपको इसको बडे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिये बल्कि आपने इसको बहुत हल्केपन में लिया। अगर ऐसा क्लाज इस डेमोक्रेटिक ऐज में होगा तो उसके लिए आप कल ही इमीडियेटली बिल लायेंगे और वेलीडेशन कर सकते हैं ऑर्डिनन्स के जरिये लेकिन आपने कभी इस पर नहीं सोचा।

मैं एक पॉइन्ट रेज करूंगा और वह यह है कि माननीय सदस्य जो जयपुर से आते थे उन्होंने कहा कि ४६ मंडियों के अन्दर मार्केटिंग कमेटी एक्ट करती है तो माननीय मंत्री महोदय बडे गुस्से से कहने लगे कि १०० के अन्दर एक्ट करती है। मैं इस सदन के अन्दर चलेन्ज करके कहता हूं कि इन ४६ में से भी एक के अन्दर ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रही है . . . . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरे नाम पर गलत कोट मत करें। आप पहले सुनने की कृपा करें। मेरी तरफ से आप अपनी बात को जोडिये नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि १०० कमेटीज फंक्शन करती हैं। मैंने बराबर डिवीजन दिया है कि कौनसी बन चुकी हैं कितनी बन चुकी हैं और बाकी को कितने साल में पूरी करनी हैं। यह व्यवस्था मैंने पूरी डिटेल में दी है इसलिये गलत कोट मत कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५० में एक्ट करती हैं या १०० में; न मुझे ५० से मतलब है और न १०० से मतलब। लेकिन आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ४६ हों या १०० हों एक कमेटी नहीं है जिसका प्रॉपर इलेक्शन हुआ हो और जिसम आपका नॉमीनेशन न हुआ हो। एक कमेटी नहीं है जिसमें किसानों का रिप्रेजेन्टेशन बाकायदा तरीके से आया हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ प्रिविलेज्ड लोगों को कमेटी का मेम्बर बना दिया है और आम किसान जो प्रोड्यूस लाता है उसको कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अंत में मैं यह कहना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : अंत में आपने बहुत कह दिया; there should be some limit.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका जो शिड्यूल है उसमें सब कॉमोडिटीज दर्ज हैं और इसमें फ्रूट्स की भी बहुत सी कॉमोडिटीज दर्ज हैं, लेकिन अंगूर दर्ज नहीं हैं। जब माननीय मंत्री महोदय घर बैठेंगे और अंगूर बेचेंगे तो उनको दिक्कत आयेगी, इसलिए यह और दर्ज कर लिया जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल के पारण के प्रस्ताव के बाद जिन चार माननीय सदस्यों ने भाषण दिया, खास तौर से जहां तक खाद्यान्न की प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाये थे उनके ऊपर तो मैं कल ही कहूंगा। इसलिये उस पॉइन्ट के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में दलीलें जो कुछ दी हैं तृतीय रीडिंग की स्टेज पर उनके जो भाषण हैं वे इस स्टेज की परिधि से कतई मेल नहीं खाते और उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, मैं समझता हूं कि उनके लेवल पर ही शोभा देता है। मैं तथ्य देता हूं, सार देता हूं इसलिये तो सारहीन और तथ्यहीन दलीलें हैं उनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं फिर एक बार माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को पारित करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : आपने सब सारहीन बातें कही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(६.०० म. प.)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I object to it. It is the contempt of the House, the way he has replied.

कौन २ सी कोटियां हैं ? कौन निम्न श्रेणी में हैं और कौन लोग उच्च कोटि में हैं, क्या क्राइटेरिया है ?.....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस पर निर्णय कीजिए ? I object to it. Please tell the Hon'ble Minister to with-draw these words.

श्री उपाध्यक्ष : What words ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Tell him, otherwise we shall walk out.

श्री उपाध्यक्ष : What words ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये वर्ड जो माननीय सदस्य ने कहे हैं यह हैं कि वह निम्न कोटि की बात है और मैं ऐसी निम्न कोटि की बात का उत्तर नहीं देना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : निम्न कोटि की बात नहीं कही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने निम्न कोटि की बात कही है। अपने आपको वे उच्च कोटि का समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ६.३ बजे पर शुक्रवार, दिनांक ८ अक्टूबर, १९६५ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-१

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७४ का उत्तर देखिये)

सूची

१. मिसल नं. ३० मर. २५-१-६३	श्री हनुमानसिंह वल्द दुर्जनसाल सिंह राजपूत साकिन गोगामेडी।
२. मिसल नं. ३१ मर. २५-१-६३	श्री सवाईसिंह दुर्जनसाल सिंह राजपूत साकिन गोगामेडी।
३. मिसल नं.	श्री सुगन सिंह-राजपूत साकिन गोगामेडी।
४. मिसल नं. ४० मर. २५-१-६३	श्री ब्रजूसिंह वल्द आसूसिंह राजपूत साकिन गोगामेडी।
५. मिसल नं. ४६ मर. २५-१-६३	श्री बैरीसालसिंह वल्द बनेसिंह राजपूत साकिन गोगामेडी।
६. मिसल नं. २७५ मर. २७-८-६३	श्री सर्लासिह वल्द मगेज सिंह राजपूत साकिन गोगामेडी।
७. मिसल नं. २७६ मर. २७-८-६३	श्री जवाहरसिंह वल्द बैरीसालसिंह राजपूत साकिन गोगामेडी।

७ योग

परिशिष्ठ, २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चूरू नगर की जल प्रदाय योजना

२८६. **श्री मोहनसिंह** (चूरू) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू नगर की जल प्रदाय योजना मूल रूप में कब तैयार की गई और उस पर खर्च होने वाली अनुमानित धनराशि क्या थी ? इस योजना को पूरा करने के लिये नगरपालिका चूरू से क्या इकरारनामा किया गया था ? यह इकरारनामा कब किया गया तथा इसके द्वारा कितना ऋण नगर-पालिका को देना तय किया गया था ?

(२) इस जल प्रदाय योजना को पूरा करने के लिये कार्य कब शुरू किया गया ? अब तक क्या-क्या कार्य पूरा किया गया है ?

(३) इस योजना पर अब तक प्रत्येक वर्ष में कितना रुपया व्यय किया गया है ? अब कितना रुपया इस योजना पर खर्च होना शेष है ?

(४) अब तक कितने कनेक्शन लोगों को दिये गये हैं ? कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र पानी लेने के लिये विचाराधीन हैं ?

(५) क्या यह सत्य है कि गलियों में छोटी पाइप लाइन न डालने के कारण १५०० आदमी पानी के कनेक्शन लेने से वंचित हैं ? यदि हां, तो सरकार इस कमी को कब तक दूर करेगी ?

उत्तर

(१) चूरू नगर की जल प्रदाय योजना मूल रूप से मई १९६४ में तयार हुई थी। इस पर होने वाली अनुमानित धनराशि १५,२६,००० रु० थी । इकरारनामा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है । इकरारनामा ९ फरवरी, सन् १९५९ को किया गया था और उसके द्वारा १९ लाख रुपया नगरपालिका को ऋण के रूप में देना तय किया गया था ।

(२) कार्य शुरू फरवरी सन् १९६० में स्कीम कि स्वीकृति होने के पश्चात् किया गया था और मई सन् १९६४ में सब कार्य पूरा पूर्ण कर दिया गया था । उसके पश्चात् जल वितरण बराबर चल रहा है ।

(३) इस योजना पर अब तक वार्षिक जो खर्चा हुआ है वह निम्न प्रकार है:—

सन् १९६०—६१	५,४७,५००.००
सन् १९६१—६२	२,१३,०००.००
सन् १९६२—६३	२,९३,०००.००
सन् १९६३—६४	२,०८,०००.००
सन् १९६४—६५	१,८४,५००.००
सन् १९६५—६६	६४,०००.००
(अगस्त १९६५ तक)	
	१५,१०,०००.००

१६,००० रुपये अभी तक खर्च होना शेष है ।

(४) माह अगस्त तक करीब ११०० कनेक्शन से दिये गये थे । जिस जगह पाईप लाइन डाली गई नहीं है उन जगहों की ४४ अर्जियें अलग-अलग मकानों की व ८ इकट्ठी

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)
लोगों की अर्जियां रखी हुई हैं। इनके कनेक्शन नई पाइप लाइन डालने के बाद दिये जा सकेंगे जिसके लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है।

(५) जी हां, करीब ४००-५०० आदमी वंचित हैं स्वीकृत स्कीम के अनुसार काम किया गया था और उसके अलावा जिस जगह और लाईन डालना जरूरी समझा गया है वहां के लिए नये एस्टीमेट १,८०,००० रुपये के नगरपालिका की सिफारिश पर बनाकर नगरपालिका को भेज दिये गये हैं। नगरपालिका द्वारा पैसा जमा कराने पर या सरकार द्वारा ऋण की मंजूरी देने पर कार्य शुरू किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रतापगढ़ तहसील की पंचायतों को भूमि का एलाटमेन्ट

२८७. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कितनी पंचायतों को सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार तहसील प्रतापगढ में १५ बीघा जमीन अलॉट हो चुकी है और कितनी पंचायतों की दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ? अब तक एलॉट न होने के क्या कारण हैं ?

(२) तहसील द्वारा सौंपी गई जमीन को किन किन पंचायतों ने आबाद की है और कितनी पंचायतों ने आबाद नहीं की ? नामवार बताने की कृपा करें ?

(३) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र की पंचायतों को अब तक इस प्रकार की जमीन अलॉट नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि कुछ पंचायतों को १५ बीघा जमीन का एक प्लॉट नहीं देकर दो-दो चार-चार बीघा के टुकड़े अलग नम्बर व दूर-दूर भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह उचित है ?

उत्तर

तहसील प्रतापगढ की कुल ५६ पंचायतों में से ४० पंचायतों को सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार भूमि एलॉट की गई है। बाकी १६ पंचायतों की ओर से भूमि मांग के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुये अतः कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं हैं। इन १६ पंचायतों को एलॉट करने के लिये भूमि रिजर्व हुई है जो मांग करने पर अलॉट की जावेगी। ४० पंचायतों में से ३३ ने भूमि आबाद करली हैं जिनके नाम संलग्न सूची के क्रम सं० १ से ३३ तक हैं। बाकी ७ पंचायतों की भूमि का एलॉटमेन्ट इसी वर्ष हुआ है अतः इन पंचायतों द्वारा भूमि को अब आबाद किया जावेगा, इनके नाम संलग्न सूचि के क्रम संख्या ३४४० पर है। जी नहीं, इस तहसील में सिंचित क्षेत्र नहीं है।

जी नहीं। अधिकतर पंचायतों को १५-१५ बीघा एक ही चक में एलॉट की गई है जहां कहीं इकजाई चक उपलब्ध नहीं था वहां पंचायतों की इच्छानुसार दो टुकडों में अलाट की गई है।

रतननगर जिला चूरू के लिये पेय जल की व्यवस्था

२८८. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या रतननगर, जिला चूरू के लिये पेय जल के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ?

परिशिष्ट

(श्री मोहनलाल)

(२) यदि इसके लिये कोई जल प्रदाय योजना बनाई गई है तो उसका काम कब शुरू होगा और इसका अनुमानित व्यय क्या होगा ?

(३) यह योजना कब तक पूरी की जायगी ?

उत्तर

जी हां, योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रारम्भिक कार्य और पाइप लाइन आदि डालने के लिए टेन्डर्स मांगे गये हैं और पाइप एवं मशीनरी का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस योजना का अनुमानित व्यय रु० ४,३०,००० है।

योजना का पूर्ण होना पाइप तथा मशीनरी की उपलब्धि एवं बजट प्रयोजन पर निर्भर है। साधारणतया इसमें २-३ वर्ष का समय लगता है।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १२३ का उत्तर देखिये)

जिलेवार सूची

१.	जोधपुर	४५	१६.	अलवर	९८
२.	बीकानेर	४६	१७.	सवाईमाधोपुर	५२
३.	नागौर	१६	१८.	बाडमेर	३१
४.	बूंदी	३०	१९.	झालावाड	१३
५.	जैसलमेर	..	२०.	चितौड	१५
६.	भरतपुर	६२	२१.	झुंझुनू	३६
७.	जालोर	१३	२२.	जयपुर	१३३
८.	सिरोही	६	२३.	टोंक	४१
९.	उदयपुर	१२	२४.	गंगानगर	१२४
१०.	कोटा	३०	२५.	अजमेर	२१
११.	पाली	२८	२६.	भीलवाडा	२२
१२.	सीकर	५८			
१३.	बांसवाडा	४			
१४.	चूरू	६८			१००६
१५.	डूंगरपुर	२			

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ७ अक्टूबर, १९६५)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२०२३	६	है हुई	हुई है
२०२५	६	श्री सांवलयाराम।	श्री सांवलियाराम।
२०२६	अन्तिम	के लि	के लिये
२०३०	अन्तिम से १३	क्षे सड़कों	क्षेत्र की सड़कों
२०३५	,, ६	नैक ट	नैक्स्ट
२०५६	अन्तिम से १२	सोंप	सौंप
२०५८	७	श्री रापप्रसाद	श्री रामप्रसाद
,,	८	तौ	तो
२०६१	स्कम्भ	२०६१	२०६१]
२०६२	,,	२०६२	[२०६२
,,	८	नोटिफिकेशिन	नोटिफिकेशन
२०६५	अन्तिम से ३	मरतपुर	भरतपुर
२०६८	१८	शतें	शर्तें
२०७१	१०	क	के
२०८६	३	सर्टीफिकेट्रस	सर्टिफिकेट्स
२०८७	५	डिस्ट्रीव्यूशन	डिस्ट्रीब्यूशन
,,	६	किया है।	किया है ?
,,	११	करवाया।	करवाया ?
२०८८	८	ग्रनपस्थित	अनुपस्थित
२०८९	अन्तिम से ४	बयानां	बयाना
२०९०	१०	का या	की या
२०९१	२०	करेगें	करेंगे
२०९३	अन्तिम	क है	के हैं
२०९४	२	दिय हैं ?	दिये हैं ?
२०९५	प्रथम	कनिष्ट	कनिष्ठ
२०९६	अन्तिम से ४	कानन गो	कानूनगो
२०९८	प्रथम	पटवारीनिरीक्षर	पटवारी निरीक्षक

१	२	३	४
२०९८	७	चयन म	चयन में
,,	१०	करन का	करने का
,,	अन्तिम से ११	रूल्स क	रूल के
२०९९	११	वोघा ८	बीघा ८
२१००	अन्तिम से २	अतिक्रिमण	अतिक्रमण
२१०१	,, ,, ६	–११९.	११९.
२१०३	,, ,, २	मज पर	मेज पर
२१०७	,, ,, ७	को राष्ट्रीयता	की राष्ट्रीयता
२११०	शीर्षक	वक्तय	वक्तव्य
,,	अन्तिम से ३	इमोल्यू मेंन्ट्स	इमोल्यूमेंन्ट्स
२१११	१६	Nelitherland	Neitherland
२११४	प्रथम, ३, ६, १२ व १५	इन्टरंनल मामलों में पडे	इन्टर्नल मामलों में पड़ें
,,	,,	रिमार्कस	रिमार्क्स
२११५	अन्तिम से ३	सकते वह	सकते हैं वह
२११७	१७	बांसवाडा	बांसवाड़ा
,,	,,	पीडित	पीड़ित
२११९	६	क ने	करने
२१२१	१५	पडे	पड़े
,,	१७	पडेगा	पड़ेगा
,,	अन्तिम से ६ व ८	बडा	बड़ा
२१२५	१०	ाकार	प्रकार
२१८८	अन्तिम से १०	ैरोकार	पैरोकार
२१३०	शीर्षक	विधेक	विधेयक
२१३८	,,	संशोधी इत्यादि)	(संशोधी इत्यादि)
२१५१	स्कम्भ	३०५१	२१५१
२१५२	,,	३०५२	२१५२
२१५१	१७	डेवलमेन्ट	डेवलपमेन्ट
२१५५	स्कम्भ	२१५६	२१५५
२१५६	,,	२१५५	२१५६
२१५८	अन्तिम	म ोदय	महोदय
२१७५	११	पहल	पहले
२१७८	११	रिप्रेजन्टेटिव्ज	रिप्रेजेन्टेटिव्ज़
२१८१	अन्तिम से ७	ह	है

१	२	३	४
२१८३	१४	ठेके	ठेके के
,,	१८	जयमंसद	जयसमंद
२१८८	अन्तिम से ६	धाराआं	धाराओं
२१८९	अन्तिम	ौन सी	कौनसी
,,	शीर्षक	जपज	उपज
२१९०	अन्तिम से ८	मत्रा	मंत्री
२१९१	३	को	की
,,	अन्तिम से ७	फोर्मेशन	फॉर्मेशन
२१९४	अन्तिम से ३	काननी	कानूनी
२१९५	,, ८	परसैन्ट	पर्सेन्ट
२१९६	६	करत	करते
,,	अन्तिम से १४	बढने म	बढ़ने में
२१९७	,, २ व ३	व्यौपारियों	व्यापारियों
२१९८	११	कहा ह	कहा है
,,	अन्तिम से २	ओर्गेनाइज्ड	ऑर्गेनाइज्ड
२१९९	शीर्षक	७ अक्टबर	७ अक्टूबर
,,	अन्तिम	एक कमोटी	एक कमिटी
२२००	,, से १३	काताई	कोताई
,,	,, से १०	कोमोडिटीज	कॉमोडिटीज़
,,	,, से २	मत्री	मंत्री
२२०१	,, से ११	आग्यूमेंट	ऑर्ग्यूमेन्ट
२२०२	,, से २	गर्जासहपुरा	गर्जसिंहपुर
,,	,, से २	मंडी म	मंडी में
२२०३	,, से ११	श्री केदा नाथ	श्री केदारनाथ
,,	,, से ६	कानून शक्ल	कानून की शक्ल
२२०८	अन्तिम	ज्यडिशियरी	ज्युडिशियरी
२२०९	७, १७	रिट्रोस्पेक्टिव	रिट्रॉस्पेक्टिव
२२१०	१, १२	फोर्मेशन	फॉर्मेशन
२२११	१	आपतकालीन	आपरकालीन
,,	१३	क्रोप	क्रॉप
,,	अन्तिम से ८	प्रोब्लम	प्रॉब्लैम
२२१५	अ तिम से ८	खुली छट	खुली छूट
,,	,, ४	नया पसा	नया पैसा

१	२	३	४
२२२०	अन्तिम	ना जरूरी	जाना जरूरी
२२२३	अन्तिम से ६	ले सकेगें	ले सकेंगे
२२२६	१४	था गया	गया था
,,	२६	सिफ	सिर्फ
२२२७	अन्तिम से ७	this beha	this behalf
२२२६	२०	एक अमन्डमेन्ट	एक अमेन्डमेन्ट
२२३२	१६	जा ७०	जो ७०
,,	२०	फोमशन में	फोर्मेशन में
,,	अन्तिम से २	रिजक्ट हुआ	रिजेक्ट हुआ
२२३५	६	करते हैं	करते हैं।
,,	१८	रखे हैं	रखे हैं
२२४०	शीर्ष	संशोधी	(संशोधी
२२४१	५	नहीं हेग	नहीं होगा
२२४२	५	इसक कुछ	इसके कुछ
२२४४	अन्तिम	लेबर्स	लेबरर्स
२२४५–			
२२४६	शीर्षक	(संशे	संशोधी
२२४५	११	थिक्स	थिंग्ज
,,	अन्तिम से ३	सीसाइटी	सोसाइटी
२२४७,			
२२६१,			
२२६३	शीर्षक	विपणी	विपणि
२२४८	३	सह्न	ह्रास
२२४६	११	माननोय	माननीय
२२५०	१८ व ३१	मिर्घा	मिर्धा
२२५१	५	मदादाजी	भदादाजी
,,	१०	मिर्घा	मिर्धा
,,	१४	ऑडर प्लीज !!	ऑडर प्लीज! ऑडर प्लीज!!
,,	१७	श्री नादूराम	श्री नाथूराम
२२५२	६	भी किसा	भी किसान
,,	८	मिर्घा	मिर्धा
२२५३	शीर्ष	(श्री रामप्रससाद	(श्री रामप्रसाद
२२५४	६	इनसल्ट . . . है।	इन्सल्ट . . . है।

५

१	२	३	४
२२५४	७	ऑडर, सर	ऑर्डर, सर
२२५५	अन्तिम से ६	श्री नाथराम	श्री नाथूराम
,,	,, ,, ५	प्लीज् ?	प्लीज् !
२२५७	शीर्षक	('शोधी	(संशोधी
२२६२	१८	बनते समय	बनाते समय
,,	२०	के माव	के भाव
२२६६	अन्तिम से ५	मिर्घा	मिर्धा
२२६७	प्रथम	,,	,,
,,	१०	की उनका	कीं उनका
,,	१४	विधिवत	विधिवत्
,,	२२	आघार	आधार
,,	२६	कृषि विमाम	कृषि विभाग
२२७०	१०	सुधारणे म	सुधारणे में
,,	१७	तोआ	तो आ
,,	अन्तिम	मण ··· थोडे	मण्डी ··· थोड़ा
२२७१	२३	इण विषय	इण विषम
२२७४	२३	क्या करे।	क्या करें ?
,,	२५	भतयूर्व	भूतपूर्व
२२७५	६	जिसका में	जिसको में
,,	२०	वैद्य	वैद
२२७६	६	नहीं है	नहीं हैं
,,	अन्तिम से ६ व ५	ह	है
२२९०	अन्तिम	तयार	तैयार
